Page No 1

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] पंचम् विधान सभा के सप्तम् सत्र का 43वां दिवस [संख्या 30

सोमवार,

31 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री राम किशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(यातायात, विकास, समाज कल्याण, विधि, पंचायत, उद्योग, नगर आयोजना, शिक्षा, चिकित्सा, विद्युत्, सहकारी, गृह, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, स्वायत्त शासन, सामान्य प्रशासन, श्रम, अकाल सहायता, एवं आयुर्वेद विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री बनवारी लाल और श्री श्रीराम गोटेवाला।

राज्य पथ परिवहन निगम में डेपूटेशन पर आये अधिकारी/कर्मचारी

613. **श्री बनवारीलाल** (निवाई सु.) व **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर में राज्य सरकार के कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी/डेपुटेशन पर हैं और कब से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त संस्थान द्वारा किस आधार पर डेपूटेशन पर लिया गया ?

(3) क्या इन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये डेपूटेशन की अवधि निर्धारित है ? यदि हां, तो कौन कौन अधिकारी/कर्मचारी अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी संस्थान में नियुक्ति हैं और क्यों ?

(4) इन अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन व भत्ते आदि में संस्थान को कितनी धनराशि प्रति वर्ष व्यय करनी पड़ती है ? वर्ष 1972-73 से अब तक के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त संस्थान द्वारा डेपूटेशन पर लिये जाने का संस्थान के कर्मचारी संघ ने विरोध किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

यातायात मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी): (1) निगम में प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

(2) जब भी निगम में ऐसा कोई पद रिक्त अथवा सृजित होता है, जिस पर निगम के अधिकारी/कर्मचारी नियुक्ति अथवा पदोन्नति के लिये उपयुक्तता के आधार पर उपलब्ध नहीं होता तब राज्य सरकार से वर्ग विशेष के अधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर लिया जाता है। इन अधिकारियों का चयन निगम उपयुक्तता के आधार पर करता है।

(3) ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रथमतः एक वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है। तदनन्तर आवश्यकतानुसार इनकी समयावधि बढ़ा दी जाती है।

(4) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) जी हां, निगम ने इस विषय पर विचार किया है। जब निगम में वांछित योग्यता के अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध होने लग जावेंगे तो प्रतिनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या शनैः शनैः कम होती चली जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या यह उपलब्ध नहीं हो रहे हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। लेखा लिपिक आदि के पदों के लिये डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट से लेने को थे, परन्तु उपलब्ध नहीं हो पाये इसलिये डेपूटेशन पर लेने पड़े।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह जो लिस्ट आपने दी है उसमें सन् 1972 से अब तक डेपूटेशन पर लिये जा रहे हैं, और जैसी हमें जानकारी दी गई है, डेपूटेशन अलाउन्स के रूप में इस समय 3,86,738 रुपये वार्षिक खर्चा पड़ता है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, वह रोजगार मंत्री भी हैं, कि हमारे यहां जो बेरोजगार नवयुवक हैं जो बेकार घूमते हैं, उनको क्यों नहीं इन लेखा लिपिक के पदों पर रखते हैं और क्यों इतना रुपया डेपूटेशन अलाउन्स पर खर्च किया जाता है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : इसके लिये निगम की ओर से क्या एफर्ट्स की गई हैं, इसको क्लीयरली बतायें ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : माननीय सदस्य ने जो रकम बताई है उसमें वेतन और भत्ता दोनों शामिल हैं। डेपूटेशन अलाउन्स करीब 20 प्रतिशत दिया जाता है और वह लोग बोनस के लिये एलीजीबिल नहीं होते हैं। अगर हम डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट करें तो निगम पर भार बढ़ेगा। जिस जिस पद के लिये हमें क्वालिफाइड आदमी मिलते जायेंगे, हम निगम में उन्हें लेते जायगे। कर्मचारियों में से आर०एम० की पोस्ट पर एक को रखा गया है, जिसको अभी कन्फर्म किया जायेगा। ज्यों ज्यों हमको आदमी मिलते जायेंगे, हम धीरे धीरे निगम के ही कर्मचारियों को बढ़ायेंगे और डेपूटेशन वालों को कम करेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): जहां तक रोजगार का सवाल है, उसमें डेपूटेशन पर आदमी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आदमी गवर्नमेंट से डेपूटेशन पर लिया जाय, चाहे डाइरेक्ट रिक्रूट किया जाये, एम्प्लायमेंट के लिहाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी किसी प्रश्न के उत्तर में कहा था मैंने और

(श्री हरिदेव जोशी)

आज भी व्यक्तिगत रूप से मेरी यह राय है कारपोरेशन्स में गवर्नमेंट से डेपूटेशन पर आदमियों को लेने में ज्यादा फायदा है बजाय इसके कि किसी आइसोलेटेड पोस्ट पर निगम में डाइरेक्ट किसी को लिया जाये। इसका कारण यह है कि अगर कोई आदमी ठीक साबित नहीं हुआ तो गवर्नमेंट में तो रिटेन हो जायेगा और चल जायेगा लेकिन कारपोरेशन के लिये हमेशा के लिये लायबिलिटी हो जायेगा। गवर्नमेंट के पास अगर कोई आदमी खराब है तो वहां तो बड़े स्टाफ में वह निभ सकता है लेकिन कारपोरेशन में गड़बड़ हो जायेगी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी-बाजार, जयपुर) : यह बताने की कृपा करें कि जो आपके प्रजेन्ट इन्कम्बेंट्स हैं और जो काम्पीटेंन्ट हैं, उनको एबसार्ब न करके बाहर से लेते हैं, तो इससे असन्तोष पैदा होता है यह नहीं? यह उनके साथ इनजस्टिस है या नहीं?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, जिस योग्यता के आदमी डिप्टी जनरल मैनेजर, आर० एम० और इस प्रकार के पदों के लिये चाहियें, वह कर्मचारी संघ में मौजूद नहीं हैं। यह दूसरी बात है कि कर्मचारी संघ वाले यह समझते हैं कि हम सारा रोडवेज चला सकते हैं, पर यह बात राज्य सरकार मानने की स्थिति में नहीं है। जो क्वालीफीकेशन्स लेड डाउन हैं, उन क्वालीफीकेशन्स के आदमी कर्मचारी संघ के अन्दर नहीं हैं और अगर ऐसा कोई आदमी हो तो आप इन्डीवीजुअल तौर पर मुझे बता दें हम डेफीनेटली उसका केस कन्सीडर करेंगे।

प्रश्न संख्या 614

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विशम्भरदयाल बोहरा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

अनुसूचित जन जाति मंत्रणा परिषद् का गठन एवं बैठकें

615. **श्री जयनारायण रोत** (लसाडिया-सु०)

श्री चेतराम (टोडाभीम सु०),

श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा),

श्री रामचन्द्र रोत (चौरासी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भारत के संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति मंत्रणा परिषद् का गठन राजस्थान में किया गया है? यदि हां, तो इस मंत्रणा परिषद् के कुल कितने सदस्य हैं?

(2) क्या इस मंत्रणा परिषद् की बैठकें बुलाने का कोई प्रावधान निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो परिषद् की एक वर्ष में कुल कितनी बैठकें होनी चाहियें? और वर्तमान मंत्री के कार्यकाल में इस मंत्रणा परिषद् की कुल कितनी बैठकें हो चुकी हैं? तारीख एवं स्थान बतलाने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां। अनुसूचित जन जाति मंत्रणा परिषद् में अध्यक्ष के अलावा 18 सदस्य हैं।

(2) जी हां। साधारणतया एक वर्ष में चार बैठकें आयोजित करने का प्रावधान है। वर्तमान समाज कल्याण मंत्री के

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
कार्यकाल में इस मंत्रणा परिषद् की एक बैठक दिनांक 2-6-74 को भीलवाड़ा में आयोजित की गई थी।

श्री चेतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब 4 बैठकें करने का प्रावधान है, तो पिछले फाइनैन्शियल ईयर के अन्दर कितनी बैठकें हुईं, क्या वह निर्धारित मात्रा से कम हुई ? अगर निर्धारित मात्रा से कम हुई तो किस कारण से ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि वर्ष में 4 बैठकें होनी चाहियें थीं, लेकिन सिर्फ एक ही बैठक हो पाई।

श्री चेतराम : इसका क्या कारण है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री मोहनलाल-छंगाणी) : पहले तो रीकान्स्टीट्युट करने का सवाल था, अब वह रीकान्स्टीट्युट हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बैठक में कोरम पूरा नहीं हो पाया। माननीय सदस्य तो आयें थे परन्तु कोरम पूरा नहीं हो पाया था। मैं यह चाहता हूं कि निश्चित रूप से बैठकें की जायें।

श्री चेतराम : माननीय मंत्रीजी यह बतायें कि रीकान्स्टीट्युट करने में जो देरी हुई उसमें सरकार का दोष है या मेम्बर्स का दोष है ? और इनकी मीटिंग्स रीकान्स्टीट्युशन न होने के कारण नहीं बुलाई गई या अन्य किसी कारण से नहीं बुलाई गई ? और अब तक आपने जो मीटिंग्स रखी हैं, वह भीलवाड़ा में रखी हैं। तो आप जयपुर में क्यों नहीं रखते ताकि माननीय सदस्य भी आ सकें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मीटिंग्स जहां तक हो सकेगा जयपुर में रखी जायेंगी। पिछली बार उदयपुर वालों का आग्रह था, इसलिये भीलवाड़ा में रखी गई। मीटिंग्स बुलाने में देरी हुई है, उसके लिये मैं अपने आप को दोषी मानता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। बहुत गम्भीर मसला है....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। गम्भीर ही कहते हैं आप तो।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : मेरा प्रश्न बराबर रह जाता है।

श्री अध्यक्ष : अब तो समय नहीं है। सवाल बहुत हैं, वर्ना मैं आपको समय दे देता।

श्री मूलचन्द सामरिया।

दौसा में अपीलेट कोर्ट की स्थापना

616. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दौसा व बांदीकुई के विभिन्न न्यायालयों में कितने मुकदमें विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सिविल एवं क्रिमिनल केसेज की अलग अलग सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अदालतों के क्षेत्राधिकार के कितने मुकदमें अपीलेट कोर्ट्स में विचाराधीन हैं ?

(3) क्या यह सही है कि यह संख्या काफी बड़ी है ?

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(4) क्या सरकार दौसा में ही कोई ग्रपीलेट कोर्ट (एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज) स्थापित करने का विचार रखती है ?

(विराम)

श्री रामकिशन : विधि मंत्री को पता ही नहीं कि क्या जवाब देना है।

विधि मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) दौसा व बांदीकुई के न्यायालयों में दिनांक 31-1-75 को 2579 व 849 मुकदमें क्रमश: विचाराधीन हैं। इसके ग्रतिरिक्त 349 सिविल जज एवं ग्रतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डनायक जयपुर जिला, जयपुर के यहां विचाराधीन थे। सूची सिविल एवं क्रिमिनल की सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त ग्रदालतों के क्षेत्राधिकार के मुकदमें ग्रपीलेट कोर्ट्स में 31-1-75 को निम्न ग्रनुसार विचाराधीन थे :

जिला सत्र न्यायाधीश, जयपुर जिला	सिविल न्यायाधीश, जयपुर जिला	कुल
233	30	263

(3) जी हां।

(4) दौसा में एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट स्थापित करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या सरकार इस पर शीघ्र निर्णय लेगी ?

एक माननीय सदस्य : या विपक्ष की कोन्स्टीट्यएन्सी होने की वजह से कोई फर्क पड़ेगा ?

श्री खेतसिंह : मैंने ग्रापसे निवेदन किया न कि पक्ष ग्रौर विपक्ष का कोई फर्क नहीं पड़ेगा यह प्रश्न विचाराधीन है ग्रौर मैं ग्रापको विश्वास दिलाता हूं कि न्याय होगा।

श्री मीठालाल : ग्रध्यक्ष महोदय ग्रगर मंत्री महोदय इस संबंध में शीघ्र निर्णय लें तो ग्रच्छा रहेगा क्योंकि काफी केसेज ग्राज वहां पेन्डिग हैं। इससे ग्राम जनता को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस संबंध में ग्राज ही सदन में घोषणा करदें तो ठीक रहेगा।

प्रश्न संख्या 617

श्री ग्रध्यक्ष नेक्स्ट। श्रीमती उषा-प्रकाश।

(ग्रनुपस्थित, कृपया ग्रागे देखिये)

प्रश्न संख्या 618

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा।

(ग्रनुपस्थित, कृपया ग्रागे देखिये)

प्रश्न संख्या 619

श्रीमती नगेन्द्र बाला।

(ग्रनुपस्थित' कृपया ग्रागे, देखिये)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

ग्रलवर शहर की हायर सेकेन्डरी गर्ल्स स्कूल में स्थानाभाव की शिकायत

620. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सरकार के नोटिस में है कि ग्रलवर शहर में स्थित देवीजी की

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

नई हायर सेकेन्डरी गर्ल्स स्कूल में विद्यार्थियों के पढ़ने के कमरों की बहुत कमी है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने सरकार को व अलवर जिलाधीश को स्थानाभाव की शिकायत की है ? यदि हां, तो सरकार व कलेक्टर अलवर ने मकान की कमी दूर करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां। उसे अन्यत्र भवन में ले जाने के संबंध में कार्यवाही चल रही है।

(2) जी हां। कलेक्टर की रिपोर्ट व विद्यालय निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। उस पर शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कलेक्टर व विद्यालय निरीक्षक की रिपोर्ट में उस स्कूल को किस जगह ले जाने का लिखा है ?

श्री खेतसिंह : यह स्कूल अभी तो चलती है देवीजी का बाड़ा में और अब वहां से उसको मालाका बाड़ा में बदल दिया था लेकिन वहां पर सिनेमा घर पास होने की वजह से बच्चियों के स्कूल को वहां रखना उचित नहीं समझा इसलिये अब हमने तय किया है कि उसे अब मनीका बाड़ा है वहां शिफ्ट किया जाय। गजब है आपके अलवर में नाम। एक एक से आला हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय वहां पर तो आजरेडी स्कूल है आप उसे वहीं शिफ्ट करदें जहां कि पास में सिनेमाघर है कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप तो कहते हैं कि सिनेमाघर पास है मैं कहता हूं इतना पास नहीं है जितना कि आप सोचते हैं आप उसे वहीं शिफ्ट करदें तो अच्छा रहेगा। इसलिये मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि आप इस पर दुबारा विचार करें।

श्री खेतसिंह : कहां कहां करेंगे इसके लिये आपको साथ लेकर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष नैक्स्ट। श्री रामरघुनाथ।

बापा छात्रावास सनवाड़ की सम्पत्ति की जांच

621. **श्री राम रघुनाथ** (डेगाना) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि बापा छात्रावास सनवाड़ की सम्पत्ति को हड़प करने के संबंध में समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई जांच की गई है ? यदि हां, तो किस-किस सम्पत्ति को हड़प करने का आरोप प्रमाणित हुआ और किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या समाज कल्याण विभाग द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही आरम्भ की गई है ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्रीमती कमला बेनीवाल) : यह सही है कि बापा छात्रावास के संबंध में समाज कल्याण विभाग द्वारा जांच कराई गई है। जांच के फलस्वरूप विभाग द्वारा स्वीकृत अनावर्तक अनुदान से छात्रावास के लिये क्रय किये गये रुपये 540.69 का सामान संस्था के कब्जे में है जिसकी वसूली की कार्यवाही जारी है।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये।)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह समाज कल्याण विभाग के कई छात्रावास हैं जिनकी जमीनों पर लोगों ने दुकानें बना ली हैं या कहीं पर मकान बना लिये हैं। इसमें भी लोगों ने समाज कल्याण विभाग की जमीन को बेच दी है . . .

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय यह जमीन सन् 1951-52 में सनवाड़ के जागीरदार ने छात्रावास के लिये दी थी और वह 51 रुपये गज के हिसाब से दी थी।

श्री अध्यक्ष : श्री लूणाराम।

पंचायत समितियों के सरप्लस अध्यापक

622. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्यालय निरीक्षक, चूरू द्वारा पंचायत समितियों में कार्यरत अध्यापकों में से 75 प्रतिशत अध्यापकों की भर्ती नहीं की जाने के कारण से अध्यापक सरप्लस हो गए हैं और उनको सेवामुक्त करने के आदेश हो चुके हैं ?

(2) क्या यह सही है कि विद्यालय निरीक्षक, चूरू द्वारा उक्त सरप्लस अध्यापकों का समायोजन नहीं किया गया और फरवरी, 1975 में नई भर्ती की गई है ? यदि ऐसा है तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सचिव, जिला कर्मचारी वर्ग, जिला चूरू ने एवं विद्यालय निरीक्षक, चूरू ने सरप्लस अध्यापकों को पंचायत समितियों से समायोजित करने की कार्यवाही नहीं कर उनके सेवामुक्त करने के आदेश जारी किये हैं ?

(4) पंचायत समितियों के सरप्लस अध्यापकों को समायोजित करने के बारे में जिलाधीश, चूरू द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी नहीं। पंचायत समिति से शिक्षा विभाग में आने के लिये केवल 106 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे। उनमें से तीन को अशिक्षित होने के कारण छोड़ दिया गया। बाकी 103 की सेवायें विभाग में स्थानान्तरित कर दी गईं।

(2) जी नहीं। जिला परिषद् से केवल 50 सरप्लस शिक्षकों की ही सूची प्राप्त हुई थी। उन सबको सेवा में ले लिया गया है।

(3) जी नहीं। केवल 6 अभ्यर्थियों को सेवामुक्ति के आदेश दिये गये थे जिनकी नियुक्ति केवल एक-दो माह की ही थी। अतः ऐसे अध्यापकों को सरप्लस नहीं माना जा सकता।

(4) वास्तव में एक दो मास के अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारियों को सरप्लस नहीं माना जा सकता।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय ने यह बताया कि उनको सरप्लस नहीं माना जायेगा लेकिन अध्यक्ष महोदय

(श्री लूणाराम)
जिन अध्यापकों को पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सर्विसेज़ कमीशन द्वारा चयनित किया जाता है उन्हें हटाया नहीं जा सकता है ऐसा एक सर्क्यूलर राज्य सरकार का जारी हुआ है और सभी जगह पर इस तरह के अध्यापकों को सरप्लस घोषित किया गया है सिर्फ चूरू जिला निरीक्षक ने ही उन्हें सरप्लस नहीं माना है। सिर्फ यह 6 अध्यापक ही रह गये हैं। इसके अलावा इन लोगों को नौकरियों से हटा देने के बाद भी चूरू इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स में दूसरे अध्यापकों की नियुक्ति की है तो फिर इन 6 अध्यापकों को ही ले लिया जाता तो क्या एतराज था?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन अध्यापकों को हटाया गया है वह पूरी जांच करने के बाद ही हटाया गया है और जिस सर्क्यूलर की माननीय सदस्य बात कर रहे हैं उसमें यह अध्यापक कवर नहीं होते हैं। चूंकि यह लोग सिर्फ एक माह या दो माह से ही काम कर रहे थे इसलिये इन अध्यापकों को हटाया गया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनू) : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को हटाया गया है उनको किस आधार पर हटाया गया है जैसा कि मंत्री महोदय ने यह बताया प्रश्न नम्बर तीन के जवाब में कि 6 अभ्यार्थियों को सेवामुक्ति के आदेश दिये थे उनकी नियुक्ति केवल एक-दो माह की ही थी इसलिये इनको सरप्लस नहीं किया गया।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। एक-एक करके पूछें।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, अध्यापकों के लिये ऐसा कानून है कि अगर कोई व्यक्ति दस वर्ष तक बिना ट्रेनिंग किये अध्यापक का कार्य कर लेता है तो उसको ट्रेन्ड टीचर माना जा सकता है उसे परमानेन्ट मान लिया जाता है और उसे निकाला नहीं जा सकता है।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि ऐसा सर्क्यूलर है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी दस साल की सेवा हो चुकी है तो उसको ट्रेन्ड टीचर माना जा सकता है उसको नहीं निकाला जा सकता है अगर उनमें से कोई ऐसा केन्डीडेट है तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा और अगर नियमों में आते होंगे तो उनको सरप्लस घोषित कर दिया जायेगा।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय इन टीचर्स को नौकरी से हटाने के बाद भी दूसरे अध्यापकों को इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने एपोइन्ट किये हैं लेकिन उन अध्यापकों को सरप्लस घोषित नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इन टीचर्स को लेकर शिक्षा मंत्रीजी से मिला था और उन्होंने सारा केस समझ कर उनके प्रार्थनापत्रों पर आदेश किये थे कि उन्हें नहीं हटाया जाय। तो उन अध्यापकों को किस प्रकार हटाया गया और अगर हटा दिया गया तो उनको सरप्लस घोषित करके उन्हें पुनः नियुक्ति दी जाय। और इसके साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मंत्रीजी के आदेशों को माना जायेगा या नहीं?

श्री खेतसिंह : अगर शिक्षा मंत्रीजी के आदेश हुए हैं तो उसकी पालना जरूर होनी चाहिये।

प्रश्न संख्या 623

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

बाड़मेर सब-डिवीजन के ग्रामों का विद्युतीकरण

624. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बाड़मेर जिले की कुल कितनी जनसंख्या है ? उक्त जिले में कितने सब-डिवीजन हैं ? उनकी क्या-क्या जनसंख्या है ? अलग अलग आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) बाड़मेर सब-डिवीजन के कितने गावों में अब तक विद्युतीकरण कर दिया गया है उनकी सूची सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर सब-डिवीजम की बाड़मेर तहसील के अलावा किसी भी तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर विद्युत् की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ? यदि हां, तो उक्त उपेक्षा के क्या कारण हैं ?

(4) विद्युत् बोर्ड ने बायतू पंचायत समिति के मुख्यालय बायतू और चौहटन पंचायत समिति एवं चौहटन तहसील के मुख्यालय चौहटना में बिजली पहुंचाने के लिये क्या क्या कदम उठाये ह ? विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करें। उक्त स्थानों में कब तक विद्युत् पहुंचा दी जावेगी ?

विद्युत् मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) :

(1) बाड़मेर जिले की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनसार 7,74,805 है। इस जिले में दो सब-डिवीजन हैं जिनकी जनसंख्या 5,52,622 व 2,22,183 है।

(2) बाड़मेर सब-डिवीजन में बाड़मेर के अलावा 6 गांव बोटिया, जागीर, बसवाताला, महावर, उत्तरलाई (देवन्डा), कवास (बान्द्रा) निम्बला का विद्युतीकरण हो चुका है।

(3) जी हां, बाड़मेर तहसील के अलावा इस सब-डिवीजन के अन्य तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालयों का विद्युतीकरण अभी तक सम्भव नहीं हो सका है। प्रश्न उपेक्षा का नहीं है वल्कि उच्च प्रसारण लाईनों के अभाव का है।

(4) बायतू व चौहटन पंचायत समिति व तहसील मुख्यालयों का विद्युतीकरण उच्च प्रसारण लाईनों के अभाव में किस प्रकार किया जाय, यह प्रश्न मण्डल के विचाराधीन है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न का जवाब आया है उसके अनुसार बाड़मेर जिले की आठ पंचायत समितियों में से 5 पंचायत समितियों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है और इनकी आबादी करीब 5 लाख 97 हजार और कुछ है इसलिये मेरा निवेदन है कि इन पांचों पंचायत समितियों के मुख्यालयों को तथा उसके आसपास के गांवों को 132 के० वी० लाईन से जोड़ा जाये। उसके बिना वहां विद्युतीकरण होना मुश्किल है इसलिये इस संबंध में संबंधित मंत्रीजी क्या कदम उठाने जा रहे हैं जिससे कि हमें सन्तोष हो ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कहा है,

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कि 132 के० वी० की लाईन इस जिले में न होने के कारण विद्युत का प्रसारण जैसा माननीय सदस्य अपेक्षा करते हैं वह नहीं हुआ है। तहसील हैडक्वार्टर और पंचायत समिति हैडक्वार्टर का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इसके लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं। जो लाईन चाहिये वह तो नहीं डाल सकेंगे। वाटर सप्लाई स्कीम में भी आता है तो उस दृष्टि से किया जाय तो मेरा निवेदन है कि विद्युत विभाग धनाभाव के कारण से यह नहीं कर सकेगा। यदि पब्लिक हैल्थ इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट से पैसा मिला तो हाई पावर टेन्शन लाईन डालने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यदि आप 132 के० वी० लाईन के लिये निर्णय नहीं लेंगे तो पंचायत समिति और तहसील हैडक्वार्टर पर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं पहुंच सकती इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मुझे आप स्पष्ट बताये कि कब तक इसके लिये स्टेप लेंगे ? आप सीमावर्ती क्षेत्र की अवहेलना कर रहे हैं। हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के सम्बन्ध खराब हैं। पहले कुछ रोड्स होने से हम युद्ध में जीते हैं। अब आप इसकी क्यों अवहेलना कर रहे हैं, 132 के० वी० लाईन न खींच कर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, इसी से मिलता-जुलता मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मिलता-जुलता है, तो पूछिये।

श्री दीपंकर : इतना ही जानना चाहता हूं कि सब-डिवीजन कायम कर रहे हैं तो इसका आधार क्या है ? जनसंख्या है या क्या है ? या इधर उधर तरीके से तहसील और पंचायत समितियों के हैडक्वार्टर्स का सम्बन्ध जोड़ना चाहते हैं तो कोई आधार तो होगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है वह इससे सम्बन्धित नहीं है। अलग से प्रश्न करेंगे तो उसका मैं उत्तर दे सकूंगा।

माननीय प्रश्नकर्ता के प्रश्न के उत्तर में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं। उन्होंने पूछा है कि 132 के० वी० लाईन कब तक पहुंच जावेगी इसके लिये मेरा निवेदन है कि विद्युत विभाग के पास पैसा नहीं है कि यह लाईन तत्काल पहुंच सके। हम स्वयम् चाहते हैं कि विद्युत का प्रसार करें। लेकिन आपको हमारी दिक्कत को भी तो देखना चाहिये। हमारे पास पैसा हो तो हम जरूर करें। तहसील हैडक्वार्टर और पंचायत हैडक्वार्टर पर यह पहुंचे इसके लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : पांच वर्ष पूर्व सदन में घोषणा की थी कि तहसील हैडक्वार्टर और पंचायत समितियों को मुख्यालयों से जोड़ा जावेगा। आखिर आपने पांच साल में क्या किया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : घोषणा की थी, यह सही है। काफी पंचायत समितियों को और तहसील हैडक्वार्टर्स को मुख्यालयों से जोड़ा है। 16 या 20 के लगभग ऐसी पंचायत समितियां रही हैं जिनको नहीं किया गया है।

श्री रामसिंह कुड़ी : उन 22 में से किनको किया है ?

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : आपने घोषणा की थी। आपने आदिवासी इलाकों को भी क्या ध्यान में रखा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सारे राजस्थान को ध्यान में रखा है। विद्युत् के पहुंचाने का प्रश्न किस स्तर की लाईन खींचना है उस पर निर्भर करता है। हाई टेन्शन लाईन पूरा नहीं खींच पाये और आज जितनी भी खींच पाये हैं उस पर कितना लोड बढ़ गया है उस ओर भी तो देखना होगा। मेरे सामने जो स्थिति है, आगमेन्टेशन करके, सप्लाई किस प्रकार से चालू की जा सके और एक्स्टेन्शन किस प्रकार से किया जा सकता है इसमें भी प्रायोरिटी करके ही किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती निर्मला कुमारी।

कई माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : श्रीमती निर्मला कुमारी।

भदेसर तथा चित्तौड़गढ़ तहसीलों की गृह निर्माण सहकारी समितियां

625. **श्रीमती निर्मला कुमारी** (चित्तौड़गढ़) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भदेसर तथा चित्तौड़गढ़ तहसीलों में कौन कौनसी गृह निर्माण सहकारी समितियां अब तक रजिस्टर्ड हुई हैं ?

(2) इनमें से कितनी समितियों को ऋण वितरित कर दिया गया और कितनी समितियों को ऋण मिलना बाकी है ?

(3) निकट भविष्य में कब तक उक्त समितियों को ऋण वितरित कर दिया जावेगा ?

सहकारी मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) भदेसर व चित्तौड़गढ़ तहसीलों में अब तक 16 गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हुई हैं। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) उक्त 16 समितियों में से 4 गृह निर्माण सहकारी समितियों को ऋण वितरण कर दिया गया है। अन्य 6 समितियों को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है, किन्तु अभी वितरित नहीं किया गया है। शेष 6 समितियों को उनके ऋण प्रार्थना-पत्र शीर्ष समिति को अभी तक प्राप्त नहीं होने के कारण ऋण वितरित नहीं हुआ है।

(3) जिन 6 समितियों को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है उनको वितरण शीघ्र ही किया जावेगा तथा शेष 6 समितियों के ऋण प्रार्थना-पत्र पूर्णरूपेण प्राप्त होने पर ही ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्रीमती निर्मला कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 समितियां कौनसी हैं जिनको ऋण वितरित कर दिया गया है ?

एक माननीय सदस्य : उत्तर आवे उससे पहले मैं भी एक प्रश्न पूछ लूं।

श्रीमती निर्मला कुमारी : मैंने प्रश्न पूछा है। उत्तर आने दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : छः कौनसी हैं, यह सूची तो मेरे पास नहीं है।

श्रीमती निर्मला कुमारी : गरीब लोगों की समितियां हैं। तीन-तीन साल हो गये और उनको ऋण नहीं मिला है। दफ्तरों के लगातार चक्कर काटने के बाद भी यह स्थिति है। इसीलिये मैंने यह प्रश्न उठाया है। माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि कब तक उनको लोन मिल जावेगा ?

श्री रामनारायण चौधरी : जो समितियां शेष रह गयी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उप-रजिस्ट्रार के अन्तर्गत एक सेल कायम कर दिया गया है, वे मिल कर आवेदन-पत्रों का प्रोसेसिंग करते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

श्रीमती निर्मला कुमारी : कौन-कौन-सी हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : डिटेल्ड सोसाइटीज का तो पता नहीं है मैंने सवेरे ही जानकारी की थी, उसके अनुसार कह सकता हूं कि अपेक्स सोसाइटीज के पास में जितनी भी एप्लीकेशन्स आयी हैं आज तक, वे आज डिस्पोज ऑफ हो जावेंगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री करनसिंह !

कस्बा डीग में डिग्री कॉलेज की स्थापना

626. **करनसिंह** (डीग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या यह सही है कि कस्बा डीग जिसकी जनसंख्या लगभग पच्चीस हजार है उससे बीस मील की दूरी पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है ? यदि हां, तो डीग में कब तक डिग्री कॉलेज बनाया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : जी हां। परन्तु डीग से 21 मील की ही दूरी पर डीग के जिला मुख्यालय, भरतपुर में छात्रों व छात्राओं के पृथक-पृथक महाविद्यालय राज्य सरकार के चल रहे हैं। जिनके नाम व छात्र संख्या निम्न प्रकार से हैं :--

छात्रों के लिये :

महारानी श्री जया महाविद्यालय, भरतपुर छात्र संख्या 298।

छात्राओं के लिये :

राजकीय कन्या महाविद्यालय, भरतपुर छात्रा संख्या 232।

श्री करन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह जानकारी चाहूंगा कि 68 में डीग में कॉलेज खोलने की घोषणा हो गयी थी। नम्बर दो, भरतपुर में 3 हजार छात्र पढ़ते हैं। डीग में कॉलेज हो जाने के बाद छात्रों को काफी सुविधा रहेगी। डीग थिक्ली पापुलेटेड है और तीन कॉन्सटीट्यून्सियां हैं, क्या सरकार वहां पर कॉलेज की आवश्यकता अनुभव नहीं करती ?

श्री खेतसिंह : यों तो कॉलेज डीग में हो तो अच्छी बात है। लेकिन सरकार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभी मुमकिन नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : वित्तीय स्थिति तो अच्छी है।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : एक जानकारी चाहता हूं। तत्कालीन मुख्य

(श्री रामकिशन)
मंत्री, श्री मोहनलाल सुखाड़िया वहां पर गये थे और नींव का पत्थर रख कर आये थे। उसके बाद केन्द्रीय सरकार के मंत्री, श्री राज बहादुरजी ने भी घोषणा की थी कि कॉलेज बनेगा डीग में, आप उनकी घोषणा को मानें या न मानें, उसका स्वागत करें या नहीं करें, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन क्या मोहनलालजी सुखाड़िया ने वहां घोषणा नहीं की थी ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : नींव के पत्थर जहां-जहां पर हैं, उनको खुदवा कर इकट्ठा करके दिया जाय ताकि उनसे पाठशालाओं और कॉलेजों का निर्माण कराया जा सके।

श्री नत्थासिंह (नदबई) : डीग भरतपुर से 22 मील दूर है। डीग में राज बहादुरजी और मोहनलालजी सुखाड़िया ने आश्वासन दिया था कि डीग को सब-डिविजन बनाने के लिये दिया था।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : जितने भी नींव के पत्थर रखे गये हैं माननीय मंत्री उनको इकट्ठा कराके किसी अजायबघर में रखवा दें।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां कहीं भी इस प्रकार से नींव के पत्थर लगाये गये हैं प्रयास और प्रयत्न यह किया जायेगा कि वहां आलीशान भवन बनें। यह बात अलग है कि उसमें समय लग सकता है।

श्री रामकिशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुखाड़ियाजी उस समय नींव का पत्थर लगा आये थे और मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि आप भवन बनायें या नहीं यह बहस नहीं है और इसको मजाक में भी नहीं टालें यदि आप डीग में कॉलेज नहीं खोल सकें तो ऐलान कर दीजिए कि डीग में कोई भवन नहीं बनेगा ताकि जो दानदाता हैं वह अपना-अपना पैसा वापिस ले लें। दूसरी बात यह है कि वहां मुसलमान और मेवों की आबादी ज्यादा है . . .

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): जरा एक मिनट मेरी बात सुन लें। मैं अभी पिछले दिनों गया था और यह प्रश्न मेरे समक्ष आया था। मैंने कहा है कि राजस्थान सरकार जब भी कोई नया कॉलेज खोलेगी उस समय डीग का भी ध्यान रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायण सिंह चौधरी।

डाकुओं से मुकाबला करते हुए मृत हैड कान्सटेबल के परिवार को सहायता

627. श्री **नारायणसिंह चौधरी** (दांतारामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या हरदेवराम, हैड कान्सटेबल नं 505 अलवर जिले में डाकुओं से मुकाबला करते हुए घायल होकर मौके पर ही मर गया था ? यदि हां, तो उसके परिवार को किस-किस तरह की सहायता दी गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि इतने लम्बे समय तक उसके परिवार को पेन्शन नहीं मिलती है ? यदि नहीं दी गई तो इसके कारण क्या हैं ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी नहीं। श्री हरदेव राम, पुलिस हैड कान्सटेबल नं० 505 जिला

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
अलवर की मृत्यु दिनांक 11-2-53 को बीमारी के कारण हुई थी ।

(2) जी नहीं । महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा पेन्शन पेमेन्ट आर्डर दिनांक 31-8-55 को जारी किया गया था । मृतक हैड कान्सटेबल, श्री हरदेवराम की औरत निश्चित स्थान पर नहीं रहती है । पहले जोधपुर में उसके पश्चात् नागौर में रही थी । अब उसके निवास का पता तलाश किया जा रहा है ।

श्री नारायणसिंह चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह सीकर जिले में श्यामपुरा गांव में उसकी पत्नी रहती है और कई बार उसने राज्य सरकार को लिखा है कि उसको पेन्शन मिलनी चाहिए लेकिन बहुत लम्बे समय के बाद भी अब तक उसको पेन्शन नहीं मिली है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपने पता बताया है और उसकी तलाश करके पेमेन्ट कर दिया जायेगा ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, 55 का मामला है और अब 1975 चल रहा है । इसके लिए बड़े खेद की बात है कि सिपाही की पत्नी को पेन्शन नहीं मिले ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने जैसा निवेदन किया कि वह निश्चित स्थान पर नहीं रहती, कभी जोधपुर तो कभी नागौर चली गयी और कभी किसी और स्थान पर चली गई और जैसा अभी माननीय सदस्य ने बताया कि वह सीकर जिले के किसी गांव में रह रही है तो पेन्शन स्वीकृत करने में कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या एक भी बार उसको पेन्शन मिली है ?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : क्या सरकार को पता लगाने में 20 वर्ष लग गए ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या सरकार जो अब तक उसको पेन्शन नहीं मिली उसको इन्टरेस्ट के साथ दिलायेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : माननीय सदस्य अनावश्यक रूप से उत्तेजित हो रहे हैं । उसके परिवार को सूचना दे दी गई है कि उसको पेन्शन स्वीकार हो चुकी है । महालेखाकार ने उसको स्वीकृत कर लिया है और पे ऑर्डर हो चुका है । इसके बाद में तो उस परिवार के लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि जिसको पेन्शन मिलनी चाहिए वह व्यक्ति आकर उसको ले ले । एक बार उसको आना जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मनोहरलाल ।

क्राफ्ट इण्डिया '74 प्रदर्शनी में फव्वारे का निर्माण

628. **श्री मनोहरलाल** (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने क्राफ्ट इण्डिया '74 प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर प्रदर्शनी में एक फव्वारे का निर्माण किया है ?

(2) इस फव्वारे के निर्माण में क्या लागत आई और इस प्रदर्शनी के लिये ही इसे विशेष रूप से क्यों तैयार किया गया ?

(श्री मनोहरलाल)

(3) क्या यह सही है कि इस फव्वारे को राजनैतिक दबाव के कारण ही इतना जल्दी लगाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) जयपुर में और कितने फव्वारों की योजना है और वे किस अवधि तक कहां-कहां लगेंगे?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हीरा लाल देवपुरा) : (1) यह कहना सत्य नहीं है, कि क्राफ्ट इण्डिया '74 प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर फव्वारा निर्माण कराया गया है वलिक राम निवास बाग में एक और आकर्षण उत्पन्न करने हेतु एक जेट फव्वारे का निर्माण आरम्भ किया गया है। जिसका कार्य प्रगति पर है।

(2) फरवरी, 1975 तक 55,063 रुपये व्यय हुए हैं। यह फव्वारा विशेष रूप से प्रदर्शनी हेतु तैयार नहीं करवाया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) इस विभाग की अन्य फव्वारों की योजना की जानकारी नहीं है।

श्री मनोहर लाल : पहले कभी ऐसे फव्वारे बनाये तो कहां-कहां बनवाये?

श्री हीरालाल देवपुरा : राजस्थान में कई जगह बनवाये हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बनवाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनकी याद में कोई फव्वारा बनाने का इरादा है क्या?

श्री हीरालाल देवपुरा : मौका आवेगा तब।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

प्रश्न संख्या 174

(दिनांक 26-2-75)

श्री रामप्रसाद बोहरा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 221

(दिनांक 28-2-75)

श्री जयनारायण रोत।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 372

(दिनांक 8-3-75)

श्री निरंजन नाथ आचार्य।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 7-3-75)

कोका कोला फैक्टरी, जयपुर

395. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर कोका कोला फैक्टरी के डाइरेक्टर कौन कौन हैं तथा इसके एजेन्ट्स राजस्थान के विभिन्न जिलों में कौन-कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(2) क्या यह सही है कि कानूनी तौर से डाइरेक्टर्स के रिश्तेदारों को एजेन्सी नहीं दी जा सकती ? यदि हां; तो क्या इस कानून का पालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

(3) उपरोक्त फैक्टरी के पास कितनी जमीन है और कितनी भूमि में फैक्टरी लगी है बाकी भूमि किस उपयोग में आ रही है ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) राज्य सरकार को जानकारी नहीं है ।

(2) राज्य सरकार से संबंधित नहीं, भारत सरकार से है ।

(3) मैसर्स जय ड्रिंक्स के पास लगभग 30 एकड़ जमीन है । जिसमें से लगभग 9 एकड़ भूमि विकसित की हुई है ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि कोका कोला को जमीन दी है वह खाली पड़ी है और क्या यह सही है कि उसको एक्वीजिशन के नोटिसेज जारी हो गए और क्या यह भी सही है कि माननीय मदेरणा साहब के जमाने में यह हुआ था लेकिन जब उन्होंने उस चार्ज को छोड़ा तो अब तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा प्रश्न यह है कि यह तो बहुत सादा प्रश्न था कि कोका कोला फैक्टरी के डाइरेक्टर्स कौन-कौन हैं इसकी सूची आप दीजिए लेकिन आपने इसकी सूची नहीं दी क्योंकि इसमें बहुत से लोग ऐसे पॉलिटिशियन्स और इम्पारटेन्ट लोग इनवाल्व्ड हैं जिनके नाम आप कन्सील करना चाहते हैं । इसलिए आपने सूची नहीं दी ।

नम्बर दो, प्रश्न यह है कि 20 बीघे जमीन आपने कोका कोला फैक्टरी को दे रखी है और जबकि आवासन की बहुत बड़ी समस्या आपके समक्ष है और केवल आधे बीघा में ही सारी फैक्टरी समायी हुई है तो यह 19॥ बीघा अधिक धरती आपने उनको किस कार्य के लिए दी है और क्या इस धरती को तुरन्त लेकर इसके अन्दर गरीब लोगों के आवासन की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह कम्पनी भारत सरकार की कम्पनी लॉ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है और इसकी सूचना कम्पनी भारत सरकार को ही देती है । इस प्रकार की सूचना राजस्थान सरकार के पास उपलब्ध नहीं है । यह बात सही है कि इस कम्पनी को जो भूमि 30 एकड़ आरोपित की गई थी उसमें से केवल मैंने जैसा प्रश्न के भाग (3) में कहा है कि 9 एकड़ भूमि ही उन्होंने विकसित की है और 21 एकड़ भूमि उनकी विकसित नहीं की गई है । यह 21 एकड़ भूमि जरूर उनको अलॉट की गई थी वह मास्टर प्लान आ जाने की वजह से यू० आई० टी० ने एक्वीजिशन की कार्यवाही करनी थी और वह अन्तिम फैसला नहीं हो सका इसलिये उद्योगपतियों ने उसको विकसित नहीं किया ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : एक्वायर करने के नोटिस पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ? इसको एक्वायर क्यों नहीं

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
किया जाता है ? मेरा कहना यह है कि इस जमीन को एक्वायर करने की कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : यह एरिया जो मास्टर प्लान में है वह इण्डस्ट्रियल एरिया है, रिहायशी एरिया नहीं है । इसलिये यह विचारणीय प्रश्न है कि यू० आई० टी ० के द्वारा क्या किया जाना चाहिए ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, अव्वल तो तीस बीघा जमीन नहीं है बल्कि 30 एकड़ जमीन है जिसमें से आधा एकड़ पर इण्डस्ट्री है और बाकी साढ़े उन्तीस एकड़ पर कोई इण्डस्ट्री नहीं है जिसमें कम से कम बीस इण्डस्ट्री लग सकती हैं । चालीस-पचास इण्डस्ट्री लग सकती हैं । केवल एक व्यक्ति ने मोनोपोली कर रखी है । आपने तीस एकड़ पर उसका अधिकार क्यों कर रखा है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह इन वर्षों में नहीं हुआ, कई वर्षों पहले से हुआ है । उनका रिकार्ड देखा गया है और उसमें एक्सप्लेनेशन मांगा है और यू० आई० टी० और टाउन प्लानिंग प्लान बना रहा है । जहां तक गवर्नमेंट का सम्बन्ध है इस पर एक्शन शुरू कर दिया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नोटिस कब दिया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : तारीख तो मेरे पास में नहीं है किन्तु कार्यवाही जब तक नहीं हो सकती जब तक कि यह फैसला न हो जाय कि इसे हम किस रूप में काम में लेंगे क्योंकि यू० आई० टी० जो है वह रिहायशी काम के लिए ले सकती है और यू० आई० टी० रिहायशी काम के लिए वो करती है और इण्डस्ट्रियल एरिया के लिए नहीं करती है । आज तक यह इण्डस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर्ड है और यू० आई० टी० ने जो नोटिस दिया है उसमें जब तक टाउन प्लानिंग का फैसला नहीं हो जाता है, क्योंकि एक छोटे से एरिया में तो आबादी नहीं आएगी । चारों तरफ तो इण्डस्ट्रीज हों और थोड़े से एरिया में आबादी है यह ओबवियसली ठीक नहीं लगता है । इसलिए जब तक टाउन प्लानिंग का फैसला नहीं हो, इस बारे में फाइनल कार्यवाही नहीं हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमोहनसिंह !

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : दस-दस साल हो गए और दस साल में यह फैसला नहीं हो सका कि आबादी में रखा जाएगा या इण्डस्ट्री में रखा जाएगा । फिर तो यह रियायत है एक उद्योगपति को ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : एक सवाल है...

श्री अध्यक्ष : सवाल तो बहुत हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : एक प्रश्न है । जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया यह सेंट्रल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है । किन्तु मेरा निवेदन करना है कि जो भी कम्पनी राजस्थान में काम कर रही है उसके डायरेक्टर्स की लिस्ट राजस्थान सरकार के पास नहीं हो, यह कैसे सम्भव हो सकता है । इसलिए पहले तो सदन के सामने क्वेश्चन की पूरी इन्फार्मेशन दी जावे और यह डिक्लेयर करें कि बाकी जमीन कब तक राज्य सरकार ले लेगी ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह बताने में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन-कौन हैं। यह इत्तिला देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस समय इसकी इत्तिला नहीं है इसलिए अभी इत्तिला देने में कठिनाई है। फिर यह पब्लिक डाक्यूमेण्ट है उसे जिसे कोई भी माननीय सदस्य काल करके देख सकते हैं। It is not a secret document. किस बोर्ड में कौन-कौन मेम्बर होते हैं यह सीक्रेट डाक्यूमेंट नहीं है, यह तो पब्लिक डाक्यूमेंट है जिसको कोई भी देख सकता है। अब रहा सवाल कि इसमें दखल किसका है तो मैं निवेदन करूं कि राज्य सरकार का कोई दखल नहीं है। यह कम्पनी लॉ, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया और रजिस्ट्रार कम्पनीज के अण्डर में है और वही यह करते हैं, इसलिए जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है कोई कण्ट्रोल नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इनको बताते नहीं हैं इसलिए आपको पूछ रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। कानून के अनुसार भी यह पब्लिक डाक्यूमेंट है और कोई भी माननीय सदस्य जब कभी चाहें देख सकते हैं। जो बाकी जमीन को लेने का सवाल है क्योंकि यहां हम इसको इण्डस्ट्रियल एरिया में वो करना चाहते हैं। यू० आई० टी० ने जो कार्यवाही की है वह ओबवियसली ठीक नहीं बैठती है क्योंकि वहां पर रिहायशी व्यवस्था करना उचित नहीं हो सकता, इण्डस्ट्रियल एरिया ही लेना चाहते हैं लेकिन जब तक टाउन प्लानिंग का फैसला नहीं हो जाता आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमोहन सिंह।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक ?-3-75)

ग्राम चौलपुरा में डाका

410. **श्री जगमोहन सिंह** (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम चौलपुरा, तहसील छबड़ा में सन् 74 में कोई डाका पड़ा था? यदि हां, तो डाकू कितनी सम्पत्ति लूट कर ले गये?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त डकैती में कुछ डाकुओं को मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ कर थाना बापचा के सुपुर्द कर दिया था?

(3) क्या यह भी सत्य है कि पकड़े गये डाकुओं ने ग्राम बटावदा पार, तहसील छबड़ा के निवासी श्री रामसिंह की 12 बोर बन्दूक डकैती के काम में लिये जाने का इजहार किया था?

(4) क्या यह भी सत्य है कि यह बंदूक भी पुलिस ने जब्त की थी?

(5) क्या यह भी सत्य है कि इतना सब कुछ होते हुए भी थानेदार, बापचा श्री भवानीसिंह ने न तो डाकुओं से कोई माल बरामद किया और जब्तशुदा बंदूक को भी वापस दे दिया न श्री रामसिंह के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई?

(6) अब इस डकैती केस की क्या स्थिति है? और आगे किस कार्यवाही की आशा की जा सकती है?

राज्य मंत्री गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां। डकैती की इस घटना करीब 6,000 रुपये के सोने व चांदी के जेवरात लूटे जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

(2) जी हां । प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, राघोगढ़ (मध्यप्रदेश) के आदेश से उक्त डाकू थाना बापचा पुलिस के सुपुर्द किये गये हैं ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी हां । एक 12 बोर बन्दूक डाकुओं से बरामद की गई है ।

(5) तफतीश करने पर माल के संबंध में कोई सूचना नहीं थी, अतः कोई माल बरामद नहीं किया जा सका । जांच से यह पाया गया कि श्री रामसिंह के नाम से लाइसेंसशुदा जो बन्दूकें हैं वह उसके पास हैं और जब्तशुदा बन्दूक अभी तक राघोगढ़ (म०प०) पुलिस थाने में है । अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(6) डकैती की इस घटना पर मु० नं० 30, दिनांक 28-6-74, धारा 395/397 ता० हि० थाना, बापचा पर दर्ज कर अनुसंधान की गई । अनुसंधान के दौरान गिरफ्तारशुदा मुलजिमान मानसिंह व चन्दनसिंह को मध्य प्रदेश पुलिस से प्राप्त कर कार्यवाही सनाखतगी करवाई गई एवं माल के विषय में पूछताछ की गई है इस डकैती के अन्य मुलजिमान की गिरफ्तारी के प्रयत्न किये जा रहे हैं । गिरफ्तारशुदा दोनों मुलजिमान ज्यूडिशियल हवालात में हैं ।

श्री जगमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, डाकू पकड़े गए, बन्दूक की इन्फार्मेशन भी थी और बन्दूक के बारे में माना गया कि हमने डकैती में यूज किया था, वह बन्दूक भी जब्त की गई । उसके बाद भी माल बरामद नहीं हुआ । 10-12 दिन तक डाकू कस्टडी में रहे । बन्दूक जो जब्त की थी वह उन्हें वापस कर दी गई । क्या यह सारे वाकयात थानेदार का, प्रोसीक्यूटिंग आफिसर का फाउल प्ले नहीं बताता है । डकैती करने वाले डाकू पकड़े जावें, दस दिन तक हवालात में रहें लेकिन माल बरामद नहीं हुआ डाकुओं ने यह माना है कि डकैती में हमने इस बन्दूक को यूज किया था और उसी बन्दूक को वापिस लौटा दिया गया । कोई माल बरामद किया नहीं जावे यह इस तरह का गम्भीर मामला है और क्या आगे कार्यवाही करने का राज्य सरकार सुझाव रखती है ? मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला थानेदार द्वारा किया गया है । बन्दूक को वापस दे दिया गया है, डाकुओं से कोई पूछताछ नहीं की गई है और उनको वापिस भिजवा दिया है मध्य प्रदेश पुलिस को । मेरा निवेदन है कि इस बारे में राज्य सरकार जांच करावे और थानेदार के कण्डक्ट की जांच करावे कि इतनी बड़ी डकैती में क्यों लापरवाही वर्ती गई ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : आपके वर्णन से कुछ ऐसा आभास मिलता है कि बन्दूक के मामले में पुलिस की कुछ ढिलाई रही है । आप स्पेसिफिक चीजें बतला दें तो हम सरकार की तरफ से इंक्वायरी करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लूणाराम !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21-2-75)

ग्राम जेतासर (श्री डूंगरगढ़) के जोहड़ रिणा का कार्य

84. **श्री लूणाराम** (श्री डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की

(20)

(श्री लूणाराम)
कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जेतासर, तहसील श्री डूंगरगढ़, जिला चूरू का जोहड़ रिंगा अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 72-73 व 73-74 में खुदवाया गया था ?

(2) यदि हां, तो इसका कार्य किस माह व सन् में किस एजेंसी द्वारा आरम्भ करवाया गया व कब समाप्त हुआ, कुल कितनी-कितनी राशि मस्टर रोल काम कराने वाली किस किस एजेन्सी ने तैयार किये और उनमें से कितनों का भुगतान हुआ तथा कितनों को भुगतान किस एजेन्सी द्वारा कार्य का कितने रुपयों का नहीं हुआ ? भुगतान न होने का कारण क्या था ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त कार्य किसकी देख रेख में हुआ था ? और किस-किस अधिकारी ने कब-कब इसकी चैकिंग की थी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह भी सही है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य की जांच करवाई गई थी ? यदि हां, तो कब कब ? कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या यह भी सही है कि अतिरिक्त अकाल सहायता आयुक्त ने भी इस कार्य की कार्य समाप्ति के एक साल पश्चात् जांच की थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री, अकाल सहायता (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां।

(2) इस जोहड़ की खुदाई का कार्य रेवेन्यू एजेन्सी एवं कृषि विभाग दोनों के माध्यम से करवाया गया था। रेवेन्यू एजेन्सी के माध्यम से इसका कार्य दिनांक 17-11-72 से 28-2-73 तक करवाया गया था। मस्टर रोल स्थानीय पटवारी द्वारा तैयार किये गये थे। इनका भुगतान संबंधित मजदूरों को किया जा चुका है। किसी मजदूर का भुगतान होना शेष नहीं है।

कृषि विभाग द्वारा इस जोहड़ की खुदाई का कार्य 19-5-73 से 14-6-73 तक करवाया गया था। इस सम्बन्ध में 2 मस्टर रोल बने हैं। दिनांक 19-5-73 से 31-5-73 तक का मस्टर रोल 4,016 रुपये 48 पैसे का था एवं दिनांक 1-6-73 से 14-6-73 तक का मस्टर रोल 7,163 रुपये 16 पैसे का था। दोनों का योग 11,179 रुपये 64 पैसे आता है। इन मस्टर रोलों का चुकारा नहीं हुआ। क्योंकि इस मामले में विवाद उत्पन्न होने पर इसकी जांच सहायता विभाग ने कराई थी। इसके परिणाम स्वरूप चुकारा न करना वाजिब समझा गया।

(3) रेवेन्यू एजेन्सी के द्वारा सम्पादित कराया गया कार्य उसी की देख-रेख में हुआ एवं दिनांक 22-12-72, 3-1-73, 21-1-73, 13-2-73 व 26-2-73 को कार्य का निरीक्षण तत्कालीन तहसीलदार, श्री डूंगरगढ़ द्वारा किया गया था। लेकिन कोई निरीक्षण रिपोर्ट उनके द्वारा तैयार नहीं की गई थी।

कृषि विभाग के द्वारा जो कार्य कराया, वह जिला कृषि अधिकारी की देख-रेख में हुआ। तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी ने दिनांक 5-6-73 को इसका निरीक्षण किया था।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

(4) सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा कोई जांच नहीं कराई गई।

(5) अतिरिक्त सहायता आयुक्त ने इस कार्य की जांच जनवरी, 1974 में की थी। जांच की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि अकाल राहत के अन्तर्गत जो कार्य करवाए जा रहे थे उन अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों के मजदूरों की कार्य करने की क्षमता कम होने के कारण चालीस प्रतिशत तक छूट देने और उनको पूरा भुगतान करने का सरकार का आदेश था। तो क्या इस आदेश को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के मस्टर रोल तैयार किए गए और इनके आधार पर उनको छूट दी गई है? और अगर नहीं दी गई, तो क्या जांच करने वाले हमारे अतिरिक्त अकाल सहायता आयुक्त महोदय ने अपनी जांच के अन्दर ऐसी छूट दर्शायी है या नहीं। अगर नहीं दर्शायी है, तो नहीं दर्शाने का क्या कारण है?

श्रीमती सुमित्रासिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं मंत्री महोदय से कि उन्होंने यह कहा है कि जांच करवाई है और जांच रिपोर्ट में यह माना है कि 11 हजार 179 रुपये का भुगतान नहीं हुआ है। मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह कार्य पी०डब्ल्यू०डी० से कराया गया था या रेवेन्यू एजेन्सी से करवाया गया था? किसके मार्फत यह कार्य हुआ था? तीसरे क्या यह टास्क के मुताबिक कार्य नहीं किया गया है? और क्या केवल यह एडजस्टमेंट के लिए, उस दृष्टिकोण से किया गया और लोगों से यह लिखा लिया गया है कि इसका एडजस्टमेंट कर लिया जाये ताकि दोषी अधिकारी बच सकें। सही स्थिति क्या यह है कि इसका भुगतान नहीं हुआ है?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने स्वयं ने उत्तर में यह कहा है कि इसका भुगतान नहीं हुआ है और इसका भुगतान नहीं करने का कारण यह है कि केवल उतने ही रुपयों का कार्य हुआ था जितने का भुगतान कर दिया गया है और इस काम की मौके पर अतिरिक्त सहायता आयुक्त ने जांच की है, मेंजरमेन्ट किया है। वहां के लोगों की दरख्वास्तें मेरे पास मौजूद हैं। उनके सामने मेंजरमेंट किया गया है और उन लोगों ने भी इस मेंजरमेंट को स्वीकार किया है। इसलिए जो काम हुआ है उसके आधार पर लोगों को पेमेन्ट कर दिया गया है बल्कि पेमेन्ट ज्यादा कर दिया है। और हमको रुपया वसूल करना था। यह ज्यादा रकम 3,460 रुपये होती है। परन्तु लोगों ने कहा कि उनसे यह वसूली नहीं की जाये, उनका नुकसान हो जाएगा। जांच के समय गांव के लोग भी उपस्थित थे। माननीय सदस्य के दिमाग में अब भी किसी प्रकार की कोई भ्रान्ति है तो वे और फेक्ट्स दें और उन तथ्यों के आधार पर फिर से जांच करवा ली जायेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले पेमेन्ट ज्यादा क्यों कर दिया गया?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या यह मेंजरमेंट एक साल के बाद किया गया?

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, काम होने के एक साल बाद मेंजरमेंट किया गया। यह एक गम्भीर सवाल है।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
क्या मंत्री महोदय ने इसके लिए किसी को रेस्पॉन्सीबल बनाया है और उसको दंड दिया है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पटवारी और तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या कार्यवाही की जा रही है ? अभी तक आपने उनको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया ?

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह नहीं है। जो मैंने सप्लिमेंटरी की है, उसका मंत्री महोदय की ओर से स्पष्टीकरण नहीं आया है। क्या यह सही है कि उस काम के लिए सरकार ने स्वीकृति नहीं दी है। और क्या यह सही है कि ऐसे काम में 40 परसेन्ट की छूट दी जाती है जो कि नहीं दी गई है। अतिरिक्त सहायता आयुक्त ने अपनी जांच में यह 40 परसेन्ट की छूट नहीं दी है। दूसरी बात यह है कि कृषि विभाग के सॉइल कन्जरवेशन द्वारा यह काम करवाया गया और उनको इसकी मंजूरी नहीं हुई और मंजूरी नहीं होने के कारण इसका भुगतान नहीं किया गया है। मंजूरी हो जाए तो भुगतान हो सकता है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक मुझे याद पड़ता है 40 परसेन्ट की छूट देने का प्रावधान नहीं है। यह प्रावधान छूट देने की 25 परसेन्ट है। मुझे तो यह याद पड़ता है कि 25 परसेन्ट कम लिया जायेगा काम शिड्यूल के आधार पर। इस तरह का याद पड़ता है· · ·

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री रामसिंह : क्या याद पड़ता है । यह कोई तरीका है जवाब देने का ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): आप स्पेसिफिक बात जानना चाहते हैं। माननीय सदस्य ने इन्क्वायरी की मांग की थी और आपसे भी यह निवेदन किया गया था कि आप इसके अन्दर सहयोग दें। इसके बाद जयपुर से अधिकारी को भेज कर इस मामले की जांच करवाई गई और जांच से तथ्य आपके सामने आ गये हैं। उसके बाद आप यहां पर उस बात के लिए ही ऐजीटेट करें तो मैं समझता हूं यह उचित नहीं है ।· · · ·

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इन्क्वायरी ठीक नहीं हुई इसलिए कहना पड़ता है ।

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक मुझे फैक्टस् याद हैं – इसका कोई अर्थ नहीं है कि सदन में एक बार कोई सूचना दे दी जाए तो भी उसको बार-बार पूछा जाए। मुझे यह याद पड़ता है कि बरकत साहब के समय यह सूचना चाही गयी थी और परसरामजी उस समय फैमिन रिलीफ मिनिस्टर थे। उस समय मैं यहां पर मौजूद था और यहां पर यह कहा गया था कि इसकी इन्क्वायरी करवा ली जायेगी। इस आश्वासन के ऊपर एडीशनल कमिश्नर को वहां पर भेज कर जांच कराई गई है। जांच के अन्दर गांव के लोगों, लेबर को भी एसोसिएट किया गया है। उसके बाद क्या चीज रह जाती है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं यहां पर प्रश्न और उत्तर के रूप में इस प्रश्न का समाधान नहीं हो सकता। यदि आपके पास और कोई तथ्य हैं तो बता दीजिये आपके समाधान के लिए एक बार और इन्क्वायरी करवा दी जायेगी· · · ·

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, इसका इस प्रश्न से कोई सरोकार नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : ठीक है।

श्री लूणाराम : पहले अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू एजेन्सी के द्वारा काम हो गया। बाद में कृषि विभाग, सॉइल कन्जरवेशन द्वारा काम करवाया गया। उस कार्य के समाप्त होने पर भी सरकार द्वारा उसकी मन्जूरी नहीं दी गई और मंजूरी नहीं होने के कारण इसका भुगतान नहीं हो पाया है। मजदूरों की ओर से यह प्रार्थना भी पेश की गयी है कि उनको भुगतान नहीं हो पाया है। अकाल सहायता विभाग द्वारा जांच की गयी है, जांच में जिन लोगों को शामिल किया गया है, उनमें मजदूर नहीं हैं। कोई मजदूर शामिल नहीं है। कृषि विभाग के अधिकारियों को मन्जूरी न देने के कारण यह भुगतान नहीं हो रहा है। मंत्री महोदय जो फर्मा रहे हैं वह सही नहीं है। यह भुगतान वाजिब है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करवा कर मजदूरों को भुगतान करवाया जाये।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य ने जो मुद्दे यहां पर उठाये हैं, हाउस की प्रोसिडिंग्स को आधार बना कर फैमिन रिलीफ कमिश्नर से कहूंगा कि इसकी फिर से इन्क्वायरी करवा लें और आपको भी वे इसकी इत्तिला दे दें और आपको भी इस जांच के अन्दर साथ में रखें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 24-2-75)

जयपुर शहर की कोआपरेटिव सोसाइटीज

101. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में कितनी कोआपरेटिव सोसायटीज बनी हुई हैं ? प्रत्येक की सम्पूर्ण विवरण सहित सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या उक्त सोसायटीज को दिया गया ऋण बाकी है ? यदि हां, तो किस-किस सोसायटी में कब-कब से, कितना-कितना ऋण बाकी है ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर में कुछ बोगस सोसायटीज बनी हुई थीं ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

(4) क्या यह भी सही है कि बोगस सोसायटियां अपना कोटा लेकर उसका दुरुपयोग करती थी ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(5) क्या यह भी सच है कि बोगस सोसायटीज पिछले कुछ अर्से में पकड़ी गई थी ? यदि हां, तो उन पर राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के लिए बहुत लम्बी-चौड़ी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो कि प्राप्त नहीं हो सकती है। अतएव निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप भी तो काफी लम्बे चौड़े हैं····

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4-3-75 व 21-3-75)

पाली जिले के अभावग्रस्त ग्राम

289. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले के कुल कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं और कितने गांव अभावग्रस्त घोषित नहीं किये गये हैं ?

(2) जिन गांवों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किये हैं उनके लिए अभावग्रस्त घोषित नहीं करने के क्या कारण रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि पाली जिलाधीश ने जिन गांवों को राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित नहीं किये हैं उनको अभावग्रस्त करने हेतु गांव के लिए चाही गई जानकारी राज्य सरकार को प्रेषित कर दी ? यदि हां, तो पाली जिलाधीश द्वारा यह जानकारी कब प्रेषित की गई और इन गांवों को अभी तक अभावग्रस्त घोषित नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(4) अब इन गांवों को कब तक अभावग्रस्त घोषित कर दिया जायेगा ?

राज्य मंत्री, अकाल राहत (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) पाली जिले में कुल 853 ग्रामों में से 813 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है । 40 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया ।

(2) 40 ग्रामों में से 39 ग्राम रबी प्रधान हैं या उनमें खरीफ का खराबा 50 परसेन्ट से कम है । इसलिए निर्धारित नीति के अनुसार उन्हें अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया ।

(3 व 4) एक ग्राम बगड़ी को रबी प्रधान मान कर घोषित नहीं किया गया था । इसलिए जिलाधीश, पाली से पूरक सूचना मिलने पर उसको अब अकालग्रस्त घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है । शेष 39 ग्रामों के बारे में निर्णय कर दिया गया है ।···

श्री शंकरलाल : 50 परसेन्ट का खराबा–एक भी गांव आप बता सकते हैं जहां पर रेनी सीजन में 50 परसेन्ट से ज्यादा खराबा नहीं हुआ हो ? यह गलत है । खराबा हुआ है जहां तक एक गांव को लिया जा सकता है, तो दूसरे गांव को भी लिया जा सकता है । सभी गांवों को लिया जाना चाहिए········

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : माननीय मंत्री महोदय को प्रश्न के एक पार्ट का उत्तर देना अभी बाकी है ।····

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, वहां पर टंकियों से पानी पहुंचाया जा रहा है । लोग भूखे हैं वे गांव भी अकालग्रस्त नहीं मान रहे हैं । इसकी जांच करवाई जाये । पूरी तरह से मालूम करें । आपकी यह सूचना गलत है। लोगों को खाने को अन्न नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये ।)

Page No 25

(25)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

विकास अधिकारी, भीम द्वारा भ्रष्टाचार

614. श्री **विश्वम्भरदयाल बोहरा** (महुआ) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि संघर्ष समिति शिक्षक, क्षेत्र भीम, जिला उदयपुर ने विकास अधिकारी, भीम द्वारा क्रैश प्रोग्राम में तीस हजार रुपये का भ्रष्टाचार किए जाने की जानकारी राज्य सरकार को दी ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विकास अधिकारी ने अपने प्रभाव से तारीख 25-3-74 से तारीख 31-3-74 तक जनवरी, फरवरी, मार्च तक के समस्त क्रैश योजना के मस्टर रोलों पर भरपाई के फर्जी अंगूठे मजदूरों से लगवाकर बड़ी धनराशि प्राप्त की ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इसकी जांच की है ?

उत्तर

(1) शिकायत विकास विभाग को दिनांक 13-12-74 को प्राप्त हुई थी और जिलाधीश, उदयपुर को दिनांक 17-12-74 को जांच कर प्रतिवेदन भेजने हेतु निवेदन कर दिया गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जावेगी।

(2) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

पंचायत समिति, वैर द्वारा शिक्षा कर की वसूली

617. **श्रीमती उषा प्रकाश** (वैर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, वैर गत कई वर्षों से शिक्षा-कर वसूल करवा रही है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) उक्त शिक्षा-कर में किन-किन पंचायतों से कितनी कितनी राशि जमा हुई ?

(3) उक्त राशि के उपयोग की क्या व्यवस्था है और किन-किन पंचायतों को कितनी-कितनी राशि, कब-कब, इस राशि में उपलब्ध कराई गई ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1970-71 से उक्त कर वसूल किया जा रहा है।

(2) सूची संलग्न है—(परिशिष्ट 'अ')

(3) उक्त राशि शिक्षा संबंधी प्रवृत्तियों (प्राथमिक शाला भवनों आदि) पर वसूली के आधार पर व्यय की जाती है। पंचायतवार दी गई राशि की सूची संलग्न है—(परिशिष्ट 'ब')।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उद्योगपतियों पर बकाया ऋण

613. श्री **जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार का ऋण किन-किन उद्योगपतियों पर बकाया है ? वर्षवार तथा व्यक्तिवार सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(26)

(श्री जयकिशनलाल तोसावाड़।)

(2) उक्त उद्योगपतियों से ऋण वसूली की क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा बड़े उद्योगों को दिये गये ऋण की बकाया की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिन उद्योगपतियों ने समय पर रुपया जमा नहीं किया उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही प्रश्न 1 के उत्तर में दी गई सूची के कॉलम 7 में अंकित कर दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

कोटा शहर की सड़क

619. **श्रीमती नगेन्द्र बाला** (दीगोद): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर में बगीचे से लेकर तालाब के चौराहे बड़ के पेड़ तक सड़क चौड़ी की जा रही है ?

(2) क्या इस सड़क के बनाने में एक कुण्ड तथा एक बावड़ी जो वर्षों से बनी हुई है, तुड़वा दी गई ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ? एक्सपर्ट्स की इसमें क्या राय थी ?

(स्थगित किया गया)

विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में टीचिंग स्टाफ के स्वीकृत पद

623. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधीनगर, जयपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में टीचिंग स्टाफ के विभिन्न श्रेणी के पदों की स्वीकृति का क्या आधार है ? इस आधार पर दिसम्बर, 1974 तक विभिन्न विषयों में विभिन्न पदों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन स्वीकृत पदों में कितने-कितने खाली हैं और कब से और क्यों ?

(3) विभिन्न विषयों की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) मेडिकल कौन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर टीचिंग स्टाफ के पदों का सृजन किया जाता है। दिसम्बर, 1974 तक विभिन्न विषयों के विभिन्न पदों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन स्वीकृत पदों में से खाली पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(3) विभिन्न विषयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या तालिका में दिखाई हुई है जो सदन की मेज पर रख दी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26-2-75)

जिला झालावाड़ में ड्राइवरों एवं कन्डक्टर्स के विरुद्ध शिकायतें

174. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झालावाड़ में बसों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद किन-किन ड्राइवर, कन्डक्टर्स आदि के खिलाफ शिकायतें कब-कब की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायतों की जांच करा कर क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में बसों की हालत बहुत खराब है ? समय पर कोई भी बस नहीं आती-जाती है एवं यात्रियों के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की शिकायतें आती रहती हैं ?

(4) क्या यह सही है कि यात्रियों को किराये से बचे पैसे कन्डक्टर्स आमतौर से नहीं देते ?

(5) क्या यह भी सही है कि झालावाड़-अकलेरा बस जो संध्या को जाती है टिकट नहीं बनाये जाते ?

उत्तर

(1) झालावाड़ क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम द्वारा वाहन संचालन दिनांक 18-11-73 से प्रारम्भ किया गया। इसके पश्चात् जिन-जिन परिचालकों एवं चालकों के विरुद्ध झालावाड़ आगार में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) कार्यवाही का उल्लेख उक्त सूची में अंकित किया गया है।

(3) इस क्षेत्र में सड़कों की हालत खराब होने के कारण वाहन प्रायः खराब हो जाती है परन्तु फिर भी झालावाड़ से प्रस्थान होने वाली बसों को समय पर प्रस्थान करवाने का प्रयास किया जाता है। यात्रियों के द्वारा बस के कर्मचारियों के विरुद्ध जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

(4) जी नहीं। जहां कहीं परिचालकों द्वारा पैसे वापिस न देने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं वहां ऐसे परिचालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की गई है।

(5) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28-2-75)

फर्जी उद्योग मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही

221. श्री जयनारायण रोत (लसाड़िया) एवं श्री महेन्द्र कुमार (पाडवा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उद्योग विभाग ने गत वर्ष (1974) में समस्त

(श्री जयनारायण रोत एवं श्री महेन्द्रकुमार) राज्य में उद्योगों की गणना का कार्य किया है ? यदि हां, तो इस गणना में ऐसी कितनी इकाइयां किस-किस जिले में बन्द पाई गई जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन होने से गणना तक विभाग से कच्चा माल तथा अन्य सुविधायें प्राप्त करके दुरुपयोग किया ?

(2) उक्त फर्जी इकाइयों को कब-कब, किस-किस अधिकारी ने प्रत्येक जिलेवार कितनी-कितनी और किस-किस प्रकार की सुविधायें दीं ?

(3) उक्त फर्जी इकाइयों के मालिकों तथा इनको सहयोग देने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभाग ने आज तक क्या कार्यवाही की है ?

(4) जिन मामलों में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, उसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां, बन्द इकाइयों की जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(3 व 4) बन्द इकाइयां किन-किन कारणों से बन्द हुई इसकी सूचना प्राप्त की जा रही है । सूचना एकत्रित होने पर ही पता चलेगा की क्या इनमें से कोई फर्जी थीं और किस प्रकार की सुविधाएं उसे उपलब्ध कराई गई थीं । उसके उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-3-75)

जावर माइन्स मजदूर संघ, उदयपुर

372. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जावर माइन्स मजदूर संघ, उदयपुर के दिसम्बर, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष के बेलेन्स शीट में आउटस्टेंडिंग लाइबिलिटी के अन्तर्गत कितनी देनदारी है ? यदि देनदारी है तो उक्त धनराशि किसको देनी है और उसकी क्या विगत है ?

उत्तर

जावर माइन्स मजदूर संघ, उदयपुर द्वारा-दिसम्बर, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष के रिटर्न में आउटस्टेन्डिंग लाइबिलिटीज के अन्तर्गत 4,348.31 रु० की देनदारी बतलाई गई है । उक्त धनराशि किसको देनी है इसकी सूचना रिटर्न में नहीं दी गई है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ब्यावर में सीमेन्ट फैक्टरी

343. **श्री केसरीमल** (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सीमेन्ट की कितनी फैक्ट्रियां हैं ? इनकी स्थापना कौन-कौनसे वर्ष में हुई थीं ? पिछले 7 वर्षों में कहां और फैक्ट्रियां लगी ?

(2) ब्यावर में सीमेंट फैक्ट्री लगाने हेतु जयपुर उद्योग को या साहू जैन को लाईसेन्स कौनसे वर्ष में मिला और कौनसे वर्ष में कैन्सिल कर दिया गया ?

(श्री केसरीमल)

(3) ब्यावर में अब सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिये लाईसेन्स किस उद्योगपति को कब दिया गया ? अभी तक कार्य क्यों नहीं शुरू किया गया ?

(4) क्या पाली जिले के रास बाबरा में या सेन्दड़ा के पास भी एक फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, किस उद्योगपति को फैक्ट्री लगाने का लाईसेन्स दिया गया ?

(5) ब्यावर की फैक्ट्री अभी तक क्यों नहीं लगी जबकि इसके बाद लाईसेन्स वालों ने अन्य जगह पर फैक्ट्रियां लगादीं ?

(6) क्या अभी भी सरकार यह भरोसा दिलाती है कि ब्यावर के पास सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने का कार्य एक वर्ष के अन्दर शुरू करा देगी ?

(7) यदि कोई उद्योगपति इस जगह फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं है तो क्या राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में फैक्ट्री लगाने की व्यवस्था करायेगी ?

उत्तर

(1) राज्य में चार सीमेंट फैक्ट्रियां हैं :—

सवाई माधोपुर	1955
छाजोड़	1917
चित्तौड़गढ़	1967
उदयपुर	1970

पिछले 7 वर्षों में सिर्फ उदयपुर में फैक्ट्री लगी।

(2) जयपुर उद्योग को अक्टूबर, 1971 में लाईसेंस मिल गया तथा अगस्त, 1974 में रद्द कर दिया गया था।

(3) अभी तक किसी को लाईसेंस/आशय-पत्र नहीं मिला, इस कारण कार्य शुरू नहीं हुआ।

(4) जी हां, एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी, बम्बई को एक आशय-पत्र मिला था। लेकिन बाद में कम्पनी ने सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव वापस ले लिया।

(5) लाईसेंस हेतु आवेदन-पत्र भारत सरकार के विचाराधीन है।

(6) भारत सरकार से लाईसेंस मिलने पर ही फैक्ट्री लगाई जा सकती है।

(7) जी नहीं। जैसे मैसूर सीमेंट लिमिटेड ने इस जगह फैक्ट्री लगाने को आवेदन दिया है जो भारत सरकार के विचाराधीन है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के एस० आई० व ए० एस० आई०

344. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने एस० आई० एवं ए० एस० आई० हैं ?

(2) इनमें से कितने अनुसूचित जाति के व कितने अनुसूचित जन-जाति के हैं ?

(3) क्या आरक्षण का वांछित प्रतिशत पूरा हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान पुलिस में 1,459 उप-निरीक्षक, पुलिस एवं 695 सहायक उप-निरीक्षक, पुलिस वर्तमान मे हैं।

(गृह मंत्री)

(2) 15 अनुसूचित जाति एवं 29 जन-जाति के उप-निरीक्षक, पुलिस तथा 4 अनुसूचित जाति एवं 12 जन-जाति के सहायक उप-निरीक्षक, पुलिस हैं ।

(3) जी नहीं । आरक्षण का वांछित प्रतिशत अभी पूर्ण नहीं हो पाया है क्योंकि पुलिस उप-निरीक्षक पदों के लिये चयन केवल उन्हीं व्यक्तियों का किया जाता है जो निर्धारित परीक्षा में सफल घोषित हों एवं शारीरिक मापदण्ड से योग्य पाये जावें।

थाना रेलमगरा हल्के में चोरियां

345. **श्री नानालाल (राजसमन्द)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में थाना रेलमगरा हल्के में काफी चोरियां 1973 से आज तक हो रही हैं ? यदि हां, तो कितनी-कितनी चोरियों की सूचना थाना रेलमगरा को मिली ? उसमें कितनी चोरियां बरामद की गईं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) थाना रेलमगरा के थानेदार द्वारा कितनी-कितनी जगह की तफतीश की गई ? कृपया सूची मय थानेदार की डायरी के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) थाना रेलमगरा जिला उदयपुर के क्षेत्र में सन् 1973 से दिनांक 12-3-75 तक कुल 80 चोरियों की सूचना थाने पर प्राप्त हुई थीं जिसमें 34 चोरियों का माल बरामद किया जा चुका है। सूची संलग्न है.

(2) पंजीबद्ध 80 चोरी के अभियोगों में से 22 अभियोगों का पूर्ण रूप से अनुसंधान थाना अधिकारी, रेलमगरा द्वारा एवं 42 चोरी के अभियोगों का अनुसंधान थाना अधिकारी व अन्य द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया। इस प्रकार 64 अभियोगों का अनुसंधान थाना अधिकारी, रेलमगरा द्वारा किया गया है। जिसकी सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शिक्षित बेरोजगार

346. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या है ?

(2) क्या राज्य सरकार प्रान्त में अराजपत्रित और जूनियर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति राज्य के निवासियों के लिये सुरक्षित रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जा सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नियोजन सेवा विभाग में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31-12-74 को राज्य में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 1,16,230 है।

(2) इस बारे में भिन्न 2 आज्ञाएं जारी की हुई हैं कि नियोजन केन्द्रों पर रजिस्ट्रेशन करते समय जहां के रहने व जितने समय से रहने वाले हों विस्तृत विवरण दर्ज करें। यदि बाहर के व स्थानीय व्यक्ति एकसी योग्यता के हों तो स्थानीय व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जावे। यह भी आज्ञा दी जा चुकी है कि रजिस्ट्रेशन करते समय स्थानीय

(मुख्य मंत्री)

व्यक्तियों का ध्यान रखा जावे और देखा जावे कि उन्हीं का रजिस्ट्रेशन हो जो कि साधारणतया स्थानीय क्षेत्र का निवासी हो।

सीमेन्ट के थैलों का वजन

347. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सीमेंट के थैले (बैग्स) का वजन निर्धारित वजन से कम होने की शिकायत विभाग के समक्ष आती रहती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन शिकायतों के सम्बन्ध में कम्पनी की ओर से यह उत्तर दिया जाता है कि सीमेंट झड़ गई (छन गई) जिससे वजन कम हो गया है ?

(3) क्या इस शिकायत को दूर करने के लिये सीमेंट के थैले (बैग) में प्लास्टर की थैली लगाने के सुझाव पर विचार किया जा सकता है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक करवादी जायेगी ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उद्योग विभाग में इस प्रकार की कोई शिकायत का आना पाया नहीं जाता है। परन्तु विभाग के निरीक्षकों द्वारा अभियोग बनाये गये हैं। जिनके चालान न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(2) जी नहीं। इस विभाग द्वारा कम होने का जवाब तलब नहीं किया जाता; केवल चालान न्यायालय में पेश किया जाता है।

(3) यह विषय केन्द्रीय सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है।

पुलिस में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारी

348. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पुलिस कर्मचारियों की श्रेणीवार कितनी-कितनी संख्या है ?

(2) इनमें कितने अनुसूचित जाति के व कितने अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारी हैं ? कृपया प्रतिशत भी बतलायें ?

उत्तर

(1) राजस्थान पुलिस विभाग में पुलिस कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या निम्न प्रकार है :—

पद	संख्या
1. पुलिस उप-निरीक्षक	1,459
2. सहायक पुलिस उप-निरीक्षक	695
3. हैड कान्स्टेबल	5,044
4. कान्स्टेबल	30,359
कुल योग ..	37,557

(2) इनमें अनुसूचित जाति के 2,098 एवं अनुसूचित जन-जाति के 2,871 हैं जिनका प्रतिशत 14 है।

अनुसूचित जाति 5.5 प्रतिशत अर्थात् 6 प्रतिशत।

अनुसूचित जन-जाति 7.6 प्रतिशत अर्थात् 8 प्रतिशत।

Page No 32

(32)

ग्राम सीमल्या सोपान में आग लगाने की घटना

349. **श्री रामगोपाल** (किशनगंज, कोटा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम सीमल्या सोपान, तहसील किशनगंज, जिला कोटा में दो व्यक्ति (1) श्री प्रहलाद पुत्र श्री साबलाल गूजर, (2) श्री गणेशराम पुत्र श्री मोती लाल खाती के मकान में किन्हीं व्यक्तियों द्वारा आग लगाने की घटना लगभग 8 फरवरी, 1975 को की गई तथा जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना,-किशनगंज में तत्काल की जा चुकी है ? यदि हां, तो इस पर जांच अधिकारी ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

श्री प्रहलाद पुत्र श्री साबलाल गूजर, साकिन काजया की टापरिया ने 10-2-75 को थाना पुलिस, किशनगंज में रिपोर्ट की कि उसकी झोंपड़ी में, मुलजिम बजरंग लाल माली व केदार लाल, साकिन रेलवान द्वारा 8-2-75 को आग लगाई गई, जिसमें उसका 200 रुपये का नुकसान हुआ है। जिस पर मुकदमा नम्बर 9/1975, धारा 436/34, आई० पी० सी० दर्ज किया गया जिसकी तफतीश जारी है।

राज्य में आत्महत्याएं

350. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दस वर्षों में राज्य में कितने लोगों ने आत्महत्या की ? जिलेवार व वर्ष-वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन आत्महत्याओं के क्या-क्या कारण रहे ?

(3) इनमें से गरीबी व भुखमरी से तंग आकर कितने लोगों ने आत्महत्या की ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन

351. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी:) क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कुल कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन दी जा रही है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने स्वतंत्रता सेनानियों के मामले विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विचाराधीन मामले कब तक निपटा दिये जावेंगे ?

(स्थगित किया गया)

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

85 . **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधीनगर, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं तथा भविष्य में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

प्रशासनिक सुधार आयोग के विभिन्न

Page No 33

(33)

(मुख्य मंत्री)
प्रतिवेदनों पर विचार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने एक प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणी मंत्रिमण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत करदी है तथा अन्य प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श जारी है।

बाड़मेर जिले में डाक्टरों के रिक्त पद

353. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बाड़मेर जिले में डाक्टरों के कितने पद विभिन्न प्राथमिक चिकित्सालयों में कब से रिक्त हैं ?

(2) उक्त पदों पर डाक्टरों की कब पूर्ति कर दी जायगी ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गूंगा, वायतू एवं रामसर में एक एक पद परिवार नियोजन महिला चिकित्सक के केन्द्रीय सरकार की पाबन्दी सन् 1973 से लगाये जाने के कारण रिक्त है।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा पाबन्द हटाये जाने पर उक्त पदों को भरा जाना सम्भव होगा।

पदमपुरा चिकित्सालय में औषधियों की व्यवस्था

354. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करनपुर): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील पदमपुरा जिसकी जनसंख्या करीब एक लाख की है, में कोई 'ए' श्रेणी का चिकित्सालय न होने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सच है कि पदमपुरा चिकित्सालय में सिर्फ एक डाक्टर है ? यदि हां, तो क्या सरकार लेडी डाक्टर व नर्स को लगाने की व्यवस्था करेगी ? क्या यह भी सच है कि उक्त चिकित्सालय को औषधियां नाममात्र की मिलती हैं व मरीजों के लिए बिस्तरों का प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार औषधियों का चिकित्सालय पदमपुरा में प्रबन्ध करेगी ? एक्स-रे प्लान्ट अधिक से अधिक लगाएगी ? लेडी डाक्टर नर्स व अधिक बिस्तरों का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त चिकित्सालय में एक्स-रे प्लान्ट की आवश्यकता सरकार अनुभव करती है ? यदि हां, तो कब तक व्यवस्था की जायेगी ?

उत्तर

(1) प्रत्येक तहसील में (ए) श्रेणी का अस्पताल खोलना न तो आवश्यक है और न ही सम्भव है।

(2) जी हां। फिलहाल इस अस्पताल को क्रमोन्नत करने का योजना में कोई प्रावधान नहीं है। वहां औषधियों आदि की पूर्ण व्यवस्था है। एक्स-रे एवं अन्य सुविधाओं के विस्तार पर जनसहयोग प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है।

(3) जी नहीं, किन्तु समुचित जनसहयोग प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है।

मोठपुर के कम्पाउण्डर का स्थानान्तरण

355. **श्री रामगोपाल** (किशनगंज) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री माणक चन्द, कम्पाउन्डर, मोठपुर, जिला कोटा का दिनांक 25-9-74 को जपावर से बड़ोद, दिनांक 30-10-74 को बड़ोद से कोयला तथा दिनांक 10-1-75 को कोयला से मोठपुर स्थानान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो इतना शीघ्र स्थानान्तरण आदेश के क्या कारण हैं ? सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे अनुसूचित जाति के कम्पाउन्डर का बार बार स्थानान्तरण आदेश न हो तथा जनता को कम्पाउन्डर की सेवाओं का लाभ मिल सके ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक हो जायेगी और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 25-9-74 को जपावर से बड़ोद तथा दिनांक 30-10-74 को बड़ोद से कोयला उनकी स्वयं की प्रार्थना पर किया गया किन्तु कोयला में कार्यरत श्री अब्दुल गनी कम्पाउन्डर को स्थानीय मांग के आधार पर कोयला में ही रखना पड़ा अतः श्री माणक चन्द को दिनांक 10-1-75 के आदेश द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा ने कोयला के बजाय एड पोस्ट मोठपुर में लगा दिया है ।

(2) अनुसूचित वर्ग के कर्मचारियों के लिए स्थानान्तरण के कोई अलग से नियम नहीं हैं । सामान्यतः दो वर्ष पूरे करने के पहिले किसी भी कर्मचारी को स्थानान्तरण नहीं किया जाता, किन्तु प्रशासनिक कारणों एवं स्थानीय मांग के आधार पर इस नियम में कुछ ढील दे दी जाती है ।

प्रतापगढ़-मन्दसौर रूट पर बसें

356. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला चित्तौड़गढ़ सब-डिविजन प्रतापगढ़ शहर से प्रतापगढ़-मन्दसौर कितनी बसें रोज आती जाती हैं और ये बसें कब से चल रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस रूट की बसों में हमेशा काफी भीड़ चलती है ? यदि हां, तो इस रूट पर बसें क्यों नहीं बढ़ाई जाती है ?

(3) क्या कभी इस रूट का सर्वे भी करवाया है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) प्रतापगढ़-मन्दसौर मार्ग पर रोजाना 20 ट्रिप्स होते हैं । ये बसें दिनांक 31-12-51 से चल रही हैं ।

(2) स मार्ग पर काफी भीड़ होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) जी नहीं ।

राजेश मोटर कम्पनी, जयपुर

357. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा पाटन) : क्या यातायात मंत्री

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजेश मोटर कम्पनी, जयपुर लीलैन्ड चेसिज मोटर सप्लाई करने हेतु अधिकृत डीलर है ? यदि हां, तो राजेश मोटर कम्पनी ने तारीख 1-6-72 से 31-6-74 तक कितने व्यक्तियों से दो दो हजार रुपया आर्डर बुक करने के नाम से अपने यहां जमा करायें ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने मोटर नियंत्रण नियम के तहत 2000/- पी० ओ० में जमा कराकर रसीद आर्डर बुक करते समय देने का आदेश दिया था परन्तु राजेश मोटर ने रकम वसूल की और फायदा खुद ने उठाया ? यदि हां: तो क्यों ?

(3) क्या राजेश मोटर कम्पनी ने उक्त एडवांस की रकम का लोगों को सूद दिया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। 256 व्यक्तियों से दो हजार रुपये लेकर आर्डर बुक कराये थे। जिनकी सूची संलग्न है।

(2) राज्य सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। न इस प्रकार का कोई निर्देश केन्द्रीय सरकार से जारी हुआ।

(3) सूद नहीं दिया गया। क्योंकि एडवांस जमा कराते समय ऐसी कोई शर्त नहीं थी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राष्ट्रीय मार्ग नं० 8, पर बाई-पास

358. **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय मार्ग नं० 8 राजस्थान के 50 हजार से अधिक आबादी वाले किन किन शहरों में से होकर निकलता है ? तथा इसकी रखरखाव तथा मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी है ?

(2) गत 5 वर्षों में उक्त मार्ग राज्य के जिन नगरों में से निकलता है पर कितना व्यय हुआ और किस विभाग के द्वारा विभिन्न मदों में से कितनी कितनी रकम व्यय की गई है ? विवरण हर नगर का अलग अलग देने का कष्ट करें तथा यह भी बतायें कि उस नगर की सीमा में इस मार्ग का कितना किलोमीटर क्षेत्र आता है ?

(3) उक्त मार्ग के जिन नगरों की आबादी बढ़ गई है और जहां यातायात पर भार बढ़ता जा रहा है वहां बाई-पास बनाने की क्या नीति है ? कितने बाई-पास अभी तक अधूरे पड़े हैं ? हर नगर की सूची प्रस्तुत करने का कष्ट करें। राज्य सरकार इन्हें कब तक पूरा करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राज मार्ग नं० 8 राजस्थान सीमा में 50 हजार से अधिक आबादी वाले जिन जिन शहरों से गुजरता है उनकी सूची (अ) संलग्न है। रखरखाव व मरम्मत धनराशि उपलब्ध कराना भारत सरकार की जिम्मेदारी है।

(यातायात मंत्री)

(2) वांछित सूचना उपरोक्त सूची (अ) में अंकित कर दी गई है।

(3) जहां ट्रैफिक भार बढ़ जाता है; तथा अरबन डवलपमेन्ट अधिक होने के कारण यातायात की कठिनाई होती है, उन स्थानों पर बाई-पास निर्माण की आवश्यकता पर विचार किया जाता है। बाई-पास के कार्य अपूर्ण हैं जिनके अपूर्ण रहने के कारण संलग्न सूची (ब) में अंकित हैं। धनराशि प्राप्त होने पर किशनगढ़-अजमेर तथा ब्यावर बाई-पासों का कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट-6 देखिये)

पंचायत समिति शाहबाद की विद्युतीकरण हेतु योजना

359. **श्री राम गोपाल** (किशनगंज, कोटा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पंचायत समिति शाहबाद, जिला कोटा के विद्युतीकरण हेतु सरकार की क्या योजना है ?

(स्थगित किया गया)

जल विद्युत केन्द्र

360. **श्री वृद्धिचंद्र जैन** (बाड़मेर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राजस्थान प्रान्त में वर्तमान जल विद्युत केन्द्रों के अतिरिक्त और भी कोई जल विद्युत केन्द्र बन सकते हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इनके लिए क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

जी हां। माही बजाज सागर के पण बिजली का काम हाथ में लिया जा रहा है और माही नदी की और सहायक नदियों पर खास तौर से पण बिजली पैदा करने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

गम्भीरी तथा बेड़च नदियों में बाढ़

361. **श्रीमती निर्मला कुमारी** (चित्तौड़गढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जब भी गम्भीरी तथा बेड़च नदियों में बाढ़ आती है पानी सैनिक स्कूल भवन, चित्तौड़गढ़ में तथा उसके सभी छात्रालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टर्स में घुस जाता है ?

(2) जब से इस भवन का निर्माण हुआ है पानी कब कब इस में घुसा ?

(3) क्या यह सही है कि इसमें पढ़ने वाले राज्य के तथा देश के विभिन्न हिस्सों से आये हुए विद्यार्थियों का जीवन हमेशा बरसात के दिनों में खतरे में रहता है तथा कई बार मकानों की छतों पर चढ़कर अपनी जीवन रक्षा का कार्यक्रम बनाना पड़ता है ?

(4) क्या इस स्कूल भवन के लिए स्थान का चुनाव करते समय कोई सर्वेक्षणात्मक अध्ययन किया गया था ? यदि हां,

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

तो उस समय बाढ़ की भावी सम्भावना की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया ?

(5) इस स्कूल भवन तथा इससे सम्बन्धित सभी भवनों के निर्माण में कितना व्यय किया गया ?

(6) क्या निकट भविष्य में उक्त भयंकर परेशानी को दूर करने के लिये राज्य सरकार कोई कदम उठाने जा रही है ?

(स्थगित किया गया)

जयपुर जिले की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

362. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जयपुर जिले में पिछडी जाति एवं हरिजन वस्तियों में विद्युतीकरण किया गया था ? यदि हां, तो किन किन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी हां । जयपुर जिले में जिन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की वस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है उनकी सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

क्रीड़ा प्रशिक्षण शिविर, आबू

363. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत वर्ष क्रीड़ा प्रशिक्षण शिविर, आबू में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् ने कितने रुपये किन-किन कार्यों पर खर्च किये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट–7 देखिये)

जोधपुर नगर के अध्यापकों का स्थानान्तरण

364. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अध्यापकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है ? कृपया उस नीति-पत्र को सदन की मेज पर रखें ।

(2) उपरोक्त नीति कब से लागू की गई ?

(3) दिनांक 1-4-74 को जिन वरिष्ठ एवं द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों ने जोधपुर नगर में कार्य करते हुए दस वर्ष पूरे कर लिये हैं उनकी सूची मय नाम और जोधपुर नगर में काम करते हुये समय व जहां काम कर रहे हैं उस पाठशाला के नाम के अलग-अलग सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) दिनांक 1-4-74 को जिन तृतीय श्रेणी के अध्यापकों ने जोधपुर नगर

(श्री अमृतलाल गहलोत)
में कार्य करते हुए पन्द्रह वर्ष पूरे कर लिये हैं उनकी सूची मय नाम और जोधपुर नगर में काम करते हुए समय जहां काम कर रहे हैं उस पाठशाला के नाम सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) दिनांक 1-4-74 के पश्चात जिन अध्यापकों ने जोधपुर नगर में स्थानान्तरण होने के लिये आवेदनपत्र दिये, उनके नाम मय पाठशाला के नाम के जहां वे उस समय कार्य कर रहे थे और उस समय की सूची जब से वे जोधपुर नगर के बाहर काम कर रहे हैं कृपया सदन की मेज पर रखें।

(6) दिनांक 1-4-74 के पश्चात जिन अध्यापकों का जोधपुर नगर में स्थानान्तरण किया गया उनके नाम मय पाठशाला के नाम के जहां से वे जोधपुर में आए और उस समय की सूची जब से वे जोधपुर नगर से बाहर काम कर रहे थे, कृपया सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक एफ० 23 (6) शिक्षा/ग्रुप-2/74, दिनांक 21-6-74 द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जो नीति निर्धारित की है उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) यह नीति दिनांक 21-6-74 से लागू की गई है।

(3) जिन द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों ने सत्र 74 में जोधपुर नगर में कार्य करते हुए 10 या 10 से अधिक वर्ष पूरे कर लिये थे उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जिन द्वितीय व तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों ने जोधपुर में स्थानान्तर हेतु आवेदन-पत्र दिये थे उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जिन तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों ने सत्र 74 में जोधपुर नगर में कार्य करते हुए 15 वर्ष पूरे कर लिये थे उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) इस सत्र में जिन द्वितीय व तृतीय वेतन में श्रृंखला के अध्यापकों के स्तानान्तरण किये गये उनकी सूची मय वांछित सूचना के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय

356. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1962 से 31 जनवरी, 1975 तक राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने ऐसे निर्णय हुए जिनमें राजस्थान के अधिनियम, नियम अथवा उपनियम को अवैध घोषित किया गया ? सम्बन्धित अधिनियम, विषय की सूची अवैध घोषित किये जाने की तिथि सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(2) ऐसे अधिनियम, विषय उपनियमों को अवैध घोषित किये जाने के पश्चात राज्य सरकार ने संशोधन सम्बन्धी कब-कब क्या कार्यवाही की ?

(3) इतनी अधिक मात्रा में न्यायालयों द्वारा कानूनों को जो अवैध घोषित किया गया है उसे क्या राज्य सरकार अपनी प्रशासनिक अक्षमता नहीं मानती ?

उत्तर

(1) 1-4-62 से 31-1-75 तक राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे राजस्थान के नियम, अधिनियम अथवा उपनियमों को अवैध घोषित किया गया है इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है।

(2) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। सूचना एकत्रित की जा रही है।

(3) समस्त सूचना के आधार पर ही इसकी टिप्पणी की जाना सम्भव है।

शिक्षकों की वरिष्ठता सूची

366. **श्री मीठालाल (लालसोट)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि राज्य के शिक्षा विभाग में गत आठ वर्षों से शिक्षकों की वरिष्ठता सूचियां जारी नहीं की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक जारी कर दी जावेंगी ?

उत्तर

जी नहीं। वरिष्ठता सूचियां जारी की गई हैं।

बीकानेर जिले में सूखा उन्मूलन कार्यक्रम

367. **श्री भीमसेन (लूणकरणसर)** : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पांचवीं योजना के दौरान बीकानेर जिले में सूखा उन्मूलन कार्यक्रम हेतु साढ़े चार करोड़ का प्रावधान है ? अगर हां, तो वर्ष 74-75 व 75-76 में उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत बीकानेर जिले के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की है ?

(स्थगित किया गया)

बीकानेर जिले में अकाल राहत कार्यों में लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

368. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)**: क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1968-69 के अकाल राहत कार्यों पर कार्य करने वाले मजदूरों की बकाया मजदूरी फर्जी तरीकों से जाली अंगूठे दिखाकर चुकारा बीकानेर एवं चूरू जिले के मजदूरों का दिखला दिया है ? यदि नहीं, तो बकाया की सूची व्यक्तियों, कैम्पों एवं मस्टर रोल नम्बर दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त मजदूरों का बकाया मजदूरी को चुका . के बारे में सरकार क्या विचार रखती है ? और अब कब तक बकाया का चुकारा दिया जायगा ?

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के नं० 1, 29, 497, दि० 1-6-69 से 14-6-69 अकाल के कैंप, सूरपुरा का चुकारा फर्जी रूप से किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो बकाया सूची सम्पूर्ण विवरण

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें एवं इस राशि का सरकार कब तक चुकारा करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले के लिए यह सही नहीं है। चूरू जिले में केवल तारानगर की सड़क मालेरी के 19 मजदूरों के भुगतान की शिकायत आई है। सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

(2) चूरू जिले में बकाया मजदूरी के भुगतान की कार्यवाही उपलब्ध. बजट के अन्तर्गत संबंधित विभाग द्वारा की जा रही है। संबंधित शिकायतों एवं आक्षेपों के निस्तारण के पश्चात ही भुगतान होगा जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। बीकानेर में 68-69 की बकाया की राशि आवंटित होने के बाद गांवों में पूर्ण प्रचार करके, चुकारे हेतु व्यवस्था की गई थी। जो व्यक्ति मौके पर मिले उनको चुकारा कर दिया गया लेकिन व्यक्तियों के न मिलने के कारण इस राशि को राज्य कोष में जमा करा दिया गया है। इसी प्रकार 72-73 में राशि का आवंटन हुआ लेकिन जो मजदूर मौके पर मिले उनको भुगतान कर दिया गया। शेष राशि राज्य कोष में जमा करादी गई। सूची में वर्णित मजदूर बार बार मौके पर नहीं मिले हैं और राशि वापिस राज्य कोष में जमा हो गई है। यदि व्यक्ति मिल गये तो चुकारे की व्यवस्था की जा सकेगी।

(3) मस्टर रोल नं० 129497, दि० 1-6-69 से 14-6-69, अकाल कैम्प, सूरपुरा का चुकारा फर्जी रूप से नहीं किया गया है। सा० नि० विभाग के बकाया की सूची संलग्न है। बकाया सूची का चुकारा मस्टर रोलों की पूरी जांच होने के बाद किया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शीत लहर से काश्त को क्षति

369. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा-महल, जयपुर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में शीत लहर से गत वर्ष किस-किस जिले में काश्त को कितनी-कितनी क्षति पहुंची ?

(2) सरकार ने क्षतिग्रस्त क्षेत्र में राहत के लिये क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) गत वर्ष रबी फसल सम्वत् 2030 के दौरान निम्न जिलों की फसल को उनके सामने अंकितानुसार क्षति पहुंची थी:—

क्र. सं.	नाम जिला	अनुमानित क्षति
1.	अजमेर	90 प्रतिशत
2.	झुन्झुनू	78 ,,
3.	जयपुर	65 ,,
4.	चित्तौड़गढ़	99 ,,
5.	बीकानेर	6 ,,
6.	भरतपुर	25 ,,
7.	भीलवाड़ा	58 ,,
8.	उदयपुर	94 ,,
9.	जोधपुर	35 ,,
10.	झालावाड़	50 ,,
11.	बून्दी	19 ,,
12.	गंगानगर	60 ,,
13.	अलवर	20 ,,

(अकाल सहायता मन्त्री)

(2) किसी भी जिले में अभाव की घोषणा नहीं की गई। अतः कोई राहत दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। केवल जिला अजमेर में तहसील सरवाड़ के कृषकों को जिनकी कि फसल ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई थी, को 2,207 रु० की राशि अनुदान के रूप में दी गई थी।

नाथद्वारा का आयुर्वेद औषधालय

370. **श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नाथद्वारा के आयुर्वेद औषधालय को विकसित कर, उसमें पन्द्रह शैय्याओं का एक आतुरालय स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी प्रस्तावित रूपरेखा और आतुरालय के ब्ल्यू प्रिन्ट की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि आयुर्वेद विभाग के निदेशक द्वारा दिये गये एतद् विषयक आश्वासन पर विचार कर नाथद्वारा मंदिर मण्डल ने जनहित में अपना एक भवन, जो राज्य सरकार के पास किराये पर है और जिसमें वर्तमान में आयुर्वेद औषधालय चलाया जा रहा है, सरकार को दान देने का प्रस्ताव पारित कर लिया है ?

(3) यदि हां, तो नाथद्वारा मंदिर मण्डल के उक्त प्रस्ताव और आयुर्वेद विभाग के निदेशक के उक्त आश्वासन की एक-एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या नाथद्वारा मंदिर मण्डल द्वारा लगाई गई शर्तों और अनुबंधों को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो प्रस्तावानुसार भवन के विकास का कार्य कब तक प्रारम्भ किये जाने की संभावना है ?

उत्तर

(1) जी हां। नाथद्वारा में भारत वर्ष के कोने-कोने से आने वाले दर्शनार्थियों को देशी चिकित्सा पद्धति में आस्था होने के कारण उनकी पूर्ण चिकित्सा सुविधा हेतु 'अ' श्रेणी औषधालय हेतु स्वीकृत पन्द्रह शैय्याओं का आतुरालय स्थापित करने की योजना प्रस्तावित है। इसकी प्रस्तावित रूपरेखा और आतुरालय के ब्लयु प्रिंट तैयार नहीं होने के कारण प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना संभव नहीं है।

(2) जी नहीं। आयुर्वेद विभाग के निर्देशक द्वारा ऐसा कोई लिखित में आश्वासन नहीं दिया गया है तथा नाथद्वारा मन्दिर मण्डल द्वारा भी जनहित में अपना भवन राज्य सरकार को देने हेतु कोई प्रस्ताव विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) प्रस्ताव एवं आश्वासन के अभाव में प्रतिलिपि प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

(4) नाथद्वारा मन्दिर मण्डल से औषधालय भवन दान में देने की शर्तें एवं अनुबन्ध इस विभाग को प्राप्त होने के कारण विकास के कार्यक्रम की योजना बनाना संभव नहीं है।

Page No 42

(42)

बाड़मेर व जैसलमेर में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय

371. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में कितने राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय हैं। श्रेणी वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में क्रमशः 48 एवं 20 आयुर्वेदिक औषधालय हैं। सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट-8 देखिये)

सहकारी समितियों में गबन के केसेज

372. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहकारिता विभाग में सहकारी समितियों के गबन संबंधी कुल कितने केसेज वर्ष 72-73, 73-74 एवं 74-75 के चल रहे हैं? कृपया इनकी सूची मय गबन अमाउन्ट दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त गबन के केसेज पर क्या कार्यवाही हो रही है? तथा किस स्टेज पर अब कार्यवाही चल रही है? सरकार इनको कब तक निपटाने का विचार रखती है?

(स्थगित किया गया)

ग्राम सेवा सहकारी संस्थाओं द्वारा सहकारी बैंकों के ऋण का चुकारा

373. **श्री रमेशचन्द्र सैनिक** (हिण्डौली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बून्दी जिले में कुल कितनी ग्राम सेवा सहकारी संस्थायें हैं? इनमें से कितनी ऐसी हैं जिन्होंने सहकारी बैंक का ऋण कई वर्षों से नहीं चुकाया और वह डिफाल्टर्स चली आ रही हैं? कृपया उनके नामों की सूची ऋण सहित सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सहकारी संस्थाओं को दिये गये ऋण को अध्यक्षों/व्यवस्थापक एवं मंत्रियों ने हड़प लिया है? यदि हां, तो कौन-कौनसी ग्राम सेवा सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने किस-किस प्रकार का कितना-कितना ऋण कब-कब से अब तक दबा रखा है? सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा दबाए गए ऋण को प्राप्त करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गए? तथा जिन्होंने अब तक प्राप्तशुदा ऋण को नहीं लौटाया है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उत्तर

(1) बून्दी जिले में कुल 139 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं इनमें से 75 ग्राम सेवा सहकारी समितियां ऐसी हैं जिनमें केन्द्रीय सहकारी बैंक, बूंदी का ऋण अवधिपार हो गया है और समितियां डिफाल्टर हैं। समितियों की सूची 'क' मय

(सहकारिता मन्त्री)
बकाया ऋण की राशि के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। उक्त 75 सहकारी समितियों में केवल 7 सहकारी समितियां ऐसी हैं जिनमें समितियों के अध्यक्ष, मंत्री अथवा व्यवस्थापक द्वारा राशि का दुरुपयोग किया गया है। इन समितियों के नामों की सूची 'ख' मय पदाधिकारियों के एवं राशि व वर्ष जिसमें राशि का दुरुपयोग किया गया था, सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उक्त सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा दबाये हुए ऋण की राशि की वसूली के लिये उनके विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है तथा जिन सदस्यों पर अवधिपार ऋण है उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सहकारी समितियों के चुनाव

374. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितनी सहकारी समितियां हैं? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सहकारी समितियों से सम्बद्ध लोगों की संख्या क्या है?

(3) उक्त सहकारी समितियों में से कितनी सहकारी समितियों के चुनाव समय पर कराये जाते रहे और कितनी के समय पर नहीं कराये गए?

(4) जिन सहकारी समितियों के चुनाव समय पर नहीं कराये गये उसका क्या कारण है? क्या भविष्य में उन समितियों के चुनाव शीघ्र कराने का सरकार का इरादा है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(स्थगित किया गया)

नगरपालिका क्षेत्र, श्री डूंगरगढ़ में अनधिकृत कब्जे

375. **श्री लूणाराम (डूंगरगढ़)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या नगरपालिका क्षेत्र, श्री डूंगरगढ़, जिला चूरू में अनधिकृत कब्जों को हटाने के लिए कभी नगरपालिका द्वारा सब-डिविजनल अधिकारी, रतनगढ़ को रिपोर्ट की गई थी? यदि हां, तो आज तक कुल कितने अनधिकृत कब्जों के बारे में रिपोर्ट की गई? व उनमें से अब तक कितने हटाए गए तथा कितने शेष रहे व शेष अनधिकृत कब्जे न हटाये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

जी हां। सन् 1971-72 में 160 अनधिकृत कब्जे होने की रिपोर्ट की गई थी। परन्तु नगरपालिका सीमा अस्पष्ट होने के कारण इन अनधिकृत कब्जों को हटाया नहीं जा सका है।

सीमा विस्तार होने पर इन अनधिकृत कब्जों को शीघ्र हटाने की कार्यवाही की जावेगी।

Page No 44

(44)

पंचायत समिति, बानसूर की जीप

376. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अलवर जिले की पंचायत समिति, बानसूर की जीप काफी अरसे से खराब होने के कारण नई जीप खरीदने की स्वीकृति के लिये पंचायत समिति ने राजस्थान सरकार को निवेदन किया है ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी ?

उत्तर

राजस्थान में ऐसे अन्य पंचायत समितियों के मामले भी हैं जिन पर निर्णय लिया जा रहा है ।

राजकार्य में हिन्दी का प्रयोग

377. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मंत्री, भाषा विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में राजकार्य में हिन्दी का पूर्ण प्रयोग किए जाने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो किस-किस विभाग में कितन-कितना प्रतिशत कार्य हिन्दी में होता है व कितना प्रतिशत कार्य अंग्रेजी में ?

(2) क्या यह सही है कि विभागाध्यक्ष शासन सचिवों से जो पत्र व्यवहार करते हैं वह अधिकतर अंग्रेजी में होता है ? यदि हां, तो क्या यह शासन के आदेशों की अवहेलना नहीं है ? अब तक किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध शासन के आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) जी हां । ऐसी घोषणा 26 जनवरी, 1965 को की गई थी । जिला स्तर तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर लगभग 80% कार्य हिन्दी में किया जाता है । कतिपय वैज्ञानिक एवं तकनीकी विभागों यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा आदि में हिन्दी प्रयोग का प्रतिशत, कुछ कम है क्योंकि तकनीकी, वैज्ञानिकी विधिक एवं वित्तीय मामलों में अभी पूर्ण हिन्दी का प्रयोग संभव नहीं हो पाया है । निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं तथा पूर्वापेक्षा स्थिति में सुधार हुआ है ।

(2) जी हां । किन्तु स्थिति में निरन्तर सुधार हो रहा है । अंग्रेजी का प्रयोग करने के पीछे भावना राजकीय आदेशों की अवहेलना नहीं अपितु मानसिक अभ्यस्तता तथा कुछ मामलों में व्यवहारिक कठिनाइयां की है । अतः कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की गई जिससे यह लगे कि हिन्दी को आदेशों के जरिए थोपा जा रहा है । इसी वजह से किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने जैसी स्थिति सामने नहीं आई ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 24-2-75)

तहसील नोखा में गोपालकों को ऋण

44. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बीकानेर जिले की तहसील नोखा में गोपालकों को व्यक्तिगत व पशुपालन

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

सहकारी समितियों (डेयरी फार्मों) को किस-किस गांव में कितना-कितना ऋण पंचायत समितियों के माध्यम से व अन्य एजेन्सियों द्वारा दिया गया ? व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम, निवासस्थान, धनराशि की मात्रा देने की तारीख दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26-2-75)

राज्य में प्रदर्शन एवं उन पर पुलिस का बल प्रयोग

72. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सन् 1973 व 1974 में राज्य में कितने प्रदर्शन आयोजित हुए ? मय स्थान व तारीखों के सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त प्रदर्शन में से कितनों में, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा ? इसका क्या स्वरूप था ?

(3) उक्त बल प्रयोग से कितने लोग मरे अथवा हताहत हुए ?

(4) सन् 1973 व सन् 1974 में से किस वर्ष अधिक प्रदर्शन व बल-प्रयोग किया गया, तथा दोनों वर्षों में से किस वर्ष अधिक व्यक्ति घायल व, हताहत हुए ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27-2-75)

जावर माइन्स मजदूर संघ, उदयपुर का आमद खर्च का हिसाब

90. **श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली)**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

जावर माइन्स मजदूर संघ उदयपुर ने दिसम्बर, 1966 से दिसम्बर, 74 को समाप्त होने वाले वर्षों की अवधि में उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये आमद खर्च के हिसाब से कन्ट्रीब्यूशन आर्गेनाईजेशन फण्ड एवं 2 अक्टूबर से सेलिब्रेशन्स के अलग-अलग मदों पर कितना खर्च होना अंकित किया गया है ?

कृपया प्रत्येक वर्ष के खर्चे की लागत एवं उसके सपोर्टिंग वाउचर्स सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

राज्य परिवहन की बसें

91. **श्री लूणाराम (डूंगरपुर)**: क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि राज्य परिवहन की बसें अस्सी प्रतिशत के करीब समय पर नहीं चलती हैं ? यदि नहीं, तो बीकानेर से जयपुर, जयपुर से बीकानेर तथा बीकानेर से चूरू व चूरू से बीकानेर

(श्री लूणाराम)

तथा बीकानेर से सीकर व सीकर से बीकानेर व बीकानेर से रतनगढ़ तथा रतनगढ़ से बीकानेर, बीकानेर से श्री डूंगरगढ़ व डूंगरगढ़ से बीकानेर चलने वाली बसों को 1 जुलाई, 2 अगस्त, 3 सितम्बर, 4 अक्टूबर, 5 नवम्बर, 6 दिसम्बर व 7 जनवरी को कहां-कहां से किस-किस समय रवाना होकर कहां-कहां किस-किस समय पहुंचना था और किस-किस समय पहुंची ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13-2-75)

तहसील रायसिंहनगर में कोआपरेटिव सोसायटी, बहुउद्देशीय सहकारी समिति तथा कृषि उपज मंडी का कर्जा

8. **श्री बेगाराम चौहान** (रायसिंहनगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील रायसिंह नगर में कोआपरेटिव सोसाइटी का कर्जा किस-किस व्यक्ति के नाम है व कितना–कितना है ? व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता तथा कितनी रकम कब से है व किस साल से है दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) तहसील रायसिंहनगर के बहुउद्देशीय सहकारी समिति में कर्जा किस-किस व्यक्ति के नाम कितना-कितना है ? व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता तथा कितनी रकम कब से ली हुई है दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) तहसील रायसिंहनगर की कृषि उपज मंडी का कर्जा किस-किस व्यक्ति के नाम कितना-कितना है व यह किस साल से लिया हुआ है ? व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता और कितनी रकम कब से है, दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) तहसील रायसिंहनगर में जिन सहकारी समितियों का कर्जा बकाया है की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) तहसील रायसिंहनगर की बहुउद्देशीय सहकारी समिति में किस किस व्यक्ति के नाम कितनी-कितनी राशि लगी हुई है की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(3) तहसील रायसिंहनगर की कृषि उपज मण्डी का कर्जा किसी भी व्यक्ति पर नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26-2-75)

बीकानेर जिले के लघु उद्योग

73. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में किस-किस

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
नामों से कौन कौन-से लघु उद्योग विभाग के रिकार्ड में दर्ज हैं उनमें से कितने तथा किस-किस के लघु उद्योग चालू हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(2) बीकानेर जिले में उद्योगों हेतु किस-किस को कौन-कौन से उद्योग के लिए क्या-क्या और कितनी-कितनी सामग्री कब-कब राज्य के कोटे से दी गई ? गत 5 वर्षों की सम्पूर्ण सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि कोटे में दी गयी समस्त सामग्री का उपयोग सभी मालिकों ने उद्योगों में किया है ? यदि नहीं, तो जो फर्म डिफाल्टर है उनके नाम, प्रोप्राइटर के पूरे पते, कोटे की सामग्री आदि की सूची सदन की मेज पर रखी जाये ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में जनवरी, 1974 तक 709 इकाईयां पंजीकृत थीं । जिनमें राष्ट्रीय लघु उद्योग गणना के समय 500 इकाईयां कार्यरत पाई गईं जिनकी सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है । अन्य 209 इकाईयों के पंजीयन रद्द किये जा चुके हैं । उनकी सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) सूची (ग) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) दुरुपयोग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-3-75)

चूरू जिले में लघु उद्योग

217. श्री मोहरसिंह राठौड़ (चूरू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) चूरू जिले में लघु उद्योगों के तहत किस-किस उद्योग के लिए किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना ऋण कहां-कहां दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(ख) इस वक्त चूरू जिले में कहां-कहां पर किस-किस क्षेत्र में किस कार्य के लिए लघु उद्योग चल रहे ह ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

(क) सूची (क) सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(ख) औद्योगिक सर्वेक्षण सन् 1973 के आधार पर बनाई गई सूची (ख) सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-3-75 एवं 24-3-75)

पंचायत समिति पदमपुर व रायसिंहनगर क्षेत्र में क्रैश प्रोग्राम

231. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, पदमपुर व पंचायत समिति, रायसिंहनगर क्षेत्र के कितने ऐसे गांव हैं जिन्होंने क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत पक्के खाले बनाये जाने हेतु रकम जमा करवाई थी लेकिन उनके खाले पक्के नहीं बनाये गये ? अब कब तक पक्के खाले बना दिये जायेंगे ?

(2) क्या यह सच है कि चक 4 पी० एस० एवं 4 पी० एस० ए० व पी० एस० पी० पंचायत समिति, रायसिंहनगर ने 16 व 22 हजार रुपये दोनों गांवों के काश्तकारों से जमा करवा लिये हैं और इसी तरह चक 40 आर० बी० ने पंचायत समिति, पदमपुर में 6 हजार रुपये जमा करवा दिये हैं ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) रकम जमा कराई गई थी लेकिन अब क्रैश कार्यक्रम समाप्त किया जा चुका है, अतः इसके अन्तर्गत पक्के खाले बनाये जाने अब संभव नहीं हैं ।

(2) हां यह सत्य है कि चक 4 पी० एस० ए० व 4 पी० एस० बी० पंचायत समिति, रायसिंहनगर ने पक्के खालों के रुपये जमा करवाये हैं परन्तु यह सत्य नहीं है कि उन्होंने क्रमशः 16 हजार व 22 हजार रुपये जमा करवाये हैं । चक 4 पी० एस० ए० ने 15,800 रुपये 2-12-72 को, 4,000 दिनांक 27-12-72 को एवं 6,000 रुपये 14-12-72 को कुल 25,800 रुपये जमा करवाये हैं । गांव 4 पी० एस० बी० 6,000 रुपये दिनांक 13-12-72 को एवं 6,000 दिनांक 28-12-72 को कुल 12,000 रुपये जमा करवाये हैं ।

यह भी सत्य है कि चक 4 आर० बी० के काश्तकारों ने 6,000 रुपये दिनांक 21-12-73 को पंचायत समिति, पदमपुर में जमा करवा दिये हैं ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-3-75)

लघु उद्योगों की सहायता

237. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सन् 1971 से अब तक कितने तथा किस किस के नये उद्योग लगे हैं ?

(2) इन नये उद्योगपतियों को राज्य सरकार की ओर से क्या सहयोग एवं सहायता प्रदान की गई ?

(3) राज्य सरकार नये लघु उद्योगों को किस-किस रूप में क्या-क्या सहयोग एवं सहायता प्रदान करती है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13-3-75)

पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच

257. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पुलिस विभाग में सन् 1972

(श्री मूलचन्द सामरिया)
से अब तक कितने लोगों के विरुद्ध विभागीय जांचें चल रही हैं ?

(2) इनमें से कितनी जांच रिश्वत सम्बन्धी शिकायतों पर आधारित है ? सूची मय नाम, पद, शाखा आदि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें ।

(3) सन् 1972 से अब तक कितने लोगों को रिश्वत के आरोप में दण्डित किया गया ? सूची मय नाम व दण्ड जो दिया गया वह दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें ।

(4) सन् 1972 से अब तक रिश्वत के आरोप में रंगे हाथों पकड़े गये अधिकारियों की सूची मय वर्ष दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) उक्त रंगे हाथों पकड़े गये अधिकारियों के विरुद्ध अब क्या कार्यवाही हो रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13-3-75)

पुलिस विभाग में भर्ती

258. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सन् 1972 से अब तक पुलिस विभाग में कितनी नई भर्ती व पदोन्नतियां की गई ?

(2) क्या उक्त पदोन्नतियां विभागीय नियमों के अनुसार की गई ? यदि हां, तो कितने पदों पर सीनियोरिटी को खत्म करके पदोन्नति की गई ?

(3) सीनियोरिटी समाप्त कर पदोन्नति किन-किन की व किस-किस पद से किस-किस पद पर की गई ? इसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सन् 1972 से अब तक कितने लोगों को रिवर्ट किया गया ? मय पद व नाम के कारणों सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या पुलिस विभाग में सीधी भर्ती भी की जाती है ? यदि हां, तो किस-किस पद के लिये ?

(6) क्या सन् 1972 से अब तक भाग (5) में दर्शाये गये पदों के अलावा भी सीधी भर्ती अन्य पदों के लिये की गई ? यदि हां, तो किस-किस पद पर ?

(7) वर्ष 1972 से अब तक भाग (6) में भर्ती किये गये लोगों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(8) सन् 1972 से सीधी भर्ती किस-किस वर्ष में कब-कब की गई ?

(9) क्या इस प्रकार की भर्ती से खुली स्पर्धा में आने वाले लोगों का अधिकार समाप्त नहीं होता ? यदि नहीं, तो कैसे ?

(10) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की सीधी भर्ती से जिन लोगों को नुकसान होता है उससे परिचित है ?

(11) क्या उक्त पदों में भर्ती किये गये लोगों को पदोन्नति के अवसर भी प्राप्त

Page No 50

(50)

(श्री मूलचन्द सामरिया)
हुए हैं ? यदि हां, तो किस-किस को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14-3-75)

बाल अपराधियों से सम्बन्धित दर्ज मुकदमात

280. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सन् 1972 से अब तक कितने मुकदमें बाल अपराधों से सम्बन्धित दर्ज किये गये ? सूची मय नाम, पते सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त मुकदमे कितने विचाराधीन हैं, तथा कितनों पर क्या-क्या निर्णय लिये गये ? सूची प्रस्तुत करें।

(3) जिन मुकदमों में निर्णय लिये गये उनमें अभियुक्तों को क्या क्या सजायें दी गई और वे अब किस प्रकार अपना भविष्य सुधार रहे हैं ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15-3-75)

बाड़मेर जिले में अकाल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया सामान

301. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में सन् 1967-68 से लेकर आज तक जो अकाल सहायता कार्य खोले गये उन अकाल सहायता कार्य-स्थलों पर कितना-कितना सामान कितनी राशि का किस प्रकार का अभी तक पड़ा हुआ है ? प्रत्येक सहायता कार्य स्थल पर पड़े सामान की अलग से सूची देने की कृपा करें।

(2) उक्त सामान की देख रेख के लिये किस विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की गई है।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 18-3-75)

जयपुर जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक के बकाया ऋण

339. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जयपुर जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक का ऋण बकाया ज्यादा है ? अगर हां, तो कितना-कितना ऋण किस-किस में कब से बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि में से सन् 1974 में कितनी बकाया रकम वसूल की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त बैंकों के बकाया की वसूली की प्रगति धीमी होने के क्या कारण हैं अब बकाया ऋण की वसूली कब तक करली जावेगी ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21-3-75)

बाड़मेर व जैसलमेर जिले में खडीनों का निर्माण

416. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में वर्ष 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1973-74 एवं 1974-75 में अकाल राहत में कितने खडीनों के निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया ? कृपया नामों की सूची दें।

(2) उपरोक्त कार्यों पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई तथा इनमें से 1973-74 की वर्षा में कितनी खडीनें क्षतिग्रस्त हो गईं और उनके मरम्मत और सुधार के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-3-75)

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्

432. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् ने 1 अप्रेल, 1974 से अब तक किन-किन संस्थाओं को अनुदान दिया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) 1 अप्रेल, 1974 से अब तक परिषद् ने राज्य के सर्वोच्च खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु माहवारी या अनुदान के रूप में किन-किन खिलाड़ियों को रुपया दिया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् ने 1 अप्रेल, 1974 से किन-किन पत्रों को विज्ञापन दिया तथा विज्ञापनों की क्या राशि थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। एकत्रित होने पर प्रेषित कर दी जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

दो शिफ्टों में चलने वाली शालायें

433. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कहां-कहां दो शिफ्टों में छात्र-छात्राओं की माध्यमिक, प्राथमिक शालायें एक ही भवन में चल रही हैं ?

Page No 52

(52)

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)
उनके नाम छात्र-छात्राओं की संख्या, शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या और स्कूल लगाने का समय आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें ? क्या यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों के अनुसार है या नहीं ? क्या इससे समय और श्रम का दुरुपयोग नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो विभाग क्या कदम उठा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि जिन नगरों में दो शिफ्टों में माध्यमिक प्राथमिक शालायें (छात्र-छात्राओं की) एक साथ चल रही हैं में अधिकांश में ऐच्छिक विषय के टीचर्स विभाग देने में असमर्थ रहा है और वहां ऐच्छिक विषय के टीचर्स के स्थान पर अनुपयोगी टीचर्स लगा रखे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह छात्र-छात्राओं के हित में है ?

(3) क्या यह सही है कि दो शिफ्ट वाली शालाओं में टीचर्स कम समय पढ़ाने का दायित्व निभाते हैं और वे अधिक समय अन्य कामों में लगाते हैं इसका प्रभाव अन्य स्कूलों के टीचर्स पर भी पड़ता है ? यदि हां, तो कम समय काम लेकर पूरे समय का वेतन क्यों दिया जा रहा है ?

(4) दो शिफ्ट वाले स्कूलों में बोर्ड के परिणाम अच्छे बनाने के लिये टीचर्स की संख्या अधिक होते हुए भी किन-किन छात्र और छात्राओं की शालाओं में एक्स्ट्रा क्लासेज के नाम पर बाहरी शिक्षकों को पढ़ाने को लगाया जाता है और छात्र-छात्राओं से प्रति माह प्रति विषय विशेष शुल्क लिया जा रहा है ? उन छात्र-छात्राओं के स्कूलों के नाम बताइये और यह परम्परा सभी स्कूलों में क्यों नहीं अपनाई जा रही है ? यह भेदभाव क्यों ?

उत्तर

(1) इस कार्यालय के अधीनस्थ केवल एक ही भवन में प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला गंगापुर सिटी में चल रही है जिसका विवरण इस प्रकार है :—

वि० का नाम	छात्र सं०	शिक्षिकाओं की सं०
रा०बा०मा०एवं प्राथमिक वि०, गंगापुर सिटी	742	28

(2) इस निरीक्षणालय के अधीनस्थ किसी भी विद्यालय में ऐच्छिक विषय की अध्यापिकाओं के स्थान पर अनुपयोगी अध्यापिकायें नहीं लगाई गई हैं।

(3) इस प्रकार कम पढ़ाने के दायित्व के अध्यापक किसी विद्यालय में नहीं हैं।

(4) इस निरीक्षणालय के अधीनस्थ किसी भी शाला में एक्सट्रा क्लासेज के नाम पर किसी बाहरी शिक्षक को बुलाने हेतु नहीं लगाया गया है।

गंगापुर राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय में सामान की खरीद

434. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगापुर राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय, गंगापुर सिटी में जून, 1973 से मार्च, 1974 तक लोकल फण्ड और शासकीय बजट में से किन-किन वस्तुओं की खरीद की गई है क्या यह खरीद

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

नियमानुसार की वाउचर नम्बर, फर्म के नाम और किनके द्वारा खरीदी गई और उनका पेमेन्ट किनके द्वारा किस प्रकार किया गया ? पूर्ण विवरण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि खरीदी गई वस्तुओं को पेमेन्टकर्ता स्वयं खरीदकर लाया और उसका पेमेन्ट भी स्वयं ने किया और बाद में सरकारी बजट और लोकल फण्ड से पेमेन्ट उठाया ?

(2) क्या यह सही है कि बैंक ड्राफ्ट बनवाने के बाद उन्हें पुनः केश कराकर पार्टी को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या विभाग ने इसकी जांच की है ? यदि हां, तो कब यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि जो अधिकारी स्वयं सामान खरीदकर दूर नगरों से लाया उसने उपस्थिति रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर भी कर दिये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में खरीदा गया समान शाला के लिये अनुपयोगी था, और खरीद करने वाले अधिकारी ने जहां भी रहा वहां अनुपयोगी सामान खरीदकर धन का दुरुपयोग किया ?

(5) क्या यह सही है कि हिण्डौन राजकीय माध्यमिक विद्यालय की आडिट रिपोर्ट (विभागीय व ए० जी०) दोनों में थी उक्त बातों का उल्लेख है ? यदि हां, तो विभाग ने क्या कदम उठाये ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-3-75)

विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर को अनुदान

436. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर को अब तक कब-कब किस-किस से और कितना-कितना अनुदान प्राप्त हुआ और उनका कब-कब कहां-कहां किन नियमों और आधारों पर किसके आदेश से उपयोग किया गया ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्था को दिये गये अनुदान की राशि में से बड़ी राशि कई बार लैप्स कर दी गई है ? यदि हां, तो अब तक किस-किस को कितनी-कितनी स्वीकृत अनुदान की राशि किन-किन की लापरवाही से नहीं उठाई गई ? सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को कई बार कई माह तक का वेतन आदि नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

अध्यापकों के स्थानान्तरण
(दिनांक 22-3-75)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

440. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री खेतसिंह राठौड़ के शिक्षा मंत्री बनने के बाद राज्य सरकार के आदेश से और निदेशक, शिक्षा विभाग राजस्थान के आदेश कितने-कितने अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया ?

(2) शिक्षा अधिकारियों द्वारा 30 सितम्बर, 1974 के बाद कितने अध्यापकों के और राज्य सरकार द्वारा कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 24-3-75)

अपंग लोगों को राजकीय सहायता

460. **श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में कितने अपंग लोगों को सरकार की ओर से सहायता मिल रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जिलाधीशों से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में 1,689 अपाहिज लोगों को पेन्शन की सहायता मिल रही है। जिलेवार सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट–9 देखिये।)

पंचायत समिति, बिलाड़ा द्वारा राष्ट्रीय रक्षा-पत्र हेतु की गई वसूल राशि

465. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (सूरतगढ़) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बिलाड़ा द्वारा वर्ष 1965, 1966 व 1967 में पंचायत समिति द्वारा वितरित ऋण में से 5 प्रतिशत ऋण प्राप्तकर्ताओं से 12 वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा-पत्र हेतु वसूल किया गया ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों से किन-किन तारीखों को कितना-कितना रुपया किन-किन व्यक्तियों ने वसूल किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि किन-किन तारीखों को डाकखानों में 12 वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा-पत्र हेतु किन-किन के द्वारा जमा कराई गई व उनके रक्षा-पत्र किन-किन तारीखों को जारी करवाये ?

(3) क्या यह सही है कि वह राशि वसूल करने के कई महीनों तक डाकखाने या सरकारी खजाने में जमा नहीं कराई गई ? यदि हां, तो क्या इस तरह इतने लम्बे अर्से तक उक्त राशि वसूलकर्ताओं ने अपने निजी काम में लेकर खयानत का जुर्म किया ? यदि हां, तो सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21-3-75)

पंचों, सरपंचों व प्रधानों के विरुद्ध शिकायतें

468. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के किन-किन पंचों, सरपंचों, प्रधानों, जिला प्रमुखों के खिलाफ शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष कब-कब से विचाराधीन है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार उक्त शिकायतों का कब तक निपटारा कर देगी ?

(3) किन-किन पंचों व सरपंचों को 1972 से अब तक किस-किस पंचायत के कार्यभार से मुक्त कब-कब किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) किन-किन पंचों व सरपंचों को 1972 से अब तक अयोग्य घोषित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 24-3-75)

झालावाड़ जिले की ग्राम सहकारी सभाओं में गबन के मामले

472. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सहकारी सभाओं के पेड सेक्रेटरी, सहायक निरीक्षक, ऋण निरीक्षक आदि कर्मचारियों की नियुक्तियां कोआपरेटिव सेन्ट्रल बैंक द्वारा की जाती है ?

(2) जिन-जिन ग्राम सहकारी सभाओं, (जिला झालावाड़) में गबन के केस पाये गये उन पेड सेक्रेटरियों व दीगर कर्मचारियों के खिलाफ सैन्ट्रल बैंक द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? कृपया उन सह-सभाओं की सूची भी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करियेगा जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई है।

(3) क्या यह सही है कि गबन वाली सहकारी सभाओं के पेड सेक्रेटरियों की नियुक्ति देने का अधिकार सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक को है ? यदि हां, तो इन सेक्रेटरियों को क्यों नहीं हटाया गया ?

(4) किन-किन सहकारी सभाओं में गबन के मामलों में एफ० आई० आर० दर्ज कराई गई ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? बैंक द्वारा गबन रोकने के लिये क्या प्रभावशाली कार्यवाही की गई ?

(5) क्या ऐसे केस भी जिला झालावाड़ में प्रकाश में आये हैं कि जिनमें बैंक कर्मचारियों की देखरेख में ही गबन हुआ ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारी कौन-कौन हैं जिनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(6) सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, झालरापाटन द्वारा रखे हुए सचिव, सहायक निरीक्षक एवं ऋण निरीक्षक के द्वारा की गई अनियमितताओं, गबन आदि के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार सहायक रजिस्ट्रार, झालावाड़ को है या नहीं ?

(7) जिन जिन सहकारी सभाओं में गबन हो चुका उनका आडिट विभाग द्वारा या सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक द्वारा कब करवाया गया ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(8) ग्राम सहकारी सभा, मनयसर, पोडिया खेड़ी, बनेट, सलोतिया, छछलाव, ओडिया, गरनावट आदि के केस (गबन) पुलिस को दिये गये हैं ? इनकी क्या प्रगति है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 24-3-75)

पंचायत समितियां द्वारा किसानों को ऋण

473. **श्री शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों द्वारा ग्रामीण किसानों को जो ऋण दिया जाता है उसमें मूलधन से अधिक ब्याज की राशि वसूल की जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कानूनन मूलधन से अधिक राशि ब्याज की नहीं ले सकते ? यदि हां, तो क्या ऐसे आदेश पंचायत समितियों को प्रसारित किये जायेंगे ?

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और श्री केसरीमल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 23 मार्च को राणाप्रतापसागर स्थित अणु बिजलीघर अचानक बन्द हो जाने के विषय में,

2. श्री मनोहरलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गुड़गांव कैनाल से पानी नहीं मिलने के विषय में,

3. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर), सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला चूरू के ग्राम ठकरियासर, तहसील श्री डूंगरगढ़ व ग्राम रडवा, तहसील राजगढ़ में किसानों को घरेलू काम के लिये धांधला निकालने व ईंटें बनाने में आने वाली कठिनाईयों के विषय में,

4. श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्र गत 17 मार्च से हड़ताल पर हैं, इस विषय पर,

5. श्री गोपालसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीमकाथाना तहसील के ग्राम गोविन्दपुरा की गोचर भूमि को कुछ व्यक्तियों को अलाट कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

6. श्री गुमानमल लोढा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान मंत्रिमंडल की राजस्व समिति में श्री रामप्रसाद लड्ढा को सम्मिलित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

7. श्री मीठालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से लालसोट कस्बे में अवैध सट्टे का प्रचलन हो रहा है, इस विषय में,

ये सब प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं है।

8. सर्व श्री भानुकुमार शास्त्री व गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम करमूला, तहसील भरतपुर में सरकारी जमीन पर किये गये नाजायज तरीके से अतिक्रमण से शान्ति भंग होने का खतरा है

(श्री अध्यक्ष)

इस विषय में। यह प्रश्न भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है और भावी आशंका पर आधारित है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : जानकारी का तरीका आपको मालूम है। श्री हांडा···

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष-महोदय, श्री रामप्रसादजी लड्ढा··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश किसको दिया था ?

श्री अध्यक्ष : आपको भी मौका मिल जायगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : राजस्थान सरकार के मन्त्रिमंडल में सदस्य थे। राजस्थान मन्त्रिमंडल में से उनको मन्त्रिमंडल का पुनर्गठन करते समय हटाया गया और यह समझकर कि जो पहले मन्त्रिमण्डल था वह भ्रष्टाचारी था और नया और ईमानदार मंत्रिमण्डल बनाने के लिये, यह कहा गया था कि मंत्रिमन्डल को पुनर्गठन किया जा रहा है और मुख्य मंत्री, श्री बरकत साहब के मुख्य मंत्रित्व में नये मंत्रिमण्डल का गठन किया गया और श्री लड्ढा साहब को मंत्रिमंडल में से हटा दिया गया। अब मंत्रिमंडल में मंत्री बनाये बिना, राजस्थान विधान सभा में सदस्य बनाये बिना, कांग्रेस पार्टी से उनको इस वजह से टिकिट नहीं मिला, इसलिए मंत्रिमंडल में उनके आने का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन कपट-द्वारे से राजस्थान मंत्रिमंडल की कमेटी में वह सब-कमेटी इस प्रकार के सरक्यूलर निकालती है, दो कमेटियां हैं, एक तो वह सब-कमेटी जो उद्योगों के बारे में है जिसके अध्यक्ष माननीय श्री हरिदेवजी जोशी, मुख्य मंत्री हैं और दूसरी सब-कमेटी राजस्व के बारे में है जिसके अध्यक्ष श्री परसरामजी मदेरणा हैं, ये दो सब-कमेटियां मंत्रिमंडल की सब-कमेटी के नाते बनाई गई थी, और उसमें कपट-द्वारे से मंत्री बनाये बिना, और विधान सभा का सदस्य बनाये बिना ····

श्री शंकरलाल (पाली) : यह कपट-द्वारा कौनसा है, जहां से कोई सोना निलकता है····

श्री गुमानमल लोढ़ा : हां, कपट द्वारे से, बैकडोर कह दीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बैकडोर की हिन्दी आपने अच्छी की।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमंडल की कार्यवाही गोपनीय होती है, आफिशियल सीक्रेट एक्ट में मंत्रिमंडल की जो भी कार्यवाही होती है वह गोपनीय होती है; और मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य के अलावा जिसने कि ओथ नहीं ली है, उस कार्यवाही में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, यहां तक कि सेक्रेट्री भी उसमें नहीं जा सकता है और वह कार्यवाही तब तक गोपनीय रहती है जब तक गवर्नमेंट अप्रूव करके नहीं निकाल देती है। अब श्री रामप्रसादजी लड्ढा को मंत्रिमंडल में लिये बिना इस सब-कमेटी में सदस्य बनाया गया है। मेरा निवेदन है कि यह बहुत ही महत्व का प्रश्न है, मंत्रिमंडल की गोपनीयता का प्रश्न है, प्रशासन की गोपनीयता का सवाल है और भ्रष्टाचार की बात तो मैं छोड़ देता हूं। उनको किस प्रकार से

(श्री गुलाबचन्द लोढ़ा)

या किस कारण से लिया जा रहा है। लेकिन वह राजस्थान के मंत्रिमंडल में एक मंत्री के नाते काम करे और उनको ओथ लेने की आवश्यकता नहीं है, आफिशियल सीक्रेट रखने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, राजस्थान सरकार की सीक्रेसी का प्रश्न है, प्रशासन का सवाल है, मंत्रिमंडल की गोपनीयता का सवाल है, खैर, भ्रष्टाचार की बात को तो मैं यहां छोड़ देता हूं, मैं चाहूंगा कि इसका स्पष्टीकरण किया जाय उनको तुरन्त वहां से हटाया जाय नहीं तो ऐसा नहीं हो कि मंत्रिमंडल में कपट-द्वारे से उनको इन्ट्रोड्यूस कर दें। जनता में इसकी क्या स्थिति है, यह तो मैं नहीं कहता लेकिन उनको मंत्रिमंडल से हटाया इसलिए गया था कि मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार का आचरण है और इसके प्रमाण भी हैं, इसी कारण से उनको हटाकर यह तय हुआ था कि दूसरे मंत्री ऐसे रखे जायें जो कि ईमानदार हों जिससे सरकार की इमेज को इम्प्रूवमेंट मिले। ऐसी हालत में उनको मंत्रिमंडल में वापिस इन्ट्रोड्यूस करना कहां तक उचित कहा जा सकता है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यह किस प्रकार से और किस कारण से उनको इन्ट्रोड्यूस किया गया है इसका मुख्य मंत्री महोदय स्पष्टीकरण करेंगे। यह राजस्थान सरकार की इमेज के लिये और कांग्रेस के लिये भी घातक है और मंत्रिमंडल की स्वयं की इमेज के लिये भी घातक है और श्री रामप्रसादजी जैसे व्यक्ति, को साथ में लेकर चलेंगे तो यह कहा जायगा कि प्रशासन में भ्रष्टाचार का दौर बढ़ गया है इसलिए यह एक घातक स्थिति उत्पन्न हो जायगी, इसका मुख्य मंत्रीजी स्पष्टीकरण करेंगे।

स्पष्टीकरण

राजस्थान मन्त्रिमंडल की राजस्व समिति में श्री रामप्रसादलड्ढा को सम्मिलित करने सम्बन्धी

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन का आखिरी दिन है, और कोई गलतफहमी नहीं रहे इसलिए मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं और वह यह है कि माननीय सदस्य ने श्री रामप्रसादजी लड्ढा के बारे में जो बातें कही हैं वह सही नहीं हैं और तथ्यों से परे हैं। यह पार्टी के अधिकार का प्रश्न है कि वह किसको टिकिट दे और किसको नहीं दे। आपने अपनी पार्टी के कई सदस्यों को टिकिट नहीं दिया, वे भी सदस्य थे, किस कारण से नहीं दिया और इसी लिए कि टिकिट नहीं दिया, और वह इन्काम्पीटेन्ट है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, आपकी पार्टी के बारे में भी कहा जा सकता है, तो प्रश्न यह नहीं है। यह तो पार्टी के डिसिप्लीन का प्रश्न है। अब प्रश्न रह जाता है कि केबिनेट की सब-कमेटी में उनको सदस्य बनाया गया। इसके सम्बन्ध में मेरे पास अभी कागज नहीं है, इसलिए पूरी बात तो नहीं कह सकता। लेकिन रेवेन्यू मिनिस्टर की अध्यक्षता में रेवेन्यू के मामलों को इम्प्लीमेंट करने के लिये गवर्नमेंट ने एक कमेटी फार्म की है और श्री रामप्रसादजी लड्ढा की रेवेन्यू के मामलों में काफी जानकारी है और उन्होंने हमारे राणाप्रताप सागर का पेपर भी ड्राफ्ट किया था इस सब्जेक्ट के ऊपर इसलिए उनको इस कमेटी में असोसियेट किया गया है और मैं ऐसा समझता हूं कि गवर्नमेंट को ऐसा अधिकार है कि वह किसी भी मेम्बर को अपनी कमेटी में असोसियेट कर सकती है, गवर्नमेंट इसके लिये काम्पीटेन्ट है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या यह सही है कि बाकी सारे के सारे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, लड्ढा साहब को छोड़कर। जो दो कमेटियां बनी हुई हैं दोनों कमेटियों में मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा केवल रामप्रसादजी लड्ढा को ही लिया गया है।

श्री हरिदेव जोशी : इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बतलाया कि उन्होंने पेपर को ड्राफ्ट किया था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 मार्च को सुबह टेक्निकल कारणों से राणा प्रतापसागर का आटोमिक पावर स्टेशन बन्द हो जाने से राजस्थान के अन्दर बहुत गंभीर संकट पैदा हो गया और सरकारी घोषणा के अनुसार अब इन्डस्ट्रीज कवल रात में 4 घंटे चलेंगी और दिन में चलने की सम्भावना ही नहीं है। वैसे तो यह संकट काफी समय से चला आ रहा है। हम अपने 15 लाख यूनिट बिजली पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश को दे रहे हैं जबकि हमारे पास कोई सरप्लस नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात में कोई ऐतराज नहीं और मैं इस सिद्धान्त को मानने वाला हूं कि राष्ट्रीय ग्रिड कायम होना चाहिये औरपैरेलिंग होनी चाहिये लेकिन इसके साथ साथ यह प्रश्न भी बहुत गंभीर है कि राजस्थान एक बहुत बेकवर्ड स्टेट है और राजस्थान का जो पर केपिटा बिजली का कन्जप्शन है वह केवल · · · ·

श्री अध्यक्ष : ब्रीफ में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ब्रीफ में ही कह रहा हूं तो अध्यक्ष महोदय केवल नागालैन्ड को छोड़कर सारे भारतवर्ष में सबसे कम है बल्कि हिन्दुस्तान में ही नहीं विश्व में सबसे कम है और काफी हमारे प्रोजेक्ट्स के बावजूद जो हमारा पर केपिटा कन्जम्पशन है वह 30 यूनिट का है जबकि सोवियत रूस जैसे देश में 6 हजार पर केपिटा यूनिट कन्जम्पशन है। हम आज काफी प्रयत्नों के बाद और पूरी योजनाओं के बाद 72 यूनिट से ज्यादा नहीं कर सके, यह स्थिति राजस्थान की है और हम इसको अपने पूरे लक्ष्यों तक 130 से ज्यादा नहीं ले जाने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय इसके साथ स्थिति गंभीर और हो जाती है जबकि हमारे कन्जम्पशन की केटेगरीज को देखें · · ·

श्री अध्यक्ष : बिजली की प्राबलम को डिसकस कर रहे हैं या स्थगन प्रस्ताव को · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं जो संकट सामने आ रहा है उसको प्रोजेक्ट करना चाहता हूं कि हमारी इन्डस्ट्रीज की स्थिति चिन्ताजनक होती जा रही है और इन्डस्ट्रीज का कन्जम्पशन बहुत लो होता जा रहा है आज केवल 6.5 परसेन्ट का कन्जम्पशन है। प्रायरटीज का 14.5 परसेन्ट कन्जम्पशन है जबकि एग्रीकल्चर में हमारा 45 परसेन्ट का कन्जम्पशन है। तो आज 150 मेगावाट बिजली स्विच ऑफ हो जाना राजस्थान के इरींगेशन पर बहुत असर पड़ रहा है। इन्डस्ट्रीज जो थोड़ी बहुत हैं उस पर असर पड़ा है वह केवल यह कि रात्रि को चार घंटे चलेगी और मौजूदा फसल जो पकाई पर आई है और जिसके लिये पानी आवश्यक है और इस पानी के अभाव में सारी की सारी फसल समाप्त हो जायगी। आज हमारे

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

6 लाख कुओं में आप 4 लाख को भी इलेक्ट्रिफाई नहीं कर पाये हैं। ऐसी स्थिति में यह संकट बहुत गंभीर होता जा रहा है और आपने जो पैरवी की और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन को आश्वासन दिया इस पैरेलिंग के द्वारा हमको हरियाणा की बिजली, पंजाब की बिजली प्राप्त हो जायगी, यह मैं समझता हूं एक एबसोल्यूट कन्सीडरेशन है जो हम देखें हमारे मुकाबले में आने वाली पंचवर्षीय योजनाओं में भी और मौजूदा योजना में भी हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश दोनों के इलेक्ट्रिक जनरेशन, वे इस स्थिति में कभी भी नहीं आने वाले हैं। उनका उन पर केपिटा कन्जम्पशन अगर जनरेशन के हिसाब से देखें तो हमसे कई गुणा ज्यादा है और बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसकी तुलना में राजस्थान में ट्रांन्समीशन की कठिनाई, राजस्थान में कुए गहरे हैं उनकी कठिनाई, राजस्थान में और दूसरी कठिनाइयां हैं, राजस्थान में बेकवर्ड की कठिनाई इन सारी कठिनाइयों के बावजूद जो हमारा पर केपिटा इन्कम है उसको इन्क्रीज की ओर अगर देखें तो सारे भारतवर्ष में सबसे कम है हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश से तो बहुत कम है इसलिये पैरेलिंग के द्वारा कोई बिजली प्राप्त हो जायगी, ऐसी स्थिति नहीं है बल्कि हमारी बिजली उन प्रदेशों को जाती रहेगी और अध्यक्ष महोदय, बहुत अधिक समय न लेता हुआ केवल तीन बात निवेदन करना चाहता हूं, हम 150 मेगावाट-220 मेगावाट बिजली आटोमिक प्रोजेक्ट स्टेशन से प्राप्त करते हैं जबकि हमारे इंजीनियर और हमारा बोर्ड बल्कि सारा विश्व इस बात को जानता है कि इस प्रकार के आटोमिक प्रोजेक्ट स्टेशन विश्व में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुये हैं। वह कहीं पर भी पर केपिटा द्वारा लगाये गये हिसाब से कान्सटेन्टली नहीं चले हैं....

श्री अध्यक्ष : सारा बिजली पर तो आप जानते हैं और इस पर घंटों बोल सकते हैं लेकिन....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो केवल अन्त में यह कहूंगा ....

श्री हीरालाल देवपुरा (विद्युत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं माननीय सदस्यों की सूचना सही नहीं है। एक तारीख को बन्द हुआ था आज वह चालू है और जो कटौती की गई थी वह भी वापिस काट दी गई है। 15 लाख यूनिट बिजली हरियाणा को दे रहे हैं यह भी सही नहीं है।

श्री मीठालाल : बिलकुल सही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, ..

श्री अध्यक्ष : अब आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, 23 को बन्द हुआ और 1 मार्च को फिर चल गया। आप सारा रेकार्ड देख लें एक अप्रेल को फिर चालू हो जायगा और लोगों को फर्स्ट अप्रेल फूल बना देंगे। इसकी सप्लाई लिमिटेड है और जब तक आपका एच-2 डी-2......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

....(अश्रव्य) बन्द हो गया है साम्राज्यवाद देशों ने आपके इस एक्सप्लेनेशन के बाद रोक लगा दी है। आपको एच-2 और डी-2 जितना चाहिये उतना आप प्राप्त नहीं कर

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
सकते हैं और न आने वाले समय में ही उसको परस्यू कर सकते हैं . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात का सभी को मालूम है जयपुर में सट्टा व्यापार जो बड़े पैमाने पर चलता था लेकिन कुछ समय से जयपुर में कम हुआ है और सटोरियों ने अपने धन्धे को जयपुर से हटाकर छोटे स्थानों पर नई-नई दुकानें खोल ली हैं। जो धन्धा जयपुर में चल रहा था वह अब छोटे जिलों में और कस्बों में चलने लग गया है और इतने बड़े पैमाने पर जनता को लूटा जा रहा है कि जहां पहले लालसोट में केवल इस व्यापार की दो-तीन छोटी-छोटी दुकानें थीं, जयपुर में जरूर पाबन्दी लग गई लेकिन अब लालसोट में 6-7 दुकानें नई खुल गई हैं और उन सब दुकानों पर टेलीफोन लग गये हैं। हजारों का व्यापार होता है और गरीब जनता को इससे अत्यधिक परेशानी हो गई है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से और माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा सट्टे का वह व्यापार जिसमें राज्य कर्मचारी भी लिप्त हैं और पुलिस कर्मचारी भी लिप्त हैं, मैं समझता हूं राज्य सरकार को इस सट्टे का व्यापार बन्द करना चाहिये और यह राज्य सरकार के लिये शर्म की बात है तो मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा सट्टे के व्यापार को तत्काल बन्द करें और जो व्यापार टेलीफोन के जरिये चल रहे हैं उसमें सभी प्रकार के कर्मचारी भी शामिल हैं। . .

अध्यक्ष महोदय, मैंने दो-तीन बार कटौती के प्रस्तावों के माध्यम से भी, प्रश्नों के माध्यम से भी यह मामला उठाया है लेकिन आज तक बन्द नहीं किया गया है इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा सट्टे के व्यापार को तत्काल बन्द करें।

श्री केसरीमल : माननीय अध्यक्ष, . .

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, . .

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह सन्धु।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करनपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव ग्राम करमूला, तहसील डीग, जिला भरतपुर में है उसके संबंध में है। वहां पर 1948 में जो 22 फेमिली आकर आबाद हुई थीं और उस गांव के जो पुराने रहने वाले लोग हैं वे पाकिस्तान चले गये थे और 1950 में उनमें से कुछ लोग जब वापस आ गये तो उन लोगों को उसके साथ में लगा हुआ जो दूसरा गांव था वहां पर आबाद कर दिया। जिस गांव में वह आबाद थे वहां पर 145 बीघा गूजरों को जमीन एलाट कर दी गई थी। लेकिन उनके यहां पर आने के बाद 145 बीघा जो गूजरों को जमीन एलाट हुई थी उनको वह गांव छोड़कर जाना पड़ा, और आज वह गांव जो करमूला का है जहां पर 22 शरणार्थी परिवार आकर बसे थे वह 60 हजार के करीब कीमत के जमीन के रूप में और मकानों के रूप में सरकार को दे चुके हैं। थोड़ी इन्स्टालमेंट अब बाकी है। उस गांव पर दूसरे वर्ग के लोग आज कब्जा करना चाहते हैं। कभी उनकी जमीन पर, कभी उनके रास्ते पर वे मकान बना लेते है। वहां पर जो लोकल

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

अधिकारी थे उन्होंने कहा कि उनको उस गांव से हटाया जाय। इस संबंध में एस० डी० एम० की रिपोर्ट है। मैंने उन लोगों को वहां पर बुलाया लेकिन उन लोगों को आने से इन्कारी है और झगड़ा करना चाहते हैं इस प्रकार की उन्होंने कलेक्टर को रिपोर्ट दी। पता नहीं क्या पालिसी अख्त्यार की, सरकार ने क्या नीति अख्त्यार की कि कोई पूछता ही नहीं है, और वे लोग मनमाने तरीके से शरणार्थियों को वहां उजाड़ रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और अशान्ति जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, और जो 87 परिवार पाकिस्तान से आये थे उनको अपने घरों से निकाला जा रहा है, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, और वहां के 22 परिवार बहुत ही तंग आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष : खत्म करें।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैं छोटे में कहूंगा। लोकल अधिकारियों से मिलते हैं और बारबार अर्ज करते हैं कि हम चाहते हैं कि बसे हुए रहें, लेकिन लोकल अधिकारी जो पहले उनकी मदद किया करते थे, मगर 5-6 महीनों से उन्होंने मदद करना बन्द कर दिया। तो मैंने स्थगन प्रस्ताव के द्वारा राज्य सरकार से मांग की है कि वहां पर शान्ति बनाये रखने के लिए और उन गरीब शरणार्थियों को बसाने के खयाल से वहां पर जो नाजायज कब्जे किये गये हैं उनको शीघ्र ही समाप्त किया जाना चाहिए। यही मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष,··

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीमल।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपका और मेरा एक ही टापिक है।

श्री केसरीमल : एक ही टापिक है लेकिन बात कुछ और है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं कह लेता हूं।

ऐसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आपका यह कहना था, आदेश था कि यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है और आशंका पर आधारित है, तो यह आशंकाओं पर आधारित नहीं, अध्यक्ष महोदय। करमूला के अन्दर जो शरणार्थी बसाये गये हैं तो उन शरणार्थियों के पास में दूसरा पक्ष रहता है। वह पक्ष इस बात पर आमादा है कि इन शरणार्थियों को वहां से उखाड़ दिया जाय, और इस कारण से कभी किसी तरीके से, कभी कोई बातचीत इस प्रकार की कई बार हो चुकी है। इस बारे में राज्य सरकार ने जिलाधीश को और एस० डी० एम० को बैठाया जांच के लिए और एस० डी० एम० की यह रिपोर्ट है। मैं अपनी आशंकाओं के आधार पर नहीं, बल्कि एस० डी० एम० ने कलेक्टर को जो रिपोर्ट लिखी है और जो सरकार को पेश की गई है उसके आधार पर कह रहा हूं। उसमें उन्होंने कहा है कि एक पक्ष हर तरह से समझौता करने को तैयार है; लेकिन दूसरा पक्ष समझौता करने के लिए तैयार नहीं है और जान-बूझकर झगड़ा कराना चाहता है। उन्होंने

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि साम्प्रदायिक दंगा भी हो सकता है, मगर इसके ऊपर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो जैसा कि जिलाधीश महोदय ने एस० डी० एम० महोदय ने लिखा है दोनों पक्षों के बीच में साम्प्रदायिक झगड़ा भड़क सकता है। यह आशंका नहीं यह रिपोर्ट में, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस बारे में ध्यान दे। आज जो उनको राइट्स दिये गये हैं, जो एलॉट की गई हैं जमीनें उन जमीनों के ऊपर वे मकान बना रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी है। कलेक्टर और एस० डी० एम० ने रिपोर्ट इस प्रकार की पेश कर दी है। ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार को चाहिए कि नियमानुकूल कदम उठाये, अन्यथा झगड़ा भड़क सकता है। उसका नुकसान हमें और राज्य सरकार दोनों को उठाना पड़ेगा, और राज्य सरकार अपनी कार्यवाही तुरन्त करे इन्हीं शब्दों के साथ में यह कहना चाहता हूं।

श्री केसरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आप बिजली पर बोलना चाहते हैं।

श्री केसरीमल : दो मिनिट।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : आपको दे दूंगा बाद में।

श्री रामकिशन : मैं बोलना नहीं चाहता। सिर्फ मुख्य मंत्रीजी के दिमाग में एक बात बैठाना चाहता हूं बगैर बोले ही कि इसको गम्भीरता से लें। वहां पर ऐसी सम्भावना है कि दंगा हो सकता है। इसको गम्भीरता से लेकर किसी तरह से सुलझायें।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीमल।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, यहां का बारबार एटोमिक पावर स्टेशन बन्द होता है उससे लगातार कई प्रकार से नुकसान होता है। बन्द हुआ और चालू हो गया, कई दफा बन्द हुआ और चालू हो गया। अध्यक्ष महोदय, एक तो यह बिजलीघर कब बन्द हो जायगा और कब चालू हो जायगा इसका पता ही नहीं लगता है। पिछले थोड़े दिनों बन्द हुआ था तो ऐसे समय बन्द हुआ जबकि फसलें पकने को आई और उनको पानी की जरूरत हुई...

श्री अध्यक्ष : यह निश्चय कैसे होगा।

श्री केसरीमल : उद्योग-धन्धे और कारखाने बन्द हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो खेती को बिजली नहीं मिलती है तो सिंचाई में कमी पड़ जायगी दूसरी तरफ कारखाने बन्द हो जायेंगे, मजदूर बेकार हो जायेंगे और प्रोडक्शन मारा जायगा। सरकार को यह चाहिए कि इस तरह से बारबार नुकसानदेह बात हो रही है लगातार इसके बन्द होने के कारण। क्या सरकार इस बात को और एक्जामिन करायेगी कि किन लोगों के कारण, किस मशीन के जरिये यह चीज होती है और किस पार्ट को बदलने से या काम करने का ऐसा तरीका निकालने से ऐसी बात की जा सकती है, साथ ही साथ क्या इसका एक्स्टेन्शन हो सकता है और बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी व्यवस्थाएं भी इसके साथ में जोड़ी जा सकती हैं जिससे यह कमी बन्द

(श्री केसरीमल)
भी हो जाय तो भी हमारे प्रान्त को बिजली मिल सके जिनसे पैदावार के साधन चलते रहें और पैदावार गिरे नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 15 इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कूल्स हैं और 17 तारीख से वहां के छात्र हड़ताल पर हैं। मान्यवर, जितने लोग वहां से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद वापस आते हैं उनको सही नौकरी मिल पाये या छोटे-मोटे उद्योगों में उनको खपायें, चाहे उनको अपने उद्योग कायम करने के लिए लोन दें, उसके लिए राज्य सरकार के पास कोई प्रोस्पेक्टिव है नहीं। मान्यवर, जो वजीफा उनको मिलता है टोटल नम्बर के 30 परसेंट को वजीफा मिलता है। 25 रुपया स्टिपेंड मिलता है और शिड्यूल्ड कास्ट को 45 रुपया मिलता है। आज के प्राइस स्पाइरल में जिसको काम करना पड़ता है इस दृष्टि से यह स्टिपेंड बहुत कम है। हमारे गंगानगर में 7 तारीख से हड़ताल पर हैं छात्र। वहां के सुप्रिन्टेन्डेन्ट हैं एम०एल० मलिक उनकी करप्शन के बारे में, परचेजिंग के बारे में शिकायतें आई हैं। उसकी जांच आज तक नहीं हुई। इसलिए मेरा आपके पास यह निवेदन था कि मुख्य मंत्रीजी आज बिराजमान हैं उनको समय दें या उनसे बात चीत करें और कोई रास्ता निकालें। सारे राजस्थान के 15 इंस्टीट्यूट्स बन्द होने के बाद सारे छात्र हड़ताल पर हैं। उसका उन पर बहुत असर पड़ रहा है। लास्ट डेज हैं उनकी पढ़ाई के तो नौकरियों का कैसा प्रबन्ध हो, कैसे लोन का हो, कैसे छात्रवृत्तियां बढ़ाई जायं इस बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी बात करें।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपालसिंह।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव नीम का थाना तहसील के गांव गोविन्दपुर में वहां की गोचर भूमि लोगों को एलाट कर देने के बारे में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस गांव की गोचर भूमि को पहले 9-2-68 को एलाट करने के बारे में एक कमेटी बैठाई थी। उन्होंने एलाट कर दी थी। वहां के लोगों ने जब कलेक्टर का ध्यान इस ओर आकर्षित किया तो कलेक्टर ने 9-2-68 के एलाटमेंट को मौके पर आकर कैन्सिल कर दिया और अपने निर्णय में यह कहा कि 9-2-68 को जितना एलाटमेंट हुआ है 41 आदमियों को वह सारा कैन्सिल किया जाता है। इसके बाद में, अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तत्कालीन तहसीलदार ने जो वहां से हटाये गये थे और 5 साल का अरसा हो गया है गोविन्दसिंह, रूपसिंह और जगदीशसिंह, यह जो जागीरदार हैं उस क्षेत्र के इनसे मिलकर अपने लाभ के लिए एक फर्जी रिपोर्ट तैयार की है और इन आदमियों के नाम से एलाटमेंट कर दिया और चार आदमियों के नाम जमीन एलाट कर दी। आज भी उनकी फाइल अनडेटेड और अननम्बर्ड पड़ी हैं। और जो फाइल हैं वह डेटेड और नम्बर्ड हैं लेकिन इन चार की फोर्ज्ड फाइल अनडेटेड और अननम्बर्ड हैं। यह मामला गम्भीर है, इसमें फर्जी रिकार्ड तैयार किया गया है और फर्जी रिकार्ड के कारण इन लोगों और गांव की गरीब जनता के बीच में तनाव की स्थिति है। यह लोग जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और गांव के लोग कब्जा नहीं करने देना चाहते हैं। परसों वहां

(श्री गोपालसिंह)
पर झगड़ा हो गया या और फिर झगड़े की सूरत है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रिटायर्ड तहसीलदार हैं, वह पुराने आदमी हैं, वह पुराने रिकार्ड में घटत-बढ़त करके इस प्रकार फोर्जरी कर रहे हैं–यह संगीन मामला है। मेरा निवेदन है कि इस मामले में पुलिस को चालान पेश होना चाहिए और फर्जी रिकार्ड के ऊपर राज्य सरकार को अपना माइण्ड बना कर फौरन स्थगन आदेश देने की कार्यवाही करनी चाहिए ताकि वहां पर झगड़ा फसाद नहीं हो। वहां पर स्थिति गम्भीर है, परसों वह लोग कब्जा करने आ गये थे। इसलिये राज्य सरकार को इसकी गम्भीरता को देख कर, मैं निवेदन करूंगा, इस पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव चूरू की दो तहसीलों के किसानों के सामने जो नई दिक्कत इस साल से पैदा हुई है, उसके मुतल्लिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक रियासती वक्त से लेकर आजाद देश के अन्दर हमारे किसानों के लिए गोचर भूमि में से मिट्टी निकाल कर ईंट बनाने की मुमानियत नहीं थी। इसी तरह से धांधला पत्थर निकाल कर गरीबों को मकान बनाने के लिए धांधला पत्थर का इस्तेमाल करने पर मुमानियत नहीं थी। इस साल जब कि गम्भीर अकाल है, गरीब लोग दो दो मन पत्थर निकाल कर पांच रुपये पैदा करें और गरीब आदमी ईंट बना कर सौ पचास रुपये पैदा करें–इस पर ग्राम ठकरियासर, तहसील श्री डूंगरगढ़ व ग्राम रड़वा, तहसील राजगढ़ में दिक्कत पैदा हो गई है। गोचर भूमि में से धांधला पत्थर नहीं निकाल सकते हैं, मिट्टी निकाल कर ईंट नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा जयपुर रियासत के समय से श्री डूंगरगढ़ में पन्द्रह बीस साल से धांधला पत्थर निकाला हुआ पड़ा था, ग्राम ठकरियासर की गोचर भूमि में से। लेकिन तहसीलदार ने एक आदमी को उकसा कर रिश्वत खाने की मंशा से, लोगों को परेशान करने की मंशा से दर्ख्वास्त दिलवाकर नीलामी आर्डर दे दिया। वहां पर पटवारी जाता है नीलामी करने को और लाखों मन पत्थर 326 रुपये में घर में बैठकर नीलाम कर दिया जाता है। जब लोगों को पता चलता है, तो वह तहसीलदार के पास जाते हैं कि साहब थोड़ी मोहलत दीजिये। आप दो बजे तक कार्यवाही मत कीजिये। उन लोगों ने तहसीलदार को यह भी कहा कि पन्द्रह-बीस साल से पत्थर निकाला हुआ पड़ा था इसलिए कि जब ठीक समय आयेगा तब मकान बनायेंगे। आप दिक्कत पैदा कर रहे हैं। हमें बचाइये, तो उन्होंने कहा, हमारे घर पर आइये, अगर आप मिलना चाहते हैं। घर पर इसलिए बुलाया कि वह पैसा चाहता था। किसान वापिस आ गये। इस तरह से गरीब किसानों को परेशान किया जाता है। लाखों मन पत्थर 326 रुपये में नीलाम कर दिया गया। इस तरह की दिक्कत और परेशानी के कारण झगड़े की सूरत है।

इसी तरह से राजगढ़ तहसील के रड़वा गांव में, अध्यक्ष महोदय, (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसमें जल्दी करने का प्रश्न नहीं है....

श्री अध्यक्ष : थोड़े में फरमाइये।

श्री मोहर्रसिंह : जिस समय सुखाड़ियाजी चीफ मिनिस्टर थे और रेवेन्यू मिनिस्टर दामोदरलाल व्यास थे, उनके द्वारा, जो किसान हरे दरख्त नहीं काट सकते, इस समस्या को हल किया गया कि घरेलू आवश्यकता के लिए हरे दरख्त काट सकते हैं। इस तरह से किसानों की हकतल्फी का प्रश्न है अगर घरेलू काम के लिए दरख्त काटने पर मुमानियत लगाई जाय। अगर घरेलू इस्तेमाल के लिए दरख्त काटने पर रोक-टोक होगी तो यह समझियेगा कि किसानों के हक पर कितनी हकतलफी होगी।

रडवा गांव में गरीब किसानों ने गोचर में से मिट्टी निकाल कर ईंट बनाना शुरू किया, घरेलू काम के लिए····

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहर्रसिंह : तो उन पर नोटिस तामील किया गया और उनको कहा गया कि रायल्टी लेंगे, तुम लाइसेन्स लो। जो गरीब किसान पच्चीस-छब्बीस साल से, राजाओं के वक्त से घरेलू इस्तेमाल के लिए मिट्टी निकाल कर ईंट बनाते थे, उनको मना नहीं किया जाता था, लेकिन आज वहां गांव के किसानों को बुरी तरह से तंग किया जा रहा है, रोजाना नोटिस दिये जा रहे हैं और वह भी ऐसे मौके पर जबकि अकाल है। माननीय मंत्री को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या को सोच-समझकर, जांच करके किसानों को तकलीफ से बचायें। बेशक उन लोगों को लाइसेन्स लेना पड़ेगा जो लोग खरीद फरोख्त करते हैं, वह लोग मिट्टी निकाल कर ईंट बनाना चाहें तो उनको लाइसेन्स लेना चाहिए और जो पत्थर निकाल कर मुनाफा लेना चाहें उन पर मुमानियत होनी चाहिए, उन पर रोक होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ डेमोक्रेसी की आवाज निकाली जाय और दूसरी तरफ जो ईंट बना कर मकान बनाना चाहते हैं उनके सामने परेशानी पैदा की जाय। मेरा निवेदन है कि किसानों का हक है, उनकी सुविधा का यह सवाल है इसलिए माननीय मुख्य मंत्री को और सम्बन्धित विभाग को खास तौर से निवेदन कर देना चाहता हूं किसानों को दिक्कत से बचाइयेगा। खास तौर से इस अकाल के मौके पर बचाइयेगा, जबकि पांच-छः हजार की ईंट निकाल कर वह सौ-दो सौ रुपये कमा सकते हैं। उनके सामने जो दिक्कत है इससे उनको बचायें—इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था····

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरलाल।

श्री मनोहरलाल (कामां) : अध्यक्ष महोदय, गुड़गावां की कैनाल करीब 115 किलोमीटर है, अध्यक्ष महोदय, उसमें से सौ किलोमीटर हरियाणा के अन्दर है और राजस्थान की सरहद के अन्दर 15 किलोमीटर है, वह पूरी नहीं हो पायी है। माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि उसमें टेक्निकल गलतियां हो गईं, इसलिए काम को छोड़ दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब सौ किलोमीटर तक पानी आता है, उसमें राजस्थान का शेयर है, वह भी हरियाणा के लोग ले लेते हैं। राजस्थान का शेयर 70 पर्सेंट पानी का है और हरियाणा का 30 पर्सेंट पानी का है। तो हरियाणा के लोगों और हरियाणा की सरकार हमारे पानी को भी लेती है, हरियाणा के हिस्से का भी लेती है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, जब सौ

(श्री मनोहरलाल) . . . .

किलोमीटर तक पानी आता है और उसमें कठिनाई नहीं है तो आप पन्द्रह किलोमीटर तक पानी क्यों नहीं लाना चाहते हैं। पहाड़ी और सतवास का हिस्सा पूरा हो चुका है, आप पानी ला सकें तो इससे काफी सिंचाई हो सकती है। लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा आपकी लापरवाही के कारण, आपके आफिसरों के निकम्मेपन के कारण पानी काम में ले लिया गया है और इस कारण खेतों को पानी नहीं मिलता है, मवेशियों को पानी नहीं मिलता है। इस इलाके में वर्षा कम हुई और इस इलाके में ओले पड़ गये, इस कारण गांव के अन्दर 70 पर्सेंट फसल नष्ट हो गई और अकाल पड़ गया। बरसात का पानी तालाब और पोखरों में था, वह सूख गया है। नतीजा यह हुआ है कि जितना तालाबों में पानी आना चाहिए, वह नहीं आया। मैं चाहता हूं कि कैनाल से लिंक करके हमारे हिस्से का जो पानी है वह पहाड़ी और सतवास तक आना चाहिए ताकि खेती के लिए और मवेशियों के लिए पानी मिले। मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, आप इसको पूरा करने के लिए पैसा लगा सकते हैं। आज पैसे की किस प्रकार डकैती हो रही है यह आप जाकर देखिये। आपके डिपार्टमेंट हैं, पी० डब्ल्यू० डी० और इरिगेशन–इनके बिलों के भुगतान के लिए ट्रेजरी और बैंक रात में भी खुलते हैं 30 तारीख की रात को ट्रेजरी और बैंक खुले और आपके डिपार्टमेंट के लोग फर्जी बिल बना कर, बोगस बिल बना कर पैसा उठा रहे हैं। लेकिन गुड़गांवां कैनाल का पानी लाकर उन्होंने नहीं दिया है और पैसा वह उठा रहे हैं क्योंकि पैसा 30 तक नहीं उठाया तो वह लैप्स हो जायगा। स्थिति यह है कि सौ किलोमीटर तक पानी आता है, आप पन्द्रह किलोमीटर पानी जानबूझकर नहीं लाना चाहते हैं। आप नहीं लाना चाहते हैं–इसके राजनैतिक कारण हैं। मेरा निवेदन है कि राजस्थान का जितना हिस्सा बनता है, उतना पानी आप दीजिये ताकि सिंचाई के काम में आये और मवेशियों के लिए भी पानी मिल सके . . . .

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री मनोहरलाल : ग्राम करमूल में आज जो स्थिति है, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहता। लेकिन इस मामले में समय पर कार्यवाही नहीं होती है तो साम्प्रदायिक दंगा हो सकता है। अगर इस ओर माननीय मुख्य मंत्री ने ध्यान नहीं दिया तो साम्प्रदायिक दंगा होगा। वहां एक पक्ष के लोग जबर्दस्ती जमीन को दबाना चाहते हैं। वह कुओं पर झगड़ा करते हैं, रोजाना गांव में झगड़ा करते हैं। वहां बच्चों और औरतों के साथ झगड़ा होता है। एक पक्ष कहता है कि हम गांव छोड़ने को तैयार हैं अगर दूसरी जमीन दे दें लेकिन एक पक्ष किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। आप माननीय करणसिंहजी को भेज दें, राजबहादुरजी को भेज दें, पहाड़ियाजी को भेज दें, फैसला कर दें, माननीय मुख्य मंत्री स्वयं जो चाहें फैसला कर दें। एक पक्ष मानने को तैयार है लेकिन दूसरा पक्ष मानने को तैयार नहीं है। इसका नतीजा यह होगा कि सारे इलाके में आग लग सकती है, एक-दो आदमी नहीं मरेगा, हजारों आदमी मरेंगे और 1947 की घटनायें भी हो सकती हैं, जो हम नहीं कराना चाहते हैं। हम इस बीच में नहीं पड़ते लेकिन आप फैसला करें हम बिल्कुल बीच में नहीं आयेंगे, मंत्री जायें, विधायक जायें, फ़ैसला करें एक पक्ष मान लेगा, दूसरा पक्ष नहीं मानेगा, ऊपर से

(श्री मनोहरलाल)
नैतिक दबाव है मुख्य मंत्री के पास या चीफ सैक्रेटरी के पास, जिसके कारण फैसला नहीं हो रहा है लोग दंगा कराना चाहते हैं, सरकारी अधिकारी व नेता दंगे कराना चाहते हैं · · ·

शिक्षकों की भूख हड़ताल व छात्रों का परीक्षाओं का बहिष्कार

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : मैंने स्थगन प्रस्ताव इसलिए दिया है कि शिक्षक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, छात्रों ने परीक्षाओं का बहिष्कार करने की धमकी दी है · · · ·

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। आपके और दूसरे माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव इस विषय पर आए थे। वैसे तो आप परम्पराओं से वाकिफ हैं। जो विषय कई बार स्थगन प्रस्तावों के रूप में आ चुका है, वक्तव्य हो चुके हैं उन स्थगन प्रस्तावों को मैं फिर सुनाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने फैसला नहीं सुनाया। लेकिन एक-दो माननीय सदस्य कहना चाहें तो कहें, भार्गव साहब कह लें या और कोई कह लें · · · ·

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, इस समय विषम परिस्थितियां हैं। अध्यापकों की मांग यदि स्वीकार नहीं की तो छात्रों का कहना है कि हम परीक्षाओं का बहिष्कार कर देंगे। 8 तारीख से परीक्षायें होने वाली हैं वे नहीं होंगी। यदि इस प्रकार का छात्रों और अध्यापकों का निर्णय है, तो खेद का विषय है कि लगातार 4 दिन से विधान सभा के ठीक नीचे शिक्षक बैठे हैं, कभी उन्होंने इस प्रकार से भूख हड़ताल नहीं की, इतिहास में पहली बार अध्यापकों को मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ा और राज्य सरकार बिल्कुल मौन है। जो अन्य राज्य हैं उन्होंने यू०जी०सी० की सिफारिशों को मान लिया है तो राज्य सरकार को भी उन सिफारिशों को सिद्धांतः मानकर, मुख्य मंत्री को इस सदन में आकर उन शिक्षकों से अपील करनी चाहिए कि आप भूख हड़ताल समाप्त करें, मैं आपकी वाजिब मांगों को मानूंगा, अन्य राज्यों ने भी मानी हैं, मैं शीघ्र फैसला करूंगा और आज ही मुख्य मंत्री को उनकी भूख हड़ताल तुड़वाकर 5 बजे सायं तक सदन के सत्र की समाप्ति से पहले इस संबंध में सदन में घोषणा करनी चाहियें, वरना शिक्षक भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं, विद्यार्थी असंतुष्ट हैं, कई जगह से सूचनायें आई हैं कि इनविजीलेटर नियुक्त नहीं हुए, पेपर सेट नहीं हुए, परीक्षायें नहीं होंगी, तो छात्रों में भयंकर असंतोष है, अनिश्चितता है, आज विधान सभा समाप्त हो जाएगी। कई अध्यापकों ने परीक्षायें कन्डक्ट करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी है। इस सत्र में यदि सबसे गंभीर प्रश्न आया है हमारे सामने तो यही आया है, अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह शिक्षकों से समझौता करके आज वक्तव्य दें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : मैं मानता हूं कि सदन में यह प्रश्न कई तरह से आ चुका है। इसलिए हम आपकी सलाह और आज्ञा की अवहेलना करने की स्थिति में नहीं हैं लेकिन आप देखते हैं कि केवल यह अध्यापकों का ही सवाल नहीं है। सवाल छात्रों का है परीक्षाओं की अनिश्चितता के कारण बहुत से छात्रों ने अपनी पढ़ाई बंद कर रखी है और उनको मालूम नहीं है कि

(श्री रामकिशन)

परीक्षायें होंगी या नहीं होंगी। दूसरा सवाल और जोड़ा गया है। छात्र मुझसे मिले थे उन्होंने कहा कि अगर यह सवाल हल नहीं किया गया या पुलिस के मार्फत परीक्षाओं का आयोजन किया गया तो वे परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। इसलिए गंभीर स्थिति पैदा हो रही है, इस मामले को सरकार टाले नहीं। यह खर्च और आमदनी का सवाल ही नहीं है, छात्रों के जीवन का सवाल है। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है, उसका रवैया व्यवहारिक नहीं है, अध्यापकों में असंतोष स्वभाविक है। जब अन्य राज्य सरकारों ने यू०जी०सी० की वेतनमानों का फैसला कर दिया है तो राज्य सरकार को भी करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, लेकिन इस समय नहीं किया तो छात्रों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप भी अपने प्रभाव का प्रयोग करें, इस मामले में समस्या के समाधान के लिए कोई रास्ता निकालने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करता हूं ....

श्री अध्यक्ष : इसलिए आपको अलाऊ करता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यापकों की सीधी-सादी वेतनमानों के बारे में मांग है उसको कुछ लोग नया मोड़ देना चाहते हैं, उसमें यदि वे सफल हुए तो यहां भी वही स्थिति पैदा होगी जो बिहार में उस मसीहा ने पैदा की है, राजस्थान में भी यही होने की संभावना है ....

श्री रामकिशन : आप सवाल को दूसरी लाइन पर ले जाना चाहते हैं ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, श्री गफ्फार अली।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप शिक्षकों की मांग पर बोल रहे हैं या ....

श्री अध्यक्ष : आपके बीच में वह नहीं बोलते, उनको बोलने दिया जाए।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह इस बात को परिचायक है कि यहां पर इस प्रकार का वातावरण पैदा करना चाहते हैं ....

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात पर आयें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैंने मसीहा ही कहा था और कुछ नहीं कहा था। तो, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति यहां पर पैदा हो और उसके बाद लड़कों का करीयर खराब हो तो वह छोटी मांग थी जिसके लिए हमने मांग की थी मुख्य मंत्री से कि आप गौर करें, सैद्धांतिक रूप से डिक्लेयर कर लें और तोड़-मरोड़कर बयान न दें तो स्थिति सुलझ जाएगी। मुख्य मंत्री कहते हैं कि हमारी मान्यता है कि हम लागू करेंगे इसलिए मुख्य मंत्री

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

अगर घोषणा कर देते हैं कि हम सैद्धांतिक रूप से मानते हैं, दो महीने में हल निकाल देंगे और उचित मांगें जो यू० जी० सी० की सिफारिशों के फ्रेमवर्क में, जिनको केंद्रीय सरकार ने माना है, उनको मानते हैं और सही तौर से तय कर देंगे तो यह आंदोलन कन्फ्रन्टेशन की शकल में नहीं आएगा वरना इस बात की संभावना मैं देखता हूं कि जैसे आज पता चला है, इसको नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। टीचर्स की मांगों के बारे में अगर क्लियर डिक्लेरेशन हो जाता है तो यह सवाल खूबसूरती के साथ तय हो जाएगा वरना आगे छात्रों का केरियर खराब हो जाएगा और संघर्ष बढ़ने की संभावना है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : रेलवे स्ट्राइक को जैसे इन्होंने सैबोटेज किया, शिक्षकों की भूख हड़ताल को भी ये सैबोटेज करना चाहते हैं।

श्री केदारनाथ : मुख्य मंत्री ने डाइलोग क्रीएट करने की कोशिश की, कोई मिडी-एटर बुलाया, अच्छी बात है, क्या एग्रीमेंट हो सकता है, इस बारे में बातचीत चल रही है।

इसलिए मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि इसका कोई जल्दी ही सोल्यूशन निकाल कर उन्हें यू० जी० सी० के ग्रेड्स दे दिये जायं। जिस मिडियेटर को मुख्य मन्त्रीजी ने बीच में लिया है उसका नाम तो मैं लेना नहीं चाहता लेकिन आप अगर यूनिवर्सिटी के लेक्चरार्स को, प्रोफेसर्स को विश्वास में लेकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं तो ठीक है अन्यथा स्थिति बहुत ही गम्भीर हो जायेगी इधर तो ऐसेम्बली का सेशन समाप्त होने जा रहा है उधर थोड़े ही दिन बाद एग्जामिनेशन्स शुरू होने वाले हैं। राजस्थान की कई कॉलेजेज के प्रिन्सीपल्स ने राज्य सरकार को लेटर्स लिख लिख कर भेजे हैं और उन्होंने पेपर्स किस तरह कन्डक्ट हो सकते हैं उसकी डिफिकल्टी की ओर भी संकेत किया है। उन्होंने लिखा है कि पेपर्स कन्डक्ट करने के लिए उनके पास साधन नहीं हैं। उन्हें यह भी डाउट है कि एग्जामिनेशन्स वह कन्डक्ट कर पायेंगे या नहीं। आज मान्यवर, टीचर्स की एसोशियेशन इतनी मजबूत हो गयी है कि सिचुएशन बहुत ही क्रिटीकल हो रही है। टीचर्स अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। मान्यवर, यह सही बात है कि उनकी मांगों में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं है। मैं टीचर्स के ऐसोसियेशन्स के लीडर्स से मिला, जो लोग यहां पर धरना धरे हुए हैं उन्होंने मुझे कहा कि हमने लगातार कोशिश की है कि कोई सोल्यूशन का हल निकाला जाये पर अभी तक एक परसेन्ट भी हल नहीं निकल सका है। मान्यवर, टीचर्स की तीन मांगें मुख्य हैं पहली तो यू० जी० सी० की रिकमन्डेशन्स के अनुसार पे देना, ग्रेड देना, दूसरा उनका मोड आफ फिक्सेशन वगैरह। जहां तक सवाल मैं समझता हूं पे का सवाल है उसके लिये 80 परसेन्ट तक तो एड यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन देगी और 20 परसेन्ट राज्य सरकार को देनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : आप थोड़े में समाप्त कर दें।

श्री केदारनाथ : मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। जहां तक सवाल दो साल के एरियर

(श्री केदारनाथ)

का है उसे डेफर कर दीजिये और एक साल का एरियर का सवाल है उसे वह छोड़ने को तैयार हैं। इस संबंध में शायद बात चीत भी चल रही है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इन परिस्थितियों में मुख्य मन्त्रीजी खुद ही बातचीत उनसे बिना किसी मीडियेटर के कर लें तो ठीक रहेगा। आज हाउस का लास्ट डे है जब हम अपने अपने कोन्स्टीट्युएन्सी में जायेंगे तो हमें वहां पर टीचर्स स्टाफ के लोग मिलेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। इसलिये मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि मुख्य मन्त्रीजी इस बात को कहां तक मानने को तैयार हैं वह हाउस में बता दें और जहां तक एरियर्स का सवाल है एक सब-कमेटी इसके लिये बैठा दें जो कि इन मुद्दों पर फैसला कर ले।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक दो शब्द ही निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आज जब हम विधान सभा भवन में आ रहे थे तो हमें टीचर्स ऐसोसियेशन के लीडर्स जो कि यहां विधान सभा के बाहर धरना दिये हुए बैठे हैं मिले। उन्होंने हमें बताया कि हम लगातार पिछले दो तीन महीने से मुख्य मन्त्रीजी से और शिक्षा मन्त्रीजी से पत्र व्यवहार कर रहे हैं उन्हें तार भी दे रहे हैं पर उनकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिल पाया है। हां इतनी बात जरूर है कि हम अपना डेपूटेशन लेकर गये तो वह हमें मिले जरूर थे लेकिन उनकी तरफ से हमें आज तक कोई सन्तोषजनक हल नहीं मिला है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज एसेम्बली का लास्ट डे और अगर आज इसका कोई हल नहीं निकला तो मैं समझता हूं कि यह धरना एक गम्भीर रूप धारण करने वाला है। चाहे आप इसे बाद में कुछ भी कहें लेकिन यह किसी विशेष परिस्थिति को मोड़ दे सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को राज्य सरकार को चाहिये कि अन्डरमाईन नहीं करें और टीचर्स के इस मसले पर आप आज ही फैसला करलें। अध्यक्ष महोदय, अभी तक किसी भी राज-नैतिक पार्टी ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया है और न ही किसी राजनैतिक पार्टी ने इसमें सक्रिय भाग लेने की अभी तक कोई बात ही है। और मैं समझता हूं कि किसी भी राजनैतिक पार्टी को भाग भी नहीं लेना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जब तक राज्य सरकार इनके आन्दोलन को क्रूरता से दमन नहीं करती है तब तक कोई राजनैतिक पार्टी इसमें या किसी में भी हस्तक्षेप नहीं करती है। जैसा कि मुझे पता लगा है कि श्री मिश्राजी इसमें मीडियेटर का काम कर रहे हैं और बातचीत ठीक चल रही है जैसा कि समाचार पत्रों में भी हमने पढ़ा कि मुख्य मन्त्रीजी इस समस्या का हल निकाल लेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं आयेगी। वैसे यह बात जरूर है कि मुख्य मन्त्रीजी ने इस बात का संकेत दिया कि केरला में यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के ग्रेड्स को वहां के लोगों को छोटा करके दिये हैं और यू० पी० में भी जो ग्रेड्स हैं उनके रिविजन की बातचीत हो रही है वापिस प्रोपोजल्स बना रहे हैं इसलिये इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। तो मेरा निवेदन इसमें यह है कि यदि राज्य सरकार इस समस्या का हल निकालना चाहती है तो मुख्य मन्त्रीजी को चाहिये कि उनके नेताओं को बुला कर अपने चेम्बर में बात चीत करे और अगर मुख्य मन्त्रीजी इसमें विधायकों की मदद लेना चाहें तो हम इसमें मदद करने को तैयार हैं। लेकिन

Page No 72

(72)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

इसके बारे में आज ही घोषणा हो जानी चाहिये कि राज्य सरकार उन्हें ग्रेड्स देने को तैयार है। यहां पर विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों ने जैसी कि राय जाहिर की कि अगर विधान सभा का सत्र आज अनिश्चित काल के लिये समाप्त हो जायेगा तो जरूर इसमें कन्फन्ट्रेशन बढ़ेगा और उसमें अगर आप लाठी, गोली और डन्डे से ही अध्यापकों और विद्यार्थियों का दमन करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि परिस्थितियां और ही हो जायेंगी।

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें। काफी हो गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक-दो शब्द कह कर ही समाप्त कर रहा हूं। मैं यह नहीं कहता कि मुख्य मन्त्री-जी इस बारे में कोई लम्बा-चौड़ा भाषण दें जो कि उस दिन दिया था वह दें। आप तो एक छोटा-सा स्टेटमेन्ट दे दें उसमें उसूलन यह मान लें कि राज्य सरकार, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की रिकमन्डेशन्स के ग्रेड अपने टीचर्स वगैरह को देने को जा रही है। और उनका इम्पलीमेन्टेशन कैसे होगा उसके लिये चाहें तो एक कमेटी बैठा दें जो कि उनके एरियर्स के बारे में एक फेज्ड प्रोग्राम बना कर उसकी क्रियान्विति कर ले। लेकिन इसमें प्रिन्सीपल्स तो कम से कम मान लेना चाहिये उसमें किसी प्रकार के इफ्स एण्ड बट्स नहीं होने चाहियें। अगर आपने यह नहीं किया तो यहां पर निश्चित रूपसे स्थिति गम्भीर हो जायेगी। जो न तो हमारे लिये अच्छी होगी न प्रशासन के लिये और न ही टीचर्स व विद्यार्थियों के लिये ही अच्छा होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आज ही हाउस एडजोर्न होने के पहले राज्य सरकार इस बारे में घोषणा कर दे कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की सिफारिशों को राजस्थान में लागू किया जायेगा।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण....

श्री अध्यक्ष : आप जरा थोड़े में फर्माना मुझे आप से यह शिकायत है कि आप मेरी घन्टी की तरफ तवज्जोह नहीं देते हैं।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह शिकायत है कि आप मुझे समय बहुत कम देते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण मसला चल रहा है ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार सदन में आये हैं लेकिन उनका कोई हल नहीं निकाला गया है और ऐसे महत्वपूर्ण मसलों को आगे-आगे टाला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप मुख्य मुद्दे के बारे में ही फर्मायें।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, उसी तरफ आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आज सदन का अन्तिम दिन है लेकिन यहां पर अभी तक अकाल के बारे में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की, उसका कोई सन्तोषजनक उत्तर हमें नहीं दिया गया है। बार-बार प्रश्नों के माध्यम से हमने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया तो हमें सिर्फ एक ही बात कह कर उसको समाप्त कर दिया कि राज्य सरकार चार लाख मजदूरों को रोजगार देने जा रही है। जब विधान सभा का सत्र समाप्त होगा और हम अपने अपने क्षेत्रों को चले जायेंगे तो वहां पर हमें

(श्री मोहरसिंह).

वहां की जनता पूछेगी कि अकाल के बारे में राज्य सरकार ने क्या हल निकाला है, तो उस समय उन लोगों को हम क्या जवाब देंगे? सिर्फ इसके कि हम अपना मुंह बिलकुल ही बन्द करके रह जायेंगे जिस तरह कि हम यहां से अपना मुंह बन्द करके जा रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन सारे प्रश्नों का चाहे अकाल के बारे में हों, चाहे लेवी के बारे में हों, चाहे और मुख्य मुद्दे हों उन पर आज ही सदन में स्पष्ट घोषणा हो जानी चाहिये। कहीं ऐसा नहीं हो कि सदन का समय समाप्त हो जाये और इन मसलों को टाल दिया जाय और फिर तीन-चार दिन बाद आप आर्डिनेन्स जारी कर दें। हमें इस बात का खतरा है इसलिये मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि इसका हल जल्दी से जल्दी निकाला जाय। जिसके पहले सदन का समय ओवर हो राज्य सरकार इन सभी मुद्दों पर स्पष्ट घोषणा करे।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को सदन में पहले भी उठाया गया था और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की रिकमन्डेशन्स के अनुसार अपने यहां टीचर्स को ग्रेड देने के बारे में सदन में काफी वाद विवाद हुआ आज भी हम बैठे बैठे सुन रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जितनी विपक्ष के माननीय सदस्यों को टीचर्स के बारे में और परीक्षाओं के बारे में फिकर है, वह ऐसा मानते हैं कि हमें फिकर नहीं है। हम भी इधर 150 विधायक बैठे हैं उन्हें टीचर्स और विद्यार्थियों की चिन्ता है इसके लिये कुछ बातचीत चल भी रही है राज्य सरकार इस ओर जागरूक नहीं हो वह बात नहीं है। यहां पर कन्फन्ट्रेशन का नाम लेकर आप यहां पर ऐसा कह रहे हैं जैसे कि आज सदन समाप्त हो जायेगा और उसके बाद में यहां पर शायद कोई प्रलय होने को जा रहा है। आखिर हम भी तो जनता के बीच में ही रहते हैं, यह तो नहीं है कि विपक्ष के लोग ही जनता के बीच में रहते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: हम यह चाहते हैं कि इसका हल निकाला जाय।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री दीपंकर: आप माननीय सदस्य सुनिये।

श्री फूलचन्द जैन: आप सुनिये तो सही है कि मैं क्या कह रहा हूं मेहरबानी करके सुनिये। जब आप बोल रहे थे तब हम सुन रहे थे, अब आप थोड़ा पेशेन्स तो रखिये, सुनिये मैं क्या कह रहा हूं।

श्री दीपंकर: यह तो विद्यार्थियों और टीचर्स का फायदा उठाना चाहते हैं।

श्री फूलचन्द जैन: आपको सदन में बोलने का जितना अधिकार है उतना मुझे भी है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय,

श्री दीपंकर: मैं यह निवेदन कर रहा था आपको (श्री भार्गव) कि आप सुनिये उनको।

श्री फूलचन्द जैन: तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि बहुत संयत भाषा और बहुत संयत तरीके से इसको डील विथ करेंगे। इस प्रकार की बात करके प्रोवोकेशन

(श्री फूलचन्द जैन)
होता हो, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिये, न ऐसी भावना है, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम यहां बैठे बैठे सोचते हैं, आखिर ये सब चीजें कहने के पीछे आपका आशय क्या है ? जो कुछ हम समझ पाये हैं और इस मत के हैं, आप कहते हैं उन्होंने इस रूप में नहीं कहा, हमने यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की सिफारिशों को सिद्धान्त रूप में माना है। लेकिन लोकल कन्डीशन्स को देख कर उनसे नेगोशियेशन्स करके, तफसील में, बैठ कर, उनसे तय करें। हम भी प्रेसेराइज कर रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी भी समस्या का हल निकालना चाहते हैं, आप जितने उत्सुक हैं, उतने ही हम इसके लिये उत्सुक हैं। इस प्रश्न को दूसरे रूप में ट्रेन्ड देने के बजाय, सिद्धान्त रूप में इस प्रश्न को मान कर भी लोकल कन्डीशन्स में किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, आप भी उस प्रकार का वातावरण बनाईये और हम भी बनायें। बच्चों के भविष्य को हम आप सब समझते हैं। मुख्य मंत्रीजी भी उतने ही उत्सुक हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

व्यवस्था का प्रश्न

अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों का सदन के पटल पर रखा जाना

श्री गिरधारीलाल भार्गव : व्यवस्था का प्रश्न है। इस पर मुख्य मंत्रीजी उत्तर देंगे। इस सदन के अन्दर दो बिल पास किये गये थे। एक तो राजस्थान गुन्डा नियंत्रण बिल····

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : व्यवस्था का प्रश्न है मेरा।

श्री अध्यक्ष : पोइन्ट ऑफ आर्डर तो तब होता है जब कि हाउस में वह मुद्दा हो। यह हाउस के सामने मुद्दा नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं कहना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : इसको तो उस समय उठा सकते हैं जब कि हाउस के सामने इस सम्बन्ध का कोई डिस्कशन हो। पहले भी कहा था कि या तो पहले आप बोलने की इजाजत ले लीजिये। आपने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। कुछ कहना चाहते हैं किसी विषय पर तो उसके लिये पहले इजाजत लीजिये उसके बाद आप कहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कहिये ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पिछले दिनों सदन ने 2 बिल पास किये थे। एक तो राजस्थान गुन्डा नियन्त्रण विधेयक, 1975 और दूसरा कल मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा सम्बन्धी बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गये हैं। गुन्डा एक्ट के पीछे लिखा हुआ है····

श्री अध्यक्ष : क्या विषय है कहने का, समझ में आया नहीं मेरे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : "The State Government may by notification in the Gazette make rules for carrying out the purposes of

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

this Act. All rules made under this Act shall, as soon as may after they are made, be laid before the House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than fourteen days extending in its one session or more than one....."

मेरा निवेदन करना यह है कि गुन्डा एक्ट के सम्बन्धी जो रूल्स हैं वे सदन चल रहा हो तो सदन की टेबल पर 14 दिन के भीतर बना कर रख दिये जावेंगे, वे नहीं रखे गये हैं।

श्री अध्यक्ष : नियम बन गये हैं क्या? नियम बन जायं और हाउस इन सेशन हो तो 14 दिन के अन्दर उसको सदन की टेबल पर रखने का प्रावधान है। पहले इसको आप समझ लीजिये। कायदा यह है कि किसी एक्ट में नियम को रखते हैं सदन की टेबल पर तो नियम बन जायं और हाउस चल रहा हो तो 14 दिन के भीतर रखना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : रोडवेज के बारे में ?

श्री अध्यक्ष : यही कायदा उसके बारे में है।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इस तरह के प्रश्नों पर आसानी से व्यवस्था दी जाती है। मैंने प्रस्ताव रखा है और मैं उस बारे में निवेदन करना चाहता हूं। औरों को समय दिया, मेरे पर आपकी महरबानी क्यों नहीं। दो मिनिट का मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष : तकरीर का मौका नहीं दूंगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : मुझ से कोई

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति की स्वीकृति आ गयी है ?

श्री अध्यक्ष : यह ओफिस से मालूम कर लेना चाहिये था।

सूचना प्राप्त प्रश्न

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि श्री मूलचन्दजी सामरिया ने अपने दस्तखत से विशेषाधिकार का प्रस्ताव श्री मुंशीलालजी महावर, राज्य मंत्री, के खिलाफ रखा था और उसमें जो आपने आदेश फरमाया था, उसमें जो कमी थी कि एग्रीव्ड पार्टी को लेटर देना चाहिये था, वह खानापूर्ति करके उन्होंने दे दिया है। आज सत्र का अन्तिम दिन है, मैं निवेदन करूंगा, मैं उन सब बातों का विवेचन नहीं करूंगा कि किस प्रकार से प्रति आयी और किस प्रकार से उनके पास पहुंची और किस प्रकार से उनको बुलाया और उनका इन्टीमिडेशन किया गया और उनके वर्क में डिस्टर्ब किया गया और बस में सामान गायब करके जो चार्जेज की कापी भी बाकी की वह भी गायब हो गयी। यह प्रिविलेज का मोशन था जो उन्होंने लिख कर दे दिया। मैं प्रार्थना करूंगा कि इन्टीमिडेशन करना, थ्रेटनिंग करना, स्नाइंग करना और एक माननीय सदस्य के अधिकारों का हनन

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
करना है, इस पर आप निर्णय फरमा दें तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मुझे भी एक मिनिट अर्ज करना था। रायसिंहनगर की म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मसला था।

श्री अध्यक्ष : आज ही आया है यह। एक्जामिन भी नहीं हुआ है। मैं क्या अभी कह सकता हूं। They will be examined in the normal course of business.

मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मसला लेप्स नहीं होता है और सेशन के समाप्त होने के पश्चात् भी वह कन्टीन्यू करता है।

दौसा से और जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है उस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि मुझे मूलचन्दजी सामरिया का पत्र प्राप्त हो गया और मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव को प्रिविलेज कमेटी को रूल 162 के अन्तर्गत रेफर कर दिया है। आपका (श्री भानुकुमार शास्त्री) भी फैसला कर देता, आपने भी आज ही दिया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : दिया तो पहले था, लेकिन डाक्युमेन्ट्स आज दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रिविलेज मोशन ऐसा है कि इस सदन के एक माननीय सदस्य से सम्बन्धित है।

एक माननीय सदस्य : किनसे सम्बन्धित है ?

श्री अध्यक्ष : मुझे क्रास एक्जामिन मत कीजिये।

एक माननीय सदस्य से सम्बन्धित है, इसके तथ्य की जानकारी भी करना आवश्यक था। चूंकि एक पक्ष से ही तथ्य आये थे। गवर्नमेन्ट को भी लिखा था तथ्य भेजने के लिये। अभी अभी मेरे यहां आने की बात मालूम हुई है, आये हैं अभी, माननीय सदस्य से भी जानकारी चाही है कि उनका क्या कहना है। जैसे ही मेरे पास उत्तर आ जावेगा, मैं निर्णय दे दूंगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इस सम्बन्ध में केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : डाक्यूमेंट दे दीजिये आपके।

श्री भानुकुमार शास्त्री : एफ० आई० आर० की सर्टिफाइड कापी है....

श्री अध्यक्ष : जो भी डाक्यूमेंट देना चाहें, दे दीजिये।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव : (राजस्थान विधान सभा सचिवालय) महोदय, मैं उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:—

(1) उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन विधेयक, 1975)।

(श्री सचिव)

(2) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975।

(3) कोटा नगरपालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व) विधि मान्यकारी विधेयक, 1975।

(4) राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि विस्तारण) विधेयक, 1975।

(5) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1975।

(6) राजस्थान विक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1975।

(7) जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975।

(8) राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1975।

(9) राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर विधेयक, 1975।

(10) राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) एवं विधि मान्यकारी उपबन्ध) विधेयक, 1975।

प्रतिवेदन

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (5) के अन्तर्गत राजस्थान लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1973-74 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा: अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ऐसे महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों को जिसमें लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त की रिपोर्ट हो तो केवल रखने मात्र से काम नहीं चलने वाला है। लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त ने कितने फैसले किये हैं, राज्य सरकार ने कितनों को माना है। मैं समझता हूं, माननीय मंत्री महोदय केवल टेबिल पर ही रखें उचित नहीं है। इसकी प्रतिलिपि माननीय सदस्यों को मिलनी चाहिये और विचार व्यक्त करने का भी अवसर मिलना चाहिये।

प्रतिवेदन व लेखे

श्री हीरालाल देवपुरा (विद्युत् मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 61 (3), धारा 75 (1-ए) एवं धारा 69 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के निम्नांकित लेखे आदि सदन की मेज पर रखता हूं —

(1) आय-व्ययक (बजट) अनुमान वर्ष 1975-76।

(2) वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 1973-74 एवं

(3) लेखे वर्ष 1973-74।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

जोधपुर में ट्रैक्टर फैक्ट्री की स्थापना

श्री गुमानमल लोढ़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान जोधपुर नगर में आज से करीब 10-12 साल पहले ट्रैक्टर फैक्टरी के निर्माण करने

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

की घोषणा के बावजूद भी आज तक ट्रेक्टर फैक्टरी न लगने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री) : राजस्थान राज्य उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना के पूर्व ही राजस्थान में ट्रेक्टर का कारखाना लगाने के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई थी तथा फ्रान्स की एक फर्म मेसर्स रैगिरेनोल्ड के साथ बातचीत की गई थी। निगम की स्थापना के बाद इस कम्पनी के साथ एक प्रारम्भिक समझौता हुआ परन्तु अन्तिम समझौते के समय उक्त कम्पनी ने पहिले से तय की गई तकनीकी शुल्क से अधिक शुल्क मांगने का प्रस्ताव रखा जो निगम के हित में नहीं था और इस प्रस्ताव को जनवरी, 1971 में समाप्त कर दिया गया।

इसके पश्चात् ट्रेक्टर का कारखाना लगाने के लिये जर्मनी की एक फर्म से बातचीत प्रारम्भ हुई तथा उचित शर्तों के अभाव में राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर भी विचार स्थगित कर दिया। इसके बाद मेसर्स स्टीअर इंडिया लिमिटेड से भी ट्रेक्टर बनाने के सम्बन्ध में बातचीत हुई। इस प्रस्ताव के तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं पर विस्तार से विचार कर प्रस्तुत करने के लिये कहा गया। निगम की एक सब-कमेटी ने इस प्रस्ताव पर विचार किया, तथा यह सिफारिश की कि भारत में ही ट्रेक्टर बनाने वाली किसी फर्म से सहयोग लेकर राजस्थान में इस प्रकार का कारखाना लगाने का विचार किया जाय।

विचार विमर्श के बाद यह निश्चय किया गया कि राजस्थान की स्थिति को देखते हुये न तो बहुत भारी और न बहुत हल्की शक्ति के ट्रेक्टर बनाने का काम हाथ में लिया जाय और यह निश्चित हुआ कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स से जीटर-25 हार्स पावर के ट्रेक्टर बनाने के सम्बन्ध में बातचीत की जाय। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने 25 हार्स पावर के ट्रेक्टर बनाने में अपना सहयोग देने में असमर्थता व्यक्त की है और कहा है कि 55 हार्स पावर के ट्रेक्टर बनाने में वे राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम से सहयोग कर सकते हैं। इस विषय में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स से बातचीत जारी है जिसके पूरे होने पर ही कोई निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण कराना चाहूंगा एक तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय केवल जनवरी, 1971 की डेट के अलावा सारे जो तथ्य बताये हैं उसमें ऐसा लगता है योजनाबद्ध तरीके से फेक्ट्स का अभाव रखा गया है। किस समय प्रोजेक्ट तैयार हुई यह नहीं बता सके लेकिन चूंकि जोधपुर नगर में जो घोषणा हुई थी उसको आज 15 साल हो गये हैं। उस समय के मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने घोषणा की तब से आज तक 15 साल से जोधपुर नगर इसका शिकार होता रहा आप तथ्य दें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कब तैयार हुई आप तारीख नहीं दे सकें तो साल दे दें घोषणा कब की गई और जो फ्रांस की कम्पनी के साथ निगोशियेसन्स किये वे कब किये और उसके बाद जर्मनी से निगोशियेसन्स किये वे कब किये और हमने निगम की सब-कमेटी का विचारविमर्श करके ट्रेक्टर लगाने का कारखाना का सहयोग कब किया और इस विषय में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

से कब बात की उससे किस वर्ष में विचार विमर्श किया। डेट नहीं दे सके तो महिना बता दीजिये और यदि महिना भी न बता सकें तो साल बता दीजीये—एक बात।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निवेदन करना चाहता हूं

(1.15 म०प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

माननीय मंत्री महोदय विचार करें आज के युग में कोई ट्रेक्टर फैक्टरी लगा न सके राजस्थान सरकार और भारत सरकार के लिये क्या प्रेक्टिकल रूप में गले उतारने वाली बात है। हमने फ्रान्स से बातचीत की, हमने जर्मनी से बातचीत की, हमने लन्दन से बातचीत की सारी दुनियां से बातचीत की और यह भी कहा हमने कलकत्ते में जाकर बातचीत की और इन सारी बातों का नतीजा यह निकला कि जो स्थिति आज के 15 साल पहले थी वहां उसी स्थिति में आज सारी जगहों से बातचीत करके वापिस पहुंच गये। क्या जनता को धोखा देकर केवल चुनाव के समय उनके मानस पर यह धारणा लगा कर कि कांग्रेस को वोट दीजिये तो ट्रेक्टर फैक्टरी लग जायगी। इसके बाद मथुरादासजी माथुर ने प्रयत्न किये, उनका भी प्रयास सफल नहीं हो सका और उसके बाद मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला आये वे भी यह कह कर चले गये। क्या यह बहुत बड़ा धोखा नहीं है जिससे आपकी आत्मा तिलमिला उठे। बात प्रगतिशील की करें और हिन्दुस्तान में एक फ़िजा कायम करना चाहते हैं, लोकतंत्र कायम करना चाहते हैं क्या इसी रूप में आपका उद्देश्य धोखा देने का है।

आपके मंत्री महोदय फ्रान्स की ट्रिप करके आते हैं, आपके मंत्री महोदय जर्मनी की ट्रिप करके आते हैं सालों कारस्पोन्डेन्स होती है और उसके बावजूद कोई तरीका नहीं निकाल सकते कि क्या वाया मीडियां हो सकता है और किस प्रकार यह फैक्टरी स्थापित हो सकती है। क्या जो घोषणा करते हैं उसे ही आप बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हैं? कोई इस प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है कि ट्रेक्टर फैक्टरी नहीं लगाई जा सके और नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर यह जहर की मीठी गोली क्यों दे रहे हैं। Why do you believe in slow poisoning?

Why don't you come straightaway and say that it was a hollow slogan made at the time of elections?

ऐसा आप क्यों नहीं कहते हैं। आज भी आप कहते हैं, मैं तो सोचता हूं राज्यपाल महोदय के भाषण के बाद आप इन्कार कर देंगे और स्पष्ट रूप से कहेंगे लेकिन फिर वही बात कि विचाराधीन मामला है जैसा कि पेन्शनर्स के बारे में कह दिया, जैसा कि शिक्षकों के लिये कह दिया। हर चीज को कोल्ड स्टोरेज में डालकर जनता को धोखा देते रहते हैं। मैं स्पष्ट आरोप लगाता हूं मंत्री मण्डल पर कि जोधपुर की जनता के साथ स्टेपमदरली ट्रीटमेंट कर रहे हैं और एक मात्र इन्डस्ट्रीज की जो घोषणा की है वह 15 साल से जानबूझकर नहीं लगा रहे हैं It is a well deliberated attempt the Government. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले आपने ट्रेक्टर फैक्टरी लगाने की घोषणा की, उसके बाद स्कूटर का कारखाना लगाने की घोषणा

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

की वह तिजारा में चली गई एक चुनाव के अन्दर मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार का जनता के साथ मखौल कर रहे हैं, जनता के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हैं। लोकतंत्री परम्पराओं को उनकी नजर से गिरा रहे हैं। मैं निवेदना करना चाहूंगा आपने जोधपुर के सारे मामलों को नजरन्दाज किया है। वहां के म्यूनिसिपल बोर्ड को 68 लाख रुपये मंजूर किये और 5-7 लाख रुपये मुश्किल से आपने दिये हैं। आप किसी प्रकार विकास जोधपुर नगर में नहीं करना चाहते हैं। जो काम मथुरादास जी ने शुरू किये वे भी नहीं हो रहे हैं जोधपुर की जनता के साथ धोखाधड़ी करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्पष्ट घोषणा करें यदि आप ट्रेक्टर फैक्टरी नहीं लगाना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से इन्कार कर दीजिये और यदि बोनाफाइड इन्टेंशन है तो काम शीघ्र शुरू कीजिये। दिल में कुछ और मुह में कुछ कह कर चलें तो यह डबल बात आपकी चलने वाली नहीं है और इस डबल बात के कारण ही जनता में आज असन्तोष पैदा होता है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहता हूं जोधपुर में यदि कोई इन्डस्ट्री नहीं लगाते हैं तो हमारे यहां मारबल का भण्डार है और यह मारबल हिन्दुस्तान में मशहूर है जिससे ताजमहल बना है तो क्यों नहीं आप मकराना के आस पास के क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करते? सारी दुनियां में यह मारबल जाता है और बहुत से लोग इस धन्धे में काम कर रहे हैं। आज वहां के मजदूरों का शोषण हो रहा है Why don't you nationalise the marble industries of Makrana मैं आपसे पूछना चाहता हूं लेकिन आप केवल घोषणा करने में विश्वास करते हैं और काम कुछ करना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि क्या आप जोधपुर के बारे में पांच साल से घोषणा करते आये हैं कि ट्रेक्टर फैक्टरी लगेगी उसको आप पूरा करना चाहते हैं या नहीं? या केवल जैसा कि आज सुबह प्रश्न आया था कि आपने नींव के पत्थर खड़े कर दिये कहीं मोहनलाल जी सुखाड़िया ने किये, कहीं मथुरादासजी ने किये, कहीं देवपुराजी ने किये और कहीं आपने किये और वह नींव के पत्थर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारे ऊपर लोग पेशाब कर रहे हैं, हमारे ऊपर गधे और दूसरे जानवर आकर लीद कर रहे हैं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आप इन नींव के पत्थरों को लगाकर जनता से वोट तो ले लेते हैं, उनको धोखे में डालकर अपना स्वार्थ तो सिद्ध कर लेते हैं लेकिन जो आने वाला इतिहास है और जो राजनीति के विद्यार्थी होंगे वह आपको कभी नहीं बखशेंगे और वह कहेंगे कि आपने राजस्थान की जनता के साथ धोखाधड़ी की है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारे यहां इन्डस्ट्रियल एरिया में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य बतायेंगे कि वह किस साइज का है वह 10 फुट बाई 20 फुट का होगा। मैं जानना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ी ही इन्टरेस्टिंग बात है। दुनिया की एग्जीबीशन हुई दिल्ली में। जहां राजस्थान ने भी स्टाल लगाया बहुत बड़ा और हवामहल का दृश्य उसके बाहर था और उस स्टाल के अन्दर 50 फुट बाई 50 फुट का बहुत बड़ा ट्रेक्टर का फोटो लगाया और उसमें बताया गया कि यह राजस्थान का ट्रेक्टर है जो कि राजस्थान में बन रहा है। इतनी बड़ी धोखाधड़ी की राजस्थान की जनता के साथ,

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
जोधपुर की जनता के साथ और दुनिया की जनता के साथ। आपके सारे एग्रीमेंट फेल हो चुके थे। जब आप ट्रेक्टर बना नहीं सकते और लोगों को रोजगार प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर इतना बड़ा चित्र वहां पर क्यों लगाया ? अब कहां है वह ट्रेक्टर ? यह भी आप बतायेंगे कि आज तक एग्रीकल्चरल एण्ड इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के द्वारा इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना खर्चा हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर एक अधिकारी को भेजा गया श्री एन० एस० भण्डारी को और उनका आफिस लगा और यह प्रचार हुआ कि ट्रेक्टर फैक्टरी लग रही है। वह आफिस लगाकर बैठ गये और फिर उसके बाद 'वन फाइन मार्निग' उनको वापिस बुला लिया गया। मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस स्थिति को स्पष्ट करें और मुझे विश्वास है कि सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य भी इस बारे में अपने विचार प्रकट करेंगे और बतायेंगे कि यह मामला कितना महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री गुमानमलजी लोढ़ा ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हुआ राज्य सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जोधपुर डिविजन का जो मुख्यालय जोधपुर शहर में है और पहले जो जोधपुर स्टेट का मुख्य शहर जोधपुर शहर है उसकी अवहेलना न करके सारे जोधपुर डिविजन की औद्योगिक दृष्टि से राज्य सरकार ने अवहेलना की है। मैंने प्रगति विवरण उद्योग विभाग एवं राजकीय संस्थान का अध्ययन किया और यह पाया कि राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन ने जो भी प्रोजेक्ट्स स्थापित करने जा रही है और जो आशयपत्र याने लेटर ऑफ इन्डेन्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट 13 प्राप्त किये हैं उनमें से एक भी जोधपुर में लेटर ऑफ इन्डेन्ट और एक भी फैक्टरी, एक भी उद्योग जोधपुर डिविजन में स्थापित करने के लिए नहीं है। 5 अलवर में, 2 जयपुर में, 1 सवाई माधोपुर में, 1 डूंगरपुर में, 1 बांसवाड़ा में और जोधपुर डिविजन में यों कहें कि पश्चिमी राजस्थान की बिलकुल ही अवहेलना की गई है और यहां तक कि जो राजस्थान वित्त निगम है और जो विशेष तौर से इन्डस्ट्रियल क्षेत्र के लिए लोन देता है उसके लिए भी जयपुर के लिए 42 परसेन्ट लोन दिया गया शुरू से लेकर 1974 तक। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए 24.5 परसेन्ट और बाड़मेर और जैसलमेर के लिए तो 2 परसेन्ट या 1 परसेन्ट भी नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से जो राजस्थान वित्त निगम है और जो इन्डस्ट्रियल परपजेज के लिए लोन डिस्ट्रिब्यूट करता है उसमें से हमारे पश्चिमी राजस्थान की अवहेलना की गई है....

श्री उपाध्यक्ष : मैटर इन इश्यू पर आइये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ...इस फैक्टरी के बारे में, स्कूटर फैक्टरी के बारे में भी आपने घोषणा की। मैं बराबर सदन में सुन रहा हूं ट्रैक्टर फैक्टरी के बारे में कि राज्य सरकार की ओर से घोषणा की जा रही है लेकिन उसका कोई इम्पलीमेन्टेशन नहीं होता। तो यह जो अवहेलना करने का राज्य सरकार का दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन करना चाहिए और इन क्षेत्रों को भी विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों से मैं जो माननीय गुमानमलजी लोढ़ा ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है मैं समर्थन करता हूं।

Page No 82

(82)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेक्टर फैक्टरी के प्रश्न के बारे में, मैं कई बार कह चुका हूं और आज भी आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार की कार्यवाही हमेशा हाफ हार्टेड और हिपोक्रेटिक डिसीजन की तरह रही है। वहां जमीन ली गई इन्डस्ट्रियल एरिया में बोर्ड लगा दिया गया और एक कार्यालय खोल दिया गया, आफिसर आ गया और हम लोगों को इस भुलावे में रखा गया कि जोधपुर नगर जो कि राजस्थान में दूसरा नगर है जनसंख्या के हिसाब से और कहा गया कि जोधपुर में आटोमोबाइल इन्डस्ट्रीज लगेंगी। वहां रेडियेटर, पिस्टन, रिंग और पिन और कई चीजें जो कि आटोमोबाइल में काम में आती हैं जोधपुर में बनाई जायेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर में इन्जीनियरिंग कालेज में पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च होता है अतः हमारे वहां पर इन्डस्ट्रियल बेस भी है, वहां पर एजुकेशन बेस भी है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। शुरूआत में कहा गया कि फ्रेंच कम्पनी रिनाल्ट के साथ कालोब्रेशन किया गया है। उसके बाद मैं स्वर्गीय मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला साहब से मिला। उन्होंने कहा कि जरूर लगेगी। इसके पश्चात् मैं कई बार वित्त मंत्रीजी से मिला था। उन्होंने फाइल दिखाई और एक आस्ट्रियन ट्रेक्टर की बात सुनाई। फिर मैंने सुना कि एच०एम० टी० के साथ कुछ मामला हो रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वह जमीन दूसरे उद्योगों के लिए दी जा रही है। अब यह बताइये उपाध्यक्ष महोदय, कि इसके पीछे रहस्य क्या है। आप साफ शब्दों में कह दीजिए कि ट्रैक्टर फैक्टरी नहीं लगेगी। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि ट्रैक्टर की मांग नहीं रहेगी। कभी कभी कहा जाता है कि हमारी होल्डिंग छोटी होती जा रही है इसलिए ट्रैक्टरों की कम गुंजाइश है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज भी कहता हूं कि फरगूसन की काफी बड़ी फैक्टरी है और आज भी वह ट्रैक्टर अपनी कीमत से जो फैक्टरी की है उससे 30 हजार रुपये ज्यादा में बिक रहा है। अब आप ही बताइये कि ट्रैक्टर की मांग कैसे नहीं है। तो ट्रैक्टर तो पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा काम आता है क्योंकि देश में बड़ी बड़ी होल्डिंग्स वहां हैं। तो यह नहीं कहा जा सकता कि ट्रैक्टर की मांग नहीं है। मांग भी होगी, ट्रैक्टर्स भी चाहिएं लेकिन चाहे हमारी नीयत की नेक भावना। हमारे यहां जोधपुर में इतना बड़ा इन्डस्ट्रियल बेस है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यदि आपकी नेक नीयति पर विश्वास है और आज आप कृषि मंत्री हैं और एग्रीकल्चर इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आता है यदि आप आज विचार कर लें कि ट्रैक्टर फैक्टरी यहां लगनी चाहिए तो अवश्य लगेगी। लेकिन ट्रैक्टर फैक्टरी का तो मजाक बनाया जा रहा है। यह वास्तव में मजाक न रहे और वास्तविक चीज बन जाये तो आज मंत्री महोदय घोषणा कर दें। आपको कोलोब्रेशन मिल सकता है। अब कोलोब्रेशन के लिए विदेश की जरूरत नहीं है जैसा कि आपने कहा कि यहां दूसरे कोलोब्रेशन हैं, इंडियन इन्स्टीट्यूशन हैं, कलकत्ता की एजेंसीज हैं वह आपको दे सकते हैं, वे आपको ट्रैक्टर दे सकते हैं। अपने यहां पर सेंट्रल मेकेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक ट्रैक्टर डवलप किया है आप उनसे कोंट्रेक्ट कर सकते हैं। यह सब तो है लेकिन आप वास्तव में जोधपुर में ट्रेक्टर फैक्ट्री कायम करना चाहते हैं या नहीं यह मुख्य मुद्दा है। जब तक

(श्री अमृतलाल गहलोत)

हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हमारा अप्रोच सीरियस नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए आज आप यह घोषणा करें कि जोधपुर में ट्रैक्टर फैक्टरी लगाना चाहते हैं या नहीं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस मुझे इतना ही निवेदन करना है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गफ्फार अली ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो ट्रैक्टर फैक्टरी लगाने का मकसद था वह यही था कि उस क्षेत्र का विकास किया जावे और वहां के लोगों को रोजगार मिले । तो अगर यह उस स्थिति में 9 साल का अर्सा गुजर गया ...

श्री लक्ष्मणसिंह : 15 साल हो गए ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : पांच साल सही। दूसरी चीज यह है कि क्या ऐसे जो अनडवलप एरियाज हैं उन क्षेत्रों में इसका विकास हो, उसमें फैक्टरी लगें, कारखाने लगें, वहां के लोगों को रोजगार मिले, इन तमाम बातों के लिए एक परमानेंट बोडी क्रियेट करने के बारे में आप सीरियस हैं जिससे जो इम्बेलेंस ह वह खत्म हो और वहां का विकास हो।

तीसरी चीज मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि यह आपने जो कहा कि 25 हार्स पावर का तो उपयोगी नहीं है और 55 हार्स पावर का बनाने को कहते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि 55 हार्स पावर का ट्रैक्टर बनाने में भी क्या चिंता है । क्या वह तमाम ट्रैक्टर यहीं पर एब्जार्ब होंगे । उस इलाके का विकास हो, रोजगार मिले लोगों को तो 55 हार्स पावर का ट्रैक्टर बनाने की आप अपनी कन्सेन्ट क्यों नहीं देते हैं। और फिर चौथा सवाल यह है कि अब आप कब तक इस चीज पर अपना फैसला सुना देंगे या पन्द्रह साल और लगाना चाहते हैं। अगर उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह मसला हल हो जावे, हमारे इन एरियाज में इण्डस्ट्री वगैरा लग जावे तो जो अण्डर डवलप एरिया हैं, हाई कोर्ट के बारे में जो मसला है वह हाई कोर्ट का मसला वैसे ही तय हो जाएगा क्योंकि इससे हजारों मजदूरों को काम मिलेगा और इससे वह मसला भी हल हो सकता है । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा खेद होता है कि जो अण्डर डवलप्ड एरिया हैं उसको आप ओनेस्टली, ईमानदारी के साथ डवलप नहीं करना चाहते हैं । अब यह जो ट्रैक्टर फैक्टरी कायम करने का प्रश्न है इसका शिड्यूल क्या है आपकी नजर में और अब कब तक लगाने की तैयारी है ? आपकी बातचीत जारी है 15 साल हो गए हैं लेकिन अब कब तक फैसला कर देंगे इसकी कोई सीमा मुकर्रर करें कि किस वक्त तक यह मसला हल हो जावेगा और जोधपुर में ट्रैक्टर फैक्टरी लग जावेगी। अगर वहां पर ट्रैक्टर फैक्टरी नहीं लगती है तो और कौनसी आल्टरनेटिव फैक्टरी या कौनसा कारोबार दूसरा लगाने को तैयार हैं, यह बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : यह जोधपुर में ट्रैक्टर फैक्टरी लगाना चाहते हैं, मैं इसके पक्ष में हूं । क्या आपने यह घोषणा करने से पहले आपने कोई फैक्ट फाईन्डिंग कमेटी, कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, कोई लोकल टेलेंट के मार्फत मालूम किया था कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या इसकी पोजीशन होगी इसके बारे में सारे

(श्री केदारनाथ)

फैक्ट्स इकट्ठा करने के लिए आपने कोई कमेटी बनाई थी इस घोषणा को करने से पहले । और आपने फौरन कण्ट्रीज से कोलोबोरेशन सीक करने के लिए किया कहां फैक्टरी लगाई जाय, क्या उसकी यूटिलिटि है, क्या उसके रिसोर्सेज होंगे, कितनों को रोजगार मिलेगा क्या आपने इसकी जानकारी की थी घोषणा करने से पहले। राज्य सरकार ने हमारे यहां हनुमानगढ़ में फर्टीलाईजर फैक्टरी लगाने की घोषणा कर दी वह भी गायब । माननीय वित्त मंत्रीजी ने, मुझे याद है, अपनी बजट स्पीच में इसकी घोषणा की थी कि जोधपुर में ट्रेक्टर फैक्टरी लगेगी और बराबर लगातार तीन साल तक रिपीट करते रहे। पहले कहते रहे कि फ्रांस से कोलोबोरेशन हो रहा है, कभी कहा कि जर्मनी के साथ कोलोबोरेशन हो रहा है लेकिन आज स्थिति यह है कि वह फैक्टरी लग नहीं रही है । जब आपने घोषणा कर दी, हम इस पक्ष में हैं कि चाहे राजस्थान में वह उपयुक्त स्थान है या नहीं लेकिन जब आपने जोधपुर के लिए अपनी घोषणा कर दी तो फर्स्ट क्लेम जोधपुर का हो गया और जोधपुर में यह ट्रेक्टर फैक्टरी लगनी चाहिए

(कई माननीय सदस्यों के साथ साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । श्री लक्ष्मणसिंह ।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आखिरकार यह ट्रेक्टर फैक्टरी जोधपुर में खोलने की समस्या आपके विचाराधीन पिछले पन्द्रह साल तक रही । आपने कई बार कहा कि आपका इरादा है फैक्टरी लगाने का । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि 15 साल तक यह योजना विचाराधीन क्यों रही । इसके कारण तो होने चाहिएं वह कारण स्पष्टतया मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें । और रीजनल इम्बेलेंस का जहां तक सवाल है वह तो मेरे खयाल से क्षेत्रीय भावना के आरोप बराबर यहां पर सदन के अन्दर आए हैं और जो भी पश्चिमी राजस्थान के सभी सम्माननीय सदस्य इधर के हों चाहे उधर के हों उन्होंने बराबर इस बात को कहा है कि राजस्थान में बड़ा लोपसाईडेट डवलपमेंट हो रहा है । इसके बारे में मेरा भी आरोप है कि इसके लिए राजस्थान का मंत्रिमंडल जिम्मेदार है और ऐसी फ्राडुलेंट एक्टीविटीज में इण्डल्ज होना छोड़ कर और जो फ्राड और धूतक हो रहा है उसको हटायें और जो कुछ भी कारण हों स्पष्टतया सदन को विश्वास में लेकर साफ तौर पर कहिए, ताकि हमको यह मालूम हो कि आप गुनहगार हैं या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हाण्डा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर में ट्रक्टर फैक्टरी का कमिट्मेंट आज का नहीं बहुत पुराना है और अभी माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से मालूम होता है कि अभी . . .

श्री उपाध्यक्ष: उत्तर सुना था क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पूर्णतया सुना था आपके चेम्बर में बैठा हुआ एक एक शब्द सुन रहा था ।

श्री केदारनाथ : चेम्बर वाली बात भी खूब है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वहां अधिक शांति से सुन रहा था। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यही था कि क्या राजस्थान सरकार हर बड़ी फैक्टरी जो कि उसके प्रदेश में लगने वाली है उसके सम्बन्ध में पिटती रहेगी। आयल रिफाईनेरी का प्रश्न था, वह मथुरा में रह गई लेकिन इस आयल रिफाईनरी के प्रश्न पर मुखर्जी कमेटी ने सन् 1960 में अपनी रिपोर्ट दी और आसाम, बिहार की सरकारों ने अपने रेजिग्नेशन सब्मिट कर दिए। वहां आयल रिफाईनरी नहीं लगी।

इसके बाद पलाना के बारे में फैक्ट फाईंडिंग रिपोर्ट है। रशियन एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है कि पलाना में ओपन कास्ट की जा सकती है लेकिन उस रिपोर्ट के बाद में भी पलाना में ओपन कास्ट करने के लिए आपकी तैयारी नहीं है। इसी तरह से जैसलमेर में आयल के बारे में रूमानियन एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है। कोई कारण नहीं है कि वहां पर आयल का एक्सप्लोरेशन शुरू न कर दिया जावे या इसी प्रकार हनुमानगढ़ में फर्टीलाईजर फैक्टरी का सवाल है। आज जो आपके यहां राक फास्फेट है, पायराइट है, मैग्नाइट है और जिप्सम है, ये चारों चीजें विश्व में राजस्थान के अन्दर सबसे अधिक हैं। लेकिन आपका कमिटमेंट वह फर्टीलाईजर फैक्टरी हनुमानगढ़ में लगाने की बात थी उसको भी समाप्त कर दिया और उसके बाद आयल की कीमतें बढ़ने के बाद और इन सारी चीजों के बावजूद भी आपका कोई भी डिसेंट्रेशन फुलफिल नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं इस प्रश्न पर मंत्री महोदय से स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं कि क्या आप कोई बड़ी इंडस्ट्री सेंट्रल एड से सोशलिस्टिक कण्ट्रीज की एड से या और किसी से एड लेकर राज्य सरकार लगाने के बारे में तनिक भी सीरियस है? आपकी लेदर टैनरी का प्रश्न टोंक में लगाने का बहुत लम्बे अर्से तक चला और जिसमें लाखों का घाटा हुआ और वह फैक्टरी आज भी फंक्शन कर पाये ऐसी स्थिति नहीं है। आपकी पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी की, एस्टीमेट कमेटी की और आपके पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी की रिपोर्टों के भंडार भरे हुए हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अब समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपका बीट प्लाण्ट, तीन करोड़ रुपये खर्च कर कामन डीफ्यूजन प्लाण्ट गंगानगर में लगाया। आपने बड़े गर्व के साथ घोषणा की कि संसार में कहीं पर भी नहीं है वैसा कामन डीफ्यूजिंग प्लाण्ट बीट और शुगरकेन को क्रेश करने का गंगानगर में लगाया है लेकिन आज लाखों टन आपका बीट हर साल गटर में डाला जाता है और आपका यह प्लान सारा का सारा फैल्योर हो गया। आज ट्रैक्टर फैक्टरी के सम्बन्ध में आपकी इस तरह की गंभीर दुर्लक्ष्य स्थिति है। 25 होर्स पावर और 55 होर्स पावर के चक्कर में आज भी आपका कोई काम फाईनल नहीं हो रहा है। यह निश्चित नहीं है कि ट्रैक्टर फैक्टरी लग पायेगी या नहीं। मैं तो केवल मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपकी मंशा क्या है। राज्य सरकार ने अपने में मिलाने में तो 150 कर लिए, 142 से 150 कर लिए, आठ सदस्य और सम्मिलित कर लिए। आपके मंत्रिमण्डल के विकास की बात भी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

चल रही है। सम्भव है कि विकास हो या न हो मेरा सम्बन्ध नहीं है लेकिन राज्य सरकार को इण्डस्ट्री लगाने के सम्बन्ध में या किसी भी अन्तर-प्रान्तीय प्रश्न पर आपके मंत्रिमण्डल की सदैव कम्पलीट डिफीट हुई है और आज तक राज्य सरकार किसी भी इण्डस्ट्री को प्रोफिट में दे सकी हो, आपकी मनःस्थिति इस प्रकार की नहीं है और भारत सरकार से संघर्ष करके इसको प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : आपका नम्बर नहीं है।

श्री केसरीमल : मैं कुछ पूछना चाहता हूं, मुझे कुछ कहना है इसके बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूछ लीजिये, क्या पूछना चाहते हैं, प्रश्न के रूप में।

श्री केसरीमल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार की फैक्टरी लगाने की पहले घोषणा करती है तो क्या वह उसके सम्बन्ध में सारी वैज्ञानिक शोध, उसकी जांच पड़ताल और सारी स्थिति का अच्छी तरह से अध्ययन करती है या नहीं करती है, जैसे जोधपुर में ट्रेक्टर का कारखाना लगने की बात है तो वहां पर ट्रेक्टरों की आवश्यकता है या नहीं, कारखाना वहां लगा सकेंगे या नहीं उसके लिये वहां पर साधन हैं या नहीं इन सारी बातों की जांच की गई और सब बातों का पता लगाया गया इसके बाद भी क्या कारण है कि अभी तक फैक्टरी नहीं लगायी गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ही कई जगह उद्योग लगाने की बात होती है जिन पर इस सदन में चर्चा ....

श्री उपाध्यक्ष : इन्डस्ट्री पर बहस नहीं है।

श्री केसरीमल : मैं उद्योग पर बहस नहीं कर रहा, मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा क्या कारण है कि चाहे ब्यावर में सीमेन्ट फैक्टरी लगाने का सवाल हो चाहे पाली में सीमेन्ट फैक्टरी लगाने का सवाल हो, उसकी घोषणा कर दी जाती है और फिर उसको छोड़ दिया गया है, पहले कैसे इसको स्वीकार कर लेते हैं और बाद में किस कारण से उसको नहीं लगाते हैं। पाली में किस कारण से नहीं लगाई, क्या वहां पर रॉ मैटीरियल नहीं है क्या लाइमस्टोन नहीं है, बहुत पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से आप यह कह सकते हैं कि जोधपुर में ट्रैक्टर बिकेंगे नहीं लेकिन सीमेन्ट के लिये तो यह बात नहीं लागू होती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार यह बतावे कि आखिर कौनसे कारण हैं इसके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री शिवचरण माथुर (खाद्य मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया था उसके सम्बन्ध में चर्चा होते होते छोटी-मोटी चर्चा उद्योग पर भी इस सदन में हो गई है। मैं समझता हूं कि सारी बातों का उत्तर देना मैं आवश्यक भी नहीं समझता हूं और यह

(श्री शिवचरण माथुर)

संभव भी नहीं है। इसलिए मैं अपना उत्तर जोधपुर में ट्रेक्टर की फैक्टरी लगाने सम्बन्धी तक ही सीमित रखूंगा और यह कहना चाहूंगा कि एक बात यह कही गई इस फैक्टरी को लगाने के बारे में कि राजस्थान सरकार ने इसके लिए 15 साल पहले आश्वासन दिया था, यह बिल्कुल गलत है। सबसे पहले औपचारिक रूप से इस फैक्टरी की घोषणा की गई 1970 की बजट स्पीच में, इस तरह से इसको कुल पांच साल हुए हैं। वैसे भी केबिनेट का डिसीजन दिसम्बर, 70 में हुआ कि जोधपुर में यह फैक्टरी लगाई जाय और इसके साथ ही फैक्टरी के लिये एस्टीमेट आदि बनाने की कोशिश की गई और जैसा कि मैंने बताया फ्रान्स की एक फर्म से हमने नेगोसियेशन्स किये और उनके साथ एग्रीमेन्ट भी किया। एग्रीमेन्ट करने के बाद में उस फर्म ने कुछ शर्तें इस प्रकार की हमारे सामने रखीं जो कि हमारे हित में नहीं थीं, इसलिये इस समझौते को समाप्त कर दिया गया। जनवरी में एक दूसरी फर्म के साथ हमारी बातचीत आरम्भ हुई लेकिन उसके जो टर्म्स थे वे भी हमारे हित में नहीं होने के कारण यह विचार स्थगित करना पड़ा। इसके बाद फरवरी, 72 में उसको पोस्टपोन किया गया। फिर एक दूसरी फर्म आस्ट्रेलिया की, जिसके कोलोबोरेशन में हिन्दुस्तान में कारखाना है, 1973 में हमारे नेगोसियेशन्स शुरू हुए, वह फैक्टरी 18 होर्स पावर के ट्रेक्टर बनाने के लिये तैयार हुई। इस तरह के ट्रैक्टर्स की राजस्थान में फिजिबिलिटी की और कोमर्शियल पाइन्ट आफ व्यू से सारी बातें सोची गईं और इसकी टैक्निकल नो-हाऊ को देखा गया तो यह पाया गया कि 18 होर्स पावर की शक्ति के ट्रेक्टर राजस्थान की भूमि पर कहीं भी काम नहीं दे सकते, केवल कुछ इलाके को छोड़कर बाकी कहीं भी उपयोग में नहीं लाये जा सकते। इसलिये इसको भी रद्द कर दिया गया। उसके बाद में हमारे वैज्ञानिकों ने, टैक्निकल ऑफिसर्स ने यह सोचा कि हिन्दुस्तान में ही इसकी टैक्निकल नो-हाऊ को डवलप किया जा सकता है इसलिए बजाय फोरिन कन्ट्री से कोलोबोरेट करने के हमारे देश में ही इस सम्बन्ध में काफी डवलपमेन्ट हो चुका है, क्यों नहीं उसी को आधार बनाया जाय। इसके अलावा जैसा कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उस फर्म से भी हमारी बातचीत हुई परन्तु उसके टर्म्स भी हमको सूट नहीं कर रहे थे, हमारे हित में नहीं थे। फिर हमने सोचा कि एच० एम० टी० से बातचीत की जाय और यह सोचा गया कि उसको 25 होर्स पावर की शक्ति के ट्रेक्टर बनाने के लिये कहा जाय। उसमें उनका कहना यह था कि उनका कारखाना बिन्जौर नामक कस्बे में है जहां 12 हजार ट्रेक्टर पर ईयर बनाने की क्षमता है, इस क्षमता तक तो किसी भी दूसरे आर्गेनाइजेशन से इस प्रकार के कोलोबोरेशन में वह स्थापित नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो 55 होर्स पावर की शक्ति के ट्रैक्टर बनाने के लिये कोलोबोरेशन कर सकते हैं। इतने सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी लोगों में यह भ्रम फैलाया जाय और यह कहा जाय कि 15 साल पहले आश्वासन दिया था, यह गलत बात है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : 67 के चुनाव में सुखाड़ियाजी ने घोषणा की थी।

श्री शिवचरण माथुर : यह मुझे याद नहीं है, फिर भी चुनाव दो साल बाद आये हैं। इसके सम्बन्ध में जोधपुर के निवासियों को भ्रम में नहीं डालना चाहिए, राजस्थान सरकार की मंशा ऐसी नहीं है, हमने जो कुछ भी कहा है, उसको अमल करने के लिए हमें दृढ़ प्रतिज्ञा हैं और वोट लेने की बात भी गलत है। लेकिन मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार की कई दिक्कतें हमारे सामने आती हैं, आपको भी मालूम होता तो कहते कि हिन्दुस्तान में ही अपनी जानकारी के आधार पर और हमारे देश के वैज्ञानिकों की जानकारी के आधार पर फैक्टरी लगाने के लिये साधन हैं तो आप ही एतराज उठाते और आप ही इस बात की चर्चा करते कि फोरिन से कालोबोरेशन क्यों किया। इसलिए मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार चाहे इसमें थोड़ी देर करने हो सही, एक ठोस आधार पर फैक्टरी लगाने की जो बात कही गई है वह गलत नहीं है और मैं कहना चाहता हूं कि फैक्टरी निश्चित रूप में जोधपुर में ही लगाना चाहते हैं और एच० एम० टी० से बातचीत चल रही है और माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस सत्र के समाप्त होने के बाद बंगलोर जाकर बातचीत करूंगा और 25 होर्स पावर और 55 होर्स पावर दोनों के बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जायगी। अगर इस तरह का कालोबोरेशन हो सकता है तो मैं समझता हूं कि यह एक अच्छी बात है और माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये एक बात और निवेदन कर दूं कि एच० एम० टी० से हमने ट्रैक्टर के लिये 50 लाख रुपये के पार्ट्स बनवाये हैं और दो करोड़ के लिये और आर्डर दिया है। उनसे हमारा अच्छा सहयोग रहा है और हमारी अच्छी बातचीत चल रही है और मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से हमको इसमें सफलता मिलेगी और इसके लिये पूरी चेष्टा की जायगी। हम आज भी अपने निर्णय पर दृढ़ हैं। जोधपुर में ही इसका कारखाना लगाया जायगा इस निर्णय को बदला नहीं गया है और हमारी यही भावना है कि बात जो कही गई है उस पर अमल किया जाय।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इतना तो बता दें कि इस साल के आखिर में तो कारखाना लग जायगा ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपको कोई तारीख तो नहीं दे सकता लेकिन जो कुछ भी राजस्थान के हित में होगा, इतना कह सकता हूं कि बहुत ही शीघ्र लगाया जायगा। इसलिए बाद में यह सवाल आये कि ऐसा कहा गया था और अन्त में भी नहीं लगाया जा सका और पहले इसकी व्यवहारिकता को क्यों नहीं सोचा गया, उचित नहीं है। सारी बातों को देखकर, सारे आस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए जल्दी ही कोशिश की जायगी, इससे माननीय सदस्य को प्रसन्न होना चाहिए यह कोई आलोचना का सवाल नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि अपने ही क्षेत्र में इस तरह की गलत भावना पैदा करने की कोशिश करते हैं। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर यह कहा कि राजस्थान सरकार क्षेत्रीय असन्तुलन को पैदा कर रही है और जोधपुर तथा जोधपुर डिविजन में कोई काम नहीं किया जा रहा है। शायद वे यह नहीं जानते हैं। राज्य सरकार के पास इसके पर्याप्त आंकड़े हैं····

श्री श्रीराम गोटेवाला : आंकड़े के जाल में आप नहीं पड़ें तो अच्छा है, हमारे पास भी आंकड़े हैं····

श्री शिवचरण माथुर : मैं भी आंकड़े दे सकता हूं सरकार की ओर से पूरी जानकारी मिल सकती है परन्तु मैं तो यहां पर अपने विभाग की सीमित जानकारी ही देना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान में जितना ··· (शोरगुल) ···· सुनिये ·····

श्री श्रीराम गोटेवाला : ये सारे आंकड़े रहने दें।

श्री शिवचरण माथुर : आपको जानकारी होगी कि जोधपुर में डेयरी का प्लान्ट लग रहा हैं और प्रारंभ हो गया हैं। जितनी डेयरियां हैं, चिलिंग सेन्टर हैं, वे सबसे पहले जोधपुर डिविजन में ही कमीशन्ड होंगीं। जोधपुर के जितने चिलिंग प्लान्ट हैं वे सबसे पहले वहां पर लगने वाले हैं। इसी तरह से बालोतरा का चिलिंग प्लान्ट कम्पलीशन पर है····

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : औद्योगिकरण की दृष्टि से कुछ नहीं किया गया है।

श्री शिवचरण माथुर : यहां उद्योग नहीं हैं। यह बात ठीक हो सकती है। परन्तु जहां जिसकी संभावना होती है, वही उद्योग वहां पर लगाया जा सकता है। राजस्थान कैनाल का पानी गंगानगर ही ले जाया जा सकता है। आप कहें कि उसे बांसवाड़ा ले जाया जाये तो नहीं ले जाया जा सकता। इसी प्रकार हिन्दुस्तान जिंक का कारखाना स्मेल्टर उदयपुर ही लगाया जा सकता है, बाड़मेर में नहीं लगाया जा सकता है। इसी तरह से रॉकफास्फेट का कारखाना जहां पर रॉकफास्फेट की माइन्स हैं, उसके आसपास ही लगाया जा सकता है, वह भरतपुर में नहीं लगाया जा सकता, बाड़मेर में नहीं लगाया जा सकता है····

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप गलत मुद्दे उठा रहे हैं। राकफास्फेट, पाइराइट्स पर सदन की भावनाएं दूसरी हैं और यह मुद्दा दूसरा है। आप बेकार ही इस पचड़े में पड़ रहे हैं। आप तो जोधपुर में ट्रैक्टर कारखाना लगाने की बात कह दीजिये····

श्री शिवचरण माथुर : लेकिन माननीय सदस्यों ने यहां पर जो दूसरे प्रश्न उठायें हैं, उनका उत्तर देना भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। एक तरफा बात कही जाये यह अच्छा नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ट्रैक्टर का कारखाना एच०एम०टी० से बढ़िया और कोई नहीं लगा सकता। आप उनकी सहायता ले लीजिये और साथ में अमृतलालजी गहलोत को भी ले जावें, उनको भी इसका अनुभव है···

श्री गुमानमल लोढ़ा : गोटेवालाजी को भी साथ ले जावें!

श्री श्रीराम गोटेवाला : घोटाला हो जायेगा।···

श्री गुमानमल लोढ़ा : घोटाला बाद में देख लेंगे····

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ट्रैक्टर फैक्टरी जोधपुर में लगे, इसके लिए जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

बाड़मेर नगर बिजलीघर के डीजल सेट खराब होने से विद्युत् की अव्यवस्था

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत बाड़मेर नगर बिजलीघर के डीजल सेट खराब होने से विद्युत् की अव्यवस्था होने के संबंध में मैं विद्युत् मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रासिंह !

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ।

आपका ध्यान गया अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर नहीं है ?

(विराम)

श्री रामानन्द अग्रवाल : ट्रैजरी बेन्चेज पर जाकर बोलेंगी ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह उनकी पुरानी जगह रही है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी मोह नहीं गया है ?

झुंझुनू जिले में बिजली की व्यवस्था में गड़बड़ी

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत मैं विद्युत् मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि पिछले 20-25 रोज से झुंझुनू जिले में बिजली की व्यवस्था में बहुत ही गड़बड़ी हुई है और उसके कारण वहां पर एक बार हंगर स्ट्राइक भी हो गई और बीच-बचाव करके किसी तरह से अनशनकारियों को हटाया गया । उसके बाद वहां का एक डेपूटेशन भी विद्युत् मंत्री से मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका स्टेटमेंट तो बाद में होगा, पहले आप मंत्री महोदय का ध्यान तो आकर्षित कर दें ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : इसलिए इस समस्या की ओर मैं मंत्री महोदय का, विद्युत् मंत्री का ध्यान आकर्षित करती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : विद्युत् मंत्रीजी !

श्री हीरालाल देवपुरा (विद्युत् मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बाड़मेर में एक डीजल सेट की खराबी, विद्युत् की अव्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित किया है । इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति इस प्रकार है:—

बाड़मेर पॉवर हाउस में वर्तमान में तीन 1000 के०वी० के डीजल सेट्स चालू हालत में थे । बाकी सेट्स पुराने होने के कारण चालू हालत में नहीं हैं । इन तीनों सेट्स में से भी दिनांक 12-1-75 को 1000 के०वी०ए० सेट क्रैंक शाफ्ट के टूट जाने के कारण बेकार हो गया । बचे हुए 2 सेट्स में से एक सेट केवल 500 के०वी०ए० का भार ही वहन कर सकता है तथा दूसरा सेट सिर्फ 200-250 किलोवाट का भार ही 2-3 घंटे प्रतिदिन ले सकता है । इसलिए उपरोक्त एक सेट के खराब हो जाने के कारण बाड़मेर में बिजली की कुछ अव्यवस्था हो गई थी तथापि इस अवधि में आपतकालीन सेवाओं को बिजली दी जाती रही थी ताकि जनता को अधिक असुविधा न हो ।

बाड़मेर में बिजली की उपलब्धि में कुछ राहत पहुंचाने के लिए एक 33 के०वी० लाइन बालोतरा से खेंची गई है । इस लाइन को 8 फरवरी, 1975 को चालू कर दिया

(श्री हीरालाल देवपुरा)

गया है। इस लाइन के चालू हो जाने पर बाड़मेर में पुनः 24 घंटे बिजली दी जाने लगी है हालांकि दिन में विशेषतया जब कभी राजस्थान अणु शक्ति केन्द्र से बिजली मिलनी बन्द हो जाती है, वोल्टेज की समस्या उत्पन्न हो जाती है। खराब सेट को ठीक कराने के लिए विदेशी सामान का आयात करना है जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ताकि सेट को जल्दी ही ठीक किया जाकर काम लिया जा सके।

इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, झुंझुनू से आने वाली माननीय सदस्या ने झुंझुनू जिले में बिजली की अव्यवस्था के संबंध में ध्यान आकर्षित किया है। इस सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

झुंझुनू और चिड़ावा क्षेत्रों को बिजली खेतड़ी से एक 33 के०वी० लाइन द्वारा दी जाती है। रबी फसल में कृषि भार अधिक बढ़ जाने से इस लाइन पर बहुत अधिक भार बढ़ गया जिसकी वजह से स्टेगरिंग करना आवश्यक हो गया। स्टेगरिंग इस प्रकार से किया गया है कि कृषि उपभोक्ताओं को 12 से 18 घंटे प्रतिदिन बिजली मिल सके। इस समयावधि को बढ़ाने का प्रयास भी किया गया परन्तु ऐसा करने पर पाया गया कि वोल्टेज बहुत गिर जाते हैं जिसके कारण इस क्षेत्र में इससे अधिक समय प्रतिदिन बिजली देना संभव नहीं हो सका।

खेतड़ी से सुलताना तक एक अन्य 33 के०वी० लाइन है जिस पर 1.5 व .5 एम० वी० ए० क्षमता के दो ट्रान्सफार्मर्स सुलताना में लगे हुए थे। वोल्टेज में सुधार करने की दृष्टि से इस लाइन का भी उपयोग चिड़ावा और झुंझुनू क्षेत्र में बिजली देने के लिए किया जा रहा है। इस प्रबन्ध के फलस्वरूप चिड़ावा, झुंझुनू और पिलानी क्षेत्र में सामान्य वोल्टेज पर प्रतिदिन 12 से 18 घंटे बिजली चालू रखना सम्भव हो सका है।

15 फरवरी से इस क्षेत्र में लोड अधिक बढ़ जाने के कारण सुलताना पर लगे .5 एम० वी०ए० ट्रान्सफार्मर की जगह 1.5 एम०वी० ए० का एक दूसरा ट्रान्सफार्मर लगा दिया गया था। 12 मार्च, 1975 को सुलताना में लगे इस नये 1.5 एम०वी०ए० के ट्रान्सफार्मर में कुछ तकनीकी खराबी हो जाने के कारण इस क्षेत्र में जहां स्टेगरिंग चालू नहीं था वहां भी स्टेगरिंग करना आवश्यक हो गया। स्टेगरिंग की व्यवस्था की सूचना उपभोक्ताओं को दे दी गई थी। सुलताना में दूसरा ट्रान्सफार्मर भिजवा दिया गया है जो दिनांक 25-3-75 को चालू भी हो गया है। इस ट्रान्सफार्मर के पुनः चालू होने के बाद अब सुलताना क्षेत्र में बिना प्रतिबन्ध के 24 घंटे बिजली दी जाने लग गई है।

यहां यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि रबी फसल में जबकि कृषि भार अपनी चरम सीमा पर होता है, न केवल चिड़ावा, झुंझुनू व पिलानी क्षेत्रों में, अपितु करीब-करीब पूरे राज्य में ही स्टेगरिंग करना पड़ जाता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह बाड़मेर जिले का मुख्यालय बाड़मेर नगर है उसमें बिजली की अव्यवस्था के बारे में प्रस्तुत किया है। जो मंत्री महोदयजी ने अपना स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि एक जो डीजल सेट 1000 के० डब्ल्यू० कैपेसिटी का है वह सेट जनवरी 1975 से खराब हो गया है। दूसरा सेट जो 1000 के० डब्ल्यू० कैपेसिठी

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

का है वह 500 की क्षमता देता है और तीसरा जो है वह 200 को ही शक्ति देता है। तो उनके बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सेटों से किसी भी तरीके से विद्युत् की व्यवस्था हो नहीं सकती और किसी भी प्रकार से कोशिश भी करें तो 24 घंटे तो वह बिजली दे ही नहीं सकते।

दूसरा जो बयान में यह जिक्र किया कि 33 के०वी० लाइन की स्थापना से इस विद्युत् की व्यवस्था में कुछ सहायता मिली है। यह अवश्य है कि 33 के०वी० लाइन की स्थापना से विद्युत् की व्यवस्था में सहायता मिली है। परन्तु 33 के०वी० लाइन के आने से मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि शाम को 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक वोल्टेज बहुत वीक रहता है। 10 मिनिट बिजली आती है और बन्द हो जाती है, फिर 15 मिनिट आती है और बन्द हो जाती है, और वह जो समय है बहुत ही कार्य का समय होता है, बिजी पीरियड होता है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का उस समय बिजली की व्यवस्था ऐसी है। अब गर्मी के दिन आने वाले हैं तो यह जो सेट्स हैं आपके पास में यह किसी भी तरीके से व्यवस्था कर नहीं सकते और इन सेटों पर बाड़मेर नगर को पानी की व्यवस्था निर्भर है। बाड़मेर नगर की ही नहीं बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी पानी की व्यवस्था के लिए जो जलप्रदाय योजनाएं चल रही हैं वे भी निर्भर हैं। इसलिए इन डीजल सेटों को जिन पर बाड़मेर नगर की पानी की व्यवस्था तथा शिव, गूंगा और नीमली से शिव गूंगा की जलप्रदाय योजनाएं इन डीजल सेटों पर निर्भर हैं, और आज आपने जिन 7 गांवों का बतलाया था वह सभी इन योजनाओं पर निर्भर करते हैं, और इन डीजल सेटों की आज स्थिति ठीक नहीं है। तो मैं यह चाहता हूं कि पहले तो इन डीजल सेटों को आप कब तक इनमें स्पेयर पार्ट्स फिट करके इन डीजल सेटों को ठीक कर सकेंगे? दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं 7 वर्ष से विधान सभा में बराबर कहता आ रहा हूं कि यह डीजल सेट जो हैं सभी पुराने हैं। हमारे यहां 16 डीजल सेटों में से 12 डीजल सेट बिल्कुल फन्क्शन नहीं कर रहे हैं और तीन डीजल सेटों के बारे में आपने जिक्र किया है। 12 डीजल सेट तो अजायबघर में स्थापित हैं और तीन डीजल सेट का यह हाल है। इसलिए डीजल सेटों के बारे में मेरा यह कहना है कि आप स्पेयर पार्ट्स के बारे में क्या व्यवस्था करते हैं? दूसरा यह है कि नये डीजल सेट की जब तक व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक बिजली की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। तीसरा यह है कि 33 के०वी० लाइन से थोड़ा ही सहारा मिल सकता है। जब तक 132 के०वी० लाइन जो जिले का हैडक्वार्टर है और जिसमें जल-प्रदाय योजनाओं से पानी इसी विद्युत् से दिया जाता है और कुछ उद्योग भी स्थापित हुए हैं बाड़मेर के अन्दर, कवास के अन्दर मिक्स्ड फर्टीलाइजर और बाड़मेर के अन्दर दूसरी फैक्टरियां और भी स्थापित होने जा रही हैं इन सबके लिए और बालोतरा और सिवाना क्षेत्रों में जो चान्सेज हैं प्रोडक्शन के और सिंचाई के लिए कुएं वहां पर हैं, इन सबको देखते हुए जब तक 132 के०वी० लाइन की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक बाड़मेर टाउन में व्यवस्था नहीं हो सकती है। और मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि यह सीमावर्ती क्षेत्र है, जिले का हैडक्वार्टर है, वहां पर उत्तरलाई एरोड्रॉम है उसको भी बिजली इससे दी जाती है। मिलिटरी वालों को इससे बिजली दी जाती है और उनके पानी की व्यवस्था भी इससे की जाती है। अगर युद्ध हो जाय तो

Page No 93

(93)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

ग्रौर भी कठिन स्थिति पैदा हो सकती है। इन सबको दृष्टिकोण में रखकर एक तो नये डीजल सेट 1000 के० डब्ल्यू० की व्यवस्था करें ग्रौर स्पेयर पार्ट्स की व्यवस्था करें इमीजियेट रिलीफ के लिए ग्रौर 132 के०वी० लाइन की व्यवस्था करें। जल्दी से जल्दी लाइन की स्वीकृति लेकर कार्य शुरू करायें ग्रौर विद्युत पहुंचायें, यही मैं चाहता हूं। इस प्रकार से ग्राप विद्युत की व्यवस्था करके बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में ग्राप कुछ सन्तोष जनता को दे सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रासिंह !

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्रीजी को इसी 13 तारीख को झुंझुनू जिले में बिजली की ग्रव्यवस्था होने के बारे में निवेदन किया था। ग्राज 18 दिन के करीब हो गये। गनीमत यह हुई कि कुछ सुधारने का प्रयास तो किया है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि झुंझुनू जिला उन ज़िलों में से है जहां पर करीब 400 किसानों ने एडवान्स डिपॉजिट स्कीम के ग्रन्दर पैसा जमा कराया है ग्रौर बिजली के कनेक्शन लिए हैं। ग्राप जानते हैं कि साधारण काश्तकार खास-तौर से रेगिस्तानी इलाकों की ऐसी ग्रार्थिक हैसियत नहीं होती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको 20-25 हजार रुपये ग्रकेले ग्रादमी को एडवान्स डिपॉजिट में जमा कराने पड़े हैं ग्रौर उसके बाद उनको कनेक्शन मिले हैं, ग्रौर उनको फसल के पकाव के समय बिजली न मिले तो उसके 5 महीनों की मेहनत खत्म होने का खतरा होता है। उस वक्त उनकी बिजली में ग्रव्यवस्था हो जाय तो उनको बड़ी परेशानी हो जाती है। मैं दो दिनों से ग्रपने इलाके के कान्टेक्ट में नहीं थी, मुझे मालूम नहीं है कि कितना सुधार हुग्रा है, लेकिन मैं 24 तारीख की बात कह सकती हूं कि 24 तारीख तक तो बिजली की वैसी ही व्यवस्था चल रही थी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि ऐसी हालत एक जिले की ही नहीं दूसरे जिलों की हो सकती है। जब ग्रापके पास बिजली नहीं थी तो एडवान्स डिपाजिट स्कीम के ग्रन्दर कनेक्शन देने की क्या ग्रावश्यकता थी ? ग्रगर नहीं देते तो उनकी तबाही तो नहीं होती, बरबादी तो नहीं होती। कम से कम जितनी विद्युत ग्रापके पास उपलब्ध है, जिनको पूरी तरह से सप्लाई कर सकते हैं, ग्रापकी ट्रान्स-मिशन लाइन सुचारु रूप से ले जा सके उस हिसाब से देखकर ग्रागे भविष्य में काम करेंगे, वर्ना 5 महीनों की मेहनत की फसल बरबाद होती है। कुछ लोगों ने तो ग्रपनी महिलाग्रों के, स्त्रियों के जेवरात ग्रौर मकान गिरवी रखकर एडवान्स डिपॉजिट में पैसा जमा करवाया है। इस मौके पर बिजली का न केवल 17-18 चलना बल्कि कुछ घण्टों के लिऐ सप्लाई का बन्द होना भी बड़ा मायने रखता है। ग्राज भी हम 17-18 घंटे की सप्लाई की बात करते हैं तो क्यों न सुचारु रूप से कर सकें ग्रौर कम से कम 20-22 घंटे बिजली दी जा सके। क्योंकि ग्रब केवल एक पानी का सवाल है ग्रौर मैं समझती हूं कि एक पानी के बाद फसल पक जायगी तो चाहे उद्योगों की बिजली काटनी पड़े, प्राइवेट कन्ज्यूमर्स की बिजली कम करना पड़ें, उस सबको करके कम से कम कृषि को बिजली दी जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय विद्युत मंत्रीजी !

श्री हीरालाल देवपुरा : बाड़मेर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने ग्राज सवेरे प्रश्नकाल के वक्त में भी इस प्रश्न पर जोर दिया था कि

Page No 94

(94)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

बाड़मेर जिले की विद्युत् समस्या का हल करने के लिए वहां पर 132 के०वी० लाइन शीघ्र डाली जाय, और खास-तौर से वह इस समस्या को वहां की जल प्रदाय योजना से लिंक करके चलते हैं। मैंने प्रातःकाल प्रश्नकाल के समय में भी यही निवेदन किया था कि हम चाहते हैं कि बाड़मेर जिले में 132 के०वी० लाइन डाली जाय। जोधपुर से बालोतरा तक 132 के०वी० लाइन पंचम् पंचवर्षीय योजना में ले रखी है, लेकिन यह योजना तत्काल पूरी नहीं की जा सकती। उसमें समय लगेगा।

जहां तक जल प्रदाय योजनाओं के विद्युत् बेस का प्रश्न है अगर जन-स्वास्थ्य विभाग से जल प्रदाय योजनाओं को चालू रखने के लिए पैसा मिल जाता है तो हम उसको कतई ले सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं अन्यथा अभी जो राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान विद्युत् मण्डल की स्थिति है, उस स्थिति में यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि एक-दो वर्ष में इसको कर देंगे। यह सही है कि पंचवर्षीय योजना में बालोतरा में 132 के०वी० की लाइन खींच देंगे। जहां तक बाड़मेर में विद्युत् व्यवस्था का सवाल है, मैंने कहा कि वहां पर अव्यवस्था है, वहां पर जो डीजल सेट थे, उसमें से एक डीजल सेट खराब हो गया, इसलिए यह दिक्कत आयी है। लेकिन 9 फरवरी को 33 के०वी० लाइन पहुंच चुकी है, उसके बाद में सुधार आया है। इस 33 के०वी० लाइन से रात्रि में बाड़मेर को विद्युत् देते हैं और दिन में जो डीजल सेट चल रहे हैं, उससे बिजली देने की बात करते हैं। इसलिए जो माननीय सदस्य ने आपातकालीन स्थिति का प्रश्न उठाया है, मेरा निवेदन है कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि लोगों को असुविधा नहीं हो, लोगों को बिजली मिल सके और पानी मिल सके। हमारी कोशिश है, वहां जो डीजल सेट हैं उनको ठीक करने की ताकि उनका पूरा उपयोग ले सकें। लेकिन डीजल सेट के कई पार्ट्स फॉरिन से उपलब्ध करने हैं, वह उपलब्ध हो नहीं पाये हैं, इसलिये दिक्कत आ रही है। लेकिन हम प्रयत्नशील हैं कि जल्दी से वह पार्ट्स उपलब्ध करके उनमें जल्दी लगायें। दूसरा, डीजल सेट्स को बदलने का प्रश्न है। इसमें प्रश्न यह है कि हमारे पास कितने डीजल सेट हैं और कितना व्यय करके और डीजल सेट लगा सकते हैं---इस पर सोच कर हम कोशिश करेंगे ताकि विद्युत् व्यवस्था को ठीक कर सकें और कुछ पैसा लगाकर विद्युत् व्यवस्था को ठीक कर सकें-वह करने का प्रश्न है, वह हम करेंगे। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, मैंने बार-बार कहा है कि 33 के. वी. लाइन जोधपुर से बालोतरा और बालोतरा से बाड़मेर तक है, इसका काफी डिस्टेन्स होने की वजह से शाम के वक्त में हेवी लोड होता है और वॉल्टेज में फ्लक्चुएशन आ सकता है। मैं नहीं कहता कि फ्लक्चुएशन नहीं आता है। इसमें हम देखेंगे कि हम इसमें कितना सुधार ला सकते हैं। इसके साथ ही मैं विश्वास दिला सकता हूं कि जो आज की परिस्थिति में जो कुछ ट्रान्समिशन लाइन गई हैं और जो सेट्स तत्काल मौजूद हैं, उनके द्वारा जितनी ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था की जा सकेगी, वह करके बाड़मेर और बाड़मेर के आसपास में जहां पर आज बिजली मिल रही है, जल योजना के लिए जो आज बिजली मिल रही है, वह दे सकें, तो आपातकालीन स्थिति का सवाल नहीं है। बाड़मेर में विद्युत अव्यवस्था, बिजली की किसी प्रकार की असुविधा नहीं रहे---इस प्रकार का हम प्रयत्न करेंगे।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

झुन्झुनू से आने वाली माननीय सदस्या ने झुंझुनू में जो इस वर्ष थोड़ी अव्यवस्था हुई, इस संबंध में ध्यान आकर्षित किया। मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा था, जिस क्षेत्र की बात कही गई, वहां ट्रान्सफार्मर में डिफेक्ट आने की वजह से संकट की स्थिति पैदा हो गई थी, अव्यवस्था हो गई थी, अब 25 तारीख को ट्रान्सफार्मर लगा दिया है, अब अव्यवस्था नहीं है। यह बात सही है कि कृषि के टाइम में काफी लोड पड़ता है, उस समय सब जगह, झुंझुनू में ही नहीं, सारे जिलों में स्टेगरिंग करना पड़ेगा, टाइम से चलाना पड़ेगा, राजस्थान के अन्दर अगर विद्युत् प्रसार की तरफ ध्यान दें तो इस वर्ष कुओं पर, गये साल की तुलना में, यह बात सही है, एडवान्स स्कीम में पैसा लोगों ने जमा कराया है और कनेक्शन लिये हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकेंगे। इसलिए मैंने यह निवेदन किया था कि कोई किसान चौबीस घण्टे कुएं नहीं चलाता है। जितने घण्टे कुएं को चलाना चाहिए, उस पीरियेड के हिसाब से बिजली मिल जाय – इसलिए स्टेगरिंग किया है, बारह घण्टे से अठारह घण्टे का। अगर बारह घण्टे कुएं चल जाता है तो खेती को पानी दे सकते हैं, अठारह घंटे चल जाय तो वह पानी दे सकते हैं। चौबीस घंटे ही कुएं चलायें–यह आवश्यक नहीं है। इसलिए हमने प्रयत्न किया है कि बिजली आवश्यकतानुसार मिलती रहे। उस हिसाब से स्टेगरिंग किया है इसमें। लेकिन जो स्थानीय कोपरेशन की आवश्यकता थी वह कोपरेशन नहीं मिल पाया है इसलिए असुविधा हुई है, जहां पर कोपरेशन मिला है वहां पर असुविधा नहीं हुई है। इसके अलावा जब-जब हमें असुविधा की जानकारी मिली है, हमने उसको ठीक करने का प्रयत्न किया है। मैं समझता हूं, इस वर्ष में इतनी असुविधा समय-समय पर होते हुए भी काफी हद तक बिजली दे पाये हैं और गये वर्ष की अपेक्षा ज्यादा ठीक ढंग से काम कर पाये हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा बराबर प्रयत्न रहेगा कि यह जो असुविधा होती है उसमें कमी आये, और वह नहीं हो और जो टेक्निकल खराबी हो जाती है, उसको जल्दी से जल्दी ठीक करें, लोगों को राहत दे सकें, यही मेरा निवेदन है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : केवल एक बात . . .

श्री उपाध्यक्ष (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) : श्रीमती सुमित्रासिंह !

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं माननीय मंत्री की गलतफहमी दूर कर देना चाहती हूं, बाकी ठीक है, आपने जवाब दे दिया। आपको गलतफहमी है कि कोई किसान चौबीस घंटे कुएं नहीं चलाता है। मैं कहती हूं कि चौबीस घंटे चलाने की क्या आवश्यकता है। आप कहते हैं कि हमने और प्रदेशों को दे रखी है, इसलिए स्टेगरिंग लगेगा। आप स्टेगरिंग लगा दें, यह आपकी मर्जी पर है . . .

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने यहां सवेरे भी कहा था कि और प्रदेशों को नहीं दी है। यहां कहा जा रहा है कि और प्रदेशों को बिजली दी जा रही है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आपने खेती की नहीं, आप जानते नहीं हैं, आजकल चौबीस घंटे कुएं चलाने की जरूरत है। गरम हवायें चलती हैं, अगर चौबीस घण्टे पानी नहीं दिया जाय तो खेत में कुछ नहीं बचेगा।

Page No 96

(96)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात सही है....

श्री उपाध्यक्ष (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात सही है, केवल झुंझुनू के बारे में ही नहीं बल्कि अलवर जिले में मैं अभी दौरे पर गया था, वहां भी यही स्थिति है। एक सप्ताह आप मेहरबानी करके बिजली दे दीजिये, पीछे भले ही नहीं दीजिये किसानों को और दूसरी जगह दीजिये, वरना खेती को नुकसान होगा। बिजली में बराबर कटिंग हो रहा है, कभी आधा दिन नहीं मिलती है, कभी रात्रि में मिलती है। आप दूसरी जगह से काट सकते हैं और खेती के के लिए बिजली दे सकते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : हम व्यवस्था कर रहे हैं इस वक्त किसानों को जरूरत है बिजली की। मुझे मालूम है, फसल का आखिरी वक्त है इसलिए पानी मिलना जरूरी है। हमारा प्रयत्न है कि एग्रीकल्चर कनेक्शन हैं उनको बिजली मिलती रहे। यह हमारा प्रयत्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आधे घण्टे की चर्चा !

सूचना प्राप्ति प्रश्न

उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स में मजदूरों का धरना

श्री केसरीमल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री केसरीमल : मैं इस पर नहीं बोल रहा हूं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री केसरीमल : मेरी बात सुनिये !

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) ऑर्डर प्लीज !

श्री केसरीमल : मेरी बात सुन तो लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल से माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस पर नहीं है।

श्री केसरीमल : भई मैं इस पर नहीं बोल रहा हूं। आप सुनते ही नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिजली के बारे में है?

श्री केसरीमल : दूसरी बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा प्रश्न हमारे सम्मुख नहीं है।

श्री केसरीमल : दूसरी बात मैं कह सकता हूं। मुझे निवेदन करने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरी बात नहीं कह सकते। I will not allow.

श्री केसरीमल : उदयपुर सीमेन्ट फैक्टरी के बारे में वक्तव्य देने की बात यहां कही गई। मैं जानना चाहता हूं आपके जरिये, आप बतायें...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये !

श्री केसरीमल : जो स्टेटमेंट देने की बात थी . . .

श्री उपाध्यक्ष : आप अधिकार की बात कह रहे हैं।

श्री केसरीमल : मुझे सूचना लेने का अधिकार है। मुझे कहने का अधिकार है, मुझे सूचना दी जाय . . . .

श्री उपाध्यक्ष : किस बात पर ?

श्री केसरीमल : तारीख 19 की घटना है, उदयपुर सीमेन्ट फैक्ट्री में जो घटना हुई, उस पर इस सदन में बयान देने की बात कही गई थी। आज सदन का आखिरी दिन है, आज के बाद सदन मिलेगा नहीं, बाद में बुलाया जायगा तब बुलाया जायगा, यह दूसरी बात है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह बयान दिलाया जा रहा है, हो रहा है या नहीं। यह जानकारी करके बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। आप विराजिये। (श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय के खड़े होने पर) आर्डर प्लीज ! मुझे माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब देने दीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : इसी मसले पर हैं। साथ ही व्यवस्था हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालूम है, आप यह सोचते हैं, इसके बारे में गवर्नमेंट स्टेटमेंट दे रही है . . . .

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं आपका आश्वासन कि शिक्षकों के बारे में मुख्य मंत्रीजी स्टेटमेंट देंगे या नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था करवा दीजिये, बाहर नीचे अध्यापक बैठे हैं, छात्रों का जीवन संकट में हैं, अध्यापक धरने पर बैठे हैं। इस व्यवस्था के साथ यह भी व्यवस्था दे दीजिये कि मुख्य मंत्री इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट देंगे या नहीं, बात करेंगे या नहीं . . . .

श्री उपाध्यक्ष : Not to be recorded.

(श्री गिरधारी लाल भार्गव ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया)

श्री मनोहरलाल : बिजली के सवाल पर . . . .

श्री उपाध्यक्ष : खत्म कर चुके हैं। I have closed that topic.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बिजली का स्विच आफ हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने उदयपुर सीमेन्ट फैक्ट्री के बारे में प्रश्न रखा है। मेरे पास आज कार्य सूची है उसमें कोई स्टेटमेंट सरकार की तरफ से देने का है नहीं। आज का अजेन्डा है उसमें स्टेटमेंट का प्रावधान नहीं है कि राजस्थान सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट उस मुद्दे पर दिया जायगा। आपने स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, मुझे उसकी जानकारी निश्चित रूप से नहीं है। आप चाहें तो माननीय अध्यक्ष से चेम्बर में मिल लें, और इस सम्बन्ध में जो भी स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अगर है, तो वहां से सूचना मिल सकती है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : मेरा निवेदन है, मैंने इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव असेम्बली सेक्रेटेरियट को दिया है। उन्होंने कहा कि इन्फार्मेशन चाही गई है और सरकार जानकारी देगी। यह तथ्य होते हुए

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)
भी क्योंकि आज आखिरी दिन है और यह श्रम जगत का इम्पार्टेन्ट इश्यू है, यह असेम्बली में आया है तो महरबानी करके सरकार से जानकारी करके इस पर स्टेट-मेंट दिलवाने की कृपा करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस मसले पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में गवर्न-मेंट की तरफ से कहा गया था कि हम रिप्लाई देंगे। उस दिन माननीय नेता ने क्लीअर्ली कहा था, गवर्नमेंट इसके बारे में वक्तव्य देगी। फिर यह इसमें इन्क्लूड क्यों नहीं हुआ – यह समझ में नहीं आ रहा है। यह काफी महत्वपूर्ण मामला है, गवर्नमेंट का कमिटमेंट भी है। माननीय मंत्री जी ने कमिटमेंट दिया था और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह मसला आया था तो कहा था हम रिप्लाई देंगे। फिर यह क्यों नहीं आया है, एजेण्डा में क्यों नहीं आया है। यह चिन्ता का विषय है। कम से कम यह विषय आना चाहिए और गवर्न-मेंट की तरफ से पता लगे कि वह वक्तव्य दे रही है या नहीं। यह सूचना माननीय सदस्य ने मांगी है, यह आप दे दें।

श्री नत्थीसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था 5 डकैतियों के संबंध में। मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह जान-कारी करेंगे लेकिन आज तक भरतपुर जिले में जो 5 डकैतियां हुई हैं और धौलपुर में हुई हैं, उस बारे में नहीं बताया गया कि सरकार की यह रिपोर्ट आई है।

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक कार्य सलाह-कार समिति का संबंध है, उसमें माननीय सदस्य भी उपस्थित थे और मैं भी था। उसमें कुछ तय नहीं हुआ कि इस विषय को एजेन्डा में रखा जाएगा। आपका जो प्रस्ताव है उस बारे में आप चाहें तो अध्यक्षजी से सम्पर्क स्थापित कर लें और इस संबंध में कुछ हो सकता है तो वह व्यवस्था कर सकते हैं। जहां तक सरकार को निर्देश देने का संबंध है, चूंकि यह विषय आज की कार्य सूची में नहीं है, मैं सरकार को निर्देश नहीं दे सकता। सरकार यदि स्टेटमेंट देना चाहें तो आसन की तरफ से मनाही नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : जानकारी तो होनी चाहिए कि किस कारण से सरकार ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चुप्प है....

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरी भी प्रार्थना है उसको स्वीकार करें। सरकार शिक्षकों के संबंध में बोलना चाहेगी या नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : सत्र का आज अंतिम दिन है। यही एक माध्यम है कि महत्वपूर्ण सवालों पर हम सरकार से जानकारी प्राप्त करें और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस थे, सब इस्तेमाल करके ध्यान आकर्षित किया और फिर भी सरकार क्यों अवाइड करना चाहती है, इसमें आप मेहरबानी करके इन्फरमेशन सीक करें और हमें सूचित करें। जो भी नियमों में व्यवस्था है, उसके अनुरूप जरूर जानकारी दिलायें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अगर सदन में कोई मंत्री किसी बात का आश्वासन

Page No 99

(99)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
देता है कि इस मामले में बयान देंगे तो उपाध्यक्षजी, क्या आप उनको मजबूर नहीं कर सकते कि जो आश्वासन उन्होंने दिया है, उसको पूरा किया जाए ? क्या नियमों के अनुसार उनसे नहीं कहा जा सकता ? आप उनको निर्देश नहीं दे सकते हैं लेकिन जो आश्वासन दिए जाते हैं सदन में कि हम ध्यान देंगे तो फिर उनको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह बयान दें ?

श्री उपाध्यक्ष : कौनसी तारीख को फ्लोर ऑफ दी हाउस पर ऐश्योयर किया है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : 20 तारीख को उपनेता महोदय ने यह आश्वासन दिया है, आप प्रोसीडिंग्स मंगाकर देख लें

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में, मैं प्रोसीडिंग्स देखने के बाद में आपसे निवेदन करूंगा। नाग्रो दी मैटर एन्ड्स।

श्री केसरीमल : 19 तारीख की घटना है उसके बाद जब प्रश्न उठा था तो मंत्रीजी ने कहा था कि जानकारी करके जवाब देंगे, उसके बाद एक घटना और हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले सदन में कह चुके हैं, दूसरी बार तार दिखा चुके हैं, फिर तीसरी बात आप कहना चाहते हैं।

श्री केसरीमल : दूसरी घटना के समय मंत्रीजी ने कहा था कि और सूचना ले रहा हूं और मालूम करके पता लगाकर, सूचना लेकर मैं बयान दूंगा। तो इस बात को कहे हुए आज इतने दिन हो गए, आज तक कोई जवाब नहीं मिला। यदि ऐसे मसलों पर स्टेटमेंट नहीं देंगे तो फिर किस बात पर होगा ? मजदूरों के सर फोड़े जायं, कैम्पस जला दिए जायं, उनकी पिटाई की जाए, हम यहां प्रश्न उठायें और सरकार कुछ नहीं बोले, इसका मतलब साफ है कि सरकार मालिकों को पूरी पनाह दे रही है, मजदूरों के सिर फोड़ रहे हैं। इसलिए जानकारी दी जाए कि सरकार क्या कहना चाहती है ? क्या उनका बयान होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा। श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आसन की तरफ से आपको कोई बात कही जाए, उसका आप पर असर नहीं ? मैं 20 तारीख की प्रोसिडिंग्स देख लूंगा, फिर माननीय सदस्य को बुलाऊंगा, उसमें यदि कोई बात है ....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 20, 21 और 29 तारीख की तीन प्रोसीडिंग्स देख लें। तीन बार यह प्रश्न उठाया है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : 23 आलसो।

आधे घन्टे की चर्चा राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, 24-3-75 को मेरे स्थगित प्रश्न 490 के अन्तर्गत मैंने मंत्री महोदय से जानकारी चाही थी कि राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो राज्य सरकार द्वारा नामीनेटेड बोर्ड है, वह राजस्थान की खादी व ग्रामोद्योग से संबंधित

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

संस्थाओं को अनुदान और सहायता देता है, उसमें एक जयप्रकाश नारायण संकल्प नामक स्मारिका प्रकाशित हुई जयप्रकाश अभिनन्दन समिति की तरफ से, उसमें विज्ञापन दिया। मैं मानकर चलता था कि मंत्री महोदय उत्तर देंगे कि मैं सारे मामले की जांच कराऊंगा लेकिन उन्होंने जिस तरह का उत्तर दिया और जिस प्रकार से बातें कहीं उससे ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि आधे घंटे की चर्चा के लिए, यह प्रस्ताव लाने को मुझे विवश होना पड़ा। इस स्मारिका में जो जयप्रकाश बाबू का कार्यक्रम दिया गया है उसमें कहा गया है कि विधान सभा को भंग करना, सरकार को ठप्प करना, लगान और कर नहीं देना, कालेज और विश्वविद्यालयों को एक साल के लिए बंद रखना। इस प्रकार के 7 कार्यक्रम इस स्मारिका में जयप्रकाश के कार्यक्रम में दिए गए हैं। उस दिन जो मंत्री ने जवाब दिया था उसमें कहा था कि राजस्थान में, 62 संस्थायें हैं जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से रिबेट के रूप में या अनुदान के रूप में या सबसिडी के रूप में सहायता प्राप्त करती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी इस बोर्ड का तीन वर्ष सदस्य रहा हूं, मुझे जानकारी है और उस आधार पर निवेदन करता हूं कि खादी कमीशन की तरफ से जो सहायता दी जाती है वह बोर्ड के माध्यम से दी जाती है और उस बोर्ड के माध्यम से हमारा एक कार्यक्रम है कि हम किसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों लाखों को रोजगार दे सकें। एक तरफ प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार हो और उसको गिराने के लिए कोशिश की जाए, ये जनसंघ के लोग 1972 के अन्दर इस प्रकार की नारेबाजी कर रहे थे कि हम सरकार बनायेंगे, उनको एक सम्बल मिल गया, सहारा मिल गया जयप्रकाश का। जब खादी बोर्ड से सहायता प्राप्त कर 62 संस्थाओं की तरफ से विज्ञापन दिया जाए, प्रस्ताव पास हुआ, उनके अभिनन्दन के लिए एक एक हजार रुपए दिये जायं तो प्रश्न उठता है क्या हम प्रजातंत्र को समाप्त करने के लिए ऐसी संस्थाओं की मदद करके देना चाहते हैं? एक तरफ हमने सघन विकास कार्य क्रम बनाया और हमने कहा सारे राजस्थान के गांवों के अंदर राजस्थान की सीमा से लगे हुए इस कार्यक्रम के मारफत हजारों लोगों को रोजगार देने की योजना बनायेंगे, कार्यकर्त्ताओं की नियुक्तियां की गई उनके नाम पढ़कर सुनाना चाहता हूं। श्री भगवानदास महेश्वरी वीरम खादी ग्रामोद्योग संस्थान के अध्यक्ष हैं उनको सघन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 500) रु० मासिक वेतन और 5 कार्यकर्त्ता इस सारे काम के लिए दिए जाते हैं और आपकी यह स्मारिका निकली है। भगवानदास महेश्वरी संघर्ष समिति के मुख्य कार्यकर्त्ता हैं और ग्रामराज अखबार निकलता है उसके प्रधान सम्पादक हैं। जो राशि कम हो गई थी उन सारे विज्ञापन देने के बाद, उसके मारफत इकट्ठी की गई। हम कौनसे विकास का कार्यक्रम करना चाहते हैं? उस दिन भी जब बिहार में अपनी आर०ए०सी० भेजने की चर्चा हो रही थी, तो भी हमारे दल की तरफ से कहा गया कि हम देश की गरीबी दूर करने के लिए लड़ रहे हैं, हम सारी गलत स्थितियों को समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हमारी दिशाओं को उलटा करने के लिए जो लोग चाहे जयप्रकाश हो चाहे गोकुल भाई भट्ट हो चाहे वह कोई भी हो उन्हें राज्य सरकार द्वारा आज खादी बोर्ड का संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है वही लोग प्रजातंत्र के

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

खिलाफ में कार्यवाही कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रजातंत्र की वजह से हम आज यहां पर बैठे हुए हैं और प्रजातंत्र को सही ढंग से इस विधान सभा में बैठकर चला रहे हैं। आज यह सारी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था जो चल रही है उपाध्यक्ष महोदय, उसको यह जनसंघ वाले, स्वतंत्र पार्टी वाले और समाजवादी पार्टी वाले जयप्रकाशजी का सहारा लेकर उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इसके लिए सिर्फ आधा घन्टा रखा गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो बोलते हुए एक मिनट ही हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको शायद ऐसा लगता है कि एक मिनट ही हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जनसंघ वालों को आपका एक मिनट भी एक वर्ष के समान लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह भगवानदास महेश्वरी जिनके कि वीरम खादी ग्रामोद्योग संस्थान उनको मदद दी जाती है राज्य सरकार द्वारा वह लोग ही राज्य सरकार को उलटने की कोशिश करते हैं। एक आपके यह प्रेमसुख तोसनीवाल जिनके कि ऊनी खादी ग्रामोद्योग संस्थान हैं और उनको खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से अनुदान मिलता है उन्होंने 19-10-74 को प्रस्ताव पारित किया कि जयप्रकाशनारायण जी के स्वागत समिति को एक हजार रुपया दिया। तो मेरा यह निवेदन है कि ऐसी संस्थायें जो कि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के खिलाफ में कार्यक्रम करते हैं प्रजातन्त्र के विरोध में कार्यक्रम करें और उन संस्थानों को सरकार मदद करे जो सरकार के पैसे से चले और वही संस्थान सरकार की खिलाफत करे उन संस्थानों को अनुदान देना बन्द किया जाना चाहिए।

(व्यवधान : अश्रव्य)

सूचना

उदयपुर सीमेन्ट फैक्ट्री पर मजदूरों का धरना

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि ब्यावर से और बून्दी से आने वाले माननीय सदस्य ने सीमेन्ट फैक्ट्री के मजदूरों के साथ हो रही ज्यादती के बारे में ध्यान आकर्षित किया था और उसमें कहा था कि राज्य सरकार की तरफ से उस पर एक स्टेटमेन्ट होना चाहिए। मुझे यह जानकारी मिली है कि आज राज्य सरकार विधायी कार्य समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् ही एक स्टेटमेन्ट इस बारे में देगी।

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

श्री श्रीराम गोटेवाला : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि प्रेमसुख तोसनीवाल और मरुधर विकास मन्डल, खीचन के श्री त्रिलोकचन्द गोलेच्छा और जैसलमेर जिला खादी परिषद् के भगवानसहाय ने जिला सघन विकास कार्यक्रम

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

के अन्तर्गत 500-500 रुपया का वेतन उठाया लेकिन उन्होंने वहां पर एक धेला खर्च नहीं किया और करीब 20 हजार रुपये का घोटाला कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा का सारा पैसा जनता का था और यह पैसा जनतन्त्र को नष्ट करने के लिए लोगों ने नष्ट किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो पैसा अकाल के लिए अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए था वह इन पांच पांच कार्यकर्त्ताओं ने प्रजातन्त्र की हत्या करने वालों के काम में आया। ऐसा जब हम देखते हैं तो हमारे मन में थोड़ी तकलीफ होती है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि राज्य सरकार इन खादी ग्रामोद्योग की ऑडिट करावे और जो ऑडिट किया जावे वह हमारे यहां की विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिये। इस सब की जांच करके जो भी दोषी हो उनके खिलाफ में एक्शन लिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जो पैसा गरीब बुनकरों की मजदूरी के लिए दिया गया उसका यह लोग शोषण कर रहे हैं। आज एक तरफ तो वह समग्र क्रान्ति की बात करते हैं दूसरी तरफ गरीबों के हितों को समाप्त कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस सरकार जन-जीवन ऊपर उठाने के लिए सारी व्यवस्था करके, लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है तो यह दूसरी तरफ लोग जनतन्त्र को समाप्त करने जा रहे हैं किस प्रकार यह लोग जनता के पैसे को पलीता लगा रहे हैं। यहां पर रेलियां निकाल कर इस प्रकार के नारे लगाये जाते हैं कि जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है।

(व्यवधान : शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह तो नारे आपने भी लगाये थे। रेली निकाली थी जब।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप लोग किराये के लोगों के बल पर रेलियां निकालते हैं हम जनता की ताकत पर, जनता के मत पर बोलते हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोरगुल: अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री मूलचन्द सामरिया : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। जिस समय गोटेवाला साहब फरमा रहे थे तो यह शब्द काम में लिये थे कि किराये के लोगों को लाकर रेलियां निकाल रहे है, मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता सर्वोपरी है, वही जनता हम सभी को चुन कर भेजती है उस जनता को किराये के साथ संबंधित नहीं करते हैं। किसी व्यक्ति समुदाय ने प्रदर्शन किया सरकार की किन्हीं नीतियों के खिलाफ में तो वह किराये के नहीं हो सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन शब्दों को सदन की कार्यवाही से एक्सपन्ज किया जाय।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं वह गलत नहीं है यह कई बार कियायेदारों के बारे में कभी दूध में पानी मिलाने वालों को साथ ले आते हैं....

(शोरगुल: अश्रव्य)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खुदने जब सब्जी वाले लोग यहां पर धरना देने आये

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
थे तो उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि हम तो किराये पर आये बैठे हुए हैं ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने खुद ने जयपुर में रैली निकाली थी उसमें आपने 12 किलो अनाज की मांग की थी उसमें आपने नारे लगाये थे कि वह सरकार निकम्मी है ......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इन्होंने बहुत से मन्दिर तुड़वाये हैं ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । मैंने Not to be recorded.

कई माननीय सदस्य : +++

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । मैंने Not to be recorded का आदेश दे दिया है ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज Not to be recorded.

कई माननीय सदस्य : +++

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज । (Not to be recorded)

कई माननीय सदस्य : + + +

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ।

कई माननीय सदस्य : +++

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं सका कि माननीय सदस्य क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हैं ।

श्री मूलचन्द सामरिया : जनता रैली लेकर आती है और वे कहते हैं कि किराये के लोग हैं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप उत्तेजना की बात कह रहे हैं ।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा प्लीज । माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ....सरकार बदलनी है .....

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । ऑर्डर प्लीज ।

आप (श्री गुमानमल लोढ़ा) बिराजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : × × × फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं । कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, कांग्रेस पार्टी के सदस्य मिल आये ....

(शोरगुल : अश्रव्य)

+ + + अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अंकित नहीं की गई ।

+++ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अभिव्यक्ति नहीं की गई ।

Page No 104

(104)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आप (श्री भार्गव) बिराजिये ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

आर्डर प्लीज ।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय.

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : Sit down.

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य आपको शोभा देता हो, आपकी पार्टी को शोभा देता हो तो अच्छी बात है; आप समझते हैं, इस भाषा में बात करें अच्छी बात है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं बोल रहा था, आपके पक्ष के माननीय सदस्य पीछे से हल्ला कर रहे थे ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज । आॅर्डर प्लीज ।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि × × ×इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दीजियेगा । अगर माननीय सदस्य मुझे मदद करें ....

श्री उपाध्यक्ष : आप (श्री गुमानमल लोढ़ा) वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने आप से प्रार्थना की थी कि, × × × मुझे कुछ निवेदन करना है । क्या माननीय सदन के नेता ने आसन से आज्ञा ली थी बोलने के लिये जब मैं बोल रहा था ? आप यदि अनुपयुक्त समझते हैं तो हटा दीजिये

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : आसन से ऊपर सदन के नेता भी नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य । माननीय सदस्य (शोरगुल) माननीय सदस्य ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो ऐसा समझता हूं कि चेयर को यह कहना कि × × ×यह उपयुक्त नहीं है । आप स्वीकार करें ....

श्री गुमानमल लोढा : मैं ऐसा समझता हूं कि बिना आज्ञा के सदन में इन्टरप्ट करना सदन के नेता हों चाहे महान् से महान् नेता हों, यह सदन के अनुकूल नहीं है कि सदन की बिना अनुमति के डिस्टर्ब करें । गोटेवालाजी बोल रहे थे हाउस की अनुमति से । आसन के अनुकूल नहीं है तो मैं उसको वापिस लेता हूं ।

(2.45 म०प०)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन) ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आप रोज इन्ट्रप्ट करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये ।

× × × शब्द माननीय सदस्य ने वापिस लिये ।

श्री हरिदेव जोशी : जिस किसी प्रश्न पर ओरिजिनल चर्चा चल रही हो उसको शुरू करवा दिया जाय ।

श्री मूलचन्द : मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, मुझे परमिशन भी मिल गयी थी ।

श्री अध्यक्ष : मेरी सुन लीजिये ।

पोइन्ट ग्राफ आर्डर क्या है, वह फरमा दीजिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया : ऐसा था कि जिस समय गोटेवाला साहब फरमा रहे थे तो ये शब्द काम में लिये थे कि किराये के लोगों को लाकर रेलियां निकाल रहे हैं, मेरा यह कहना है कि जनता सर्वोपरि है, वही जनता हम सब को चुन कर भेजती है, उस जनता को किराये के साथ सम्बन्धित नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति समुदाय ने प्रदर्शन किया सरकार की किन्हीं नीतियों के खिलाफ वे किराये के नहीं हो सकते हैं बल्कि They are the masters of the State उन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : इस पर मेरा यह निर्णय है कि प्रोसिडिंग्स देख कर निर्णय दे दूंगा कि क्या किया जाना चाहिये ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे का टाइम है, इसमें गवर्नमेंट का उत्तर भी आ जाय ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह निवेदन कर रहा था कि खादी के सघन विकास आदि के बारे में निवेदन किया था । यह भी निवेदन किया कि जिन लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं लेकिन जो लोग प्रजातन्त्र को फ्लीता लगाने की बात कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, संघर्ष समितियों के सदस्य बने हुए हैं, हम वह सब दर्शक की भांति देखते रहें और प्रजातन्त्र को खत्म करने वालों को देखते रहें यह उचित नहीं लगता । दौसा से आने वाले माननीय सदस्य को ठेस लगी । उस वक्त कहते । आप कहते जयप्रकाशजी के आंदोलन के साथ हैं लोग । 73 नगरपालिकाओं के चुनाव हुए हैं और 73 में से 68 पर कांग्रेस का कब्जा है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आपके कथन को चुनौती देता हूं 68 नगरपालिकाओं में कांग्रेस का कब्जा बता दें ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : चैलेन्ज कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । आप बैठ जाइये । आप बैठ जाइये ।

(शोरगुल)

श्री भानुकुमार शास्त्री : जबलपुर में हार गये, और भी सब जगह हार गये आपका सिक्का खत्म हो गया ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : विधान सभा के बारे में कहां लड़ाई है ?

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : अपनी शक्ल आइने में देख कर आइये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या था तुम्हारे पास ? गांव से आये । अपने आकाओं से पूछो, कहां से लाये इतनी सम्पति ?

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पहले संपति की जांच कराओ, फिर दूसरों पर चार्ज लगाओ ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अपने आचरणों की बखान सुन लो ....

श्री हरिदेव जोशी : जो डिबेट हुई है, उसका जवाब देने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्री रामकिशन : अभी तो इसमें ऐसे सवाल हैं । आप जवाब कहां दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : हाफ एन आवर डिस्कशन है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ओन ए पोइंन्ट ऑफ आर्डर, सर ।

श्री अध्यक्ष : सब एक साथ नहीं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं बोल रहा था ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप अब न बोलें ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है ।

यह सेशन चल रहा है, जब जब ऐसे प्रसंग आये हैं, काल अटेन्शन मोशन जिन्होंने दिया था उनके अलावा भी सब लोगों को बोलने का अवसर दिया था । आधे घंटे की चर्चा को, कोई स्टेटमेंट हो किसी प्रश्न पर, किस प्रकार सप्लीमेन्टरी होते हैं आप नियमों को उदारतापूर्वक इन्टरप्रेट करते रहे और बोलने के लिये हमेशा आज्ञा देते रहे । सत्र का अन्तिम दिन है, जिस समय भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आर० ए० सी० की बात को छोड़ कर, पोलिटिक्स की बात पर विचार व्यक्त किये थे और आपने भी अनुमति दी है और हमें भी कोई ऐतराज नहीं है इन मसलों पर यदि विचार व्यक्त करें तो विचारों के लिये ही तो यह सारा संघर्ष है । हमारी यह मान्यता है और वे विचारों को समाप्त करना चाहते हैं इसलिये मैं आसन से प्रार्थना करना चाहता हूं आप नियमों के जाल-जंजाल में न पड़कर इस सत्र के अन्तिम दिन को इस भावना के साथ खत्म करें कि सब दल अपने अपने विचार रखना चाहते हैं और जिस प्रकार सारे सत्र में उदारता बरती उसी प्रकार की उदारता बरत सकते थे लेकिन हमें बोलने का अवसर नहीं दिया तो हम एक टीस लेकर जायेंगे इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे माननीय सदस्य इधर के और चाहे माननीय सदस्य उधर के हों–यदि कम समय में विचार व्यक्त कर सकें तो ठीक रहेगा लेकिन यदि बोलने नहीं देंगे और बिजनेस को कन्क्ल्यूड कर देंगे तो मैं समझता हूं प्रजातन्त्र इस प्रकार चलने वाला नहीं है । माननीय सदस्यों को अपने अपने विचार व्यक्त करने का मौका दीजिये ......

श्री खेतसिंह (मंत्री, संसदीय मामलात) : आज का विजनिस खतम हो जाना चाहिये और बाद में फिर आप खूब विचार व्यक्त कीजिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में बोलना चाहूंगा····

श्री अध्यक्ष : मैं बोलने की इजाजत दूंगा, तब न ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ··· क्योंकि मैंने भी आधे घंटे की चर्चा का समर्थन किया है तो मैं भी पांच मिनिट इस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं । इसके बाद यदि उत्तर हो जाय तो········

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं यह कहना चाहूंगा····

एक माननीय सदस्य : आप दूसरों की भी तो सुनें····

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं सुन लूंगा लेकिन पार्टी पर ऐलीगेशन लगाते हैं तो हमको भी बोलने का अवसर मिलना चाहिये····

श्री अध्यक्ष : बड़े से बड़े मुद्दों पर और फैसलों पर आप बोल लिये हैं····

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यदि कोई दल आरोप लगाये तो हमें अवसर मिलना चाहिये····

श्री अध्यक्ष : मैंने ना तो नहीं कहा है····

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं यही निवेदन करना चाहता हूं हमको बोलने का अवसर मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : आपके उप-नेता महोदय कह चुके हैं ।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन में था नहीं, अगर किसी पार्टी के खिलाफ ऐलीगेशन लगाये जायं तो मैं समझता हूं उस पार्टी को कहने का मौका दें तो मुझे कोई एतराज नहीं है । मैं यह भी नहीं चाहता हूं जैसा कि माननीय सदस्य, जोधपुर से आने वालों ने कहा कि इस सदन के ऐडजोर्न होने की स्थिति में कड़ुवापन नहीं हो । मैं जो कह रहा था वह यह कि जो प्रश्न अभी यहां उपस्थित किया गया है और वह फेक्ट्स पर आधारित है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (अश्रव्य)···

श्री अध्यक्ष : Why should you presume everything ? Let me conduct the proceedings in my own way.

श्री हरिदेव जोशी : तो मुझे यह निवेदन करना है समय निर्धारित कर दें तो उस समय में सारी चीजें हो जायं ।

श्री रामकिशन : एक सुझाव माननीय मुख्य मंत्री महोदय को देना चाहता हूं और ज्यादा उचित होगा ।

श्री हरिदेव जोशी : On behalf of Government...

श्री रामकिशन : ज्यादा कहने की जरूरत समझें, आप (मुख्य मंत्रीजी) बोल लीजिये (पुनः) मुख्य मंत्री जी आप कहिये . . .

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय . .

श्री अध्यक्ष : (व्यवस्था सूचक घंटी) . . सुनिये, बहस छोटी हो जाती, यदि माननीय मुख्य मंत्री महोदय पहले कुछ कह देते हैं तो लेकिन मुख्य मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं और आप बीच बीच में . .

श्री रामकिशन : जरूर फरमायें, सम्भव है आपकी बात को सुन कर, हमें कुछ और बातें मिल जाय।

श्री अध्यक्ष : ये इसका प्रोसिजर जो है . .

श्री रामकिशन : प्रोसिजर को तो हम जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : मुझे कहने दीजिये। काल अटेन्शन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में और हाफ एन आवर डिस्कशन में काफी अन्तर होता है। हाफ एन आवर डिस्कशन में जो सवालात उठते हैं, सवाल जो सदन में आते हैं उसमें अस्पष्टता रह जाती है उसकी सफाई के लिये कुछ बातों को कहने का अवसर दिया जाता है। काल अटेन्शन में एक मुद्दा होता है जिसका डिस्कशन करते हैं। यह आपका कहना ठीक है हमने समय समय पर आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुये समय दिया है। इसमें आप लोग बोलें तो इसका दायरा बहुत सीमित है यह आप मानेंगे और यह भी मानेंगे कि कोई गलत परम्परा न बने कोई दूसरे सुनें तो अच्छा नहीं लगे इसलिये नियमों का उल्लंघन न करें। लिबरल इन्टरप्रिटेशन कर लिया जाय। इस सम्बन्ध में मेरा यही निवेदन है जिन जिन माननीय सदस्यों का यह हाफ एन आवर डिस्कशन लिखकर दिया है वे चाहें तो पांच पांच मिनिट बोल लें। टाइम थोड़ा चेन्ज करना पड़ेगा, क्योंकि आगे का बिजनिस भी आपके सामने है और आप वाक पटु लोग भी हैं। आप थोड़े में भी कह सकते हैं 5–7 मिनिट में कह दें इसके बाद रिप्लाई हो जाय . . . .

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं अपनी बात को तो समाप्त कर दूं . . . .

श्री अध्यक्ष : It will again be creating problems for the House.

श्री श्रीराम गोटेवाला : अब कोई प्राब्लम क्रियेट नहीं होगी। ये तो जबरदस्ती उत्तेजित होते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका तो समाप्त हो गया न ?

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं . . . .

(व्यवधान : अश्रव्य)

मैं करबद्ध दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। यह हाफ एन आवर डिस्कशन है, आपकी व्यवस्था है, वह सर्वमान्य होगी लेकिन हाफ एन आवर डिस्कशन की भी परम्परा होनी चाहिये। अगर हाईली कन्ट्रोवर्शियल इश्यूज रेज करें और अनुचित भाषा का प्रयोग करें आरोप और प्रत्यारोप की एक झड़ी बनती है सदन में, तो हाफ एन आवर डिस्कशन है या नहीं है लेकिन रूल्स के अनुसार रिलेक्स करना चाहिये। अगर एलीगेशन लगेंगे तो काउन्टर एलीगेशन्स भी लगेंगे। मैं भी चाहता हूं सदन

(श्री लक्ष्मणसिंह)

की परम्परा और गरिमा बनी रहे लेकिन माननीय सदस्य उधर 150 अगर बिराजमान हैं और अगर इधर 34 सदस्य बिराजमान हैं तो जब उधर 150 को ही सदन की परम्परा और गरिमा का ख्याल नहीं है तो हम तो बहुत ही छोटी संख्या में हैं हमको नहीं भी रहे लेकिन उससे कोई लाभ होगा भी नहीं। इसलिये मेरा निवेदन है जो कुछ माननीय सदस्य बोलें, तोलकर बोलें, जो कुछ कहें सोच समझ कर कहें लेकिन एक को यह कहना कि अपनी मां को मां कहना और दूसरों की मां को मां नहीं कह कर बाप की बहू कहना उचित नहीं है। अगर परम्परा कायम रखी जाय दोनों ओर से तो ठीक है और अगर नहीं रखें तो आपकी मरजी है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय,· · · · ·

श्री अध्यक्ष : बहुत कम समय· · · ·

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात· · ·

श्री अध्यक्ष : समय का ख्याल रखें, घंटी नहीं बजानी पड़े।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जहां तक दल के नेता महोदय ने जो बात कही मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं मैंने एक भी बात असंसदीय कही हो जिससे अनावश्यक रूप से उत्तेजना मिले तो उसके बारे में मुझे आदेश दें मैं उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करूंगा लेकिन इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि कभी कभी सत्य कड़वा भी होता है और· · · ·

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : जो बात कहनी है वह तो कहते नहीं हैं· · · ·

(शोरगुल : अश्रव्य)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री श्रीराम गोटेवाला : तो मैं आपसे यही विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि मैंने पूछा है खादी ग्रामोद्योग से दिया गया है। इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय जब भी उत्तर दें मेरे पास प्रमाण है कि संस्था सीधे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत कार्य कर रही है। उस संस्था की तरफ से भी इस स्मारिका के अन्दर विज्ञापन दिया गया है। दूसरे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जिसके द्वारा अकाल राहत के कार्य भी कराते हैं सीमान्त क्षेत्रों में और दूसरे क्षेत्रों में संगठन कार्य कराता है यह आज प्रजातंत्र के विरोधी लोग हैं।। यदि इस प्रकार की बात करेंगे तो फिर· · · · ·

(अश्रव्य)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : जहां रोकने का है मैं रोक दूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं आपके लिए प्रजातंत्र विरोधी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि सारी बातों को सुनने के बाद ही उत्तेजित हों तो ज्यादा अच्छा रहेगा!

तो मैं कह रहा था कि श्री जयप्रकाश नारायणजी के द्वारा जो समग्र क्रांति की

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

बातें की जा रही हैं जिससे मुल्क को 200 वर्ष पीछे ले जाने की कल्पना है। चाहे गोकुल भाई हो या चाहे कोई भी हो उस प्रकार के लोग इस खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्य नहीं रखे जाने चाहिएं और मैं चूंकि मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा और मैं आज स्पेसिफिक चार्ज लगाता हूं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जिस समय श्री जयप्रकाश नारायणजी यहां जयपुर में आये गोकुल भाई भट्ट ने सारे राजस्थान का दौरा किया और उसका 3,600 रुपये का बिल खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से चुकाया गया। तो मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जिस कार्यक्रम के लिए इस खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की है उसके अलावा कार्यक्रम किये जाते हैं तो हमें बहुत सख्ती के साथ रोकना होगा और हमें देखना होगा कि हमारे प्रजातंत्र को पलीता लगाने वाले हमारे ही पैसे से फलते फूलते न रहें।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा!

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : मैं भी इसका समर्थक हूं अध्यक्ष महोदय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, 24 मार्च को·····

श्री अध्यक्ष : मेरा इतना सा निवेदन था कि जहां तक हो सके माननीय सदस्य उत्तेजित भाषा का उपयोग न करें। प्रेम की भावना से कहें जो कुछ भी कहना हो तो अच्छा रहेगा। जो कुछ भी कहना हो मीठी भाषा में कह दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, प्रेम से प्रेम जन्म लेता है लेकिन प्रेम की रक्षा के लिए भी कुछ कटुता आवश्यक हो जाती है। मैं उनको टालकर चलूंगा। मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि जो 24 तारीख को श्री गोटेवालाजी का प्रश्न था उसका गलत उत्तर इस सदन के अन्दर दिया गया और तथ्यों से इस सदन को उठाया गया इसलिए आधा घन्टे की चर्चा के अन्दर मैं भी सम्मिलित होता हूं।

मेरे पास अध्यक्ष महोदय, इस बात के प्रमाण हैं कि राजस्थान में विभिन्न खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और उसके अन्तर्गत चलने वाली विभिन्न खादी संघों के द्वारा और स्वयं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा और उनके अन्तर्गत चलने वाली संस्थायें जिसकी लिस्ट मैं सदन के पटल पर रख दूंगा 33 से अधिक संघ हैं जिनके द्वारा एक स्मारिका को हजारों रुपये का एडवरटाईजमेंट दिया गया और यह स्मारिका श्री जयप्रकाश नारायणजी को भेंट की गई जबकि 24 और 25 अक्टूबर को जयपुर में वह पधारे और केवल इतना ही नहीं उनको जो 1 लाख रुपये की थैली भेंट की गई मैं प्रमाण सहित इस सदन के अन्दर तथ्य प्रस्तुत कर सकता हूं कि जो राजस्थान का समग्र सेवा संघ है और यह पत्र ग्राम राज्य जिसके सम्पादक श्री सरदारमल जैन हैं। जो कमी रह गई थी 1 लाख रुपये की राशि में इस ग्राम राज्य पत्र के अन्दर 1 हजार से लेकर 2,500 रुपये के एडवरटाईजमेंट इसको दिए गए। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में बीकानेर खादी संघ के द्वारा बाकायदा एक प्रस्ताव 10 अक्टूबर को बीकानेर में

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अन्दर लिया गया और उस प्रस्ताव के अन्दर श्री जयप्रकाश नारायण जी को हजारों रुपयों की राशि देने का निर्णय लिया गया। यह सारे के सारे तथ्य इस सदन से क्यों छिपाये गये ? इसके कारण भी मैं सदन में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। अगर माननीय इस पक्ष के सदस्यों को जवाब देना है तो मैं चेलेन्ज के साथ कहूंगा कि वह इसका उत्तर दें क्योंकि इस प्रश्न के जो उत्तरदाता थे जिनका कि नाम श्री भारतीय चन्द्र शर्मा है और जिन्होंने राज्य सरकार को इस प्रश्न का उत्तर दिया वे स्वयं इसके बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं और उन्होंने स्वयं एडवरटाईजमेंट दिये और उनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है और वह इस सारे के सारे श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन के बहुत बड़े प्रणेता हैं। इसका जो माननीय सदस्य को उत्तर दिया गया इसमें सारे के सारे तथ्यों को छोड़ा गया।

अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग कमिशन और फेडरेशन के महा-मंत्री, श्री आर० जी० कृष्णन और अवशेष कुमार, संगठन मंत्री, फेडरेशन के हैं उनके साइन्ड डाकुमेंट्स मेरे पास इस सदन के अन्दर हैं जिनको कि मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। इन दोनों ने इस बात को स्पष्ट कहा है कि एक ओर तो खादी के अन्दर काम करने वाले कारीगर तड़प तड़प कर वेतन के अभाव में मर रहे हैं और एक ओर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को गांवों के विकास के लिए जो खादी में काम किया जाना चाहिए था वह नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर केवल चन्द लोग जो कि इस खादी बोर्ड में काम कर रहे हैं उन्होंने इस नाम के आधार पर उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाली हैं और जो उन्होंने लाखों रुपया संचित कर लिया है और वह लोग श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन के इस खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पैसे को मुक्त रूप से प्रयोग में लाने की स्थिति की ओर अग्रसर हैं।

श्री अध्यक्ष : संक्षिप्त में कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इस स्मारिका को देखने का कष्ट कीजिए। मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगा...

(समय 3.08 म० प०)

(दर्शकदीर्घा से नारे – जयप्रकाश नारायण जिन्दाबाद)

× × ×

श्री अध्यक्ष: Please take him into custody.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह प्रमाण है इस बात का।

श्री गुमानमल लढ़ा : यह तो अलग से प्रस्ताव आयेगा तब कहियेगा। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जयप्रकाश नारायण जिन्दाबाद का नारा लगाया है।

श्री दीपंकर : यह योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र है।

श्री अध्यक्ष : Mr. Handa to continue on the subject.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं डाइवर्ट नहीं करूंगा।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गये।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मैं जवाहरलालजी जैन जो कि हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के बहुत सक्रिय कार्यकर्त्ता हैं और अलवर जिला खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष हैं, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष हैं और इसके अतिरिक्त अध्यक्ष श्री चिरंजीलालजी शर्मा जो कि इसके भूतपूर्व सदस्य हैं· · · ·

श्री श्रीराम गोटेवाला : कांग्रेस के नहीं हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : श्री छीतरमल जो कि मंत्री हैं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के और श्री रूपलाल सोमानी जो कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्य हैं – कोई भी हो चाहे कांग्रेसी हो या गैर-कांग्रेसी हो, उससे मेरा कोई तात्पर्य नहीं है मैं बिलकुल निष्पक्ष बात कह रहा हूं। अगर कांग्रेसी हैं तो उनको जवाब देना होगा और अगर गैर-कांग्रेसी हैं तो उनको जवाब देना होगा।

अध्यक्ष महोदय, यह सारा का सारा जो 24–25 अक्टूबर को जयपुर का आन्दोलन हुआ, वह यहां पधारे और उन्होंने इस बात की घोषणा की, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो सिद्धराज ढड्ढा जिनका कि इसके अन्दर लेख है और जिस लेख के अन्दर उन्होंने लिखा है कि गुजरात की सरकार गिरी है, पंजाब की सरकार को गिराया जाएगा, महाराष्ट्र की सरकार को गिराया जाएगा, विधान सभा को घेरा जाएगा, तमिलनाडु की विधान सभा को घेरा जाएगा और अन्य यू० पी० की विधान सभा को घेरा जाएगा। मैं पढ़ कर नहीं सुनाना चाहता· · ·

श्री अध्यक्ष : कोई जरूरत नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : · · · यह सब इसके अन्दर उद्धृत है। इतना ही नहीं उपाध्यक्ष (अध्यक्ष) महोदय, लोक सभा को घेरा जाएगा, और बरुवा, श्री बरुवा जो कि आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ज्यादा से ज्यादा, गम्भीर से गम्भीर अपमानजनक बातें इस ग्रामराज पत्र के अन्दर बरुवा के विरुद्ध कही गई हैं और फिर लिखा है इसके अन्दर· · · ·

(व्यवधान : अश्रव्य)

यह भी देता हूं।

श्री रामकिशन : पढ़ दीजिए।

श्री अध्यक्ष : I will not allow it.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं, ऊपर से थोपे गए हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है। कांग्रेस के ऊपर· · · ·

श्री अध्यक्ष : आप अपने विषय तक सीमित रह कर खत्म करें ताकि दूसरा आइटम लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो इसके अन्दर है अध्यक्ष महोदय,· · · ·

(शोरगुल : व्यवधान : अश्रव्य)

श्री मनोहरलाल : बरुवा साहब को ये भड़वा साहब कह गए हैं· · · ·

(अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस स्मारिका के अन्दर इसके पृष्ठ 40 के ऊपर जिसमें कि यह खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का पैसा लगा है, क्रांति के लिए क्या कर्त्तव्य है

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

स्पष्ट लिखा है — विधान सभा को भंग करना, सरकार को ठप्प करना, लगान और कर को नहीं देना । अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि आज जब कि पाकिस्तान के बोर्डर के ऊपर हंगामा मचा हुआ है, आज अमेरिका ने पूरी तौर पर पाकिस्तान को हथियार बन्द कर दिया है और आज जब कि हमारा डिफेंस का बजट बढ़ता चला जा रहा है उस समय में जयप्रकाश का आन्दोलन कहता है, यह स्मारिका कहती है कि विधान सभा को भंग करना चाहेंगे, राज्यपाल को ठप्प करना चाहेंगे । इतना ही नहीं जयप्रकाश नारायण ने यह बात कही है कि उसकी सम्पूर्ण क्रांति का लक्ष्य यह है कि यह जो फौज के जवान हैं वह फौज के कमान्डर का हुक्म नहीं मानेंगे । यह साढ़े सात सौ मील का राजस्थान का बोर्डर, पाकिस्तान से लगा हुआ और उसके ऊपर आज जब कि हथियारों से पाकिस्तान को लैस कर दिया है अमेरिका ने····

(व्यवधान : अश्रव्य)

खामोश····खामोश····

श्री मूलचन्द सामरिया : जनता पर गोलियां चलाने वाले, जनता की आवाज को नहीं रोक सकते ।·····

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य···· माननीय सदस्य····

(अनवरत-शोरगुलजारी : अश्रव्य)

दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ! मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर रहा था कि मैंने जब आपको बोलने का समय दिया है तो आपको फिर मेरे कहने पर ध्यान देना चाहिए । इतना ही निवेदन है कि जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो उनको सुनें, दूसरे माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे तो उसको भी मौका दूंगा ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : वह चाहें तो बाद में जवाब दे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं लेकिन जरा सब्र तो चाहिए····

श्री मनोहरलाल : जनता पर गोलियां चलावें·····

(शोरगुल : व्यवधान : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : हर चीज को मजाक में नहीं लेना चाहिए । सब्र से काम लेना चाहिए, सब्र रखनी चाहिए, बाकी आपका ही समय जाएगा, नतीजा क्या होगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सुनिए····

श्री मनोहरलाल: अब फिर सुना रहे हैं···

श्री अध्यक्ष : यह देखना मेरा काम है····(व्यवधान : अश्रव्य)

आप जरा सब्र से काम लें, यह देखना मेरा काम है ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : इस अखबार में जयप्रकाश की क्रांति के सम्बन्ध में कहा है वह पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, जरा एक एक शब्द सुनिए । कभी कभी मैं समझता हूं ····

श्री अध्यक्ष : No, no. Books are not allowed to be read.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह चाहेंगे तो सुना दूंगा लेकिन इसका अर्थ सुन लें · · · · · ·

श्री अध्यक्ष : किताब में से पढ़ कर सुनाने की बात नहीं है, चाहने और नहीं चाहने का प्रश्न नहीं है । हमारी परम्परा है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं इसका एबसट्रेक्ट बता रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आपकी मर्जी है, जो मर्जी आए कहिए ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उन्होंने यह कहा है कि विधायकों को घरों से बाहर निकाल लो । उनको चांटा लगाओ, घेराव करो और उनसे इस्तीफा दिलाओ, और प्रजातन्त्र को भंग कर दो । यह बातें कही हैं उन्होंने ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह गलत बातें कह रहे हैं प्रजातन्त्र को भंग करनेवाली

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में और समग्र सेवा संघ के बारे में । समग्र बोर्ड के पास छतरगढ़ में 125 हजार एकड़ जमीन है जिसमें से 1,200 एकड़ जमीन पर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का कब्जा है, 1,200 एकड़ पर समग्र बोर्ड का कब्जा है और 1,000 एकड़ पर सेवा संघ का कब्जा है और जितनी भी यह जमीन है समग्र बोर्ड की, उस पर जयप्रकाश नारायण के चेले काटी काश्त करते हैं । इतना ही नहीं, 5 हजार हरिजन के प्रार्थना-पत्र पड़े हुए हैं, जिनको भटकते हुए आज 1968 से लेकर 6 वर्ष हो गये, वह लोग वहां पर एक कालोनी बनाना चाहते हैं अम्बेडकर के नाम से या जगजीवन राम के नाम से या जवाहर लाल नेहरू के नाम से, लेकिन यह धरती सारी की सारी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने ले ली है और जयप्रकाश नारायण के समर्थक इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : अब आप खत्म करिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और यह जितने भी बैठे हैं, वह चाहे कुछ भी कहें, लेकिन देश के अन्दर फैसिस्टवाद को पनपने नहीं दिया जायेगा ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप कहते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन आप किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आप उत्तेजित न हों ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, अब मैं 29 तारीख के प्रश्न के बारे में, जो गोटेवालाजी ने पूछा था, उसके बारे में कहूंगा ताकि स्पष्ट उत्तर आ सके । गवर्नमेंट की तरफ से जो खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान दिया जाता है उसका बोर्ड के द्वारा दुरुपयोग किया गया है और इस हद तक किया गया है कि जयप्रकाशजी के राजस्थान के दौरे पर गोकुल भाई भट्ट ने अपने दौरे पर इस पैसे का इस्तेमाल किया है । इस प्रकार से कई एक संस्थायें जो राज्य सरकार से अनुदान और फन्ड्स प्राप्त करती हैं, उन्होंने परोक्ष और अपरोक्ष रूप से मदद की है ।

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)
अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डेढ़ साल से जयप्रकाश नारायणजी ने जो आन्दोलन बिहार में चला रखा है, उसमें कहीं भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह पूरा आन्दोलन प्रजातन्त्र के विरुद्ध है और व्यक्तिवाद को पनपायेगा। अगर जयप्रकाश बाबू अपने आन्दोलन के वक्त इस बात को कहते · · · ·

श्री अध्यक्ष : यह तो खादी बोर्ड पर है, जयप्रकाशजी पर नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दोनों जुड़े हुए हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अभी भूमिका बना रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अच्छा तो यह होता कि जयप्रकाश बाबू इन्दिरा गांधी से इस बात को कहते कि आज देश में भूमि सुधार नहीं हुआ है, आज मजदूरों के बारे में यह नहीं हुआ है, आज जो जनता के 40 प्रतिशत तबका गरीब है, उनके लिये कोई बात करते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाबू जयप्रकाश ने जन संघ के अधिवेशन को-वो-करते हैं और एक नेगेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वे कहते हैं कि विधान सभा के मेम्बरों को रोको, उनके साथ में चाल करते हैं इससे मेरे कोई भी मित्र इन्कार नहीं कर सकते हैं। इन सारे तरीकों से माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं कि हमारा देश किस दौरे से गुजर रहा है, आप देखते हैं इस देश की जो सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की कार के अन्दर हैन्ड-ग्रेनेडस रखे जाते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, · · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बार बार बीच में बोल रहे हैं, यह ठीक नहीं है, रोकना है जहां पर मैं रोक दूंगा, यह आप मुझ पर ही छोड़ दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, सारा धन्धा ये खुद कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात · · · ·

श्री अध्यक्ष : आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। (श्री भारतीय जी की ओर) You continue.

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, ललित बाबू की मृत्यु जिस प्रकार से हुई, हमारी नेता इन्दिरा गांधी के अदालत में बयान देते वक्त पिस्तौल शुदा एक व्यक्ति पाया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह एक ऐसी शक्ति है जो देश के अन्दर और देश के बाहर हमारी डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात कर रही है। यह उनका एक तरीका है, वह हिन्द महासागर के अन्दर अमेरिका के जहाजी बेड़े को कायम करवाये और उनके साथ लगने वाले लोग आपके साथी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनका आन्दोलन, उस दिन मैं किस्मत से लोक सभा की गैलेरी में मौजूद था और गोयनका साहब

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

की दोस्ती का जयप्रकाशजी के साथ नमूना मन्जूर किया गया था। ऐसे ही पूंजीपति लोगों के कारण इन्होंने गुजरात के अन्दर एक वैसी चीज प्रगट की। मैं पूछना चाहता हूं मेरे सोशलिस्ट भाइयों से, मुझे प्रतिक्रियावादियों और पूंजीवादियों में वे विश्वास करते हैं मुझे उनकी परवाह नहीं, लेकिन मैं समाजवादी मित्रों से पूछना चाहता हूं, गरीबी में रहने वाला 40 प्रतिशत तबका किस प्रकार से आपके साथ चल रहा है, गुजरात में और बिहार में किस प्रकार से चल रहा है, पूंजीपतियों के लड़कों को और दूसरे लोगों को आप किस गलत तरीके से गुमराह कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, मूल रूप से कहना चाहता हूं, मैं दो मिनट में समाप्त करूंगा।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, आखिर ....

श्री अध्यक्ष : इतनी बार आपको मैंने कहा है, आपको आसन की गरिमा का ख्याल नहीं है, एक दो बार हो तो मैं ध्यान नहीं देता, कभी-कभी बोल लें, मजाक करें तो ठीक है लेकिन हर बार ऐसा करना ठीक नहीं है। आपको आसन की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : इस तरह से विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे, जो देश की भावी पीढ़ी है उसको गुमराह करेंगे और देश के पैसे का भी दुरुपयोग करेंगे परोक्ष और प्रत्यक्ष रुप में ऐसा नजर आता है। इस प्रकार से राजस्थान के पैसे का दुरुपयोग किया जाय, मैं आपके सामने एक लिस्ट रखना चाहता हूं:—

1. श्री छीतरमल गोयल, सेक्रेट्री, राजस्थान खादी संघ, खादी बाग, चौमू।
2. श्री चिरंजी लाल शर्मा, प्रेसिडेन्ट, ग्राम सेवक मण्डल, करौली।
3. श्री दुर्गा प्रसाद, सेक्रेट्री भरतपुर खादी समिति।
4. श्री भूरे लाल बयां, नवनिर्माण संघ, उदयपुर।
5. श्री गोवर्धन पन्त, प्रेसिडेन्ट, खादी ग्रामोद्योग समिति, लालसोट।
6. श्री भगवान सहाय कानूनगो, सेक्रेट्री, खादी ग्रामोद्योग समिति, दौसा।
7. श्री गोपाल चन्द पारासर, सेक्रेट्री, खादी समिति, लालसोट।
8. श्री राम वल्लभ अग्रवाल, असिस्टेन्ट सेक्रेट्री, राजस्थान खादी संस्था संघ, जयपुर।
9. श्री रामेश्वर अग्रवाल, प्रेसिडेन्ट, राजस्थान खादी संघ, खादी बाग, चौमू।
10. श्री लक्ष्मी चन्द भण्डारी, सेक्रेट्री, खादी ग्रामोद्योग विकास समिति, बस्सी।

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय) :

11. श्री गोकुल भाई भट्ट, वाइस चैयरमेन, राज० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर ।

12. श्री त्रिलोक चन्द गोलेच्छा, सेक्रेट्री, मरूधर विकास मण्डल, खीचां, जिला जोधपुर ।

13. श्री जवाहर लाल जैन, किशोर निवास, जयपुर ।

14. श्री सिद्धराज ढढ्ढा, प्रेसिडेन्ट, सर्वसेवा संघ, किशोर निवास, जयपुर ।

15. श्री त्रिलोक चन्द जैन, सेक्रेट्री, लोक भारती समिति, शिवदासपुरा ।

16. श्री महेन्द्र नाथ, खैराद ग्रामोद्योग संघ, सेवार, अजमेर ।

17. श्री बाल कृष्ण गर्ग, सेक्रेट्री, ग्राम सेवा मण्डल, रामगंज, अजमेर ।

18. श्री भगवान दास महेश्वरी, सेक्रेट्री, जिला खैराद ग्रामोद्योग परिषद्, जिला जैसलमेर ।

19. श्री राधा कृष्ण बजाज, गोपुरी, वर्धा (महाराष्ट्र) ।

20. श्री प्रेम सुख तांसनीवाल, सेक्रेट्री, ऊनी खादी संस्थान, जिला बीकानेर ।

21. श्री पूरन चन्द जैन, असिसटेन्ट सेक्रेट्री, सर्वसेवा संघ, किशोर निवास, जयपुर ।

22. श्री भैरों लाल अग्रवाल, प्रेसिडेन्ट, खादी समिति, अमरसर, जिला जयपुर ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका सीधा सम्बन्ध खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से है और इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता । इस स्मारिका में लगभग 25 आदमियों ने एडवरटाईजमेन्ट देकर डाइरेक्ट····

श्री मनोहरलाल (कामां) : मैं एक सूचना पूछना चाहता हूं कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौनसी पार्टी के हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : वह कांग्रेस पार्टी के हैं हम मानते हैं लेकिन इनमें भी गलतियां हो सकती हैं इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से उनको एडवरटाईजमेन्ट देने की, और भारतीशचन्द्र शर्मा जो कि सेक्रेट्री हैं उन्होंने खुले रूप से उनको थैली भेंट करने में उनका योगदान रहा है और वे क्लियररूप से उससे कनेक्टेड हैं. जहां तक·····

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : दो मिनट । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह एक पार्टी की नीतियों का, पार्टी पालिसी का सवाल है और आप उसको उस आवाज को दबाने की कोशिश नहीं करें । ऐसे प्रश्नों पर बोलना जरूरी है । आर० ए० सी० को राजस्थान से बिहार में भेजने का सवाल है, हम किसी भी प्रान्त में पुलिस भेज सकते हैं और जरूरत पड़ने पर यहां भी मंगा सकते हैं । लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

करूंगा कि जो भी हो, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को इस तरह से पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन यह है कि अब कुछ लोग बोलना चाहें तो बोल लें, एक-एक, दो-दो मिनट आदमी प्रत्येक दल से बोल लें लेकिन पांच मिनट में कोई खत्म करता नहीं है ।

श्री नत्थी सिंह : मैं भी भरतपुर के खादी ग्रामोद्योग के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आपको भी मौका मिलेगा ।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी सन्दर्भ में निवेदन करूंगा कि इस स्मारिका का अवलोकन किया जाय तो ज्ञात होगा कि 99 प्रतिशत उन संस्थाओं के एडवर्टाइजमेन्ट हैं जो पूर्णतया खादी बोर्ड पर आश्रित है । उन सोसाइटीज के नाम है जो पूर्णतया सरकारी अनुदान पर आश्रित हैं, इस स्मारिका को क्या संज्ञा दी जायगी । जिस प्रकार से राजस्थान की खादी संस्थाओं ने इस स्मारिका के लिये एडवर्टाइजमेन्ट दिया है, अगर इसका अवलोकन किया जाय तो यह हमारी ब्यूरोक्रेसी और अन्य कार्यकर्ताओं का जो इससे घनिष्ट रूप से कनेक्टेड हैं उनका यह पूर्णतया षड़यन्त्र है। मैं एक निवेदन और करूंगा कि जयप्रकाश जी ने जब जनसंघ को सम्बोधित किया तो यह मानकर चलना पड़ेगा कि एक पोलिटिकल लड़ाई है, वह लड़ाई या उनका आन्दोलन एक पोलिटिकल स्तर पर है, आज कांग्रेस भी एक पोलिटिकल पार्टी है, आज उसकी सरकार है और अध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि राज्य सरकार कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जो पालिसियां हैं उनका निर्धारण तो कांग्रेस पार्टी करती है परन्तु उन नीतियों का क्रियान्वयन पूर्णतया ब्यूरोक्रेसी पर निर्भर करता है और मेरी यह मान्यता है कि ब्यूरोक्रेसी को उन नीतियों को ईमानदारी के साथ उनके क्रियान्वयन में योग देना चाहिए । यह उनका काम नहीं है कि नीतियां गलत हैं या सही हैं, यह अवलोकन करने का उनका फर्ज नहीं है । हम जानते हैं कि कांग्रेस की नीतियां जो हैं उनका हमको सामना करना पड़ता है, परन्तु ब्यूरोक्रेसी का यह कर्त्तव्य नहीं है कि उसमें कोई अवरोध पैदा करें, उनमें रोड़ा अटकावें और उसको अप्रत्यक्ष रूप से स्मेश करने की कोशिश करें । मैं इस संदर्भ में निवेदन करूंगा कि यह जो मैं कह रहा था कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स का षड़यन्त्र है, इन संस्थाओं के कार्यकर्ताओं का षड़यन्त्र है ....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें ।

श्री किशन मोटवानी : एक मिनिट । आज मूल प्रश्न यह आया है कि इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं – उसने यह जवाब दिया कि यह पैसा जो है बम्बई से आता है और हमारी राज्य सरकार का नहीं है । राजस्थान सरकार का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। यह गलत जवाब दिया गया है । यह एक संस्था के एडमिनिस्ट्रेटिव का जवाब है, इसमें जो व्यवस्थापक, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वे हमारी पालिसीज के खिलाफ, हमारी डेमोक्रेसी

(श्री किशन मोटवानी)

के खिलाफ कार्य कर रहे हैं और वे जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन को छिपे रूप से समर्थन दे रहे हैं। इस तरह से योग देते हैं, और हमारी नीतियों को खतम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ इन्क्वायरी होनी चाहिये और जो व्यवस्थापक हैं, जो किसी न किसी रूप में बोर्ड में बैठे हैं, उनको वहां से हटाया जाये, उनको किसी रूप से रिवाईव नहीं किया जाये और जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं हमारे नीतियों के प्रति, जिनका हमारी पोलिसीज में, विश्वास है, उनको ही इस बोर्ड में रखा जाये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, सदन में जो चर्चा का विषय है ....

श्री किशोरीलाल : इनका भी नाम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ये रिप्लाई दे रहे हैं? एक एक सदस्य पार्टी की ओर से बोल लें?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें पार्टी का कोई प्रश्न नहीं है।...

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय की ओर से आदेश हो चुका है। आपको सुनने का साहस रखना चाहिये, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, आप उत्तेजित हो रहे हैं। परन्तु आप मेरी बात सुनें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके लोग पहले से उछल रहे हैं?...

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह एक गंभीर प्रश्न, गंभीर मुद्दा, इस प्रश्न के माध्यम से आया है कि क्या प्रजातन्त्र में, लोकतन्त्रीय व्यवस्था में, किसी एक दल का शासन हो, वह दल, देश के विभिन्न विचारधारा के लोग, चाहे वे राजनीतिक दल के रूप में हों, चाहे देश में गरीब जनता के प्रतिनिधि के रूप में हों, चाहे समग्र क्रान्ति करने के मसीहा के रूप में हों, जो देश को अन्धकार से हटा कर, गरीबों के मसीहा के रूप में प्रकट हो कर, उसका समर्थन करें, वास्तव में अपने आप में वह गौरवमय कार्य है। चाहे वे दूसरी संस्थाएं हों, चाहे खादी ग्रामोद्योग की संस्थाएं हों, नगरपालिकाएं हों, पंचायतें हों, पंचायत समितियां हों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हों, वे सब संस्थाएं हो सकती हैं और इसी तरह कई प्रकार के संगठन हो सकते हैं। तो क्या यह आपत्तिजनक है। अध्यक्ष महोदय, यह एक मूल प्रश्न आज यहां पर आ रहा है और मैं यह मुख्य मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वे उसका उत्तर दें, जब वे अपनी ओर से इसका उत्तर यहां पर दें कि क्या यह आपत्तिजनक है। मैं यह मानकर चलता हूं कि इसमें कोई कन्ट्रोवर्सी नहीं है कि खादी ग्रामोद्योगी संस्थाएं एडवरटाइजमेंट दें और इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप बधाई दे रहे हैं और हम निन्दा कर रहे हैं यही अन्तर है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपको तो निन्दा ही करनी चाहिए। जयपुर रोलर मिल को कोटा मिल जायेगा तो आप प्रशंसा शुरू कर देंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य परसनल आरोप लगा रहे हैं। ऐसे आरोपों का जवाब देने का मुझे मौका दिया जाना चाहिए। मान-

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
नीय गुमानमलजी को यह एहसास होना चाहिए कि वे क्या कह रहे हैं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह प्रश्न मूलभूत मान्यताओं का है कि प्रजातंत्र के अन्दर जो गरीबों का मसीहा बन कर प्रकट हुआ है, उसके समर्थन में कुछ संस्थाओं द्वारा विज्ञापन दे देने पर कांग्रेस दल के सदस्य अपने विचारों से यह आभास करवायें कि जैसे कोई जघन्य कृत्य जयप्रकाश नारायण के समर्थन में किसी मेगजीन में विज्ञापन देकर उन्होंने कर दिया है । अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को कायम रखना है तो फिर चाहे कोई भी दल हो, चाहे वह कांग्रेसपार्टी हो, खादी ग्रामोद्योगी संस्थाओं की सन् 47 से लेकर आज तक लगातार प्रवृत्तियां देखी जायं तो आपको यह लगातार देखने को मिलेगा कि खादी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने खादी संस्थाओं के पैसे ने कांग्रेस के लिए चुनावों में काम किया है- फिर उनकी ओर से यह एडवरटाइजमेंट देना तो एक साधारणसी बात है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह गलत बात है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री दीपंकर : खादी बोर्ड का पैसा कभी चुनावों में कांग्रेस ने प्रयुक्त नहीं किया है ।

श्री अध्यक्ष : कई माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं । पहले इनको बोलने दें । इसके बाद आपको कुछ कहना है तो आप कहें । मैं आपको भी मौका दूंगा । जहां तक परसनल आक्षेप है तो उसके लिए स्पष्टीकरण का मौका दूंगा । इस तरह तो ज्यादा समय लगता है । परसनल ऐलीगेशन के लिये वक्त दिया जायेगा । कृपया शान्त रहें ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : पार्टी पर आरोप की बात है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह कोई आरोप नहीं है । कोई भी संस्था हो । अध्यक्ष महोदय, चाहे वह नगरपालिका हो, मैंने देखा है नगरपालिकाएं भी स्मारिकाओं के अन्दर विज्ञापन देती हैं । हजारों रुपयों का एडवरटाइजमेन्ट दिया जाता है – मैं समझता हूं कि कोई भी संस्था हो जो आटोनोमस बाडीज हैं, वे अपने अपने क्षेत्र के अन्दर 183 प्रचार करती हैं । इसी तरह से नगरपालिकाएं हैं, पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं, खादी ग्रामोद्योग की संस्थाएं हैं । उनको इस कार्य के लिए स्वतन्त्रता है, और मिलनी चाहिये – परन्तु यदि यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का रूल हो, वन पार्टी रूल हो, जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां मैं यह मानता हूं कि इस तरह का कार्य नहीं हो सकता, विचारधारा का प्रचार, प्रसार नहीं हो सकता । वहां तो कम्युनिस्ट विचारधारा ही सही है भूत में ही सही है, वर्तमान में भी सही है और भविष्य में भी सही होगी । दूसरी कोई विचारधारा वहां पर नहीं रह सकती । इस प्रकार की नीति तो समझ में आ सकती है । स्टोलिन की लड़की अपने देश को छोड़ कर देश देश घूमती फिरी । वहां पर दूसरी विचारधारा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता । बुद्धिजीवियों को भी विचार प्रकट करने की छूट नहीं है । यह उनकी एक ईमानदारी है । यह बात कम्युनिस्टों की समझ में आ सकती है । उनकी

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

ऐसी मान्यता हैं और उनकी यह मान्यता ईमानदारी से है कि उनकी जो विचारधारा है वह सही है लेकिन जहां पर प्रजातंत्र है, प्रजातान्त्रीय शासन व्यवस्था है, वहां यह नहीं चल सकता। उनका यह कहना कि जयप्रकाश नारायण का आन्दोलन फासिस्टवादी है, आप जयप्रकाश के आन्दोलन को उचित नहीं समझते हैं तो केन्द्र में भी आपकी पार्टी के द्वारा शासन चलाया जा रहा है, आपका बहुतमत है, परन्तु आपके शासन द्वारा इस आन्दोलन को गैरकानूनी घोषित नहीं किया गया है। आप इसको गैरकानूनी घोषित कर सकते हैं। गैरकानूनी घोषित करना, यह एक दूसरा विषय है लेकिन मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह प्रश्न करना चाहूंगा कि वे स्पष्ट रूप से यह बतावें यह दूसरी बात है कि आपका यहां बहुमत है, और कम्युनिस्ट पार्टी भी आपके साथ में है, इस इश्यु पर और आप यहां पर इस पक्ष में हवा बना दें कि जो इस आन्दोलन का समर्थन करते हैं उनको फांसी पर लटका दिया जाये, जो इस आन्दोलन का समर्थक है, उसको सड़क पर चलते हुए गोली से उड़ा दिया जावे, यह हो सकता है, यह वातावरण आप यहां से तैयार कर सकते हैं लेकिन आपको निष्पक्ष रूप से इस पर सोचना चाहिये, यह इसलिये निवेदन कर रहा हूं, यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी इस इश्यु पर आपके साथ में है और केरल में मान लीजिये मुस्लिम लीग आपके साथ में है। मुस्लिम लीग के प्रेसीडेन्ट कोई स्मारिका निकालते हैं, राजस्थान में आपके साथ नहीं है, परन्तु उसको आप इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट देते हैं, केन्द्र में भी अभी तक आप शासनारूढ़ हैं, लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन से मान्यता प्राप्त दल है, तो उसको अपनी विचारधारा को लेकर प्रचार करने का हक है, यह कानून है, कान्स्टीट्युशन में यह है। जो आप कहते हैं, एक वातावरण ऐसे फैले हिंसा का तो आप इन्डियन पेनल कोड में एक अमेन्डमेंट करके ऐसा कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हूंडा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर, माननीय सदस्य अनलिमिटेड बोल रहे हैं और दूसरे माननीय सदस्यों को पांच 2 मिनिट मिल रहे हैं। हम पर तो पांच मिनिट का नियंत्रण है और ये अनलिमिटेड बोल रहे हैं।.....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप भी काफी बोल चुके हैं।

श्री गुमानमल लोढा : आपको समय के बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिये। मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा। मुझे तो अपने प्रश्न का उत्तर चाहिये। इन्डियन पेनल कोड में आप अमेन्डमेंट ले आइये, जिस दिन अराजकता, हिंसा फैले, देश के अन्दर अराजक तत्व हिंसा फैलाने लगें, देश के अन्दर एक ऐसा वातावरण पैदा कर दें, जिनसे हिंसा फैलती हो, अव्यवस्था होती है तो उसको आप गैरकानूनी करार कर सकते हैं। आपको अगर यह लगता है कि जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन से हिंसा फैलती है, अव्यवस्था फैलती है तो आपके केन्द्रीय शासन द्वारा इसको गैरकानूनी घोषित किया जा सकता है। आपकी यह मान्यता है कि जयप्रकाश नारायण का आन्दोलन फासिस्टवादी है, विधान सभाओं, लोक सभा और लोकतंत्र को पलीता लगाने वाला है, यह मान्यता है कि जयप्रकाश देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। कौन रोकता है आपके हाथों को? आपका बहुमत है लोकसभा के अन्दर भी। इन्दिरा शरणम् गच्छामि वाले आज इतने लोग हैं जैसे कि यहां पर हैं

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कि बिना सोचे-समझे हुए वोट देने वाले लोग हैं। मैं जानता हूं कि कांग्रेस में भी आज ऐसे लोग हैं, बहुत बड़ा तबका तो नहीं है लेकिन छोटा तबका अवश्य है जो यह जानता है कि जयप्रकाशजी का आन्दोलन ही एक ऐसा आन्दोलन है जो गरीबी को मिटाने वाला है, गरीबी और अमीरी के भेद को खत्म करने वाला है और जनतंत्र को प्रतिस्थापित करने वाला है। 15 वर्ष का आदमी उन्हीं मान्यताओं को लेकर नहीं आया है ....

श्री हरिदेव जोशी: ओन ए पांइट आफ आर्डर सर। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्य को उनकी पार्टी के खिलाफ जो एलिगेशन्स लगाये हैं उनका रिप्लाई देने के लिए समय दिया गया था। मैं ऐसा समझता हूं। फिर पोलिटिकल डिबेट की शुरूआत हो जायगी जो कि परसों हुई थी तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जयप्रकाशजी और उनका आन्दोलन डिसकस किया जा चुका है। मेरी पार्टी की ओपीनियन भी आ चुकी है और आपकी पार्टी की ओपीनियन भी आ चुकी है। मैं था नहीं, जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि हाउस में नहीं था। आपकी पार्टी पर एलिगेशन्स लगाये हैं, कुछ स्पेसिफिक एलिगेशन्स लगाये हैं तो उनका उत्तर दे दें बजाय इसके कि वह करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मैं भारतीयाजी को सुन रहा था, श्री हाण्डाजी को सुन रहा था और श्री गोटेवाला को सुना है। उन्होंने इस बात के एलिगेशन्स लगाये हैं स्पष्टतौर से कि जयप्रकाश नारायण का आन्दोलन देश में हिंसा पैदा करके संवैधानिक परम्पराओं के जो साधन बने हुए हैं उनमें पलीता लगा रहा है। मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। ऐसा लगता है कि खादी ग्रामोद्योग चन्दा दे या एडवरटाइजमेंट कोई चीज हो वह दिया गया या नहीं यह प्रश्न सदन के सामने आया है। तो क्यों नहीं उसको कानून के द्वारा प्रतिबन्धित कर देते हैं। आप कानून के द्वारा प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते हैं। आप स्वयं समझते हैं कि प्रतिबन्ध लगाने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आज देश में एक ऐसी हवा है, एक ऐसी आवाज है ...

श्री अध्यक्ष : थोड़े में समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : समाप्त कर रहा हूं।

उसका राजनैतिक तौर से मुकाबला न करें। मुख्य मंत्रीजी ने नरौरा कैम्प में कहा था कि राजनैतिक तौर से इसका मुकाबला करना चाहते हैं तो वह ठीक तरीका है। आप अपने शासन का दुरुपयोग करके उस आवाज को रोकने का प्रयास करेंगे या दूसरे तरीकों से, फासिस्ट तरीकों से जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा है कि सी०बी०आई० के लोगों ने लाठी लेकर हमला कर दिया और लाठी से चोटें उनके आई हैं तो इस प्रकार की हरकतें न करकें, डायलाग के द्वारा जैसा कि मोहन धारिया ने कहा और जैसा कि परसों के आपके भाषण से संकेत निकल रहा था कि कोई बात करके समस्या का हल करना चाहते हैं तो वह उचित है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं ......

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आप अखबार का नाम बताइये जिसमें यह लिखा है। It should be brought on the record.

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई गटर पेपर होगा। मदर लैण्ड जैसा गटर पेपर होगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मदर लैण्ड-गन्दा है और फादरलैण्ड अच्छा है। आप हिन्दुस्तान को गन्दा बता सकते हैं मदर लैण्ड को।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपका फादर लैण्ड तो यू०एस०ए० है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं मदरलैण्ड का नहीं जिक्र करता हूं ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका तो ग्राण्ड फादर लैण्ड होगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मुझे कोई आपत्ति नहीं है आप फादरलैण्ड, मदरलैण्ड, कहें। मैं दो-चार सवाल और पूछना चाहता हूं। एक तो यह पूछना चाहता हूं कि लोकतन्त्रीय परम्पराओं को समाप्त कर रहे हैं ऐसा एलिगेशन्स लगाया है हमारी पार्टीज के ऊपर। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गिरी और रेड्डी का चुनाव हुआ। जिस केन्डीडेट का हमने नोमीनेशन फार्म भरा था उसका समर्थन किया, लेकिन जिसका इन्दिरा गांधी ने ...

श्री अध्यक्ष : वह सबजेक्ट नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : This is not the subject matter.

श्री रामानन्द अग्रवाल : We will have to reply अगर यह पोलिटिकल डिबेट एलाऊ करेंगे। आप पोलिटिकल डिबेट एलाऊ करें हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन उनका उत्तर देने के लिए आपको हमें समय देना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री दीपंकर : कहां इसका संबंध है। यह क्या बात है ....

श्री अध्यक्ष : आप हर मौके पर बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं ....

श्री दीपंकर : जनाब बात ऐसी है कि इनका और हमारा तरीका ऐसा ही चल रहा है, और इसके लिए मुझे यह रखना पड़ता है नहीं तो यह सीधे आते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : एलिगेशन्स का उत्तर दे दें और काउन्टर एलिगेशन्स न लगायें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं काउन्टर एलिगेशन्स नहीं लगा रहा हूं, मैं इनकी लोकतंत्र की कल्पना जानना चाहता हूं। ...

श्री अध्यक्ष : विषय बहुत सीमित है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपने परसों एक घंटा सदन के नेता को दिया था।

श्री अध्यक्ष : आपको भी परसों समय दे दिया था।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं आपसे तीन-चार सवाल पूछना चाहता हूं। क्या इन्दिरा गांधी ने अपने हाथ से नोमीनेशन फार्म भरा था और उन्होंने यह घोषणा की थी और दूसरे लोगों से कहा है कि इसको वोट मत दो और गिरी को वोट दो, यह लोकतन्त्रीय परम्परा है? आपने कौन सी परम्परा निभाई थी? ..

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : इससे इसका कोई संबंध नहीं है ....

श्री दीपंकर : आप क्यों हमारे बीच में आ रहे हैं। आपके दल पर जो चार्ज है उसका जवाब दें। हमने क्या किया ... (व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं इसका उत्तर जानना चाहूंगा कि जिन्होंने रेड्डी को वोट

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
दिया उन्होंने लोकतंत्र की परम्परा निभाई या जिन्होंने गिरी को वोट दिये उन्होंने लोकतंत्रीय परम्परा निभाई। विश्व के इतिहास में ऐसा कहीं लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है कि देश के महान् आसन पर बैठे हुए व्यक्ति ने जिसको अपना केन्डीडेट बनाकर खड़ा किया उसकी पीठ में छुरा भोंके ?

श्री दीपंकर : आपके मन में · · ·

(व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह लोकतंत्र की बात आप जो कर रहे हैं तो हंसी आती है जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और प्रधान मंत्री से आखिर तक सरे आम लोकतंत्र को पलीता लगा रहे हैं वह हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने आते हैं।

आपने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के एपाइंटमेंट में लोकतंत्र को समाप्त किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जुडीशियरी के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जब कि जुडीशियरी आ रही थी उसको बचाने के उस समय आपने सुपरसीड करके और तीन जजों की सीनियोरिटी को खत्म करके चौथे जज को जुनियरमोस्ट को लाकर बैठाया है यह कौनसा लोकतंत्र है ?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : ऐसा मालूम पड़ता है इस बात से कि आपने इस बात से असन्तुष्ट होकर चीफ जस्टिस पर हमला इसीलिए करवाया है · · · ·

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं इस बात को जानता हूं कि समाजवाद और लोकतंत्र की आप बात करते हैं · · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो साफ कन्फेशन है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : इसमें इनका कन्फेशन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जनसंघ ने हमला करवाया है यह कन्फेस कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, 100 साल का एक आदमी था · · · ·

श्री अध्यक्ष : काफी टाइम आपने ले लिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह साफ है कि It is confession.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : It is the confession.

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : Your party has admitted the allegation.

श्री भानु कुमार शास्त्री : आप सुनें तो सही।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आपके लीडर बोल रहे हैं। आप बाद में बोलें।

श्री अध्यक्ष : प्रोसीडिंग को चलने दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनको 40 मिनिट हो गये हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप क्यों परेशान हो रहे हैं ? · · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जारी रखें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मै दो प्रमाण रखूंगा। महाराष्ट्र में वहां के कांग्रेस पार्टी

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
के अध्यक्ष ने सारी कोआपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से एक लाख रुपया इकट्ठा किया और डांगे साहब को उनके जन्म गांठ, वर्ष-गांठ पर भेंट किया वहां आप से पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा था कि जो लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, रूस में विश्वास करते हैं उनको एक लाख रुपया भेंट किया गया है। यहां आपको दर्द हो रहा है कि भोगीलालजी पंड्या ने एक अखबार को एडवरटाइजमेंट के लिए एक हजार रुपया दे दिया। मैं जानना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आज इसी सदन के अन्दर कि क्या यह सही नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने दुनिया के अन्दर कहीं पर भी जनतंत्रीय तरीके से शासन नहीं सम्हाला है? जगह-जगह खून-खराबा करके या अन्दर में जाकर सेबोटेज किया है और यहां आकर लोकतंत्र की वे बात करते हैं और हमें सिखाने का प्रयास करते हैं, क्या यह हास्यास्पद नहीं है?

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और जानना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष : खत्म करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी है स्वतंत्र प्रेस। श्री वर्गिस हिन्दुस्तान टाइम्स के एडीटर थे। बिड़लाजी ने, बिड़लाजी कौन हैं यह सब जानते हैं। इनकी लोकतंत्र की कल्पना कैसी है? उन बिड़लाजी ने वर्गिस साहब जो कि हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक थे उनको यह कहा था कि आप कृपया मोदी नगर मिल्स के बारे में जो वहां पर घोटाला हुआ उनको मीसा में गिरफ्तार करने के पहले एन्टिसिपेट्री बेल करवाई है और जिनको कम्पनीज एक्ट में रखा गया उनका पर्दाफाश मत कीजिये। यह बिड़लाजी ने कहा था। यह बिड़लाजी का पत्र मेरे पास है ....

श्री श्रीराम गोटेवाला : बिड़लाजी चुनाव लड़े थे और हमसे पराजित हो चुके हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यह बिड़लाजी के शब्द हैं, वर्गिस को इसलिए दबाया गया, यह कह कर कि संजीव गांधी का यह पत्र आया, प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल मैसेन्जर पत्र लेकर आया, कि मारुती काण्ड की चर्चा मत करो। यह पत्र है, उसका जवाब और लिख कर दिया है। बिड़लाजी जिस वर्गिस के लिए कह रहे हैं, उसके पास प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल मैसेन्जर, जो मारुती फैक्ट्री का मालिक है, संजीव गांधी, उसका लेटर लेकर आया, लेकिन मैंने मंजूर नहीं किया। मैं पर्दाफाश न करूं, यह पत्रकार कब बर्दाश्त कर सकता है ....

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, आप समय निश्चित कर दीजिये, एक घण्टा, दो घंटा। यह क्या और मैटर हैं उन पर हम कुछ नहीं कह सकें। दिस इज माई पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : समय के लिए कोनसा पाइन्ट आफ आर्डर है। कैसी किताब पढ़ी है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आधे घंटे की चर्चा के बारे में, मैं पढ़ा सकता हूं। तुम अब पढ़ लो।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जरा सुनने की कोशिश करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पाइन्ट आफ आर्डर रखा है, इसकी स्पेलिंग तो आती नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : मैं पढ़ा सकता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं कहना चाहता हूं, पहले बड़े-बड़े राजा-महाराजा के मरने पर लोग माथे का मुण्डन कराते थे। माननीय विधायक बूंदी की राजमाता की मृत्यु पर माथे का मुण्डन करा कर आये हैं और एक तरफ राजमाता की मृत्यु पर मुण्डन कराते हैं और दूसरी तरफ मजदूरों का नेतृत्व करते हैं। आप कहते हैं कि आप लोकतांत्रिक हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : इससे आपका क्या ताल्लुक है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : (शोरगुल: अश्रव्य) यह मुण्डन किया है ....

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : यह सामन्तशाही के पास मदद लेने के लिए गये थे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह हमारे कम्युनिस्ट बन्धु देखें, बूंदी की राजमाता की मृत्यु पर माननीय विधायक ने मुण्डन कराया है....

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब देने का टाइम आ गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं जानना चाहता हूं.....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपका अनधिकार था, यह आपका अधिकार था।

श्री हरिदेव जोशी : मुण्डन प्रसंग के बाद मेरा जवाब देने का समय आ गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपका यह तरीका प्रतिक्रियावादी तरीका है, जैसा गोटेवालाजी ने कहा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनका हक छीन लिया इन्होंने। यह बड़ा गलत है। हक इनका था बाल देने का। यह दें, अभी दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह जानना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह इर्ष्या का विषय है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब बाल भिजवा दीजिये। देर से सही लेकिन सही बात हो जायगी। देर आयद दुरुस्त आयद। लोढ़ा साहब अपने बाल अब भिजवा दें, हम कहेंगे, बूंदी वाले मंजूर कर लें। आपने इनका हक छीन लिया यह बुरा है। इनका हक बरकरार रहे।

श्री अध्यक्ष : मुण्डन हो गया, मुण्डन हो गया. अब उत्तर आने दीजिये।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : जब आपका यह होगा, हम भी आयेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कम्युनिस्ट पार्टी राजी होती है जिस आइडियोलोजी से, वह आईडियोलोजी नहीं ढकोसला है। एक तरफ मजदूरों का नेतृत्व करते हैं, दूसरी तरफ बूंदी की राजमाता की मृत्यु पर मुण्डन करा कर आते हैं।

श्री अध्यक्ष : मुण्डन राजेन्द्रजी ने करा है।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह अधिकार आपको वक्स दें। यह अधिकार आपको दे दें।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : यह अधिकार आपको दिया ....

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री रामरघुनाथ सिंह : मां की मृत्यु पर बाल मुडाने की परम्परा है (शोरगुल: अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नाई को बुलवा कर इनका मुण्डन करवा दीजिये। इनका हक बाकी रह गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मुख्य मंत्री से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन है कि सर्वसम्मति से खेद व्यक्त किया जाय सहानुभूति व्यक्त की जाय, माननीय लोढ़ा का हक मारा गया है। यह सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास करके इनका हक वापिस इनको दिलवाया जाय।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह लोकतांत्रिक तरीका है। कम्युनिस्ट पार्टी विधान सभा में किस प्रकार से बिहेबिअर करती है।

श्री अध्यक्ष : बहुत वक्त हो गया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह अन्टरप्शन कर रहे हैं इसलिए वक्त हो गया। दो मिनिट में समाप्त करता हूं।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं ..

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पांच मिनिट लगेंगे मुंडन पूरा होने में।

श्री गुमानमल लोढ़ा : काश्मीर के महाराजा कांग्रेस से जीत कर आ जायं, भरतपुर के महाराजा कांग्रेस से चुने जायं, बूंदी के महाराजा, कोटा के महाराजा कांग्रेस से चुने जायं हिन्दुस्तान के अस्सी पर्सेंट राजा-महाराजा कांग्रेस के आधार पर यहां आ सकते हैं, यह अच्छे हैं। और हमारे मुख्य मंत्री के द्वारा यहां उनके साथ जो यहां बैठे हुए हैं, उनको गांधर्व मैरिज करके लाया गया है, उनको एतराज इससे नहीं होता। वह कहते हैं, कोटा के महाराजा बहुत अच्छे हैं, बूंदी के महाराजा बहुत अच्छे हैं, लेकिन दूसरे ...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह मार्क्सवादियों से कौनसी शादी हुई है, लीगल या इल्लिगल ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : व्यक्ति यह काम करें तो कहेंगे, इससे लोकतांत्रिक परिपाटी टूटती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मूथा मैरिज कांग्रेस से हुई है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मूथा मैरिज की गई, क्योंकि आप में कुव्वत नहीं थी ....

श्री अध्यक्ष : काफी कह दिया है, अब समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : दो मिनिट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपके दो मिनिट समाप्त नहीं हो रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : लक्ष्मण सिंह पूनिया वाली जोड़ी कैसी रही।

श्री गुमानमल लोढ़ा : बिड़ला ने बगिस

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कि मोदीनगर के मालिक के समर्थन में नहीं लिख सके, और इसलिए कि हमारी प्रधान मंत्री के लड़के के खिलाफ मारुती काण्ड के बारे में पत्र को प्रकाशित कर दिया, इसके कम्युनिस्ट बन्धु विरोध नहीं करते ...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मार्क्सवादियों के साथ शादी कर ली (शोरगुल : अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह बगिस बिड़ला समर्थन में बात लिख देता तो वह कहते कि पूंजीपति का दलाल है ....

श्री अध्यक्ष : काफी कह चुके हैं, काफी बात आ गई है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : दो मिनिट में बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : शीघ्र समाप्त कर दें।

श्री शंकरसिंह रावत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, जवाब देना था, वह न देकर ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : सुनिये। सच्ची बात सुनिये।

श्री शंकरसिंह रावत : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सही बात सुनने की हिम्मत होनी चाहिए।

श्री शंकरसिंह रावत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो जवाब देना था पार्टी का, वह न देकर दूसरी बात पर जा रही है। हमारी पार्टी ने एलीगेशन लगाया था, जय प्रकाशजी पर।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यही बात कह रहा हूं। आपकी तरफ से ऐसा कह चुके हैं।

श्री शंकरसिंह रावत : देश की रक्षा करें लेकिन गोली मत चलायें। यह जवाब देना था। यह दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : Please conclude.

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं शीघ्र समाप्त करता हूं।

कैरल में चुने हुए प्रतिनिधियों की विधान सभा को भंग कर दिया इन्दिरा गांधी ने ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : दिल्ली में खन्ना ने 80 लाख का गबन किया। इस वक्त आपकी पार्टी कहती कि बहुत अच्छा किया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उस समय इन्दिरा गांधीजी ने जो काम किया, उस समय गलत किया। आज कहते हैं (शोरगुल : अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : (शोरगुल : अश्रव्य) सीलिंग लागू किया (शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आप बहुत ज्यादा बोलते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इनको आगरा भेज दिया जाय। He must be sent to Agra Hospital.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको डाक्टर व्यास के पास भेज देते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसमें किसी प्रकार की शंका है नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र की बात करते हैं ...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बूढ़े से शादी आपने कर ली।

श्री गुमानमल लोढ़ा : राजस्थान विधान सभा में 93 विधायक कांग्रेस के विरोध में जीत कर आये, रामानन्दजी सहित 93 विधायक गवर्नर के पास गये, महारावल गये। आज कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, रामानन्दजी, उस समय इन्होंने नई शेरवानी बनवाई और वहां कहा कि हमारा बहुमत है। रामानन्दजी यह बतायें, अगर ईमानदार हैं कि उस वक्त सम्पूर्णानन्द ने जो किया था वह लोकतंत्र का खून था (शोरगुल: अश्रव्य) इसका जवाब दें...

श्री रामानन्द अग्रवाल : (शोरगुल : अश्रव्य) ठण्डा पानी पिलायें एक लोटा। इनका हार्ट फेल हो रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : अब तो बैठ गये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसका जवाब नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं.....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पानी पिला दें इनको।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह देश विभिन्न मत मतान्तरों का है, यहां मुस्लिम लीग है, और कम्युनिस्ट पार्टी है, और डी०एम०के० है। क्या यह मान्यता है मुख्य मंत्रीजी, जहां सरकार का पैसा अनुदान के रूप में दिया जाय, चाहे पंचायत समिति हो, जिला परिषद् हो, नगरपालिका हो, उसमें शासक वर्ग को ज्यादा रकम देवें, सब प्रकार की सहायता देवें ? अगर यह मान्यता है तब तो जो हल्ला गुल्ला करने वाले हैं, जो हाथ उठा कर समर्थन करने वाले हैं बिना दिमाग को यूज किये हुए वह यह बताने की कोशिश करें कि वी आर मोर पाइज देन पोप हिमसेल्फ।... वह यह भी चाहते हैं कि दिल्ली की दरबार में बतायें इंदिराजी की दरबार में बतायें You are more pious than the Pop himself. यदि हमें संविधान की रक्षा करनी है, आप समझते हैं कि उस एक्ट में प्रावधान है कि वे किसी भी संस्था की मदद नहीं कर सकती हैं, तो उन्होंने गलत किया है फिर भोगीलाल पांडिया हो, त्रिलोकी चन्द हो कोई भी व्यक्ति हो, वरना जो खादी बोर्ड में काम करते हैं, उन्होंने अपनी भावनाओं से काम किया है, उसमें मतभेद हो सकते हैं। या तो उन संस्थाओं में आपके व्यक्ति जहां हैं उनसे कहें कि एसर्ट करें, बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पास करके कहें कि सहायता नहीं देनी चाहिए...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यदि अल्पमत में हैं उस कारण उनकी बात नहीं चली है और बहुमत से निर्णय हुआ है तो आप अपनी बात थोपने की कोशिश करेंगे। यह जो प्रश्न पूछा गया है, इसके द्वारा रोकथाम की जायगी, खादी बोर्ड पर हमला होगा, जो जय प्रकाशजी को समर्थन दिया है उसके खिलाफ षडयंत्र है लेकिन मुख्य मंत्रीजी आपने जिस प्रकार कई मामलों में जैसे गुंडा नियंत्रण अधिनियम के समय शालीनता का परिचय दिया और संशोधन स्वीकार किया जो रीजनेबुल था, मैं समझता हूं आज भी हम आशा करते हैं कि यह आपकी कसौटी है, परीक्षा है, यहां पर घोषणा करें कि जब तक कानून इसको नहीं रोकता है, तो उनको छूट है, बाकी फासिस्टवादी तारीके से यहां पर घोषणा करके ऊपर से रोकने का प्रयास नहीं करेंगे और वहां पर बहुमत के निर्णय को खत्म नहीं करेंगे तो यह फासिस्टवादी होगा।

Page No 130

(130)

श्री अध्यक्ष : मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि मैं एक्स्ट्रा समय निकालकर दे रहा हूं। उदयपुर सीमेंट फैक्ट्री के लिए समय दिया है, विशेषाधिकार भी है और लेवी का मामला भी है। काफी डिबेट हो चुकी है और भी कुछ कहना है तो संक्षेप में कहें, एक घंटा और है।

श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : जिस प्रकार का प्रश्न उठाया है, उस पर कोई राजनैतिक चर्चा नहीं करूंगा लेकिन कुछ सवाल है जिन पर मुख्यमंत्री को जवाब देना है। मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने कहा कि खादी संस्थाओं में भ्रष्टाचार है। मैं मुख्य मंत्री से चाहूंगा कि खादी संस्थाओं में निश्चित तौर से भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार 27 साल से चल रहा है, इसकी जांच क्यों नहीं की ? जांच करने की कोशिश करें। दूसरी स्थिति यह है कि खादी संस्थायें जो विज्ञापन के लिए पैसा देती हैं, वह देना उचित है या नहीं, इसके औचित्य पर थोड़ी चर्चा हो रही है। एक लोकतांत्रिक समाज में मत की भिन्नता को हम स्वीकार करते हैं और इन संस्थाओं को अनुदान देते हैं, उसके बाद जो स्वायत्त शासन संस्थायें हैं, उनके लिए मुख्य मंत्री तैयार हैं कि वे किसी प्रकार के विज्ञापन नहीं देंगे ? अगर ऐसी घोषणा कर देंगे तो मैं आभारी होऊंगा श्री गोटेवाला का। मैं चाहूंगा कि जितनी भी प्राइवेट संस्थायें हैं, स्वायत्त शासन संस्थायें हैं, बोर्ड्स हैं, वे किसी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट्स नहीं दें। हम जानते हैं कि ऐसा साहस मुख्य मंत्री नहीं कर पायेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि सैकड़ों स्मारिकायें इस प्रकार की निकलती है जिनमें न मैटर होता है न उद्देश्य होता है, केवल मंत्रियों की फोटोज होती हैं। फोटोज के लिए जब पैसा दे सकते हो तो आपको आचरण में एकरूपता रखनी चाहिए। तो क्या मुख्य मंत्री कहने के लिए तैयार हैं कि चाहे आपका इंडस्ट्रियल कारपोरेशन हो, वह नहीं देंगे। सवाल रह जाता है कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है कि लोकतंत्र समाप्त हो रहा है और हमारा पैसा है जैसे कि श्री गोटेवाला का पैसा दिया जा रहा है दूसरे लोगों के लिए ...

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री रामकिशन : आपने हमारा कहा है। तो एक दिन विरोधी दल के सदस्य अस्पताल में जायेंगे तो श्री गोटेवाला सवाल उठायेंगे कि हमारा पैसा है, विरोधियों को दवाइयां मत दो। मुझे तर्स आता है ऐसे लोगों पर कि लोकतंत्र के कौन से रास्ते पर जा रहे हैं, मगर यह जरूरी है कि यह पैसा आपका नहीं है, यह पैसा जिस उद्देश्य के लिए लाया गया है उसमें खर्च हो, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं मुख्य मंत्रीजी से आश्वासन चाहता हूं कि संस्थाओं में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए, इसी बहाने ही सही, कदम उठायें। हम तो समझते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। आप कहते हैं कि जे०पी० का आंदोलन प्रजातंत्र समाप्त करने के लिए है क्योंकि उन्होंने विधान सभा भंग करने की बात कही है, उनको पैसा नहीं देना चाहिए, अगर यही उद्देश्य है तो कानून बनायें कि जो आपकी नीतियों का समर्थन करते हैं उनको ही विज्ञापन मिलेंगे। जब हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो तो आप कहते हैं कि दकियानूसी हैं, प्रतिक्रियावादी हैं, लोकतंत्र को खतम करना चाहते हैं। अगर भ्रष्टाचार

(श्री रामकिशन)
की स्थापना ही लोकतंत्र का लक्ष्य है तो जय प्रकाशजी जरूर प्रतिक्रियावादी हैं। भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में . . .

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रामकिशन : मैं मुख्य मंत्री का जवाब इसलिए चाहता हूं कि उनका उद्देश्य इंदिरा गांधी की अधिक श्रद्धा जुटाना है। वह खुद सोचें कि कहीं लोकतंत्र है ? मुझे आश्चर्य है कि बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने समाजवादी पार्टी के लिए कहा, हम सोचने की स्थिति में नहीं हैं, बहुत से लोगों को न बुद्धि है, न संस्कार है, न दिमाग है सब बातें कमजोर हैं लेकिन समाजवादी पार्टी जिस उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रही है, जय प्रकाशजी जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं उसको सीमित तौर से हमारा समर्थन है। अगर वह कोई दूसरा कदम उठायेंगे तो कई बार विचार करेंगे। जहां तक गरीबी मिटाने का सवाल है, आपने दिल्ली प्रदर्शन के बारे में सुना होगा, उसमें हजारों औरतें ऐसी थीं जो उत्तरप्रदेश और बिहार से आई हुई थीं, जिनके शरीर पर आधा कपड़ा फटा कपड़ा था। आप इसकी जांच कर सकते हैं, कांग्रेस के लोगों से जांच करायें जो करीब थे, उसके परिणाम में कुछ दिक्कत हो सकती है। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि सम्पूर्ण क्रान्ति का उद्देश्य क्या है ? तो हमने किताब लिखी है वह मुख्य मंत्री को पहुंचा दूंगा उसका अध्ययन करें। उसका उद्देश्य है पूंजीवाद का विनाश। मुख्य मंत्रीजी इंदिरा गांधी का जिक्र करने की कोशिश न करें। हमको गोयनका के साथ जोड़ दिया। यह गोयनका कौन हैं ? इनका पत्र निकलता है जिससे संबंधित थे फेरोज गांधी, इंदिरा गांधी के पति, उनका काफी दिन नमक खाया है, इससे ज्यादा गोयन्का की मुझे जानकारी नहीं है।

तो मुख्य मन्त्रीजी, मैं स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि सभी प्रकार की संस्थाओं में नगरपालिका से लेकर सब में विज्ञापन देने पर पाबंदी लगाने पर तैयार हैं ? लेकिन लोकतंत्र में उचित नहीं होगा। दूसरी बात, खादी संस्थाओं में जो भ्रष्टाचार है, इस बहाने ही सही, आप जांच करें। केवल इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामानंद अग्रवाल : हमारे दल से कोई नहीं बोला है। हांडा साहब ने प्रश्न रखा था, साइन किया था, उस प्रश्न तक मामला सीमित था। बहुत सी बातें हमारे दल के बारे में कही गई हैं, तो हमें भी मौका मिलना चाहिए।

श्री गुमानमल लोढा : हांडा साहब तो बोल चुके हैं।

श्री रामानंद अग्रवाल : जो आधे घन्टे की चर्चा है, खादी व ग्रामोद्योग संस्थाओं द्वारा ऐसी स्मारिकाओं को विज्ञापन देना यह जो सीमित प्रश्न है उसके संदर्भ में बहुत सी बातें हमारे दल के संबंध में जनता दल के उपनेता ने कही हैं। मैं समझता हूं कि जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन के संबंध में हमने अपना दृष्टिकोण पिछले 29 तारीख को बहुत स्पष्ट रूप से रख दिया। हम जानते हैं कि माननीय सदस्य उनसे सहमत नहीं हो सकते और मेरी आकांक्षा भी नहीं है कि उनसे वे सहमत हों। परन्तु लोकतंत्र के संबंध में उन्होंने यह कहा है कि हम लोकतंत्र बचाना चाहते हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लोकतंत्र में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

विश्वास नहीं करती इस प्रकार का आरोप उन्होंने लगाया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह वास्तविकता भी है। उनकी जो परिभाषा है लोकतंत्र की और हमारी लोकतंत्र की परिभाषा दोनों ही अलग हैं। इनकी लोकतंत्र की जो परिभाषा है और हमारी लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसमें दोनों में बुनियादी मतभेद है। क्योंकि जिन दृष्टिकोणों से उनका दल बना है और जिस वर्ग से उनका दल बना है उस वर्ग की यह दल सेवा करते हैं। उस दल को वह अपने खून और पसीने से सींच रहे हैं। यह तो ठीक है कि इनको सिर्फ अपना खून और पसीना ही देना पड़ रहा है अगर इनको अपने सिर के बाल भी देना पड़े तो वह देने को तैयार हैं। तो मैं समझता हूं कि इनको अपने बाल नहीं देने की शिकायत जरूर रही है। क्योंकि यह दल चाहे जनसंघ हो, चाहे स्वतंत्र पार्टी हो, यह हमेशा से ही शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं उनके अनुसार शोषण करने वालों के हितों की रक्षा करना ही लोकतंत्र है। जो लोग शोषण करने वालों के खिलाफ में प्रचार करते हैं, जो लोग अराजकता के खिलाफ में कदम उठाते हैं उन्हें यह लोग लोकतंत्र की हत्या करने वाला कहते हैं उन्हें यह लोग फासिस्टवादी बताते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारी लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसमें मेहनतकश लोगों को अपनी मेहनत का पूरा पैसा मिले और उनका शोषण नहीं हो और जिसमें लोकतंत्र बहुमत के लिये हो लोकतंत्र बहुमत के द्वारा हो और लोकतंत्र से बहुमत वालों के हितों की रक्षा हो, यह है। यह हमारी परिभाषा है लोकमत की। तो अध्यक्ष महोदय, हमारे लोकतंत्र में मेहनतकश लोगों की बहुतायत है इसमें 90 प्रतिशत लोग हैं और शोषक वर्ग में सिर्फ 10 प्रतिशत हैं। अब यह जो लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटने वाले हैं वह सिर्फ अपने 10 पर्सेंट लोगों के हितों की जो शोषक वर्ग है उनकी रक्षा करता है। उनकी लोकतंत्र की परिभाषा सिर्फ दस परसेन्ट शोषण करने वाले लोगों की है। हमारी परिभाषा 90 प्रतिशत जनता के लोगों के लिये है। इसलिये हमारी लोकतंत्र और इनके लोकतंत्र की परिभाषा में बुनियादी मतभेद हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपके लोकतंत्र में इस तरह विधान सभा में बैठकर बोलने का अधिकार नहीं होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारी नीतियों में और इनकी नीतियों में बुनियादी फर्क है। हमारी लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार उस लोकतंत्र में आज कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है किसी भी आदमी का शोषण नहीं होता है वहां पर कोई भी शोषित वर्ग नहीं है· · · ·

श्री भानुकुमार शास्त्री : इस तरह बैठकर विधान सभा में भाषण नहीं दे सकते हैं वहां पर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और इसी ताकत से आज दुनिया में हमने लोकतंत्र से कईयों को शिकस्त दी है। आज दुनिया के मजदूरों ने बड़े से बड़े पूंजीवादी राष्ट्र को शिकस्त दी है अभी जो देश आजाद हुए हैं उसमें यह पूंजीवादी देश गड़बड़िया पैदा कर रहे हैं। यह दुनिया के पूंजीवादी देश आज पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं दूसरे देशों के अन्दर अराजकता फैलाना इन पूंजीवादी देशों का काम है जिससे कि वहां का लोकतंत्र खतरे में पड़

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जाय । उनका लोकतंत्र यह है । उनकी लोकतंत्र की परिभाषा यह है ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य थोड़े में फरमावें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो अध्यक्ष महोदय, दोनों के लोकतंत्र की परिभाषा में बुनियादी मतभेद हैं । दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं । इनके लोकतंत्र के अनुसार लोगों का ज्यादा से ज्यादा शोषण किया जाय और शोषित करने वाले वर्ग को लाभ पहुंचे दूसरी ओर हमारे लोकतंत्र में मेहनतकश लोगों को उनकी मजदूरी उन्हें उनकी मेहनत के अनुसार मिले और उनका शोषण नहीं हो सके । अब परिभाषा तो मैंने दोनों ही इनको बता दी है लेकिन जहां तक सवाल इनको समझाने का है वह मेरे सामर्थ्य में नहीं है । और मैं ऐसा सामर्थ्य रखना भी नहीं चाहता । अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जहां जहां भी प्रगतिशील कदम उठाये हुये हैं वहां वहां पर हमारी पार्टी ने समय समय पर, अपना रुख, अपना दृष्टिकोण उस बारे में रखा, चाहे वह हमारे प्रान्त में हो चाहे वह हमारे देश में हो, हमने अपना दृष्टिकोण हमेशा से ही रखा और बहुत स्पष्ट रूप से रखा। जहां तक संबंध ज्ञापन का है मैं मानता हूं कि अपने अपने दल की अलग अलग नीतियां होती हैं, विचारों में मतभेद होता है और होना भी चाहिये मैं इनकार नहीं करता। अगर चिरन्जीलाल हों, छीतरमल हों चाहे कोई भी हों अगर वह अपने जेब में से निकाल कर एक पैसा नहीं दस हजार रुपये तक दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी । कोई आपत्ति भी नहीं थी । लेकिन प्रश्न यह है कि सार्वजनिक धन को जो कि जनता द्वारा टेक्स के रूप में दिया गया उस पैसे को अगर यह लोग जनतंत्र के विरोध करने वाले लोगों के लिये खर्च करें तो यह दोषी हैं। जो लोग जन आन्दोलन के नाम पर इस प्रकार सरकार के धन का दुरुपयोग करते है तो उनके खिलाफ में कार्यवाही होनी चाहिये। कुछ लोग अपने तरीके से अपने यहां काम करने वाले मजदूरों के हितों को तिलान्जली देकर इस प्रकार के आन्दोलन को बढ़ावा देते हैं यह आपत्तिजनक है । क्योंकि यह लोग खादी ग्रामोद्योग बोर्ड मठाधीशों की तरह बैठे हुए है उन्होंने जब जय प्रकाश नारायण यहां पर आये थे अपने यहां पर काम करने वाले मजदूरों से जबरदस्ती चन्दा लिया था और उन्ही मठाधीशों ने जब मजदूरों ने जयप्रकाश नारायण के खिलाफ में रेली निकाली तो उसमें जिन खादी ग्रामोद्योग में काम करने वाले मजदूरों की छुट्टी काटली तो मेरा निवेदन यह है कि उनकी इन हरकतों के लिये राज्य सरकार को चाहिये कि उनके खिलाफ में एक्शन ले । मैं उन मठाधीशों को भी ज्यादा दोषी नहीं मानता । मैं उनकी इस तरह की मजदूर विरोधी प्रक्रिया को लोकतंत्र के विरोधी मानता हूं । इसके लिये मैं सरकार की उदासीनता मानता हूं कि उसने इन मठाधीशों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। जिन लोगों ने राज्य सरकार के धन का दुरुपयोग किया है उनके खिलाफ में तुरन्त एक्शन लेना चाहिये। यहां पर सदन में जनसंघ वाले व स्वतंत्र पार्टी वाले यह कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस का साथ सन् 72 के बाद ही दिया और यह अपना रुख बनाया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या सन् 67 में आपने हमारा साथ दिया था संयुक्त सरकार बनाने के लिये तब क्या आप थे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इनको बड़ी शिकायत है कि हम सन् 1967 में प्रतिक्रियावादी लोगों के साथ में कैसे बैठे थे। इस बारे में मैंने पहले भी सदन में उत्तर दिया था और आज फिर माननीय सदस्यों को उत्तर दे देता हूं ताकि आपके दिमाग में जो वहम है वह निकल जाये। मैं आज फिर कह देना चाहता हूं कि चाहे जनसंघ वाले हों, चाहे स्वतन्त्र पार्टी के लोग हों, चाहे यह लोग कौवे से हंस बन जायें। यह मैं नहीं मान सकता। उस वक्त आप लोगों ने डिसीजन लिया था और उस वक्त अगर कम्युनिस्ट पार्टी आपका साथ नहीं देती तो आप लोगों के मन में यह रहता कि शायद कम्युनिस्ट पार्टी इसमें रोड़ा अटका रही है इसलिये हम पावर में नहीं आ पारहे हैं। तब भी हमने उस वक्त 17 सूत्री कार्यक्रम बनाकर आपके सामने रखा और उस 17 सूत्री कार्यक्रम पर अमल करने की कन्डीशन पर ही हमने संयुक्त सरकार का समर्थन देने की बात कही थी लेकिन आपको मौका ही नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप भी मंत्री बनने के भागीदार बन कर आये थे। पता लग जाता कि कौन नंगा होता उसमें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप कहें तो बाहर से नाई ले आऊं आपके लिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो जनसंघ के हैं उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी पर बहुत बार आक्षेप लगाने की कोशिश की है लेकिन अभी तक आपको कहीं भी सक्सेस नहीं मिली। हमने तो स्थिति को जब आप 6 विधायक हैं और उस वक्त आप 40 स्वतंत्र पार्टी के थे और 19 विधायक जनसंघ के थे तब भी जबकि मैं अकेला ही था उस वक्त भी आपसे लोहा लिया था।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप तो कांग्रेस की मदद से आये हो अगर कांग्रेस की मदद नहीं होती तो नहीं आ सकते थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अरे जाकर अपने बुजुर्गों को पूछो हिटलर वगैरह को जिनको भी हमने शिकस्त दी . . .

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अपने पूर्वज मैं उनसे कहना चाहता हूं।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, कई माननीय सदस्य (शोरगुल: अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मुझे यह फिर से कहना पड़ेगा कि जो परम्परा तय की थी उसको नहीं उलांघेंगे, हर एक को कहने का मौका मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरह से कोशिश करके कोई पोइन्ट ढूंढ ढांढ कर लाते तो मुझे खुशी होती, मैं कहना चाहता हूं उनके अन्तर्राष्ट्रीय आकाओं और पूर्वजों से पिछले, हिटलर और मुसोलिनी . . .

श्री गुमानमल लोढ़ा : पूर्वज तो आपके हैं, हमारे नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तमाम फासिस्टों का षडयन्त्र है . . . .

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : पूर्वज आपके हैं। अंग्रेजों के समय कहां थे आप? उन्हीं की गोद में थे। आप अंग्रेजों के भक्त थे जब अंग्रेजों के साथ रूस था और जब रूस जर्मनी के साथ था उस समय आप उन्हीं आपके पूर्वजों के साथ थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जेलों में थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अंग्रेजों से लड़ाई थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री गुमानमल लोढा : यदि माननीय सदस्य इस प्रकार से बोलें तो यह उनके बोलने का तरीका है।

एक माननीय सदस्य : महात्मा गांधी का खून किया था ....

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह फैसला होता जा रहा है ....

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : महात्मा गांधी के खून से आपके हाथ रंगे हुए हैं ....

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : 19 से 9 हुए और 9 से 6 रह गये हैं और आगे छः भी नहीं रहेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह तो जनमत बतायेगा। आपकी तो जमानत जब्त होगी।

श्री अध्यक्ष : अब जवाब देने दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनके हस्तक्षेप करने से मुझे बोलने का पूरा मौका नहीं मिला है ....

(शोरगुल)

श्री मोहरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बहुत चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : देशद्रोही तुम हो। तुमने देशद्रोही का काम किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करने जा रहा था। इस बात का फैसला ....

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : नीति सम्बन्धी वक्तव्य रखना चाहता हूं। खादी बोर्ड वगैरह में फासिस्ट शक्तियां बैठी हुई हैं, इनको भंग करके निश्चित रूप से खादी में जो निष्ठा रखते हैं उनके हाथ में यह दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री मोहरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : आपको (श्री लक्ष्मणसिंह) फिर मौका दिया जायगा।

श्री मोहर्रसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : आपको भी फिर मौका दिया जायगा।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री मोहर्रसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : आज मैं आप से (श्री लक्ष्मणसिंह) माफी चाहता हूं। आप से भी (श्री मोहर्रसिंह) माफी चाहता हूं।

श्री मोहर्रसिंह : मुझे एक मिनिट का भी समय आपने नहीं दिया है। आधे घंटे का टाइम आपने उनको दिया है।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री मोहर्रसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपने व्यवस्था दी है।

श्री अध्यक्ष : सुनिये, सुनिये। मुझे समय देने में कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन काम इतना है।

श्री मोहर्रसिंह : मेरे समय में ही आपने कटौती की है, मुझे समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : समय की पाबन्दी के साथ रखा जाय तो अधिक आदमियों को समय दिया जा सकता है। समय इसी में से निकालना होगा। मुझे ऐतराज नहीं है।

श्री मोहर्रसिंह : यह बिजली मेरे ही ऊपर आकर पड़ी है क्या ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जितनी शानदार रेली लेकर ये आये हैं, और कोई नहीं लाये हैं।

श्री मोहर्रसिंह : 25 हजार आदमियों की रेली थी।

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिये उनकी बात को।

(व्यवधान : अश्रव्य)

मैं मौजूद हूं सेवा करने के लिये। मैं यह कह रहा था कि मुझे समय देने में कोई ऐतराज नहीं है आपको।

श्री मोहर्रसिंह : मुझे तो देना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष : सुनिये तो सही। मेरी परेशानी यह है कि वक्त की पाबन्दी नहीं होती है, वक्त की पाबन्दी हो तो आपको देने में और आपको भी देने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। 4॥ का वक्त हो गया है।

श्री मोहर्रसिंह : सब ने ज्यादा समय लिया है।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात को मानें सब तो ठीक है। समय दे रहा हूं लेकिन और भी तो बिजनेस को निर्धारित करना है।

Page No 137

137

श्री मोहर्रसिंह : समय निर्धारित होना चाहिये या लेकिन सारी कटौती मेरे ऊपर आ गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की चर्चा का विषय माननीय गोटेवालाजी ने शुरू किया है वह इस बात को लेकर कि कुछ विद्यार्थियों के जरिये से जयप्रकाशजी देश में आन्दोलन चला रहे हैं। इस पर दोनों पक्षों की ओर से चर्चा हुई है। दो शब्द मैं भी मेरी ओर से कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर कहा गया है कि जयप्रकाशजी प्रजातन्त्र को खत्म करना चाहते हैं और देश में फासिस्ट प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस तो प्रजातंत्र की हामी है और प्रजातंत्र को कायम रखना चाहती है और फासिस्टवाद की विरोधी है और जनता को आगे बढ़ाना चाहती है। इस प्रकार तीन चार बातें कहीं और सदन में इधर की ओर से और उधर की ओर से आक्षेप प्रत्याक्षेप किये गये। मैं यह कहना चाहूंगा कि जय प्रकाशजी के साथ हमारी पार्टी का किस प्रकार कोई समझौता नहीं है। जनता की समस्याओं के प्रति हमारा साथ उनके साथ है, फन्डामेंटल राइट्स की जहां तक संबंध है हम उनके साथ हैं इसलिये कि दोनों का आधार उनकी रक्षा के लिए है। उसका मिस यूज किया जा रहा है। देश के हजारों लोगों को जेल में डाला जा रहा है। जो फन्डामेंटल राइट्स हैं उनको भी छीना जा रहा है। सम्पूर्ण रूप से जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जो आन्दोलनकारी हैं वे दोनों में हैं। कांग्रेस में भी हैं और विरोध पक्ष में भी हैं लेकिन कांग्रेस के पास हुकूमत है इसलिये वे बड़े भाई हैं और ये छोटे भाई हैं। हैं दोनों भाई भाई, इसलिये आपको सोचना चाहिये कि आप जनतंत्र की पूर्ति कहां तक करते हैं? मैं देख रहा हूं इतने दिन हो गये-सदन में देखा उससे पहले बाहर देखा-बिहार में कोई आन्दोलन होता है, मद्रास में कोई आन्दोलन होता है तो वह अप्रजातान्त्रिक हो गया

श्री अध्यक्ष : खतम करिये।

श्री मोहर्रसिंह : आपकी सारी की सारी बातें अप्रजातान्त्रिक हैं। जयप्रकाशनारायण जी एक-दो वर्ष पहले आपके ही साथ थे। वर्षों तक आपके साथ कांग्रेस में रहे हैं लेकिन आज देश की हालत को देखते हुये अगर उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर सुधार के कार्यक्रम हाथ में लिये हैं तो क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, यही आपका जनतंत्र है? पंचायतों के चुनाव वर्षों से नहीं करवा रहे हैं और बार बार जब प्रश्न आता है और आश्वासन दे दिया जाता है और फिर उसको वर्षों के लिये टाल दिया जाता है क्या यही आपका प्रजातान्त्रिक तरीका है? क्या इसे ही आप प्रजातंत्र कहते हैं? इसी तरह से कहा गया देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को खुशनुमान रखना चाहते हैं तो पहले 40 परसेन्ट गरीबी की संख्या थी वह अब 66.37 आ गई है। क्या इसी को देश को आगे बढ़ाना कहते हैं? क्या इसी को आप देश को आगे बढ़ने का नक्शा मानते हैं? और यह भी कहा गया कि हम फासिस्टवाद को खतम करके जनतंत्र को आगे लेजाना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं जनतंत्र का नाम लेना छोड़ दें तो यह आपके लिये बढ़िया होगा। चारों तरफ से पाबन्दी लगा दें यह किस प्रकार का आपका प्रजातंत्र है, कांग्रेस को चन्दा दिया जाय तो इन्साफी है और दूसरी पार्टियों को चन्दा दे दिया गया तो कहते हैं यह बेइन्साफी है। एक तरफ तस्करों को

(श्री मोहरसिंह)
पकड़ा गया और वे साफ साफ कहते हैं कि हम कांग्रेस को चुनावों में चन्दा देते हैं और फिर आपका दावा है कि हम जनतंत्र के हामी हैं इस प्रकार कह कह कर जनतंत्र को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें कृपा करके ।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, बार-बार यह दलील दी गई कि आन्दोलन अप्रजातांत्रिक है तो मेरी समझ में नहीं आया आन्दोलन अप्रजातान्त्रिक कैसे हो गया । मुख्य मंत्री के सामने बात रखी, डेपूटेशन आया यहां पर आन्दोलन हुआ उसमें लाठियां चलीं, गोलियां चलीं, अश्रु गैस चली यह आपका कैसा जनतंत्र है ? माननीय परसरामजी मेरे साथ चलें मैं उनको किसानों की हालत का नजरन्दाज कराऊंगा । आज भयंकर रूप से अकाल फैला हुआ है । आप कहते हैं कोई मरा नहीं है । मेरे साथ चलिये मैं दावे के साथ कहता हूं भूख से राजस्थान में अनेक मौतें हुई हैं । क्या यही आपका 27 साल का जनतंत्र है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज असेम्बली बन्द करके चले जायेंगे फिर 6 महीने बाद मिलेंगे तब तक न मालूम कितनी मौतें राजस्थान में अकाल से हो जायेंगी । 27 वर्ष की आजादी के बाद भूख से मरने की गारंटी नहीं दे सकें यह किस प्रकार का आपका प्रजातंत्र है ?

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, अकाल की समस्या है । मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा अकाल की समस्या को मामूली गिना जा रहा है । उनको किसी भी प्रकार का रोजगार दिया जाय इसलिये मैं निवेदन करता हूं संघर्ष समिति की बात कही, 24 हजार का प्रदर्शन हुआ, मुझे नहीं कहना चाहिये लेकिन कहा गया मार्क्सवादी हैं, मैं साफ तौर से निवेदन करता हूं ....

(व्यवधान : अश्रव्य)

24 हजार ही नहीं एक लाख आदमियों को लाकर दिखा सकता हूं । हमने फील्ड में काम किया है पूरी जिन्दगी इसमें लगाई है । यह आपका नकली और खोटा प्रजातंत्र है ...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें माननीय सदस्य ।

श्री मोहरसिंह: जनतंत्र की दुहाई देकर देश को गरीबी की ओर ले जाया जा रहा है ..

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : इस पर इनका मोशन था इसलिये हांडाजी को अलाऊ किया, रामानन्दजी को अलाऊ किया, इनका भी था इसलिये अलाऊ किया ....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कहां था इनका नहीं था, न इनका था और न उनका,

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आप जो भी आज्ञा देंगे सिरोधार्य है । अगर यह एक दल बन गया है तो सब दल को एक एक मौका दें तो ठीक है । दल एक बन जाय और फिर जनसंघ अलग बोले, स्वतंत्र पार्टी के अलग बोलें तो फिर ....

श्री अध्यक्ष : सी० पी० आई० के दो सम्मानीय सदस्य बोल चुके हैं । उनका हाफ एन आवर डिसकशन था ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे बोलकर क्या विशेष लाभ लेना है लेकिन वे अनुचित लाभ उठाते हैं ....

श्री अध्यक्ष : उनके दस्तखत थे हाफ एन आवर डिसकशन पर।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको विदित है मुझे इस प्रश्न के ऊपर न तो बोलना था और न मेरी तैयारी थी कि मैं इस प्रश्न पर बोलूंगा, क्योंकि बहुत सीधा सा प्रश्न था कि उस दिन जो प्रश्नोत्तर काल में उत्तर दिया गया था उसमें अस्पष्टता रह गई थी। माननीय सदस्य ने कुछ स्पष्टता चाही थी। उसका उत्तर खादी से संबंधित मंत्री महोदय देना चाहते थे किन्तु इसमें कई प्रश्न ऐसे आ गये जिसमें मैंने समझा कि मुझे राज्य सरकार की ओर से कुछ बात को कहना चाहिये।

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा क्योंकि मैंने पहले की बात तो सुनी नहीं थी इसलिये मालूम नहीं है मैंने कहा था अगर उनकी पार्टी के खिलाफ कहा गया है तो उनको एक्सप्लेनेशन देने का मौका देना चाहिये मगर उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उसके अन्दर जोड़ दिये जिससे इस प्रश्न का कहीं कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं आज की स्थिति को समझकर कह सकता हूं कि आज के सारे प्रश्न इररिलेवेन्ट थे और मैं उनका उत्तर नहीं देना चाहता हूं।

जहां तक भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य की बात है मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय, कि मिसचीवियस शब्द पार्लियामेंटरी है या नहीं है मेरे कहने का यह मतलब नहीं है, यह माननीय सदस्य ने कहा है और वे इसकी आड़ लेकर करना चाहते हैं। इनको छेड़ा गया है, यह है, वो है, मैं नहीं कहता हूं कि मिसचीवियस पार्लियामेन्टरी है या नहीं है मगर मैं ऐसा समझता हूं खादी बोर्ड आटोनोमस संस्था है, ये सरकार को सजेशन दे रहे हैं कि सरकार एक्शन लेवे।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि खादी संस्थाओं के अन्दर अगर कहीं कोई खराबियां हैं उनको देखे और स्टेप्स ले। इसी बात को ध्यान में रखकर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य को हमने खादी बोर्ड का मेम्बर रखा ....

श्री रामकिशन : जब आप अध्यक्ष भी थे।

श्री हरिदेव जोशी : और यह आशा की थी कि वहां पर जो गड़बड़ियां होंगी उनको वह दूर करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं सदन को कि जो अधूरा काम वह वहां छोड़ आये हैं मैं उनको पूरा करूं। ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष के नाते।

श्री हरिदेव जोशी : चीफ मिनिस्टर के नाते।

अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है और मूल प्रश्न यह है कि क्या खादी बोर्ड का यहां पर नाम लिया गया तो खादी बोर्ड ने न तो कोई चन्दा दिया है और न एडवरटाइजमेन्ट दिया है। खादी संस्थायें फैक्ट्स के अनुसार पोजीशन यह है कि कुछ कमीशन से संबंधित हैं जो कि डाइरेक्टली उससे एडेड हैं और कुछ खादी बोर्ड से संबंधित हैं और कमीशन या तो उनको पैसा देता है। अब हमने लोन का सिस्टम भी इन्ट्रोड्यूज किया है उससे संस्थाओं को लोन अथवा सबसिडी मिलती है। एक स्थिति बहुत स्पष्ट है तथ्यों के ढंग से श्री

(श्री हरिदेव जोशी)

वह यह है कि दूसरी ऑटोनामस संस्थाओं में और खादी संस्थाओं में बहुत बड़ा फर्क है। दूसरी ऑटोनामस संस्थायें या तो गवर्नमेंट के द्वारा उनमें नामीनेटेड मेम्बर हैं अथवा इलेक्टेड हैं और यह जो संस्थायें हैं यह एक प्रकार से ट्रस्ट हैं। इन्हें एक स्पेसिफिक परपज के लिए गठित किया गया है और वह स्पेसिफिक परपज है खादी और ग्रामोद्योग के जरिये लोगों को रोजगार देना। इस स्पेसिफिक परपज के लिए उन्हें दूसरे किसी भी लोन के मुकाबले में कन्सेशनल लोन अथवा सबसीडी दी जाती है। उस पैसे को वह उस स्पेसिफिक परपज के लिए नहीं उपयोग करके और दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं। मेरी राय में यह उस पैसे का दुरुपयोग है और इसलिए अगर कानून के जरिये इसको कहीं भी नियंत्रण किया जा सकेगा तो राज्य सरकार निश्चित रूप से देखेगी कि उनका उल्लंघन नहीं होने पाये और अगर हुआ है तो क्या किया जाना चाहिए इसको भी राज्य सरकार देखेगी। ..

श्री रामकिशन : पिछले 27 वर्षों में।

श्री गुमानमल लोढा : इसमें कांग्रेस की स्मारिका ....

श्री हरिदेव जोशी : आप जरा सुनें तो सही। मैं तो उत्तर दे रहा हूं जो गवर्नमेंट का पाइन्ट आफ व्यू है उसको रख रहा हूं।

मैं ऐसा समझता हूं कि खादी संस्थाओं से अगर कांग्रेस कोई स्मारिका निकाले तब भी उन्हें नहीं देना चाहिए और ऐसा मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि कोई पालिटिकल पार्टी भी निकाले स्मारिका तब भी उन्हें नहीं देना चाहिए और जहां तक खादी संस्थाओं का सवाल है उन्हें दूसरे किसी भी चैरिटी के नाम से एडवरटाइजमेंट नहीं देना चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए कि उनको एक स्पेसिफिक काम सौंपा गया है। वह आपका डवलपमेंट और चैरिटी का काम है और उसके जरिये वह जितनी भी फिलन्थ्रापी करें उनको छूट है लेकिन इस पैसे से दूसरा काम करना चाहते हैं अगर वह गैर कानूनी नहीं है तो अनैतिक है ऐसा मैं निश्चित रूप से मानता हूं।

प्रश्न यह उठाया गया है कि खादी बोर्ड के किसी भी संस्था के अन्दर किसी सदस्य ने अथवा पदाधिकारी अथवा अधिकारी ने क्या इसके अन्दर कोई काम किया है। मैं ऐसा समझता हूं कि खादी बोर्ड के सदस्य अवैतनिक सदस्य होते हैं और उन्हें अपनी राजनैतिक और सामाजिक विचारधारा स्वतंत्र रूप से रखने का अधिकार है। खादी बोर्ड में कांग्रेस के भी सदस्य हो सकते हैं और कांग्रेस के विरोधी सदस्य भी रहते हैं। मैंने इसमें विरोधी दल के सदस्यों को भी नामीनेट किया है। मैंने कभी अपेक्षा नहीं की कि वह अपनी पालिटिकल फिलासफी को छोड़कर वहां बैठेंगे लेकिन इस विश्वास के साथ हम उनको सदस्य नामजद करते हैं कि वह बोर्ड को आधार बनाकर अपनी राजनीति को नहीं चलायें। अगर वे बोर्ड को आधार बनाकर अपनी कोई राजनीति चलाते हैं तो राज्य सरकार के लिए यह जरूरी है कि उनकी राजनीति को वहां पर नहीं चलने दिया जाये और मैं निश्चित रूप से मानता हूं और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा था और मैंने नरोरा में भी कहा था कि मैं इसको कोई भूदान आन्दोलन नहीं मानता, ग्रामदान आन्दोलन नहीं मानता। जयप्रकाशजी के आन्दोलन को मैं राजनैतिक आन्दोलन मानता हूं और जो भी सदस्य अथवा पदाधिकारी अथवा अधिकारी हैं वह इस आन्दोलन का समर्थन करता है तो एक प्रकार से वह राजनैतिक आन्दोलन का समर्थन करता है और

(श्री हरिदेव जोशी)
राजनैतिक आन्दोलन के समर्थन का जो भी परिणाम हो सकता है वह परिणाम उसका होना चाहिए।

यहां पर यह कहा गया कि गोकुल भाई भट्ट ने श्री जयप्रकाशजी की यात्रा के सिलसिले में सारे राजस्थान का दौरा किया और दौरा करके 3,500 रुपया के बिल खादी बोर्ड के नाम पर लाद दिये। मैं ऐसा नहीं मानकर चलता हूं कि ऐसा हुआ होगा क्योंकि खादी बोर्ड के अन्दर अकाउन्टेन्ट भी है और दूसरे लोग भी हैं। अधिकारियों को इन सारी चीजों को चैक करना चाहिए था। मैं यह आशा करके चलता हूं कि खादी बोर्ड जयप्रकाशजी के आन्दोलन का अड्डा नहीं बन सकेगा लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर खादी बोर्ड से 3,500 रुपया के बिल पास कर दिये गये हैं तो रा सरकार उस पैसे को रिकवर करायेगी, यह विश्वास देकर मैं चलता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो राजनैतिक फिलासफी, कांग्रेस लीडरशिप और उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया है जैसा कि मैंने निवेदन किया यह सारी अपमानजनक बातें इसलिए की जाती हैं कि हमारे पास में कहने को मुद्दे की ढंग की कोई चीज नहीं होती है। वे ही लोग ऐसी बात कहेंगे जिनके पास कि आधारभूत मुद्दा नहीं होता है। जिनके पास में आधारभूत मुद्दा होता है वह व्यक्तिगत बातों के ऊपर नहीं जाते। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का सुपरसेशन गैर कानूनी होता तो हिन्दुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया होता किन्तु एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि वह कोई सलेक्शन की पोस्ट है। सुपरसेशन कर सकते हैं। उसको नहीं करने देना अनडेमोक्रेटिक होगा। करने देना डेमोक्रेटिक होगा और इसलिए निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि अगर सुपरसेशन हुआ है तो वह डेमोक्रेटिक है। अनडेमोक्रेटिक नहीं है। यह मेरी अपनी स्वयं की मान्यता है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि जो कुछ भी गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने अथवा प्रेसीडेन्ट ने जो कदम उस समय उठाया है वह कदम निश्चित रूप से भारत के कान्सटीट्यूशन के और संविधान के अनुकूल है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कई दूसरी चीजों को भी लिया गया। मगर मैं उसके विगत में इसलिए नहीं जाना चाहता हूं कि मैं पहले उसको इर्रेलेवेन्ट कह चुका हूं और इर्रेलेवेन्ट बातों में जाकर सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता। इसलिए मैं इस बात को यहीं समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

विधायी कार्य

राजस्थान निरसन तथा संशोधन विधेयक, 1972

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान निरसन तथा संशोधन विधेयक, 1972 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिए कहा है।

(4.48 म० प०)

[प्रस्ताव : राजस्थान निरसन तथा संशोधन विधेयक, 1972 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया गया।]

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

और इस संबंध में सबसे पहले तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इसका नाम है इस

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पर ही मेरी घोर आपत्ति है। इस बिल का नाम रखा गया है 'राजस्थान रीपीलिंग एण्ड अमेन्डमेंट बिल', 1972। इसका अर्थ यह है राजस्थान को ही यहां पर रिपील करना चाहते हैं। यह इस बिल में बात कही गई है। यहां पर होना यह चाहिए था कि राजस्थान लॉज रीपीलिंग एण्ड अमेन्डिंग बिल, 1972। इसलिए मेरी बहुत बड़ी आपत्ति यह है। आज अन्तिम दिन है और 6 महीने बाद जुड़ेंगे या नहीं और बिहार आन्दोलन जैसे चल रहा है और विधान सभा भंग हो जाये। हमने तो बात एक कही लेकिन हमारे मुख्य सचेतक महोदय, श्रीमान खेतसिंहजी स्वयं विधान सभा को आज समाप्त करने के बारे में बल्कि विधान सभा को नहीं वह तो राजस्थान को समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। आज सब का निरसन अभी होने वाला है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। और फिर आज दिन भी कौनसा है। आज 31 मार्च है राजस्थान की स्थापना का दिवस है। राजस्थान की स्थापना के दिवस के दिन राजस्थान रीपिलिंग एण्ड अमेन्डिंग बिल, 1972 रखा गया है, इसलिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कानून मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो वह इसमें लॉज शब्द का संशोधन करें और उसके बाद यह बिल को लावें तो मुनासिब होगा।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एकम् नवम्बर, 1956 को आबू राजस्थान में मिला और अब यहां पर यह बिल लाया गया है। आबू में बम्बई सरकार के कई कानून लागू हैं। कई कानून तो वही लागू हैं और कई कानून ऐसे हैं कि जो निरस्त हो गए हैं और जिनका असर नहीं रह गया है, उनके लिए यह बिल लाया गया है। इस नाते केवल आबू में बम्बई सरकार के कानून लागू न रहें, राजस्थान सरकार के कानून लागू हों यह मकसद रख कर यह बिल लाया गया है तो मैं समझता हूं कि यदि कोई कानून ही नहीं है तो फिर लाने की क्या जरूरत थी इस बिल को। इसलिए होना तो यह चाहिए था कि राजस्थान लॉज अमेंडिंग रीपीलिंग एण्ड अमेन्डिंग बिल होता तो आबू में जो कानून बम्बई सरकार के लागू हैं उनको समाप्त करने के लिए यदि इस बिल का नाम होता तब तो मैं समझता हूं कि यह बात समझ में आ सकती थी। फिर एकम् नवम्बर, 56 यानी 19 वर्ष, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यतीत हो गए। 19 वर्ष में ऐसे क्या कारण थे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यह इतने समय तक यह कानून वहां पर लागू रहे और आज 19 वर्ष के पश्चात् इस राजस्थान की सरकार को यह समझ आई, राजस्थान की सरकार ने यह किया, इसके लिए मैं क्या एडजेक्टिव लगाऊं माननीय खेतसिंहजी, माननीय कानून मंत्रीजी आपकी सरकार को इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी। इसका मतलब यह है कि यह सरकार अयोग्य सरकार है और निकम्मी सरकार है और उसके बाद में तीसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि आपने स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट में लिखा है :

'A large number of them have even become obsolete so much so that these have already been repealed by the Bombay State.'

यह बात देखिए कि अब शिड्यूल 1, 2 और 3 दिया है, कौन कौनसे ऐसे

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कानून है जिन कानूनों को बम्बई सरकार ने आलरेडी समाप्त कर दिया है यानी आबू में लागू नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की स्थिति नहीं है। यदि ऐसे कुछ कानून बम्बई सरकार के थे और बम्बई सरकार ने माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाप्त कर दिया है तो फिर राजस्थान सरकार बम्बई सरकार के समाप्त किए हुए कानूनों पर और कौनसी समाप्ति का कानून बनाने जा रही है। यह मैं समझता हूं कि कानून मंत्रीजी को भी मालूम नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, चुनौती के साथ कहता हूं कि उनको मालूम नहीं है। यह दुबारा बिल क्यों आ रहा है जबकि आलरेडी कानूनों का असर नहीं है। फिर उनको माननीय मंत्रीजी रिपील करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपसे यह निवेदन और करना चाहूंगा कि यह जो बिल है या बिल आपके द्वारा रखा गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल रखा गया है रामचन्द्रजी चौधरी, मिनिस्टर इंचार्ज के नाम से रखा गया है। यानी आज की तारीख में आपने यह संशोधन और कर लिया है। खेतसिंहजी हमारे मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं उनकी ओर से यह बिल रखा जाना चाहिए था लेकिन आज भी यह बिल रामचन्द्रजी चौधरी, मिनिस्टर इंचार्ज के नाम पर रखा जा रहा है। अब कौनसी वजह थी कि रामचन्द्रजी चौधरी को मिनिस्ट्री से हटा दिया। कौनसी डिसक्वालिफिकेशन हो गई, कौनसे मुख्बे दबा दिये। कौनसी बेईमानी करली कि आपने उनको मंत्री रखा नहीं और मंत्री नहीं रखकर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कितना मजाक है? आज यदि रामचन्द्रजी चौधरी यहां पर होते तो उनके नाम पर रखा गया बिल आज खेतसिंहजी रख रहे हैं तो उन पर घड़ों पानी पड़ गया होता। मैंने कभी बिल रखा था, उनकी याद ताजा हो जाती और मैं समझता हूं कि इसीलिए रामचन्द्रजी चौधरी गम में यहां से चले गए, जब उनके घर पर बिल गया होगा तो उनको बड़ा अफसोस हुआ होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल उन्होंने नहीं रखा है, यह बिल रामचन्द्रजी चौधरी ने रखा है और उनको हटा दिया गया है इसलिए यह बिल भी यहां पर नहीं रखा जाना चाहिए। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि जब हम उन कानूनों को यहां पर रिपील करने जा रहे हैं उनमें बहुत बढ़िया बढ़िया कानून हैं। आबू में जो बढ़िया बढ़िया कानून हैं उनको तो राजस्थान सरकार वापस ले रही है लेकिन एवज में कोई बढ़िया कानून राजस्थान सरकार दे नहीं पा रही है। जैसे शिड्यूल ए में है यह बोम्बे गैस कम्पनीज एक्ट। अब गैस की व्यवस्था को देख लीजिए। गैस के सलेंडर सप्लाई होते नहीं, मोनोपोली है, मंत्रीजी की मोनोपोली है। कौनसी गैस कम्पनी लगा देंगे। लोगों को यहां गैस मिलता नहीं, गैस के सलेंडर बेकार पड़े हुए हैं, वर्षों लोगों को गैस के चूल्हे मिलते नहीं। मैं समझता हूं कि आबू में जो वहां पर कानून बम्बई गैस कम्पनी एक्ट बना हुआ है आबू में लोगों को गैस की सुविधा है, बम्बई के कानून के तहत गैस मिल रही है उनको सुविधा मिल रही है तो उसको भी हटा देना चाहता हूं।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
मैं समझता हूं कि यह तो वही कहावत हो गई कि दूसरे के पांव लगी, रांड के पांव लगी तो उसने कहा कि तु भी मेरी जैसी हो जाय। यह सरकार अपने जैसी ही करना चाहती है। आबू यदि आप में मिला है तो 19 वर्ष बाद यदि आप में अक्ल आई है कि किसी प्रकार जैसे हम हैं वैसे ही उनको कर दें। राजस्थान सरकार जिस प्रकार दुखी है उसी प्रकार क्यों दुखी करना चाहती है आबू की जनता को। इसी प्रकार से बम्बई डिस्ट्रिक्ट पुलिस एक्ट है। वहां के पुलिस के लोगों को किसी प्रकार की सुविधा है, वेतन की, किसी प्रकार के हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दिए जाते हैं, पुलिस को जो सुविधा दी जाती है, भोजन की सुविधा दी जाती है, और तरह की सुविधा दी जाती है, यदि माउण्ट आबू के पुलिस के कर्मचारी भली प्रकार से रहते हैं, उनको भोजन की सुविधा है, ड्यूटी की सुविधा है और आप देते हैं 45) रुपये जिसमें जूते····

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय आज का बिजनेस समाप्त होने तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि आज की कार्य सूची में दर्ज बिजनेस समाप्त होने तक समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया जाता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि यदि आज आबू जो राजस्थान का हिस्सा है उनमें यदि पुलिस के कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउन्स मिलता है, उनको बढ़िया भोजन मिलता है, उनको रोटी अच्छी मिलती है, आपके यहां ऐसी नहीं कि जिसको कुत्ता भी नहीं खा सकता ऐसी रोटी देना चाहते हैं। आपने अपने यहां के लिए कानून पास किया गया बताते हैं कि ढाई सौ रुपया विधान सभा के इन पुलिस वालों को देंगे, ऐसा सुना गया है लेकिन किसी को मिलने वाला नहीं है। पुलिस के एस० आई० को 45) रुपया देकर चाहते हो कि वह आपको सेल्यूट मारे वर्ष भर, इस 45) रुपया में तो एक जूता भी नहीं आ सकता है, पुलिस के मांग के समय मैं विवेचन कर चुका हूं। यदि आज आबू के लोगों को सुविधा है तो राज्य सरकार इन आबू के कर्मचारियों को भी अपने जैसा भूखा और नंगा क्यों बनाने जा रही है। जैसी हालत अन्य हिस्सों में हैं आपके पुलिस वालों की जो हालत है वही हालत आबू के हिस्से में करना चाहते हैं।

इसी प्रकार माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बम्बई विलेज पुलिस एक्ट है जिसमें पुलिस वालों को और सुविधा दी गई है जो गांवों में काम करते हैं, शहरों में काम नहीं करते हैं उनको जो सुविधा मिली हुई है उसको समाप्त कर देना चाहते हैं। इसके बाद में, मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि बम्बई फैमिन रिलीफ फण्ड एक्ट है। इतना बढ़िया कानून आबू में है। फैमिन के पैसे के बारे में भी आप देख लीजिये, यानी कितना रुपया, दो सौ करोड़ रुपया खर्च कर दिया और फिर भी कंगाल के कंगाल कि फण्ड नहीं है, पैसा नहीं है। अकाल राहत कार्य खोले जा रहे हैं कि सड़क की मिट्टी इधर से उधर और उधर से इधर। कांग्रेस और

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अकाल और अकाल कांग्रेस एक हैं। अकाल बराबर पड़ रहे हैं और बराबर उस अर्से से पड़ रहे हैं जब कि हिन्दुस्तान के खेतों में जवाहरलाल नेहरू की राख डाली . . .

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घण्टी)

हमने राख डाली कि और उपजेंगे लेकिन अकाल बराबर पड़ता जा रहा है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कांग्रेस के लोगों को बारबार कोसा है कि तुमने स्थायी कार्य नहीं कराये। अकाल राहत कार्यों के पैसे को खा गए, मंत्री लोग खा गए, कांग्रेस के विधायक खा गए। क्योंकि माउण्ट आबू में उनकी नहीं चलती है, वहां पर पैसा नहीं खा सकते इसलिए मैं समझता हूं कि इस कानून को वहां से हटाना चाहते हैं। इनकी नियत खराब है, वहां पर भी पैसा खा जायं वरना मैं समझता हूं कि यह पहले से ही अच्छा कानून वहां पर लागू है उसको वहां पर लागू रखना चाहिए। अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा इसमें कई बढ़िया कानून हैं इस प्रकार के जिनमें एक बम्बई नेशनल पार्क्स एक्ट है राष्ट्रीय उद्यान बनेंगे, उनके बारे में चिल्डरन एक्ट, बच्चों की सुविधा के लिये कानून बने हुए हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि इतने अच्छे-अच्छे कानून बने हुए हैं और आप 19 वर्षों के बाद चेते हैं और जो बढ़िया-बढ़िया कानून हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं तो आखिरकार आप क्या चाहते हैं उनको समाप्त करने से पहले आबू की भी जनता है उनको भी आखिर मालूम होना चाहिए कि आप उनको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, वहां के लोगों को, गांव वालों को, वहां के पुलिस वालों को और शहर वालों को यह तो मालूम हो जाना चाहिए कि आप अकाल के नाम पर सब कुछ खा-पी जाना चाहते हैं तो इस बिल को आबू की जनता में जनमत जानने के लिये प्रसारित करना पड़ेगा। अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रार्थना और करना चाहूंगा कि राजस्थान रिप्लेसिंग एण्ड अमेन्डिंग बिल गलत है, वे भी आज राजस्थान के निवासी हैं राजस्थान के निवासियों को राजस्थान को समाप्त करने के लिये कानून नहीं बनाना चाहिए। इसलिए मूलतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एक्ट लाया गया है यह गलत है, यह राजस्थान को समाप्त करने वाला है, और माननीय सचेतक महोदय, जयप्रकाशजी तो बिहार में चले गये लेकिन हम राजस्थान का उत्थान चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विधि मन्त्रीजी।

श्री खेतसिंह (विधि मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य बिल्कुल विधि के जानकार नहीं हैं और न विधि के ज्ञाता हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं ज्ञाता हूं और . . . .

(शोरगुल : अश्रव्य)

सही बात को आपको निश्चित रूप से मानना चाहिए।

श्री जेठमल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन . . . .

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, आपको भी मौका देंगे, पहले मैंने माननीय मन्त्रीजी

(श्री उपाध्यक्ष)
से निवेदन कर दिया है, अब आप बीच में नहीं बोलें। माननीय मन्त्रीजी।

श्री खेतसिंह : हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य को पेशेन्स रखनी चाहिए। जिस वक्त वे बोल रहे थे और कह रहे थे कि सरकार निकम्मी है और कई बातें कहीं तब मैं भी सुन रहा था आपको, और मैंने इतना ही कहा और इतने से ही आप गर्म हो गये, आपको भी पेशेन्स की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून के पीछे क्या बैकग्राउन्ड है, उसको नहीं देखते हुए आप उलझन में फंसे चले जा रहे हैं। जिस वक्त भारत आजाद हुआ था, उन दिनों में सिरोही में एक राजशाही थी और वहां पर राजा राज करते थे। लेकिन राजा की मृत्यु के बाद वहां की बारानी और कोर्ट ऑफ-वार्ड्स बनी और लिहाजा रेजीडेन्सी में वहां गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया का एक आफिसर मुकर्रर किया गया। और आजादी के बाद जब राजस्थान का मर्जर हुआ तो राजस्थान बना लेकिन सिरोही को बम्बई स्टेट के साथ में जोड़ दिया गया. 1950 में और उसके बाद में वहां के लोगों ने इसका अपोजीशन शुरू किया और इस तरह से कई बातें हुईं इसके इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन 1956 में स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन बैठा और स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट आई तब यह तय हुआ कि आबू और देलवाड़ा की तहसीलों को जो बोम्बे स्टेट की हैं, उनको राजस्थान में वापिस मिला दिया जाय और इसके साथ ही यहांपर 1957 के अन्दर राजस्थान विधान सभा में भी कानून पास किये गये उसके तहत 46 कानून बम्बई स्टेट के कानून थे, वहां पर राजस्थान स्टेट के कानून लागू कर दिये गये। इसलिए इनको आशंका है कि पुलिस एक्ट वही है, उनकी तनखा वही है, वही वर्दियां है और उनको खाने को नहीं मिलता है फैमिन रिलीफ की बातें कही गईं यह सब माननीय सदस्य के ध्यान में नहीं हैं, वह कानून वहां पहले से ही लागू हो चुके हैं। कुछ ऐसे कानून रह गये हैं जो अपने यहां पर लागू हुए थे, उन्हीं में कुछ संशोधन करने की बात है। इसको माननीय रामचन्द्रजी चौधरी ने भी मूव किया था और उनको परिवर्तित कर, हैडिंग की बात, मैंने स्वयं ने अमेन्डमेन्ट मूव किये हैं उनको देखने के बाद ही आपने यह भूमिका बनायी है, इसलिए मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है और न बहस की ही आवश्यकता है। मर्जर हुए लम्बा अर्सा हो गया है, राजस्थान के अन्य हिस्सों की तरह वहां भी कानून होने चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव जनमत जानने के लिये प्रस्तुत किया है, उसको मैं अस्वीकार करता हूं और मैं सोचता हूं कि वह इसको वापिस ले लें तो बहुत अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप वापिस लेते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नहीं मैं इसको वापिस नहीं लेता हूं, इसको जनमत जानने के लिये परिचलित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य के राजस्थान निरसन तथा संशोधन विधेयक,

(श्री उपाध्यक्ष)
1972 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये । इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान निरसन तथा संशोधन विधेयक, 1972 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड (2), माननीय प्रभारी मन्त्रीजी ।

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खण्ड 2 में शब्द 'First' लोपित किया जावे" ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जेठमल आर्य ।

श्री जेठमल आर्य : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय गिरधारीलालजी ने जो फरमाया है कि आबू में जो कानून लागू है, वहां पर भी बहुत से लोग हैं, क्योंकि मैं भी आबू रोड का निवासी हूं, और मुझे अनुभव होता है कि जो वहां पर पुलिस और कर्मचारी लोग हैं उनको सुविधायें नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है । वहां तो एक ही बात है कि बोम्बे प्रोहिबिशन एक्ट लागू है, इसके अन्तर्गत वहां अपराध नहीं होते हैं, इसलिए शराब की दुकानें हटा देते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता है, इसी प्रकार के कई एक्ट्स हैं । इसलिए शायद माननीय गिरधारीलाल जी साहब को हिस्सा मिलता है, इसलिए वकालात करते हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा उसमें कोई हिस्सा नहीं है, यह गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय प्रभारी मन्त्रीजी ने खण्ड 2 में जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

श्री खेतसिंह ने खण्ड 3 में निम्नांकित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

"खण्ड 3" के स्थान पर निम्नांकित खण्ड प्रति स्थापित किया जावें :

"3. **Extension of Rajasthan Laws to Abu areas.**—All Rajasthan laws, other than the Rajasthan Excise Act, 1950 (Rajasthan Act II of 1950), as in force in the pre-reorganisation State of Rajasthan and as have not been extended to the Abu area by the Rajasthan Laws (Extension) Act, 1957 (Rajasthan Act No. 27 of 1957) or by any other Rajasthan Law for the time being in force, shall extend to Abu area notwithstanding that Abu area did not form part of the State of Rajasthan when these laws were made or passed."

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 मय संशोधन के स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 मय संशोधन के स्वीकार किया गया ।

खण्ड 3 । माननीय प्रभारी मन्त्रीजी ।

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह सारा अमेन्डमेन्ट सरक्यूलेट हो चुका है इसलिए सारे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और मैं निवेदन करता हूं कि जो अमेन्डमेन्ट सरक्यूलेट किया गया है उसको उसी तरह संशोधित रूप में पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में माननीय प्रभारी मन्त्रीजी ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है, उनको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है, कि खण्ड 3 मय संशोधन के स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 मय संशोधन के स्वीकार किया गया ।

खण्ड 4 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 5 । माननीय प्रभारी मन्त्रीजी ।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि खण्ड 5 में जिस प्रकार से अमेन्डमेन्ट सरक्यूलेट किया गया है उसी के अनुसार पारित किया जाय ।

खण्ड 5 में श्री खेतसिंह ने निम्नांकित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया :—

"खण्ड 5 में अभिव्यक्ति of the enactments specified in the Second Schedule" के स्थान पर अभिव्यक्ति "Rajasthan Laws extended to such area by section 3" प्रतिस्थापित की जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में माननीय प्रभारी मन्त्रीजी ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकृत किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 में संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 मय संशोधन के स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 मय संशोधन के स्वीकार किया गया ।

खण्ड । प्रथम अनुसूची ।

श्री खेतसिंह (प्रभारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि प्रथम अनुसूची में मैंने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तावित किए हैं, उसको मंजूर किया जाये ।

(श्री खेतसिंह)

प्रथम अनुसूची में श्री खेतसिंह ने निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया :—

'प्रथम अनुसूची के शीर्षक में प्रयुक्त शब्द "First" लोपित किया जाय'।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रथम अनुसूची में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकृत किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि प्रथम अनुसूची मय संशोधन के स्वीकृत की जाये ?

(स्वीकृत)

प्रथम अनुसूची मय संशोधन के स्वीकृत की गई।

द्वितीय अनुसूची।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि "द्वितीय अनुसूची को लोपित किया जावे"।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि द्वितीय अनुसूची को लोपित किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

खंड 1।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, खंड 1 में मेरा संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है :—

इस खंड में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "The Rajasthan Repealing and Amending Act, 1972" के स्थान पर अभिव्यक्ति "The Abu Area Laws Act. 1975" प्रतिस्थापित की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड 1 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है, उसको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 1 मय संशोधन के स्वीकृत किया जाय ?

(स्वीकृत)

खंड 1 मय संशोधन स्वीकृत किया गया।

पदनाम में एक संशोधन है। मूव कर दीजिये।

श्री खेतसिंह (प्रभारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, "वृहत नाम में अभिव्यक्ति and amend certain other in force in the State of Rajasthan. के स्थान पर अभिव्यक्ति "in their application to the Abu area and to extend certain others in that area, प्रतिस्थापित की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन वृहत् नाम में प्रस्तावित किया है उसको स्वीकृत किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि वृहत् नाम, मय संशोधन तथा अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकृत किये जायें ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

वृहत् नाम मय संशोधन तथा अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकृत किये गये।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान निरसन तथा संशोधन विधेयक, 1972 संशोधित रूप में पारित किया जाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अब तो नाम चैन्ज कर बोलेंगे।

श्री खेतसिंह : I am sorry.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : खुशी की बात है कि आपने मेरी बात मान ली।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि आबू एरिया लाज एक्ट, 1975 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान निरसन तथा संशोधन विधेयक, 1972 (संशोधित वृहत् नाम :-- आबू एरिया लॉज एक्ट, 1975) यथासंशोधित पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक यथासंशोधित पारित किया गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मंत्री महोदय, आप अपना नाम भी इसमें लिखवा लीजिये–रामचन्द्रजी चौधरी के स्थान पर

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य।

शासकीय वक्तव्य

उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स (दरोली माइन्स) पर प्रबन्धकों व श्रमिकों में मारपीट

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, दरोली माइन्स, उदयपुर में 19 मार्च, 1975 को मजदूरों के दो दलों के बीच मारपीट तथा पथराव हुआ। इस झगड़े में जो दो दल सम्मिलित थे वे सीमेन्ट मजदूर यूनियन तथा उदयपुर माइन्स मजदूर संघ है। सीमेन्ट मजदूर यूनियन ने 19 मार्च, 1975 को दरोली माइन्स के सामने एक मीटिंग करनी चाहिए किन्तु सुरक्षा की दृष्टि से तथा दोनों दलों के तनाव को देखते हुए पुलिस ने उन्हें दरोली माइन्स के गेट पर मीटिंग न कर, थोड़ा दूर हट कर मीटिंग करने को कहा। वह अपनी मीटिंग खान क्षेत्र से बाहर सड़क पर आयोजन कर रहे थे कि उसी दौरान उक्त दलों के मजदूरों में खानों के अन्दर झगड़ा तथा मारपीट हो गई, जिस पर सीमेंट मजदूर यूनियन दल के मजदूरों ने खान क्षेत्र में घुसने की कोशिश की तथा दोनों दलों में पत्थरबाजी होने लग गई। पुलिस जो वहां मौजूद थी, ने बीच बचाव किया तथा स्थिति पर काबू किया। तत्पश्चात् सीमेंट मजदूर यूनियन ने अपनी मीटिंग शुरू की जिसमें दूसरे दल की आलोचना की जाने पर दूसरे दल के मजदूरों ने गाली गलौच किया तथा फिर आपस में पथराव होने लगा। पुलिस ने दूसरे दल को आगे बढ़ने से रोक दिया।

सीमेन्ट मजदूर यूनियन की मीटिंग में लगभग 100।150 मजदूरों ने भाग लिया जिनमें दरोली माइन्स, सीमेंट फैक्टरी, जावर माइन्स तथा जिंक स्मेल्टर के मजदूर सम्मिलित थे। इस झगड़े में पथराव तथा मारपीट के फलस्वरूप दो थानेदार, दो हैड कान्स्टेबल, चार सिपाही तथा दोनों दलों के 22 मजदूर घायल हुए तथा खानों के दफ्तर की इमारत की खिड़कियों के शीशे टूट गये।

शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

दोनों दलों के 14 व्यक्तियों को 107।151 सी० आर० पी० सी० के तहत 20 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया।

इस संबंध में तीन मुकदमें दर्ज किये गये हैं।

दोनों दलों के तनाव को ध्यान में रख कर पुलिस दरोली माइन्स क्षेत्र में तैनात कर दी गई थी तथा उप-पुलिस अधीक्षक, वल्लभ-नगर उसका नेतृत्व कर रहे थे। मजदूर लोगों के पास पहले से हथियार आदि नहीं थे। इस झगड़े में किराये के गुंडे होना नहीं पाया गया। पुलिस किसी भी दल के मजदूरों के साथ कोई ज्यादती नहीं कर रही है, केवल दर्ज मुकदमों की तफतीश जारी है तथा उसमें मुलजिमान की गिरफ्तारी की कोशिश अवश्य की जा रही है।

(5.18 म० प०)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

14 सीमेंट फैक्टरी के तथा 9 खानों के मजदूरों को प्रबन्धकों द्वारा काम पर न लिये जाने के विरोध में 20।30 मजदूर 22 मार्च, 1975 को फैक्टरी के बाहर धरने पर बैठे। दिनांक 25 मार्च की शाम को उदयपुर माइन्स मजदूर संघ के 20।30 व्यक्ति धरने पर बैठे मजदूरों के पास आये तथा उनके साथ गाली गलौच किया तथा आपस में गाली गलौच तथा दंगा हुआ। फलस्वरूप शामियाना जिसमें धरना देने वाले मजदूर बैठे थे गिर पड़ा। पुलिस मौके पर पहुंची तथा श्री मोहनलाल सीमेंट मजदूर यूनियन दल के शिकायत पर 24 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा संख्या 46। 75 अन्तर्गत धारा 147, 149 आई०पी० सी० थाना मावली पर दर्ज किया जिसकी तफतीश जारी है। 28 मार्च को निकाले गये 23 मजदूरों को वापिस काम पर लिए जाने पर धरना उठा लिया गया। दिनांक 28 मार्च, 1975 को कोई घटना नहीं घटी। आगजनी की किसी घटना की शिकायत प्राप्त नही हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है, उसमें स्थगन प्रस्ताव में जो तथ्य दिये गये थे, उन तथ्यों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। मसलन यह बात स्थगन प्रस्ताव में कही गई थी कि यूनियन की तरफ से 19 मार्च को की जाने वाली मीटिंग के संबंध में 17 तारीख को ही महामंत्री, इन्टक की ओर से एक पत्र के जरिये अधीक्षक, पुलिस और जिलाधीश को सूचना दे दी गई थी और यह आशंका व्यक्त की गई थी उस सूचना में कि मालिक लोग इस मीटिंग को नहीं होने देने वाले हैं। तो फिर इस उत्तर में यह नहीं बताया गया है आया कि यह सूचना दी थी या नहीं दी गई थी, और अगर दी गई थी तो फिर आपने एक असिस्टेन्ट एडिशनल एस०पी० का वहां पर जाना बताया तो कितनी फोर्स के साथ में वहां पर गया, इस बात को आपने नहीं बताया।

दूसरे, यह बात उसमें स्पष्ट है वक्तव्य में ऐसा कि मीटिंग यूनियन की तरफ से थी, और मीटिंग करने का उन्हें अधिकार भी था। इस बात को भी सही बताया है कि पुलिस के कहने पर उन्होंने जगह भी बदली और रोड पर मीटिंग कर ली तो उनकी मीटिंग में व्यवधान दूसरे लोगों ने डाला, अटेक किया वहां पर आकर, झगड़ा पड़ा तो फिर एग्रसन करने वाले वह लोग थे जिन्होंने मीटिंग के अन्दर अव्यवस्था फैलाई, उस मीटिंग को भंग किया तो फिर यह कार्यवाही उनके खिलाफ क्यों की गई जो कि मीटिंग करने वाले थे, जिनके

Page No 152

(152)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ऊपर गुण्डागर्दी की गई, जिनकी मीटिंग को खराब किया गया ? इस बात को सरकार ने खुद ने स्वीकार करते हुए इस वक्तव्य में कहा है कि मीटिंग उनकी तरफ से थी। लोग-बागों ने वहां पर आलोचनात्मक बातें कहीं तो दूसरे जरिये से जवाब दे सकते थे इसके बजाय कि उनकी मीटिंग में व्यवधान डालकर झगड़ा किया जाय। यह क्लियर करता है कि वह वह लोग नहीं थे जो मीटिंग करने वाले थे, बल्कि व्यवधान करने वाले लोग थे। पुलिस ने मुकद्दमे उनके खिलाफ क्यों बनाये जिन्होंने मीटिंग कायदे के अनुसार की थी और गवर्नमेंट को इत्तिला दी थी। इस बात से कम से कम यह साफ जाहिर हुआ कि पुलिस की ओर से इनके मुकाबले में इन्तजाम नहीं किया गया कि वह लोग जो मीटिंग में व्यवधान डालना चाहते थे उनको प्रिवेन्ट किया जा सकता था। आखिर मीटिंग करने वाले इस बात की गवर्नमेंट को, पुलिस को इत्तिला कर देते हैं तो फिर पुलिस उनकी मीटिंग को संरक्षण देने में, प्रोटेक्ट करने में, उनके मीटिंग करने के अधिकार को प्रोटेक्ट करने में असमर्थ रही। यह इस बयान से साफ तौर से और जाहिर होता है।

सभापति महोदय, स्थगन प्रस्ताव में इस बात को भी कहा गया था कि इस प्रकार के लोग उस फैक्टरी के सामने रास्ते पर, सड़क पर बैठे हुए थे जिन्होंने टोप वगैरह पहने हुए थे, जिनके पास में पहले से जंजीरें थीं, लाठियां थीं, जिनका कारखाने से कोई ताल्लुक नहीं था, बाहर के लोग थे, और इस तरीके से लोगों को लाकर बैठाया गया था, उनके बारे में कहा गया था यूनियन वालों की तरफ से फिर भी उनको वहां से हटाया नहीं गया, बल्कि उन्होंने यह सारा व्यवधान फैलाया फिर भी गवर्नमेंट ने एक्शन दूसरी तरफ लिया।

सभापति महोदय, यह बात भी वक्तव्य में स्वीकार की गई है कि मालिकों की तरफ से कुछ मजदूरों को हटाया गया और बाद में रख लिया गया। तो इस बात से यह साफ जाहिर हुआ कि जो उनको हटाया जाना था वह गलत था, अवैधानिक था, गैरकानूनी था और मजदूरों को तंग करने के लिए और धरने का इस्तेमाल करने से यह सारी कार्यवाही की गई है। इस घटना से केवल यह मालूम हुआ सरकार की ओर से कि दो यूनियनों में झगड़ा था, यह गलत है। अगर दो यूनियनों में झगड़ा होता तो मालिक की तरफ से उस यूनियन के कार्यकर्ताओं को हटाना जो कान्स्टीट्यूशनल तरीके से मीटिंग कर रहे थे वह इस बात से भी जाहिर होता है कि बाद में धरना उन्होंने दिया उन्हीं के कार्यकर्ताओं को हटाया गया। अगर मालिक इस बात से इन्ट्रेस्टेड थे कि मीटिंग नहीं हो, मालिक इस बात में इन्ट्रेस्टेड थे कि व्यवधान डालें, और मालिकों के उसमें इन्ट्रेस्टेड होने के कारण उसमें व्यवधान हुआ, गड़ा हुआ, और मजदूरों को नौकरी से निकाला -ह मालिकों की गलती थी इस बात से साबित हो गया कि मालिक ने उनको वापिस रखा। मैं यह समझता हूं कि मालिकों पर इलजाम है वह जुर्म जो है इस वक्तव्य से साफ जाहिर होता है। तमाम का तमाम षड्यन्त्र यूनियन को तोड़ने के लिए अपनी कोई जो भी यूनियन बनाने के लिए यह सारी की सारी मार-पिटाई वगैरह की गई है। तो मेरा यह निवेदन करना है कि जो भी यूनियन के कार्यकर्ता, इसके बाद भी जो घटनाएं हुई, जो धरने पर बैठे हैं आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि दूसरी यूनियन के लोग थे तो मैं समझता हूं कि दूसरी यूनियन जो भी कोई यूनियन होगी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वह मालिकों की ही होगी और वे मालिक के ही लोग थे। मुझे आश्चर्य हुआ जब मंत्री महोदय ने यह कहा तो एक सीमा होती है, एक हद होती है पक्षपात की कि वहां पर जाकर वह धरना दिये बैठे हैं मजदूर यूनियन के लोग और आपकी नाटकीय यूनियन के मजदूरों ने उनकी 19 तारीख की मीटिंग को नहीं होने दिया, उसमें व्यवधान डाला गया मालिकों द्वारा दूसरे लोगों के जरिये। उनके कुछ मजदूरों को निकाल दिया गया और मालिकों ने जिन वर्कर्स को बाद में रखा उसके प्रोटेस्ट में वहां धरने पर मजदूर यूनियन के लोग बैठे (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) और धरने पर बैठे हुए मजदूरों को मालिक लोग बरदाश्त नहीं कर सके और उन्होंने जाकर उसको भंग किया। और भंग करके, हमारे पास तो तार यह आया है कि उन्होंने तम्बू वगैरह को जला दिया, गिरा दिया, और आपने यह कहा अपने बयान में कि वह तम्बू अपने आप गिर गया। मैं यह कहता हूं कि यह पक्षपातपूर्ण बयान की एक हद है। सरकार की तरफ से निष्पक्ष बात करते मालिक और मजदूर की। आप दूसरी तरह की कार्यवाही करते हैं। मजदूर जाकर धरने पर बैठते हैं और मालिक मजदूरों को रख लेते हैं तो धरना उठ गया होगा। इस तथ्य की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम इस बात को कबूल तो करें कि जुर्म हो गया। मालिकों ने मजदूरों को हटाया और यह सारा मालिकों का षड्यन्त्र था। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि राज्य सरकार ने मारपीट का कितना ही वक्तव्य दिया हो, लेकिन इनके वक्तव्य से यह साफ जाहिर हो गया कि यूनियन के मजदूर अपने कास्टीट्यूशनल राइट्स एक्सरसाइज कर रहे थे, मीटिंग के राइट को एक्सरसाइज कर रहे थे, धरने के राइट को एक्सरसाइज कर रहे थे और दूसरे लोग अनकान्स्टीट्यूशनल तरीके से जैसे कि जे० पी० के मूवमेंट वाले लोगों ने अलवर में मीटिंग को भंग करने के लिए किया है उसी तरीके से उनकी मीटिंग को भंग किया, धरने को भंग किया, फिर भी दोनों तरफ के लोगों को गिरफ्तार करने की बात करें यह बात बिल्कुल गलत और पक्षपातपूर्ण है। मैं यह कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि जहां तक यूनियन के कार्यकर्ता और उनके सेक्रेटरी के खिलाफ जो भी आपने केसेज रजिस्टर्ड किये हैं, किसी को भी आपने गिरफ्तार किया हो उनको फौरन रिहा कर देना चाहिए और मालिकों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड करना चाहिए, जो प्रबन्धक थे और जो उसके अन्दर जिम्मेदार लोग थे उनको गिरफ्तार करना चाहिए, और जिन्होंने गुण्डागर्दी की है, मारपीट की है उनको गिरफ्तार करना चाहिए।

साथ ही आपके यह जो उदयपुर के जिलाधीश साहब हैं, जो एस० पी० हैं उनकी उदासीनता चाहे वह होस्टल का मामला रहा हो, चाहे वह वोहरा यूथ का मामला रहा हो, चाहे यह मामला रहा हो इन सब के अन्दर जो उनकी जिम्मेदारी थी एज कलेक्टर एण्ड एस० पी० उसको निभाने में वह बिलकुल अयोग्य साबित हुए हैं। इस बात की पूर्व सूचना देने के बाद भी वह वहां पर दंगे को रोक नहीं सके, प्रिवेन्टिव एक्शन नहीं ले सके इससे ज्यादा उनकी अयोग्यता और इन्कम्पीटेन्सी का और कोई बड़ा सबूत नहीं है। इससे मैं समझता हूं कि खतरा है कि ऐसे लोगों को बहुत इम्पार्टेन्ट जगहों पर रखें। उनके खिलाफ ड्यूटी पूरी तरह से सरन्जाम नहीं देने के कारण सीरियस एक्शन लेना चाहिए, और प्रबन्धकों को इसके अन्दर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ मुकद्दमें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दर्ज किये जाने चाहिएं, और जिन लोगों ने गुण्डागर्दी की है उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और यूनियन के जो लोग हैं जिन्होंने वैधानिक तरीके से अपना कार्य किया है उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं उनको रद्द किया जाकर उनको रिहा किया जाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार मारसीय : आदरणीय सभापति महोदय, बहुत खेद का विषय है आज मंत्री महोदय ने जिस प्रकार तथ्यों को सामने रखा है अपने स्टेटमेंट में, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मनमाने ढंग से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की बात यहां पर की गई। श्रमिक संगठन 12 तारीख को मीटिंग करने की इत्तिला जिला पुलिस अधिकारियों को और जिलाधीश को देता है, ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत संवैधानिक तरीके से मीटिंग करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस मालिक के साथ मिल कर उस समय उनको प्रोटेक्शन देने में असमर्थ रहती है। लॉ एण्ड ऑर्डर का नंगा नाच वहां पर होता है। उनको वहां फैक्ट्री की तरफ से, मालिक की तरफ से लोहे के टोप दिये जाते हैं, गुण्डों को, बदमाशों को, और उनको सांकलें दी जाती हैं। संवैधानिक तरीके से जो मजदूर इन्टक की मीटिंग करना चाहते थे, एक अपने निश्चित स्थान पर, लेकिन पुलिस की कमजोरी को मद्देनजर रखते हुए इत्तिला देने के बाद, दो दिन पूर्व इत्तिला देने के बाद भी पुलिस इस बात में असमर्थ रहती है कि वह वहां मीटिंग करने का इन्तजाम कर सके। फिर भी उन्होंने दूसरे स्थान पर मीटिंग करने की बात कही। कानून को मानने वाले लोग इन्टक के हैं उन्होंने उस स्थान पर मीटिंग की और संवैधानिक तरीके से इन्टक के मजदूर मीटिंग कर रहे थे लेकिन उसके बीच में गड़बड़ी शुरू की उन मालिक के गुण्डों ने मीटिंग के स्थान पर, दीदादानिस्ता वहां पर गड़बड़ी की गई, और गड़बड़ी ही नहीं हुई, उन लोगों को सांकलों और लाठी से इस प्रकार मारा गया कि चार पांच मजदूर घायल हुए। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा, क्या आज की तारीख में बता सकते हैं आपके राज्य सरकार के और श्रम विभाग के रिकार्ड को देख कर, क्या वहां दूसरी यूनियन इस प्रकार की रजिस्टर्ड है? दूसरे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज इस समय इस प्रकार दोनों को आपने बराबर कर दिया तो यह क्या तथ्य रखता है? ट्रेड यूनियन राइट के तहत एक आदमी फरियाद लेकर आपके पास जाता है तो क्या उसके साथ मारपीट होती है? और क्या आप बता सकते हैं कि दूसरी यूनियन के आदमी जख्मी हुए क्या? इस बात को छिपा कर मजदूर और यूनियन के खिलाफ शांति तोड़ने का एक्शन लिया है Much water has flown under the bridge. सरकार ने और पुलिस ने सब मामला फर्जी बना लिया है और 11 दिन का वक्त लेकर सब तरह से एवीडेंस को समाप्त करने की कोशिश की है और टेंट को जबर्दस्ती जलाने की बात है। इन सारी चीजों के अन्दर we are timely informed about every matter. पुलिस ने इस बात की कोशिश की है। लेकिन जब पुलिस और मालिक सब तरीके से नाकामयाब हो गये तो उन मजदूरों को निकालने के बाद में वापिस काम पर लिया है। जैसा माननीय सदस्य ने पहले कहा, उन्होंने इस बात को मंजूर किया है कि हमने वापिस काम पर रख लिया है। इस प्रकार एवीडेंस को समाप्त करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजातंत्र के अन्दर राजस्थान के अन्दर श्रम जगत में ऐसी

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)
घटना हो रही है। अफसोस की बात यह है कि जब सदन चल रहा है, सदन के चलने के दौरान पूंजीपति इस तरह मजदूरों के साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं और प्रजातांत्रिक जीवन के साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं और हम देखते रहें, हमारा प्रशासनिक ढांचा मनमानी रिपोर्ट देता रहे। इसका एनेलेसिस करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। इस मामले में तोड़ मरोड़ कर तथ्य दिये गये हैं। मैं चुनौती देता हूं, मंत्री महोदय, आप मेरे साथ में चलें, मैं कांग्रेसी सदस्य हूं, और जो इन्टक के नेता हैं, दूसरे सदस्य हैं उनका डेपूटेशन लेकर चलें और इस मामले की इन्क्वायरी कीजिये। यह मसला इम्पार्टेन्ट मसला है इसकी जुडिशियल जांच होनी चाहिए आज सदन का आखिरी दिन है, मैं निवेदन करूंगा, श्रमिकों को किसी तरह से महफूज नहीं करेंगे तो श्रमिकों को कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। छः महीने बाद, इस सदन के होते हुए, असेम्बली चालू है, इस दौरान में इस प्रकार के बड़े जघन्य अपराध श्रमिकों के साथ में होते हैं। मैं निवेदन करूंगा सदन समाप्त होने के बाद में श्रमिकों का कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा और दरख्वास्त लेकर मंत्रियों को देते रहेंगे।

श्री सभापति (श्री केसरी मल के खड़े होने पर): आपके दल से बोल चुके हैं। मंत्री महोदय।

श्री केसरीमल: इसमें मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह ट्रेड यूनियन के लीडर हैं।

श्री केसरीमल: माननीय सभापति महोदय, देश के इजारेदारों और पूंजीपतियों ने पहले तो कोशिश की कि बहुत कुछ सरकार की छत्रछाया में अपने आपको बचा लेंगे लेकिन अब सरकार की छत्रछाया के साथ में देश के इजारेदारों और पूंजीपतियों ने अपने खुद के बचाव के लिए नया तरीका निकाला है। इस तरीके में एक तो यह तरीका निकाला है कि सब जगह फौज के रिटायर्ड आदमियों को और कुछ जो शहरों में गुण्डे हैं—उन लोगों को कारखाने में नौकरी में रखना शुरू किया है। जो रिटायर्ड हो गये हैं, फौज से निकले हुए हैं, उनको सारे तमगों और उनकी सारी वर्दी में अपटूडेट इस प्रकार खड़े करते हैं, जो अनजान हैं, लोगों को न जानने वाले हैं ऐसे फौजी आदमी खड़े हुए हैं। ऐसे फौजी आदमियों ने जो कह दिया उसको लोग सहन कर लेंगे, इस प्रकार डराने के लिए फौजी आदमियों को रखा गया है। उनको वर्दी पहना कर खड़े रखते हैं। इसके अलावा शहरी गुण्डों को भर्ती करते हैं और उनको झगड़ा करने को, लाठीबाजी सिखा कर तैयार करते हैं। मजदूरों को डराने के लिए इस प्रकार के साधन हैं मालिकों के पास, जो उनकी तरफदारी में बोलें और उसकी हां में हां मिलायें। मजदूर संगठनों में चाहे लाल झण्डे के हों, चाहे तिरंगे झंडे के हों, उनको इन लोगों द्वारा तोड़ा जायगा, फोड़ा जायगा और पीटा जायेगा। इजारेदार पूंजीपति हर कानून और व्यवस्था को हाथ में ले लेते हैं। प्रश्न यह आता है कि आखिर मजदूर कहां जायं? यह दरीबी माइन्स के मजदूर हैं इनके साथ में घटना 19 तारीख को नहीं हुई, इसके पहले भी वहां लोगों की पिटाई हुई। उन लोगों को काम से निकाला गया, उन पर झूठे मुकदमे चलाये गये, यह इतने चलाये गये कि महीने में बीस दिन में वह अदालत में बैठे रहते ह और दूसरा काम नहीं कर सकते। बेकार रह कर उनको अपने आपको जिन्दा रखना पड़ रहा है। ऐ

(श्री केसरीमल)

हालत में इस घटना के प्रश्न के पहले जब उन्होंने कहा कि मीटिंग करना चाहते हैं और 17 तारीख को जिलाधीश को और पुलिस अधीक्षक को लिखित में सूचना दे दी। माननीय सभापतिजी, चाहिए तो यह था कि उसके बाद में रक्षा की जाती और उनकी मीटिंग होती। उन्होंने मीटिंग कायदे से करने की बात कही थी। मेरा निवेदन है कि यह जनतन्त्र मिट जायगा यह व्यवस्था मिट जायगी और उनको मीटिंग करने का अधिकार नहीं रहेगा। शान्ति व्यवस्था में रोग लग जाय तो भी कांग्रेस राज्य रहेगा, इसमें अन्तर नहीं। लेकिन प्रश्न है कि क्या यह व्यवस्था चलाना चाहते हैं। मैं मान कर चलता हूं कि कांग्रेस व्यवस्था नहीं चलाना चाहती है, और मजदूरों का संगठन करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, बात करने का अधिकार, आन्दोलन करने का अधिकार छीन लिया है। मैं समझता हूं यह सरकार इस तरह नहीं सोचती है। जब सरकार इस तरह नहीं सोचती है तो सरकार को चाहिए था, जब सूचना आ गई है तो जरूर उनकी मीटिंग की रक्षा करती। लेकिन ऐसे लोगों को, जो मीटिंग को तोड़ने आने वाले थे उनको तोड़ने दिया। उन लोगों ने लोहे के टोप पहन रखे थे और हथियार लेकर वह वहां गये। अगर उनको गिरफ्तार सरकार करती तो यह ज्यादा अच्छा होता। लेकिन यह कहा गया, यहां से हट जायं और दूसरी जगह मीटिंग करें। वह वहां से हट गये और दूसरी जगह मीटिंग हुई, फिर भी उन पर हमला हुआ फिर भी उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया बल्कि मजदूरों को गिरफ्तार किया। इसके पीछे अपेक्षा क्या है, मन्शा क्या है? मंशा यह है सरकार ने साफ्ट कार्नर पूंजीपतियों के प्रति रखा हुआ है, उनके बचाव में लगी हुई है। मंत्री महोदय ने कहा कि टेंट गिरा दिया। जो धरने पर बैठे हुए थे, जिनको काम से निकाल दिया गया, उन्होंने टेंट गिरा कैसे दिया। उसका टेंट जला दिया गया ......

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : शायद आप सही सुन नहीं पायें, इसलिए कन्फ्यूजन है। मैंने कहा, गाली गलौच हुई, दंगा हुआ जिससे टेंट गिर गया ....

श्री गुमानमल लोढ़ा : गाली गलौच से टेंट गिर गया।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : गाली गलौच हुआ, दंगा हुआ, दंगे से क्या मतलब समझते हैं। दंगा हुआ जिससे टेंट गिर गया।

श्री केसरीमल : यह बात सही मानलें तो भी मैं मानूंगा, इस बात को छिपाया जा रहा है। जिस जगह धरना बैठे हुए हैं, वह क्या दंगा करने के लिए बैठे हैं? वह धरना करने के लिए बैठे हैं। लेकिन लोग गये हैं, उनके साथ झगड़ा किया है और मारपीट की है। जो सूचना मिली हुई है उसके अनुसार इस प्रकार टेंट को जलाया गया। और दो सौ आदमियों ने हमला किया। इस बात को क्यों छिपाया जा रहा है? या तो आपके पास सूचना गलत है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से देश का पूंजीपति आज देश के मजदूर संगठनों को तोड़ने के लिए खुद गुंडे और फौज रखकर काम कर रहा है। चाहिए तो यह था कि सरकार उनको प्रोटेक्शन देती, लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करती। जो पीसफुली और लिगली मीटिंग करना चाहते थे उनको प्रोटेक्शन देती, उसके बजाय गिरफ्तारियां और मुकदमे चलने की बात उल्टी लगती है, इसलिए सरकार के सोचने का तरीका उल्टा

(श्री केसरीमल) है, वे मजदूर विरोधी और मालिक परस्ती कार्य कर रहे हैं। सरकार ठीक से सोचे और फैसला करवाए और आश्वासन दे कि मजदूरों के साथ ज्यादती नहीं होगी, जो हटाए गए हैं उनको वापस लिया जाएगा। मुकदमे वापस लिए जायेंगे, मीटिंग करने का अधिकार और यूनियन बनाने का अधिकार उनको मिलेगा, अन्यथा मजदूरों में असंतोष है, झगड़े होंगे, झगड़े मालिक करवा रहे हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। मैं आशा करता हूं, सरकार इस तरफ उचित ध्यान देकर सही बात करेगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, इस प्रसंग में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की मजदूर विरोधी नीति, किसान विरोधी नीति, विद्यार्थी विरोधी, कर्मचारी विरोधी नीति और जनता विरोधी नीति, इन नीतियों का समय समय पर यहां पर विभिन्न प्रश्नों पर पर्दाफाश हुआ है। राज्य सरकार, कांग्रेस से संबद्ध जो मजदूर संस्था है, उसके मजदूरों को भी प्रोटेक्शन देने में असमर्थ रही है, इससे बढ़कर उनका निकम्मापन नहीं हो सकता। इसी कारण से भारतीयजी कल जुलूस लेकर आए थे, बृजसुंदर शर्मा जो सुखाड़िया मंत्रिमंडल में चिकित्सा व श्रम मंत्री रह चुके हैं, वह और भारतीयजी अपने साथ में मजदूर लाए और नारे लगाए कि मजदूरों की रक्षा जो न कर सके, वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वह सरकार बदलनी है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : यह जानकारी गलत है। I was not in Jaipur.

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप यदि घबराती हैं कि अनुशासनात्मक कार्यवाही हो जाएगी तो मैं आपकी बात मानता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : मैं आपके शहर जोधपुर में था, आपकी रखवाली कर रहा था।

श्री गुमानमल लोढ़ा : बाहर तो नारे लगाये और हरिदेव जोशी के आगे चुप रहें, यह बात कितनी चिन्ताजनक है। इसमें दो राय नहीं कि बजाज का जो मैनेजमेंट है, वह कैपीटलिस्ट मैनेजमेंट है और उन लोगों के द्वारा अपनी जेबी यूनियन बनवा कर दूसरी यूनियन पर हमला करना यह केवल कांग्रेस समर्थित यूनियन पर ही नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारी भारतीय मजदूर यूनियन है जहां जहां उसका कार्य चलता है और जिस तरह से वह मजदूरों के हित में कार्य करना चाहती है, यह संकट सब जगह हमारे सामने आता है। इसलिए लोकतंत्र में यदि मजदूर संगठनों को कायम रखना है, मजदूर भी अपनी बात को हिम्मत के साथ कह सकें, और गुंडागर्दी से उनको न दबाया जाए, तो उनको प्रोटेक्शन देना सरकार का कर्तव्य है। केवल कहना कि दंगे हुए, वह तो अंग्रेजों वाला पुराना तरीका है। अंग्रेज कांग्रेसी लोगों के लिए कहते थे कि इन्होंने दंगा किया है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमे बनवाए जाते थे। इस प्रसंग में यही कहना कि रपट हैड कान्सटेबल और सब-इन्सपेक्टर ने फार्वर्ड की और गृह आयुक्त ने वक्तव्य के रूप में राज्य मंत्री को सदन में पढ़कर सुनाने के लिए दे दी कि गाली गलौच के कारण टेंट गिर गया, यह हास्यास्पद है। इसकी तह तक आपको जाना चाहिए। दंगे से क्या मतलब है? किसने वार किया? आफेन्स में कौन था, डिफेन्स कौन था, एग्रेशन किसका था?

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

मजदूरों के दृष्टिकोण से देखेंगे तब तो सही स्थिति बता सकेंगे वरना हैड कान्सटेबल की रपट जो थाने में डालदी और आपके लिए ब्रह्म वाक्य हो गया, बाइबल हो गया, रामायण हो गया और मंत्री के लिए आखिरी शब्द हो गया, यह उचित नहीं है। मंत्री महोदय का इस प्रकार का स्टेरोटाइप्ड जवाब होता है, ब्यूरोक्रेसी बनाकर देती है, ऐसे मामलों में स्वयं अनुसंधान करने का प्रयास करें।

हमारे साथियों ने कहा कि जयप्रकाशजी के मूवमेंट में इस प्रकार के हमले करवाते हैं, ऐसा वहां भी हुआ। यहां मंत्री महोदय की बात से भी ऐसा आभास मिलता है कि झगड़ा बजाज मैनेजमेंट ने करवाया, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने वहां, कुछ मुद्दे हैं, दखल दिया ....

श्री मनोहर कोठारी : कौनसे सदस्य ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मावली से। आप तो नाथद्वारा से आते हैं, रोट खाकर आते हैं ?

एक माननीय सदस्य : क्या है, स्पष्ट करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा: उनका मैनेजमेंट यूनियन पर आशीर्वाद है। वरदहस्त है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनका मतलब मावली से आने वाले माननीय सदस्य के लिए है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह यहां नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता उनके बारे में। लेकिन जो कुछ कांड हुआ, उसके लिए मंत्रीजी ने जो स्पष्टीकरण किया वह अपर्याप्त है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य गृह मंत्री) : सभापति महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ स्पेसीफिक बात कही है जिसका उत्तर राज्य सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। स्पेसीफिक बात यही कही थी कि यूनियन ने टैंट गिराया और एस० पी० को सूचना दी थी कि 19 तारीख को दरोली क्वैरीज गेट पर मीटिंग करने जा रहे हैं, उसकी व्यवस्था की जाए। उसका जवाब मैंने दिया, वहां पर डीवाई० एस० पी० के नेतृत्व में पुलिस मौजूद थी, यह व्यवस्था कर दी गई। अब आप जानना चाहते थे कि कितने लोग थे। वहां एक डीवाई० एस० पी०, तीन सब-इन्सपेक्टर, 4 हैड कान्सटेबल और 20 कान्सटेबल थे। दरोली मान्इस मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ती हैं। अलवर और बूंदी से आने वाले माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं कि यह क्वैरी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, मैं उस क्षेत्र को जानता हूं। अलवर व बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य इतना नहीं जानते हैं ....

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। बीच में व्यवधान न डालें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य को यह भी पता नहीं है कि वहां पर कौनसी यूनियन है, उसका नाम क्या है। आप बता दें या स्थिति स्पष्ट कर दें कि दोनों यूनियन्स किससे संबद्ध हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : उदयपुर सीमेंट वर्कर्स यूनियन तो इंटक से संबद्ध है और दूसरी आप बतायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरी का संबंध आपसे और निरंजननाथ आचार्य से है और पहली का इन्टक से है।

(शोरगुल)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आप रजिस्टर्ड यूनियन का नंबर बता दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपकी परीक्षा है, रजिस्ट्रेशन नंबर बता दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको पता है, गुंडे कहां से भेजे गए, कौन पहलवान थे, सब आपको पता है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जब आप बोलें तो मैं आपकी बात सुन रहा था, लेकिन आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते। कम से कम सुन लीजिये, फिर आपको जो कहना है, कह दीजिए।

श्री केसरीमल : आपने सवाल पूछा, उसका जवाब दिया।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो मुद्दे माननीय सदस्यों ने रखे हैं, उनका स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि पुलिस मौजूद थी, व्यवस्था पूर्ण कर दी गई थी। माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि वहां पर माइन्स सेफ्टी वीक चल रहा था। सारे के सारे लोगों ने बिना इजाजत के अंदर प्रवेश का 7 दिन पहले नोटिस लगाया था, 19 तारीख को नहीं लगाया था। डीवाई० एस० पी० ने कहा कि क्योंकि सेफ्टी वीक चल रहा है, इसलिए आपको माइन्स एरिया के अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकते। इसलिए माइन्स का जो गेट है उसके पास ही आप मीटिंग करें और उनको मीटिंग करने का अवसर दिया गया।

सभापति महोदय, झगड़ा जो हुआ वह अन्दर हुआ। माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि एक यूनियन वाले ऊपर थे और दूसरे उसके 100-150 फीट नीचे बैठे मीटिंग कर रहे थे और आपस में बोलचाल होने से ऊपर वालों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और इस प्रकार आपस में झगड़ा हुआ।

एक माननीय सदस्य : आपको पता नहीं है कि वह जगह कैसी है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको शायद यह पता नहीं है कि उस एरिया का मेरे चप्पा चप्पा देखा हुआ है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आप उस इलाके को जानते हैं क्या ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां मैं अच्छी तरह जानता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : हमने सारी जिन्दगी माइंस में गुजारी है। हम जानते हैं कि वहां की स्थिति कैसी होती है।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपने अगर जिन्दगी गुजारी है तो मैंने भी वहां पर जिन्दगी गुजारी है। माननीय सदस्य को शायद मालूम नहीं होगा कि मैं जावर माइन्स जो उदयपुर में है वहां पर सबसे पहले

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

यूनियन बनी थी उस मजदूर यूनियन का सबसे पहला जनरल सेक्रेट्री था और चार साल तक मैं उस यूनियन का सेक्रेट्री रहा हूं। मैंने मजदूरों के साथ काम किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने किसी यूनियन को फेवर किया है मैंने तो सदन में माननीय सदस्यों को जो तथ्य थे वह आपके सामने रखे हैं। वहां पर दो यूनियनें बनी हुई हैं और उन दोनों यूनियनों में एक दूसरे का प्रभाव कम करने की होड़ लगी रहती है। दोनों एक दूसरे पर हावी होना चाहती हैं और खास झगड़ा यहीं शुरू होता है। वैसे तो यह काम लेबर डिपार्टमेंट का है लेकिन जब दो यूनियन के बीच में झगड़ा होता है तब जाकर पुलिस को बीच बचाव करने के लिये वहां पर जाना पड़ता है उसके पहले पुलिस का कोई काम नहीं है। पर जब झगड़ा होता है तब पुलिस वहां पर अमन और चैन की व्यवस्था करने के लिये जाती है। पुलिस ने झगड़े को रोका था और वहां पर जो दो यूनियन लड़ रही थीं उनमें जो दोषी व्यक्ति थे उनके खिलाफ में एक्शन लिया जा रहा है और मैं समझता हूं कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ में एक्शन लेना भी चाहिये। मैं यहां पर माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह कहना चाहता हूं कि जब मैं होली की छुट्टियों में गया था तो दूसरी पार्टी वाले लोग आकर मुझे मिले और कहा कि साहब पुलिस केस रजिस्टर नहीं कर रही है तो मैंने वहां जाकर टेलीफोन किया और कहा कि केस रजिस्टर किया जाय। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी पार्टी से मिले हुए नहीं हैं और न ही किसी में इन्टरेस्टेड हैं। यहां पर सदन में लोगों ने कहा, वहां पर टेंट जल गये तो जहां तक किसी तरह की आगजनी की घटना का संबंध है वहां कोई प्रकार की आग की घटना नहीं हुई। यह बिलकुल असत्य और निराधार बात थी। वहां पर जो सीमेन्ट की फैक्टरी के मालिक हैं उनसे हमारा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही वहां पर जो यूनियन है उसको हमारा समर्थन प्राप्त है। राज्य सरकार का ध्येय हमेशा वहां शांति व्यवस्था बनाये रखने का है। वहां पर दो यूनियन हैं एक दूसरे के खिलाफ में झगड़ा करती रहती हैं तो वहां अमन और शांति कायम रहे उसके लिये पुलिस वहां रहती है।

श्री किशन मोटवानी : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि ऊपर से पत्थर आये और नीचे मीटिंग हो रही थी तो ऊपर से जिन्होंने पत्थर फैंके उनके खिलाफ में आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे यह स्थिति स्पष्ट हो गयी कि दूसरी यूनियन जो थी वह गड़बड़ करने वाली थी उसके खिलाफ में आपने कोई एक्शन नहीं लिया ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य मैं आपको भाषण देने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, वहां पर जो मैनेजमेंट है उसने कुछ मजदूरों को वापिस ले लिया है तो आपने मैनेजमेंट के खिलाफ में क्या एक्शन लिया ? जो लोग ऐग्रेसिव थे उनके खिलाफ में आपने कोई कार्यवाही नहीं की। आपको उनके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिये था। आपने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है आप दूसरी पार्टी की तरफ होस्टाइल हैं और जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया। आप उसमें ....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। अगर आपके पास कोई भी फक्ट्स हों कि मेरा उनसे किसी भी तरह का संबंध है तो आप कहिये। मेरा उस सीमेंट फैक्टरी के मालिकों से कोई संबंध नहीं है। आप के पास कोई फैक्ट्स हों तो आप यहां कहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तथ्य जो आपने रखे हैं उससे ऐसा मालूम होता है कि वहां पर राज्य सरकार ने न्याय नहीं किया। वहां दो यूनियनें हैं और उनमें झगड़ा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : राज्य सरकार ने जो कार्यवाही की वह कानून की है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वहां पर जो यूनियनें हैं उनमें एक यूनियन है उसमें मावली से आने वाले माननीय सदस्य को खड़ा किया जा रहा है और वहां इन्टक के लोग झगड़ा करते हैं। वहां पर जो एग्रेसर लोग हैं उन्हें दबाया नहीं जा रहा है।

श्री सभापति : आपको कुछ भी पूछना हो वह आप स्पेसिफिकली पूछें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है वह सन्तोषजनक नहीं है और पक्षपात से भरा हुआ है। अतः उसके विरोध स्वरूप मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से वाक आउट करता हूं।

(भाकपा के सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

आगामी फसल पर आगामी लेवी

श्री सभापति : लेवी के संबंध में कृषि मंत्री द्वारा वक्तव्य। माननीय कृषि मंत्रीजी।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, मैंने तारीख 25-3-74 को सदन में जिस दिन एप्रोप्रियेशन बिल पास होने जा रहा था तब लेवी के संबंध में राज्य सरकार की नीति रबी प्रोक्योरमेंट के संबंध में क्या होगी एक स्टेटमेंट दिया था। और उस वक्तव्य देने की मंशा राज्य सरकार की यह थी कि माननीय सदस्यों की आम धारणा यह थी कि राज्य सरकार ने अभी तक लेवी के संबंध में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है और न ही कोई नीति निर्धारित की गयी है इसलिये लेवी के बारे में स्पष्ट घोषणा होनी चाहिये ऐसा बार बार सदन में कहा गया। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने 24-3-75 को पार्लियामेंट में गेंहू की वसूली के बारे में घोषणा की गयी और मैंने उसी नीति के अनुसार सदन में घोषणा की थी। वैसे तो इस सदन में उस बारे में काफी चर्चा हो चुकी थी और इस संबंध में नीति निर्धारित भी कर दी गयी थी। मैंने जो स्टेटमेंट यहां पर सदन में पढ़ा था उसी को फिर से दोहरा रहा हूं। रबी 1975-76 के प्रोक्योरमेंट के संबंध में राजस्व मंत्रीजी की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों पर मंत्रिमंडल ने दिनांक 21-3-75 को निम्न निर्णय लिये हैं:—

(1) राज्य में गेहूं की वसूली उत्पादकों पर लेवी लगाकर ली जावे।

(2) राज्य के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर व चूरू जिलों में मुख्यतः

(श्री शिवचरण माथुर)

गेहूं उत्पादक क्षेत्र नहीं होने से गेहूं की वसूली से मुक्त किया जावे और अन्य सभी जिलों में लेवी वसूली का कार्य किया जावे।

(3) लेवी का निम्नलिखित स्केल निर्धारित किया जावे :—

(क) असिंचित भूमि पर :—

1. प्रथम हैक्टर भूमि पर कुछ नहीं।

2. तत्पश्चात प्रत्येक हैक्टर अथवा उसके भाग पर 1 क्विन्टल प्रति हैक्टर की दर से।

(ख) कुओं, तालावों, छोटी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं आदि (ग) में वर्णित सिंचाई योजनाओं के अतिरिक्त, द्वारा सिंचित भूमि पर :—

प्रत्येक हैक्टर अथवा उसके भाग पर दो क्विन्टल प्रति हैक्टर की दर से।

(ग) वृहत् सिंचाई योजनाओं (कोटा व बूंदी) चम्बल परियोजना, गंगानगर जिले में गंगनहर, आसेरा एवं राजस्थान नहर परियोजनाओं द्वारा सिंचित भूमि पर :—

प्रत्येक हैक्टर अथवा उसके भाग पर 3 क्विन्टल प्रति हैक्टर की दर से।

(4) लेवी संग्रह का कार्य भारतीय खाद्य निगम तथा राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम के द्वारा करवाया जावे। इसके अलावा राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ को भी लेवी संग्रह हेतु कार्य बूंदी जिले में दिया जावे।

(5) लेवी वसूली हेतु राज्य के अन्दर गेहूं के आवागमन पर कोई अंतर्जिला प्रतिबन्ध नहीं होगा। परन्तु यह आवश्यक है कि कृषक के द्वारा देय लेवी की अदायगी के पश्चात् ही उसे अपनी शेष उपज को बेचने। हस्तान्तरण करने का अधिकार होगा।

6. लेवी में प्राप्त गेहूं का मूल्य वही रखा जाना है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किया जावे।

श्री सभापति : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, लेवी के बारे में यह जो स्टेटमेंट माननीय मंत्री महोदय ने दिया है उसके सम्बन्ध में उन्होंने जो बातें पहले बतायी थीं उसमें कोई नयी बात नहीं है। लेकिन एक दो बातें विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा।

एक तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि 105 रुपये क्विन्टल का जो भाव निर्धारित किया गया है, चाहे वह सैन्टर के आदेश के कारण किया हो, परन्तु प्रदेश की सरकार और केन्द्रीय सरकार एक है, तीन साल से 105 रुपये का ही भाव चला आ रहा है। और तीन साल में प्राइस इन्डेक्स को देखते हुए, दूसरी चीजों के भाव बढ़े हैं, जैसे खाद है, उसके दुगुने भाव हो गये करीब-करीब। इसी प्रकार से एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं और उन एग्रीकल्चरल इक्विप्मेंट्स के भाव डेढ़ दुगुने हो गये। आपने सिंचाई पर सर-चार्ज लगा कर कीमतें बढ़ा दीं, बिजली के लिये भी अधिक भाव बढ़ गये और जब एग्रीकल्चरिस्ट बाजार में कपड़ा खरीदने के लिये आता है तो कपड़े के भाव भी काफी बढ़ गये। बच्चों की एजुकेशन, इन चीजों के भी भाव बढ़ गये। सब चीजों के भावों में करीब करीब 100 परसेंन्ट इन्क्रीज हुआ और लेवी में 105 से एक पैसा भी अधिक नहीं

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

बढ़ाया। यह किसान के साथ बड़ा भारी अन्याय है, उसके प्रति अत्याचार है और लेवी के नाम पर आप किसान का गला घोंटना चाहते हैं।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय बतायें यहां पर कि यहां से मुख्य मंत्री महोदय गये थे दिल्ली और चीफ मिनिस्टर कान्फ्रेन्स हुई थी सैन्टर में इस संबंध में। कौनसा भाव उचित समझते थे राजस्थान के लिये और उस भाव के ऊपर किसान से जो लेवी ले रहे हैं और उपभोक्ता के पास में वही गेंहू जाता है तो 105 रुपये क्विन्टल में वसूल किया हुआ गेंहूं, उस पर तीस बत्तीस रुपये आपके एक्स्पेन्सेज हो गये, उपभोक्ता से 135), 136) रुपये वसूल करते हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कन्ज्यूमर से आप 135) और 136) रुपये लेते हैं और किसान से आप 105) रुपये पर क्विन्टल लेवी लेते हैं, यह जो मार्जिन है, वह मिसमैनेजमेंट, नेपोटिज्म और किसी प्रकार के गड़बड़ घोटाले हैं उनके कारण इतना खर्चा होता होगा और किसी प्रकार से बताया जाता होगा लेकिन उपभोक्ता से 135) रुपये और 136) रुपये लेवें और किसान से लेवी 105) रुपये क्विन्टल में लेवें यह कहां का न्याय है? कोई बिजनिस, मैन प्रोफिटियरिंग करता है दो रुपया, पांच रुपया क्विन्टल से तो वह बहुत बड़ा मुनाफाखोर समझा जाता है और इधर के और उधर के लोग यह कहते हैं कि यह जो मुनाफाखोरी हो रही है उसको रोकना चाहिये। लेकिन सरकार जो यह मुनाफाखोरी कर रही है 35) और 36) रुपये क्विन्टल की इसको रोकने का कोई रास्ता निकाला? माननीय मंत्री महोदय आये, एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो लिया तो आमूलचूल परिवर्तन की बात

(6.04 म० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

कही थी। खेती कैसे होती है, कैसे जमीन तैयार की जाती है, खाद कब देना और कितना देना उपयुक्त होता है, सिचाई कैसे होती है, किस प्रकार के इक्विप्मेंट कब काम में लाये जाते हैं, क्या तकलीफ होती है किसान को, पहले वाले कृषि मंत्रीजी को यह सब अनुभव था लेकिन हमारे नये मंत्रीजी को यह अनुभव नहीं है। और किसान पर 105 रुपये में लेवी लादना चाहते हैं यह किसान पर भयंकर अन्याय है। इसलिये 125) रुपया, 130) रुपया लेवी का कायम करना चाहिये।

दूसरी बात, मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, सिंचित और असिंचित जिलों में छूट रखी है। असिंचित में तो एक हैक्टर। एक हैक्टर की होल्डिंग कहां पर होती है? मुझे अनुभव कम है, एग्रीकल्चर किसान माननीय सदस्य ही बतायेंगे, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि एक हैक्टर अनइकोनोमिक होल्डिंग होती है। आपने स्लेब मुकर्रर किये हैं। एक हैक्टर तक नहीं लगेगी। मतलब आपका यह है। आपको इस बारे में सोचना चाहिये था कि जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग हैं, छोटी 2 होल्डिंग हैं, उनको इससे एक्जेम्प्ट रखना चाहिये। मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा इस संबंध में कि हम किसान के शोषण के विरोध में हैं। हमारी मान्यता यह है कि किसान को 105 में जबरन लेवी देने के लिये बाध्य करते हैं। आपने विधायकों तक को इस मामले में गिरफ्तार किया है। मऊ मैं गया था। किस प्रकार से हवाई

(श्री गुमानमल लोढा)

फायरिंग करके, किसानों के गोदामों को तोड़ कर गल्ले के साथ साथ चांदी सोना भी निकाल लिया। छोटी मोटी रकमें पड़ी हुई थीं। सवाई माधोपुर जिले में आपने लूट मचाई। आपने इस प्रकार आतंक फैलाया। सवाई माधोपुर के आस पास के जिले के एक दो विधायकों को गिरफ्तार किया। 105 पर जबरन लेवी का हम विरोध करते हैं। उसकी प्रोड्यूस की रीजनेबल रेट किसान को देने के लिये आपको इसको बढ़ाना चाहिये। राजस्थान में कितने ही डंडे बजाने की कोशिश करें, आर० ए० सी० और कोई फोर्स ले आयें, यदि आप किसान का शोषण करेंगे तो सामना किया जावेगा। किसान खड़ा होगा और शोषण नहीं करने दिया जायगा। यह आपको मैं चैलेन्ज देना चाहता हूं।

यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि तीन चार जिले आपने छोड़ दिये हैं। अच्छा किया। आपके हिसाब से कितने जिलों में अकाल है। कितने जिलों में अकाल घोषित किया है। तीन चार जिलों को छोड़ा और बाकी के लिये आप स्पष्टीकरण करेंगे।

105) रुपये क्विन्टल का विरोध करते हुए, हमारी यह मान्यता है कि किसान को उचित रेट मिलनी चाहिये। सर्दी गर्मी, बरसात दिन रात, पानी में किस प्रकार से किसान को कष्ट होता है। किस प्रकार खून का पसीना करके बहाता है। झौंपड़ियों में रह कर सब तरह की यातनायें सहन करता है। उसके विरुद्ध इस प्रकार अत्याचार करके 105) रुपये में लेवी लेना चाहते हैं यह लोकनीति के भी विरुद्ध है। आपको इस पर फिर से पुनर्विचार करना चाहिये और आपको घोषणा करना चाहिये कि 105) रुपये को रिवाइज किया जावेगा। आपने मुख्य मंत्री सम्मेलन में स्वयं ने कहा था कि यह रेट राजस्थान के किसान को किसी प्रकार पोसा नहीं सकती है। जो विधायक यहां आये हुये हैं वे अगर दिल पर हाथ रख करके बतायेंगे कि उनकी जो कास्ट आफ प्रोडक्शन होती है वह क्या होती है। कितना एक क्विन्टल अनाज पैदा करने के लिये किसान का खर्च होता है और उसको क्या मिलेगा? लेकिन आपको इससे क्या आपने तो कह दिया दिल्ली दरबार से घोषणा हो गई और हमें उसका पालन करना है। हम तो हुकुम के गुलाम हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, कभी कभी गुलाम भी बगावत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इसलिये आप कम से कम ऐसे गुलाम तो न बनें · · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

समितियों का गठन

वित्तीय एवं सदन की विभिन्न समितियों के मनोनीत सभापति व सदस्यों के नामों की घोषणा

जन लेखा समिति, 1975-76

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 183 (1) के अन्तर्गत मैं श्रीमती प्रभा मिश्रा को जन लेखा समिति, 1975-76 के लिये सभापति नियुक्त करता हूं।

2.	श्रीमती कान्ता कथूरिया	सदस्य
3.	श्री ओंकार लाल चौहान	,,
4.	श्रीमती उषा प्रकाश	,,
5.	श्री जय नारायण	,,
6.	श्री भीमसेन चौधरी	,,
7.	श्रीमती मदन कौर	,,
8.	श्री मनोहर कोठारी	,,

(श्री उपाध्यक्ष)

9. श्री महेन्द्र कुमार सदस्य
10. श्री मोहर सिंह (चूरू) ,,
11. श्री सहदेव शर्मा ,,
12. श्री सुरेन्द्र व्यास ,,
13. श्री भानुकुमार शास्त्री ,,
14. श्री मूलचन्द सामरिया ,,
15. श्री मोहम्मद गफ्फार अली ,,

राजकीय उपक्रम समिति, 1975-76

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 183 (1) के अन्तर्गत श्री प्रद्युम्नसिंह को राजकीय उपक्रम समिति, 1975-76 के लिये सभापति नियुक्त करता हूं:—

1. श्री गुमानमल लोढ़ा सदस्य
2. श्री अमृत लाल गहलोत ,,
3. श्री गोकुल चन्द ,,
4. श्री गोपाल जोशी ,,
5. श्री घासीराम यादव ,,
6. श्रीमती जमुना सोलंकी ,,
7. श्री दलपत सिंह ,,
8. श्री भुवनेश चतुर्वेदी ,,
9. श्री राजेन्द्र सिंह ,,
10. श्री विद्या सागर ,,
11. श्री शंकर लाल (पाली) ,,
12. श्री श्रीनिवास शारदा ,,
13. श्रीमती सुमित्रा सिंह ,,
14. श्री गिरधारीलाल भार्गव ,,
15. श्री गोपाल सिंह ,,

प्राक्कलन समिति, 1975-76

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 183(1) के अन्तर्गत श्रीमती नगेन्द्र बाला को प्राक्कलन समिति, 1975-76 के लिये सभापति नियुक्त किया जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है।

श्री उपाध्यक्ष :—

2. श्री पूनम चन्द बिश्नोई सदस्य
3. श्री भंवर लाल भदादा ,,
4. श्री राम प्रसाद बोहरा ,,
5. श्री रावत राम ,,
6. श्री लूणा राम ,,
7. श्री विजय सिंह राठौड़ ,,
8. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव ,,
9. श्री सज्जन सिंह ,,
10. श्री सांवरमल मौर ,,
11. श्री ज्ञान सिंह चौधरी ,,
12. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत ,,
13. श्री नाथू राम ,,
14. श्री नन्द लाल बैरवा ,,
15. श्री गौरी शंकर मुनीम ,,
16. श्रीमती गौरी पूनिया ,,
17. श्री कालू राम आर्य ,,
18. श्री अजीत सिंह ,,
19. श्री गोरधन सिंह ,,
20. श्री मोहर सिंह (सादुलपुर) ,,
21. श्री रतिराम यादव ,,

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत मैं विधान सभा सदस्यों की निम्नांकित समितियां मनोनीत करता हूं :—

नियम 227—याचिका समिति

1. श्री गुमान मल लोढ़ा सभापति
2. श्री शिव नारायण सदस्य
3. श्री जग मोहन सिंह ,,
4. श्री हाजी जान मोहम्मद ,,

Page No 166

(166)

(श्री उपाध्यक्ष)

5. श्री चतुर्भुज सदस्य
6. श्री गोपी लाल ,,
7. श्री जेठ मल आर्य ,,
8. श्री रामेश्वर लाल (नावा) ,,
9. श्री किशन मोटवानी ,,
10. श्री भगराज चौधरी ,,
11. श्री सुख लाल सेंणचा ,,
12. श्री जय किशन तोसावड़ा ,,
13. श्री केसर देव ,,

नियम 234—विशेषाधिकार समिति, सन् 1975-76

1. श्री श्रीराम गोटेवाला सभापति
2. श्री राम सिंह बिश्नोई सदस्य
3. श्री राम लाल बाड़ी ,,
4. श्री हुकुम सिंह ,,
5. श्री अब्दुल हादी ,,
6. श्री प्रताप सिंह ,,
7. श्री भोपाल सिंह ,,
8. श्री गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी ,,
9. श्री राजेन्द्र भारतीय ,,
10. श्री नाना लाल ,,
11. श्री सुन्दर लाल ,,
12. श्री बेगा राम ,,

नियम 239—अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

1. श्री निरंजन नाथ आचार्य सभापति
2. श्री शोभा राम सदस्य
3. श्री भंवर सिंह ,,
4. श्री राम रघुनाथ ,,
5. श्री शीशा राम ओला ,,
6. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल ,,
7. श्री वृद्धि चन्द्र जैन ,,
8. श्री मनफूल राम ,,
9. श्री दीपंकर सदस्य
10. श्री रामकुमार सपोटरा ,,
11. श्री मोहन राज ,,
12. श्री रामानन्द अग्रवाल ,,

नियम 245—सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति

1. श्री गंगाराम चौधरी सभापति
2. श्री रणजीत सिंह सदस्य
3. श्री शंकर लाल जाट ,,
4. श्री जवाहर मल ,,
5. श्रीमती भगवती देवी ,,
6. श्रीमती समुन्द्र कंवर ,,
7. श्री चेत राम ,,
8. श्री हनुमान सहाय व्यास ,,
9. श्री करण सिंह ,,
10. श्री किशोरी लाल शर्मा ,,
11. श्री बनवारी लाल (धौलपुर) ,,
12. श्री राम किशन ,,
13. श्री रामजी लाल ,,

नियम 247—नियम समिति

1. श्री राम किशोर व्यास पदेन सभापति
2. श्री नारायण सिंह मसूदा सदस्य
3. श्री रामचन्द्र चौधरी ,,
4. श्री बी० एन० जोशी ,,
5. श्री माणक चन्द सोगानी ,,
6. श्री सम्पत राम ,,
7. श्री बद्री प्रसाद गुप्ता ,,
8. श्री फूल चन्द जैन ,,
9. श्री शान्ति लाल कोठारी ,,
10. श्री गिरधारी लाल व्यास ,,
11. श्री पुखराज कालानी ,,
12. प्रो० केदार नाथ ,,
13. श्री मीठा लाल मीणा ,,
14. श्री नारायण सिंह दांता ,,

(श्री उपाध्यक्ष)

नियम 248—गृह समिति

1. श्री जनार्दन सिंह गहलोत सभापति
2. श्री भीमराज चौधरी सदस्य
3. श्री हरिसिंह बेगूं ,,
4. श्री ललितसिंह ,,
5. श्री सुरेशचन्द्र ,,
6. श्री बीरबल ,,
7. श्री रामलाल मेड़ता ,,
8. श्री बिशम्भर दयाल वोहरा ,,
9. श्री बृजेन्द्र पाल ,,

नियम 253—अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति

1. श्री भीखा भाई सभापति
2. श्री रामचन्द्र (शेखपुरा) सदस्य
3. श्री रामचन्द्र रोत ,,
4. श्री हुरलाल मीणा ,,
5. श्री भूरा (शाहपुरा) ,,
6. श्री राम गोपाल ,,
7. श्री देवी लाल मीणा ,,
8. श्री लालाराम ,,
9. श्री रमेशचन्द्र सैमिक ,,
10. श्री अलखा राम ,,
11. श्री भैरूलाल ,,
12. श्री भरतलाल ,,
13. श्री हरि किशन ,,

अनुसूचित जाति कल्याण समिति

1. श्री दिनेश राय डांगी सभापति
2. श्री उम्मेदी लाल सदस्य
3. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया ,,
4. श्री जेठमल बरबड़ ,,
5. श्री बिरदा राम ,,
6. श्री जैठाराम ,,
7. श्री राम चरण सदस्य
8. श्री भूरा राम ,,
9. श्री रामगोपाल शिशोदिया ,,
10. श्री नत्था सिंह ,,
11. श्री गणेश लाल ,,
12. श्री झावरमल सूण्डा ,,
13. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा ,,

नियम 253 (ए)—पुस्तकालय समिति, सन् 1975-76

1. श्री रघुनाथ विश्नोई सभापति
2. श्री शंकरसिंह रावत सदस्य
3. श्री मोहम्मद उस्मान ,,
4. श्री रामेश्वर लाल (गुढ़ा) ,,
5. श्री मालाराम ,,

आगामी फसल पर अनाज पर लेवी

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, लेवी के बारे में मैंने भी स्टेटमेंट सुना। राज्य सरकार की पिछले दो साल से जब से हमने यह घोषणा सुनी थी कि व्हीट के होलसेल ट्रेड को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, लेकिन पिछले साल ट्रेडर्स के कहने से उसे वापिस भी ले लिया और रिट्रीट कर लिया। जब मान्यवर, लेवी लगा दी और एक स्टेज यह भी देखी कि 31 मई के बाद बड़े काश्तकारों को छूट दे दी कि कहीं भी अनाज बेच सकते हैं। लेवी का मतलब सरप्लस है मार्केट में आने के लिये। जिनके पास अपने खर्चे के अलावा जो सरप्लस है उसमें ग्रेडेड तरीके से लेवी लगावें ताकि ट्रेडर्स और रिच फार्मर्स अनड्यू लाभ न उठा सकें। मार्केट में डबल सिस्टम न हो और ऐसे काश्तकार, मार्जिनल

(श्री केदारनाथ)

किसान, जिसके पास केवल साल भर में 3-4 बीघा में व्हीट पैदा करने के बाद गुजारा लायक होता है उसको आप एग्जेम्प्ट कर दें अगर यह तरीका है लेवी का तो हम भी सिद्धान्त रूप से मानते हैं। मगर मान्यवर, यह चीज नहीं है। डबल मार्केट और डबल सिस्टम हैं। आपने छूट दे दी कि कोई भी आदमी – काश्तकार राजस्थान को एक यूनिट बनाकर बेच सकता है। मान लो, इसमें कौन आयेगा ? मार्जिनल किसान आयेगा ? – नहीं आयेगा।

मान्यवर, अगर ये बेच देंगे तो आपके स्टेटमेंट में कोई सेफगार्ड नहीं है कि ट्रेडर्स उनकी सरप्लस को खरीद न पायें और फिर ट्रेडर्स दूसरे प्रान्तों में बेचेंगे। पंजाब में जो पड़ोसी स्टेट है सारा का सारा जितना मार्केट में आयेगा प्रोड्यूस उसको राज्य सरकार खरीदेगी और 105) रु० क्विन्टल में खरीदेगी और उसका आधा केन्द्रीय पूल में रहेगा बाकी डेफिसिट स्टेट में भेजेंगे। इसमें न ट्रेडर्स के मुनाफे का सवाल है और न रिच-फार्मर्स के मुनाफा का सवाल है जो मार्केट को समझते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वे अपनी सरप्लस को रख सकेंगे। उसको मौका मिलेगा और ज्यादा मुनाफा कमा कर आयेगा। मान्यवर, न स्टाक की लिमिट की बात होगी और न कोई और बात होगी।

मान्यवर, पिछली बार देखा काश्तकार की 130) रुपये से 135) रुपये की रेन्ज कर दी। पंजाब में व्यापारी नाम की कोई चीज नहीं रही। मुनाफाखोरी हमेशा के लिये टूट गई। छोटे काश्तकारों को एग्जम्शन दे दिया चार बीघा तक। यहां पर एक हैक्टर केवल सिंचित और जिसके पास पांच हैक्टर है, लेकिन सिंचित नहीं है तो क्या आप उसे एक हैक्टर की छूट दे देंगे या एक वाले से भी पांच और पांच हैक्टर वाले से भी पांच ? यह आपके स्टेटमेंट से क्लियर नहीं है। मान्यवर, आपने तीन क्विन्टल भाखरा क्षेत्र में, चम्बल क्षेत्र में और राजस्थान कैनाल क्षेत्र में रखी है। हमारी यह नीति होनी चाहिये कि जो वलनरेबल सेक्सन है, उसको आप पूरी कीमत दीजिये और जो ट्रेडर्स हैं उनको दूसरी जगह मौका नहीं मिले बेचने का। हम तो लेवी के हिसाब में यह चाहते हैं। केवल दो हैक्टर है वह भी तीन क्विन्टल देगा, तीन हैक्टर है तो वह भी तीन क्विन्टल देगा लेकिन आपने यह ख्याल नहीं रखा कि छोटे काश्तकार को कुछ छूट दे दें।

आज बाजार में क्रूड आइल की कीमत खाद की कीमत और दूसरी चीजें जो प्रोडक्शन के काम में आती हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं। इसमें अभी कुछ अवश्य यह हुआ है कि जो काश्तकार की कमोडिटीज हैं, उनकी पिछले दो साल में कीमतें कम हुई हैं – मेज का भाव देख लीजिये, ज्वार का भाव देख लीजिये, व्हीट की जो कीमत कम हुई है उसे देख लीजिये लेकिन मान्यवर, दो माह बाद फिर बढ़ेंगी और कीमतें बढ़ी हैं। 240 रुपये क्विन्टल, 250 रुपया क्विन्टल व्हीट बिका है। मार्केट में आपने पिछले साल 95 रुपये क्विन्टल में गेहूं लिये और 136 रु० क्विन्टल में बेचे हैं। यह जो इन्सीडेन्टल चार्जेज हैं, हमेशा हम कहते हैं कि फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया में बहुत बंगलिंग हो रहा है, बड़ा करप्शन हो रहा है, और बड़ी धांधलेबाजी है, आपने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं

(श्री केदार नाथ)

दिया । न तो उसको दुरुस्त करते हैं, न मोड आफ प्रक्योरमेंट को ठीक करते हैं, न न्सीडेन्टल चार्जेज कम करना चाहते हैं और न छोटा काश्तकार है उसको ही आप एग्जम्प्शन देना चाहते हैं। जिनके पास ज्यादा जमीन है, ज्यादा पैदावार होती है उसको ज्यादा लेवी देनी पड़ेगी - न यह तय करते हैं। हम कोई भी पैटर्न तय नहीं कर पाये । फिर भी लेवी लगाना मान्यवर, हम सिद्धान्ततः ठीक समझते हैं आप ग्रेडेड तरीके से लेवी लगायें । जो छोटे काश्तकार हैं उनको आप एग्जम्प्शन कीजिए और जो मोड आंफ प्रक्योरमेन्ट है और इन्सीडेन्टल चार्जेज है उनको कम कीजिए और इसकी कीमत पांच, दस रुपये ज्यादा कीजिए। मगर मैं ऐसा मानता हूं कि यह आपके हाथ में नहीं है क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने इसका एलान कर दिया । जो एग्रीकल्चर प्राइसेज कमीशन ने रिपोर्ट दी है और इससे पहले चीफ मिनिस्टर्स कन्फ्रेन्स हुई है, उसमें सरप्लस स्टेट्स 120 और 125 रुपया की बात कही है और डेफिसिट स्टट्स में चीफ मिनिस्टर्स ने 105 रुपया की बात कही और सेन्टर के फूड मिनिस्टर ने उनकी बात सुनके सारा, केस रेफर कर दिया और यह कर दिया कि टारगेट आंफ प्रक्योरमेन्ट स्टेट तय करें और मोड आफ प्रक्योरमेन्ट स्टेट तय करें और कीमत 105 रुपया तय कर दी । आपने सारा इन्टर स्टेट सिस्टम तोड़ दिया लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा इम्पोरटेन्ट सवाल है और लेवी की वसूली जो है आपने 211 हजार टन की बात की है । आपने यह तय नहीं किया कि कितनी लेवी वसूल करना चाहते हैं । सारे देश में कितनी लेवी वसूल करना चाहते हैं केन्द्र की सरकार तो पिछले तीन सालों में केन्द्र भी अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाया, आज मान्यवर आप सेल्फ रिलायन्स की स्टेज पर नहीं है । आपने हमको हमेशा कहा कि अमेरिका से पी० एल० 480 के तहत कोई अनाज नहीं मंगवाया और इम्पोर्ट भी इतनी कीमत पर कर रहे हैं 150 रुपया क्विन्टल पर । मुझे इससे नाराजगी नहीं है लेकिन अमेरिकी अनाज नहीं आना चाहिए जैसे हमारे उससे रिलेशन्स हैं उनको देखते हुए । सेल्फ रिलायन्स की स्टेज तभी आयेगी जबकि बाहर का इम्पोर्टेड व्हीट हम न लें और सही तरीके से डिप्लाय करें और सही सिस्टम आफ डिस्ट्रिब्यूशन हो और कम से कम उस सेक्शन में जो कि कमजोर वर्ग है । वीकर सेक्शन है उसको सबसीडाइज्ड रेट्स पर और 8 किलो फी आदमी होना चाहिए तब जाकर इस पालिसी में हमारा विश्वास आयेगा वरना लोग नाराज होंगे जैसे कि पिछले वर्षों में हुए ।

सभापति तालिका

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 9 (1) के अन्तर्गत निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करता हूं :—

1 श्री पूनमचन्द विश्नोई
2. श्री फूलचन्द जैन
3. श्री भानुकुमार शास्त्री
4. श्री केदारनाथ

आगामी फसल पर अनाज पर लेवी

श्री शंकर लाल

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, लेवी के संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है और, उसकी प्राइस के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और मैं भी इस बात को मानता हूं कि 105) रुपये की जो प्राइस है वह वास्तव में बहुत कम है।

दूसरी जो मुख्य बात है ····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आप बिराजिये।

(6, 25 सायं)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन की अवमानना

श्री मनोहरसिंह कुमावत द्वारा सदन की अवमानना ।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि आज जब सदन की कार्यवाही चल रही थी तो लगभग 3 बजकर 8 मिनट पर दर्शकदीर्घा से एक व्यक्ति ने जो अपना नाम मनोहरसिंह कुमावत बताता है, नारे लगाये और सदन में पर्चा फेंका उसने जो नारे लगाये वे निम्न प्रकार थे :—

"जयप्रकाश जिन्दाबाद।"

× × ×

श्री मनोहरसिंह कुमावत को तुरन्त ही वाच एण्ड वार्ड के अधिकारी ने मेरी आज्ञा से अपनी सुरक्षा में ले लिया। मैंने उनको अपने कक्ष में बुलाकर पूछताछ की और उनका बयान भी अभिलिखित किया। श्री मनोहरसिंह, राजस्थान विश्वविद्यालय में डिप्लोमा इन क्रिमिनालाजी एण्ड क्रिमिनल एण्डमिनिस्ट्रेशन के विद्यार्थी हैं। वे यह नहीं मानते कि दीर्घा से नारे लगाने और पर्चा फैंकने से सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंची है अथवा सदन का अपमान हुआ है। वे अपने इस कृत्य के लिये कोई खेद प्रकट नहीं करते और न ही क्षमा याचना करने को तैयार हैं।

मैं चाहता हूं कि सदन इस मामले में उचित निर्णय ले।

श्री खेतसिंह : यह सदन संकल्प करता है कि जो व्यक्ति अपने आपको मनोहरसिंह कुमावत कहता है, जिन्होंने आज लगभग 3 बजकर 8 मिनट पर दर्शकदीर्घा से नारे लगाने तथा सदन में पर्चा फैंका, जिसको वाच एण्ड वार्ड के अधिकारियों ने तत्काल हिरासत में ले लिया, उन्होंने अपराध किया है और वे इस सदन के अपमान के दोषी हैं।

यह सदन आगे संकल्प करता है कि श्री मनोहरसिंह कुमावत को आज की बैठक समाप्त होने तक सशस्त्र परिचारक, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान विधान सभा की अभिरक्षा में रखा जाये।

श्री रामकिशन : यह क्या कहा गया है ?

श्रीमती निर्मला कुमारी: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सम्पूर्ण नारी जाति के लिए अपमानजनक बात है। इतने कम समय के लिए सजा दी गई है। यह कहा गया है × × × इस तरह के शब्द बोलना सारी नारी जाति के लिए अपमान का विषय है। इसलिए इसकी सजा कम से कम एक सप्ताह होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप अपने दल के सदस्यों से बात करलें।

कुछ माननीय सदस्य : वह प्रस्ताव रख रही हैं।

× × × शब्द माननीय अध्यक्षक के आदेश से निकाले गये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोई इनके विरोध में कहें तो बात दूसरी है। उन्होंने प्रस्ताव किया है।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह संशोधन मंजूर है।

श्री रामकिशन : यह क्या कह रहे हैं ?

श्री खेतसिंह : संशोधन मंजूर किया है।

श्री रामकिशन: "× × ×". क्या कह गये ?

श्री अध्यक्ष : दुबारा सुना देता हूं।

× × ×

श्री भगराज चौधरी : यह बहुत डेरोगेटरी है और अपमानजनक है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय खेतसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा था उसमें सजा को बढ़ा कर 15 दिन की सजा रखी जाये।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दल के मुख्य सचेतक श्री खेतसिंह जी ने माननीय सदस्या के संशोधन को स्वीकार करते हुए श्री मनोहरसिंह कुमावत नाम के एक व्यक्ति ने जो बालकोंनी में नारे लगाये उसमें 7 दिन की सजा ....

श्री सांवरमल मोर : बालकोंनी नहीं दर्शकदीर्घा है। सिनेमा हॉल है क्या ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : विधान सभा है। दर्शक दीर्घा है, उसने नारे लगाए, मैं यह मानता हूं कि जिस समय सदन में उत्तेजनात्मक वातावरण चल रहा था, जो दर्शक दीर्घा में बैठे रहते हैं वह भी उसी वातावरण में उत्तेजित होते हैं और वह भी सम्भाव से अन्दर रहते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की अपनी भावनाओं को प्रकट करने का या हंसने का या नारा लगाने का या किसी भी प्रकार से अपने भाव प्रकट करने का यह स्थान नहीं है। मैं समझता हूं कि यह सदन की दृष्टि से अपराध तो है ही लेकिन किसी भावावेश में कोई नवयुवक कोई शब्द कह देता है तो उसको इतना बड़ा महत्व देकर अपराधी ही कहा जाय, उसको किसी भी प्रकार से कहने का कोई अधिकार नहीं है, यह नहीं करना चाहिए और मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने पहले जो प्रस्ताव रखा था उसीको स्वीकार कर लिया जाना चाहिए यह हमारे सदन की परम्परा भी रही है उन्होंने आज तक अपनी उदारता का परिचय दिया है और उस उदारता के परिचय के साथ आज के समाज में फैले हुए आक्रोश और भावावेश में जो शब्द कहे हैं मैं समझता हूं कि वह भावावेश के शब्द हैं और उसी को समझ कर मैं समझता हूं कि जो पहले बात रखी थी सदन उठने तक की सजा की बात, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वही रखें तो अच्छा होगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : मुझे आसन से एक निवेदन करना है कि जो तथ्य आपके सामने आए हैं वे अधूरे हैं। मुझे मालूम हुआ है कि यह पी० डब्ल्यू० डी० का एम्पलाई है, यह तथ्य आपसे छुपाया गया है। अगर इस तरह की सरकारी मुलाजिम होते हुए कार्यवाही होती है तो यह बड़ी चिन्ताजनक बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में मेरी यह मान्यता है कि जबकि तथ्यों को छुपाया गया है, सही तथ्यात्मक स्थिति सामने नहीं आई है, तो अभी इस मामले का पता लगाया जा सकता है। चीफ इंजीनियर

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गए।

श्री प्रद्युम्नसिंह
पी०डब्ल्यू०डी० से मालूम किया जा सकता है कि यह आदमी पी०डब्ल्यू०डी० का मुलाजिम है या नहीं। अगर यह पी०डब्ल्यू०डी० डिपार्टमेंट का एम्पलाई है तो यह बहुत गम्भीर मामला है, इस पर उचित कार्यवाही सदन को करना चाहिए।

श्री रामकिशन : यह तो सवाल ही दूसरा है। अगर वह सरकारी मुलाजिम है तो सरकार के सर्विस नियमों के अन्दर उसमें सजा पायेगा। यहां तो इस वक्त जो चर्चा हो रही है वह सरकारी कर्मचारी की नहीं है।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : एक नवयुवक जो अन-एम्पलायड है वह भावावेश में आकर अगर इस तरह की बात करता है तो वह क्षम्य हो सकता है लेकिन एक एम्पलाई इस तरह की बात करे तो उसके खिलाफ सीरियस एक्शन होना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : मुझे भी कहने दीजिए।

श्री देवीलाल : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : कभी तो मुझे भी सुन लीजिये।

श्री बलपतसिंह: (मांडल) जैसा कि अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि भावावेश में आकर कह दिया होगा लेकिन उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कृपया मुझे भी सुन लें। माननीय सदस्य धौलपुर से आने वाले ने जो प्रश्न उठाया है कि यह मुलाजिम है इसलिए और भी ज्यादा ओब्जेक्शनेबल है और यह पी० डब्ल्यू० डी० का एम्पलोई है। इस संबंध में उनका बयान रिकार्ड किया गया है और मैं वह सुझाव देता हूं ताकि स्पष्ट हो जावे :

"मैं टैम्प्रेरी स्टेनोग्राफर, पी०डब्ल्यू०डी० आफिस ऑफ दी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिस्ट्रिक्ट डिविजन, जयपुर में मुलाजिम था और अब अरसा करीब दो माह हुआ मेरा वहां से ट्रांसफर जैसलमेर हो जाने के फलस्वरूप मैंने अब अपनी नौकरी पी०डब्ल्यू०डी० विभाग में छोड़ दी है और अब मैं नौकरी में नहीं हूं।"

(सचेतक महोदय की ओर मुखापेक्ष) अब आपका प्रस्ताव क्या है ? पहला प्रस्ताव तो सदन उठने तक की सजा का था, एक प्रस्ताव एक हफ्ते की सजा का है और दूसरा प्रस्ताव 15 दिन की सजा का है। आपने किसको स्वीकार किया है ?

श्री खेतसिंह : मैं एक सप्ताह वाला प्रस्ताव स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मुझे इतना आपसे निवेदन और करना है, अंतिम निर्णय तो सदन का ही है, लेकिन आमतौर से इस तरह की प्रेक्टिस रही है कि जब पार्लियामेंट खत्म हो जाती है, सदन खत्म होता है तो उसके बाद तक की सजायें आमतौर से नहीं दी जाती हैं। यह सदन इसके बाद की भी देना चाहे तो उसको अख्तियार है, दे सकता है। यह तथ्य मेरी जानकारी में आया वह मैंने आपके सामने रख दिया है।....

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह मामला ....

श्री अध्यक्ष : पहले सुन लीजिये। जो संसदीय प्रणाली है, जो हमारी गरिमा है वह मैंने आपके सामने रख दी है निर्णय तो आपका ही होगा। निर्णय आपको ही लेना है।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

तो यह प्रस्ताव जो माननीय खेतसिंहजी ने संशोधित रूप में रखा है वह इस प्रकार है :

यह सदन आगे संकल्प करता है कि मनोहरसिंह कुमावत को एक सप्ताह की सजा दी जावे।

जो पक्ष में हों ....

श्री रामकिशन : इस पर विचार प्रकट करना चाहें उनको ....

श्री अध्यक्ष : बोल रहे हैं।

श्री रामकिशन : जी हां, अभी तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैंने सोचा बोल चुके हैं। इसीलिए मैंने वोट पर रखा था।

(व्यवधान : शोरगुल : अश्रव्य)

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय ...

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय के ऊपर लम्बा चौड़ा व्याख्यान देना, इसको परिभाषित करना इस महिला वर्ष में महिलाओं का और अपमान होगा।

श्री रामकिशन : यह आप कैसे जानती हैं कि महिलाओं का अपमान होगा ? पहले सुनलें कि मैं क्या कह रहा हूं उसको समझ लें। इसमें महिलाओं के अपमान की क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष : इनको बोल लेने दें। सारी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर लेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो कपड़े धोने वाले हैं इनसे क्या अपमान होगा ?

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री रामकिशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो माननीय मुख्य सचेतक कांग्रेस दल ने प्रस्तुत किया है, जिन कारणों से प्रस्तुत किया है उसका तो मैं समर्थन करता हूं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह जो समस्या है उसका निराकरण तो इससे नहीं हो सकता है। आखिर आप इस बात के लिये उत्तेजित हैं कि 'XXX कह दिया' केवल इसीलिये यह गम्भीर सवाल हो गया या दूसरा इसका जो पहलू है, अध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र कर देना चाहता हूं कि एक प्रतिपक्ष नामक अखबार है जो सारे देश में जिसका बहुत बड़ा प्रकाशन है, उस पर जो सम्पादक हैं वह जो फर्नाण्डिस हैं, उन्होंने 'XXX' कहा था और इसी दृष्टि से इस नवयुवक ने भी यह कहा हो और इसके कहने से गम्भीर सवाल बन गया हो तो, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इसको बुरा अर्थ लिया हो तो मैं कहना चाहता हूं कि उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ असल में यह है कि जैसी विधान सभाओं की, लोक सभा की गरिमा होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए वह नहीं है। वास्तव में वह XXX कुछ है नहीं। आखिर हमारी मर्यादा क्या है ? जिन मर्यादाओं को लेकर हम खड़े हुए हैं, जिन मर्यादाओं को लेकर लोकतंत्र की स्थापना की गई है, इनको हम भंग कर चुके हैं, इसलिए इस संदर्भ में किसी व्यक्ति, किसी महिला या पुरुष को लेकर कहा हो ऐसी स्थिति नहीं है। मैं समझता हूं कि संसद में भी यह सवाल आया था। उस समय कांग्रेस दल का बहुमत होने पर भी प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर देने की विरोधी दल के माननीय सदस्यों की मांग थी कि इसको प्रिविलेज कमेटी के लिये सुपुर्द कर दिया जावे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गये।

(श्री रामकिशन)
हुई कि इसको प्रिविलेज कमेटी को सुपुर्द कर दें क्योंकि इसके पीछे तथ्य हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि यह किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कहा गया है। जिस व्यक्ति ने यह कहा है उसने केवल अखबार को पढ़कर या संसदीय कार्यवाही से प्रभावित होकर यह कह दिया है या उसके दिमाग में क्या चीज है, लेकिन आज जो तस्वीर बन रही है और उस तस्वीर के बनने के पीछे क्या कारण हैं और उसका निराकरण किस प्रकार हो सकता है यह विचारणीय प्रश्न है। बड़े 2 गबन के चार्जेज, करप्शन के चार्जेज लगाये जावें और उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती तो आखिर आम लोग हमारे बारे में क्या धारणा बनाते हैं उसके बारे में हमें खुद सोचना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संबंध में केवल इतना ही कहना है कि जयप्रकाश का नारा लगाने पर इस सदन में विचार करते हैं तो प्रश्न हो जाता है दूसरा, लेकिन इस संबंध में ××× का प्रयोग किया जाय इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए, यह तो एक प्रवृत्ति का सूचक है, एक टेन्डेन्सी का सूचक है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय भरतपुर से आने वाले सदस्य बतावें कि क्या आपसे पूछकर इन्होंने नारा लगाया था ? मैं आपसे पूछता हूं।

श्री रामकिशन : आप तो बहुत सी बातें पूछते हैं मुझसे, कोई जरूरी नहीं है उनका जवाब देना। जहां तक सलाह-मशविरे का सवाल है, मैं आपसे डरता हूं और आप मुझसे डरते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या आपकी वार्तालाप हुई थी ?

श्री रामकिशन : मेरी कोई वार्तालाप नहीं हुई।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तो आप अन्दाजन कह रहे हैं।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री रामकिशन : मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि यह बात सब जगह फैलायी जा रही है कि विधान सभाएं आज कल एक निर्जीव संगठन बन गये हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा को ही देख लीजिये, गम्भीर से गम्भीर मामलों में भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती, कोई आचरण नहीं करती तो इसलिए मेरा सुझाव है कि जो सजा माननीय श्री खेतसिंहजी ने प्रपोज की है, सदन उसको स्वीकृत करने की स्थिति में नहीं है। सात दिन की, दस दिन की, 15 दिन की या दो-चार छः महीने की सजा से कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि विधान सभा अपने आचरण को और आरोपों को साफ नहीं करेगी।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिये, महिला वर्ष में यह भी क्या कि दूसरों को बोलने ही न दिया जाय।

श्री रामकिशन : इसलिए आप गम्भीरता से इसको सोचें और उन कारणों को भी सोचें जिनकी वजह से यह स्थितियां पैदा हो रही हैं। हम लोग तो सम्पूर्ण महिला समाज को और पतित से पतित महिला को भी सम्मान देते हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं सोचें। बस, मैं

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाला गया।

(श्री रामकिशन)

इतना ही कहकर इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री मनोहर कोठारी । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ज्ञात तो होना चाहिए कि · · ·

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य 'प्रतिपक्ष' अखबार का हवाला देते हैं, संसद और विधान सभाओं को × × × कहते हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इस तरह के जो शब्द कहे गये उनके बारे में आपकी क्या व्यवस्था है, इसके बारे में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह शब्द तो अब आपने खुद भी रिपीट कर दिये हैं।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसलिए मेरा यह कहना आवश्यक है कि · · · ·

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि ऐसे शब्दों को आप खुद को भी नहीं कहना चाहिए और किसी को भी नहीं कहना चाहिए। इसलिए अगर आ भी गये हैं तो इनको नहीं लेना चाहिये आसन की तरफ से इसलिए यही व्यवस्था है कि वह केस तो बनेगा नहीं। मुझे तो जो तथ्य मेरे सामने आये थे, उनको आपसे छिपाना नहीं था, नारे लगाये गये उनको आपके सामने रखना था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं।

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गये।

श्री अध्यक्ष : हां, फरमाइये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो भरतपुर से आते हैं, उन्होंने एक बहुत गम्भीर बात इस सदन में रखी है कि आखिर यह विचार किया जाना चाहिए कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं क्यों होती है और मैं भी उसी बात को दोहराना चाहता हूं। यह अपने आप की पहली घटना है जिसमें तीन चीजें एक साथ, निकृष्टतम् शब्द इस सदन के पवित्र सदन के माननीय सदस्यों और सदस्याओं के लिए और इसी के साथ-साथ 'जयप्रकाश-जिन्दाबाद' के नारे ये दो बातें एक साथ हुई इस सदन में और माननीय सदस्य ने प्रतिपक्ष अखबार का हवाला दिया जिसके सम्पादक जार्ज फर्नाण्डिस हैं उन्होंने भी अपने पत्र में · ·

श्री अध्यक्ष : जे० पी० की बहस तो अब काफी हो चुकी है. इसलिये जो मुद्दा है, उस तक ही सीमित रखिये, आज भी इस पर काफी बहस हुई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक नहीं कहकर समाप्त कर रहा हूं। उस अखबार में जो घृणा और जहर उगला गया है, संसदीय प्रणाली के प्रति और प्रजातंत्रीय प्रणाली का विरोध किया गया है, जार्ज फर्नाण्डिस भी उसी विचारधारा वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने यह नारा लगाया, इसको जनसंघ ने भी लगाया और ये लोग जन-आक्रोश को आज संसदीय प्रणाली और प्रजातंत्रीय प्रणाली के विरुद्ध भड़का रहे हैं और इसकी जीती-जागती मिशाल है कि जिस समय मैं सदन में भाषण दे रहा था, जयप्रकाश के विरोध में नारे लगाये गये, इस सदन में प्रतिक्रिया हुई। इसलिए मैं राज करने वाले लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जन-असंतोष और पूंजी-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

नीतियां ही इसका कारण हैं, इसलिए आवश्यकता है इन नीतियों को बदलने की। आज देश के चुने हुए लोगों के विरुद्ध घृणा अविश्वास और ज्यादा जहरीला वातावरण पैदा होता जा रहा है इसलिए जन-आक्रोश को सही दिशा देने की, जन-आक्रोश की शक्ति को सही तरफ मोड़ने की जरूरत है और नीतियों में गैर-पूंजीवादी मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। नहीं तो, इस असंतोष का लाभ प्रतिक्रियावादी शक्तियां ले रही हैं। इसलिये आवश्यकता है सुधार की, रीति-नीतियों में परिवर्तन की, सिद्धान्तों के मोबिलाइजेशन की और अपने आचरणों से समाज की बुनियाद को संगठित करने की।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प माननीय खेतसिंहजी ने रखा है तथा उसमें जो निम्न संशोधन स्वीकार किया है :

"यह सदन आगे संकल्प करता है कि श्री मनोहरसिंह कुमावत को एक सप्ताह के लिये साधारण कैद की सजा दी जावे और जेल भेजा जावे।"

उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया।

आगामी फसल पर अनाज पर लेवी

श्री शंकर लाल।

श्री शंकरलाल (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, लेवी के संबंध में जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था वास्तव में 105/- रु० मूल्य कम है, चूंकि यह प्रश्न पूरे देश का प्रश्न है और एग्रीकल्चरल कमीशन जो प्राइज की है, वह इसको तय करता है। इसलिए दूसरी बातें जो अपने राजस्थान के अन्दर गत वर्ष में लेवी लेने के वक्त में जो हमारे साथ में हुआ था, मैं यह चाहता हूं कि कृषि मंत्रीजी उन गलतियों को अबकी नहीं दोहरायेंगे। सर्वप्रथम तो मैं यह चाहूंगा कि आप इसको प्रोडक्शन लेवी कर दें और उत्पादन पर लेवी का आधार रखा है लेकिन क्या आप यह नहीं जानते कि एक हैक्टर में किसी जगह ज्यादा पैदावार होती है और किसी जगह एक हैक्टर में कम पैदावार होती है। कहीं सिंचित भूमि है कहीं पर असिंचित भूमि है। या कहीं पर कुओं से सिंचाई की जाती है। कुओं से सिंचाई का एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। कुओं की खेती से एक हैक्टर में पाली जिले का उदाहरण लें जहां पर फसल का आधार कुओं द्वारा सिंचाई करने पर निर्भर रहता है। अब अगर बरसात नहीं हुई इस वक्त, तो मान लीजिये किसान ने दो हैक्टर में फसल बोई और बरसात नहीं होने से बाद में वह दो हैक्टर भूमि में दो दफा तो पानी पिला चुका परन्तु तीसरी बार दो हैक्टर भूमि को पानी नहीं पिला सकेगा तो उसके यहां पैदावार तो एक ही हैक्टर पर हुई, लेकिन गिरदावरी में आपके यहां दो हैक्टर लिखी हुई है और उससे दो हैक्टर की लेवी ली जायगी, ऐसी बातें कई जगह देखने में आई हैं, ऐसी हालत में वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कि लेवी का जो आधार है, लेवी आप प्रोड्यूस पर लगायें और आपने लगाई है प्रति हैक्टर पर, चाहे वह क्षेत्र सिंचित हो अथवा असिंचित क्षेत्र हो, वैसे आपने उसमें वर्गीकरण करने का प्रयत्न अवश्य किया है, लेकिन वर्गीकरण में एक ही जगह एक ही कुए से कितनी पैदावार हो सकती है और दूसरी

(श्री शंकरलाल)

जगह एक हैक्टर में कितनी हो सकती है, मेरा मतलब कहीं कम और कहीं ज्यादा हो सकती है इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जो कैश रेन्ट लिया जाता है, उससे पहले जो लटाई वगैरह का सिस्टम था, जो भी हिस्सा पांचवां या छठा हिस्सा दिया जायगा...

(6.50 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

वह प्रोड्यूज पर ली जाती थी। यह किसान है, वह कितना अनाज पैदा कर सकता है। क्षेत्रवार, इलाके के अनुसार उपज कम ज्यादा हो सकती है। एक क्षेत्र में ज्यादा तो दूसरे क्षेत्र में कम उत्पादन होता है। इसलिए किसान के दिमाग पर यह बात लगेगी, क्षेत्रफल के हिसाब से आपने यह लेवी लगाई है वह न लगा कर आप प्रोड्यूज पर लगाते इतनी प्रोड्यूज होगी तो इतनी लेवी लगेगी। इससे कम पर लेवी नहीं होगी। जहां पर ज्यादा प्रोड्यूज होती है वहां पर लेवी ली जावे। हमारा यहां पर ज्यादातर क्षेत्र ऐसा है जहां पर प्रोड्यूज कम होती है। प्रोड्यूज पर लेवी लीजिये। प्रोड्यूज पर लेवी न लगा कर आपने क्षेत्रफल के अनुसार लेवी लगाई है It is not producers' leavy. इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रोड्यूज पर लेवी लगायें, प्रोडयूज के क्वान्टम पर लेवी लगावें।

उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष सरकार ने लेवी समय पर वसूल नहीं की। किसानों ने अनाज निकाल कर बाजार में बेच दिया और उसके बाद आप लेवी के लिए किसान के पास गये और तब किसान ने अनाज खरीद कर लेवी चुकायी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वैसी गलती इस साल न दोहराई जावे। जिस वक्त खलिहानों में धान हो, उस वक्त लेवी ली जावे। इसके लिए आप एक समय निर्धारित कर दें, घोषणा कर दें। कोई टाइम, प्रोग्राम आप निश्चित कर दें। और उस टाइम, प्रोग्राम के अनुसार आप लेवी लें परन्तु ऐसा टाइम प्रोग्राम नहीं बनता है। अनाज बिकने के बाद, अनाज खाने के बाद, राज्य सरकार किसान से लेवी लेती है, इसका यत्न होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिये कोई न कोई एक टाइम रखने की आप कोशिश करें।

दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं, गत वर्ष का हमारा यह तजुर्बा रहा है जो बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, चाहें वे राजा महाराजा हों, जोधपुर के महाराजा हों, जागीरदार हों, इसी प्रकार से जहां पर बड़े बड़े बांध हैं, उस जगह के बड़े किसानों से लेवी न ली जाकर छोटे छोटे किसानों को लेवी के लिए ज्यादा तंग किया गया। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी ऐसी कोई योजना है, परन्तु आपकी घोषणा में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है, जिनके यहां पर ज्यादा अनाज पैदा होता है, उन किसानों से आप ज्यादा लेवी लेंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसे किसानों के लिए आप लेवी लेने का एक टार्गेट फिक्स कर दें। परन्तु ऐसे लोगों को नहीं रखा गया है। कई इलाके ऐसे हैं, मान लीजिये किसी इलाके के अन्दर फसल नहीं हुई। कलक्टर ने या छोटे अधिकारी ने टारगेट बना दिया। उस वक्त छूट

(श्री शंकरलाल)

देने की बात आई तो कलक्टर कहेगा मेरे जिले का यह टार्गेट है, पहले इसकी वसूली होगी चाहे छूट हो या न हो। यह छूट देने की बात उसके बस की नहीं रहती है। बड़े आदमियों के यहां उपज होती है, उनसे आप वसूल करें यह समाजवादी दृष्टिकोण इसके अन्दर रख कर मैं समझता हूं आप करेंगे तो यह एक ठीक बात होगी ।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पांच जिलों को आपने लेवी से एग्जम्प्ट किया है । ये जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर और जोधपुर। इन जिलों को आपने एग्जम्प्ट किया है। मैं कहना चाहता हूं कि इन जिलों से लेवी न लेने का आधार आपने क्या रखा है ? आधार आपने यह रखा है यह एरिया रबी प्रोड्यूज एरिया नहीं है । यह आपकी बात ठीक है । मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या पाली जिला रबी प्रोड्यूज एरिया है ? यह रबी प्रोड्यूज एरिया आपने आंकड़ों से बनाया है। पहले वहां पर जवाई बांध से सिंचाई होती थी । इस साल से जंवाई बांध का पानी जोधपुर शहर को पीने के लिये दिया जा रहा है और इसी प्रकार पाली तहसील के 50 गांवों को इस बांध का पानी पीने के लिए दिया जा रहा है । इस प्रकार आप देखेंगे तो मालूम होगा जवाई बांध से सिंचाई नहीं हो रही है। आज पाली जिले के अन्दर एक प्रश्न इस सदन के अंदर आया था जिसमें मंत्री महोदय ने बताया था कि पाली जिले के 853 गांवों में से 815 गांव अकालग्रस्त हैं और 40 गांवों को आपने ऐसा माना है जो रबी की प्रोड्यूज करते हैं परन्तु उनको अभी तक आपने अकालग्रस्त घोषित नहीं किया है । आप स्वयं मानते हैं कि पाली जिले में फेमीन है और इसके बाद भी आप इस जिले पर लेवी लगाते हैं। पाली जिले पर लेवी लगाने का आपका यह आधार नहीं होना चाहिये । आधार यह होना चाहिये कि जहां पर फेमीन एरिया है, जहां इस वक्त पानी टैंक के जरिये दिया जा रहा है, पीने का पानी नहीं है, जहां पर पानी बरसता नहीं है, ऐसे एरिया पर आप किस बात की लेवी लगा रहे हैं ? जहां किसी प्रकार की प्रोड्यूज नहीं होगी यह एरिया जोधपुर डिविजन से मिलता हुआ है। मंत्री महोदय को दावत देता हूं कि वे वहां आकर अपनी आंखों से स्थिति को देख लें । मैं यह नहीं कहता कि जोधपुर से लेवी ली जाये । वहां पर अकाल है । परन्तु पाली जिले की ओर भी देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि लेवी लेना किसी भी प्रकार से न्याय-संगत नहीं है । यह आपने आंकड़ों के आधार पर रखा है । जैसा मैंने पहले यहां पर बताया था, पांच एकड़ में किसी किसान ने कुछ बो दिया, परन्तु समय पर पानी नहीं मिला, सिंचाई नहीं हो सकती। बुआई के आधार पर उसकी गिरदावरी हो गई । पटवारी ने बता दिया इतने एरिया के अन्दर बुआई हुई । आपके पास आंकड़े होंगे कि इतना बोया हुआ उसका क्षेत्र है परन्तु जब पैदावार आई तो उससे बीज भी नहीं निकलता । फिर कैसे किसान लेवी देंगे । मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, आप समाजवादी दृष्टिकोण रखते हैं, गरीबों की बातें करते हैं, आप इस दृष्टिकोण से भी विचार करें कि जो लोग लेवी देने की क्षमता नहीं रखते हैं, जिनके यहां पर उपज नहीं है, उन लोगों से लेवी की वसूली किसी प्रकार भी न की जाये जिनसे वसूली हो सकती है, उनसे वसूली की जाये । आपने जो पांच जिलों का क्राइटेरिया रखा है, उसके साथ पाली जिले को भी जोड़ा जाये। सिरोही और जालोर को भी आप रखें तो ठीक होगा।

(श्री शंकरलाल)

यह मेरी अर्ज है। दूसरा, जो फेमीन एरिया है, उनकी ओर भी आप देखें। यह आधार बनावें कि जो फेमीन इफेक्टेड एरियाज हैं, लेकिन आपने रबी प्रोड्यूज की बात कही हैं, जहां पर बरसात नहीं होगी, जहां पर कुओं में पानी नहीं होगा, तो कैसे वहां पर रबी की फसल होगी ? इन सारी बातों को मंत्री महोदय देख कर एक ऐसा दृष्टिकोण अपनावें जिससे लोगों के साथ न्याय हो। लोगों को वसूली के लिए तंग न किया जाये। गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है, उससे लोगों को हल्ला करना पड़ता है। ऐसी वात न हो कि लोगों को हल्ला करना पड़े और यहां पर आकर भी हमें कोई वात न कहना पड़े। लेवी का आपका जो दृष्टिकोण है, वह सही है। लेवी ली जानी चाहिये। परन्तु लेवी लेने का आपका जो प्रोसीजर है, और जो अनुभव गत वर्ष हुआ है, उस अनुभव के आधार पर आपको इस प्रोसीजर के अन्दर चेन्ज करना चाहिये, इसके लिए आप एक टाइम बाउन्ड प्रोग्राम बनायें। इस दृष्टिकोण से आप विचार करेंगे तो ठीक है। केवल आपने घोषणा की है, उसमें कोई डिटेल्स नहीं हैं जिससे लोगों को भ्रान्ति होने की संभावना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, लेवी के संबंध में एक बाकायदा कमीशन बनाकर, जिसकी अध्यक्षता रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने की, राज्य सरकार को लेवी के संबंध में कुछ प्रस्थापनाएं पेश की हैं। मैं समझता हूं, सबसे पहली प्रस्थापना यह होनी चाहिये थी कि जैसे ही फसल कट करके, खेत, खलिहान में आवे और खेती से निकलनी शुरू हो जावे। उसी बात से लेवी की वसूली शुरू हो जावे पिछली बार हमने काफी देर से लेवी की वसूली शुरू की। फिर भी हम 8 वें महीने की 16 तारीख तक 1 लाख 18 हजार 801 टन लेवी वसूल कर सके और यदि हम लेवी को समय पर वसूल करें तो मैं समझता हूं कि जो टार्गेट है रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का, पौने दो लाख इसको एचीव करने का है, वह पूरा हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो लेवी को ग्रेडेड का नाम दिया है और जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ग्रेडेड लेवी कहते हैं, मेरे विचार में तो यह ग्रेडेड लेवी के नजदीक नहीं होता है। जिस प्रकार से यह लेवी मंत्री महोदय ने लगाई है, अगर आप सारे राजस्थान के अन्दर लेंड होल्डिंग्स को देखें तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग हैं जो कि 15 एकड़ से नीचे जिनके पास है उनका प्रतिशत 71.54 है और होल्डिंग्स 30.67 प्रतिशत एरिया की है। जो दस एकड़ से नीचे के लोग हैं उनका प्रतिशत 58.21 पर्सेन्ट और होल्डिंग्स 18.74 प्रतिशत एरिया है। 20 एकड़ से अगाउ 11.34 पर्सेन्ट है और उनके पास 44.51 पर्सेन्ट एरिया है। सारे राजस्थान में आज स्थिति यह है कि जितनी जमीन 30 पर्सेन्ट लोगों के पास है उतनी जमीन 70 पर्सेन्ट लोगों के पास है और राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार इस वर्ष 29.40 लाख टन अनाज पैदा होने वाला है जिसमें कि 5.40 लाख टन जौ है और केवल गेहूं 24 लाख टन होगा....

श्री केदारनाथ : 42 है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपका एप्रोक्सीमेट 42 लाख है लेकिन मैं बजट एस्टीमेट्स हैं उनके आंकड़े दे रहा हूं। अगर 42 हो जाय तो बहुत अच्छा है। मझे कोई ऐतराज नहीं है। आप बजट एस्टीमेट को

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

बात को बाद में चैक कर लेंगे। मुझे खुशी होगी अगर 42 लाख टन हो तो।

तो, अगर इन होल्डिंग्स के हिसाब से रिकवर करें तो कुल 30 पर्सेन्ट से मेरे इस मैथेमैटिक्स के हिसाब से 17 लाख टन से अधिक अनाज आप लेवी में वसूल कर सकते हैं, केवल 7 लाख टन लेवी से एक्जेम्प्ट होंगे। तो, माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूं कि जो आपने सिस्टम लगाया है कि एक पर्सेन्ट नॉन-इर्रिगेटेड को छूट दे रहे हैं, बारानी एरिया को छूट दे रहे हैं और एक हैक्टर के ऊपर मेजर प्रोजेक्ट्स के अन्दर आपने तीन क्विन्टल लेवी लगाई है और माइनर प्रोजेक्ट्स और ट्यूब वैल इर्रिगेशन के ऊपर 2 क्विन्टल लेवी ले रहे हैं। अगर उसमें इस प्रकार से ग्रेडेड कर दें कि दो हैक्टर बारानी को आप बिल्कुल छूट दे दें और एक हैक्टर इर्रिगेटेड को टोटली छूट दे दें, और उसके बाद ग्रेडेड रेट से अगर आप लेवी लगायें तो मैं समझता हूं कि आपके पास करीब 42 लाख जैसा आप कहते हैं तो 35 लाख, 32, 33 लाख टन अनाज जो है उसमें कुल 30 पर्सेन्ट लोगों से आप वसूल कर पायेंगे और जो आपके सारे राजस्थान के अन्दर 9,05,000 जोतें एक हैक्टर से कम के हैं और 7 लाख जोते एक हैक्टर और दो हैक्टर की बीच की हैं, तो उन 9,05,000 जोतों को कतई छेड़ना न पड़ेगा और बहुत कम लोगों को टेकल करना पड़ेगा और ज्यादा लेवी रिकवर कर पायेंगे। अगर इसमें ग्रेडेड स्लेब लेवी का कर दें तो बहुत अधिक लेवी वसूल कर पायेंगे। आपका पौने दो लाख का बड़ा ही मोडेस्ट टार्गेट है और आप 5-6-7 लाख टन लेवी का एचीवमेंट कर पायेंगे, और अपने बफर स्टाक को कर पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हुआ यह है कि आपने गरीब को छोड़ा नहीं और अमीर को छेड़ा नहीं। चाहिए यह कि जिसके पास है उसको छेड़ो मत और जिसके पास नहीं है उसको छोड़ो मत। आपने किसी राजा-महाराजा के और अन्य प्रकार के ऐसे लोगों से लेवी वसूल नहीं की। मैं सारे आंकड़े प्रस्तुत करूं कि अगर आप राजा-महाराजाओं से लेवी वसूल करते तो यह पौने दो लाख का टार्गेट भूतपूर्व जागीरदारों और राजा-महाराजाओं और 30 एकड़ से ऊपरके जो लोग हैं सारे के सारे लोगों से सारा कोटा ही नहीं बल्कि उसका फोर टाइम्स रिकवर कर सकते थे। यहां पर जो फीगर्स राजा-महाराजाओं की लैण्ड के दिये गये हैं वह सारे फीगर्स कन्ट्राडिक्टरी हैं। खुद इस सदन में महाराजा जयपुर की जमीन के फीगर्स माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने 13 हजार एकड़ दिये जब कि एक प्रश्न के उत्तर में इस सदन मे जयपुर के महाराजा की जमीन 9035 एकड़ बताई है जिसमें कल्टीवेशन के फीगर 301 दी गई है। और लेवी की रिकवरी महाराजा जयपुर से करीब करीब निल के बराबर है। इसी प्रकार चाहे जोधपुर के राजा हो भरतपुर के राजा के तो आपके पास फीगर ही नहीं हैं। बीकानेर के राजा जिनके पास बहुत बड़ा लैण्ड होल्डिंग है, नहरी एरिया में जिनका बहुत बड़ा कमाण्ड एरिया है, अकेले बीकानेर के महाराजा का गंगानगर के अन्दर बहुत बड़ा क्षेत्र है, बीकानेर में नहरी क्षेत्र के अन्दर बहुत बड़ा एरिया है उनसे आपने नेग्लीजिबल लेवी रिकवर की है। कोटा के राजा से चन्द टन लेवी वसूल करके, जिसमें मुश्किल से कुछ

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

क्विन्टल्स लेवी होती है, आपने माफ कर दिया है। इसी तरह से सारे राजा-महा-राजाओं को आपने एक्सक्लुजिवली उनको निहायत ही गरीब समझकर उनसे लेवी की रिकवर नहीं की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निश्चित-रूप से जानकारी के बेसिस पर कह सकता हूं कि राजस्थान कैनाल क्षेत्र के अन्दर इस सेक्रेटेरियेट के सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज और सेठ साहूकार, जैसा कि मैंने कहा था, मालपाणी, इनके बहुत बड़े बड़े बेनामी कब्जे हैं, जिनके केसेज भी चल रहे हैं, मालपाणी या गोयनका या राज-दरबार जोधपुर या झाला साहब और रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर भटनागर साहब जिनको डिमाण्ड नोटिसेज दिये गये हैं, और ऐसे सैकड़ों हैं सब-डिवीजन रायसिंहनगर में जिनकी जमीन के नोटिसेज अधिकारियों के निकाले गये हैं और अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुए और नोटिसेज पता नहीं कैसे रिबाउण्ड होकर वापस आजायं, और कोई लेवी वसूल करने की जरूरत नहीं। मैं इस सदन के अन्दर कह देना चाहता हूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अगर आपने एक हैक्टर वाले को, जिसके पास नहीं है, उसको छेड़ा तो लेवी नहीं देने देगी और जिनके पास है अगर उनसे लेवी नहीं लेंगे तो जनता को मोबिलाइज करके उनका घेराव करेंगे और उनको फोर्स करेंगे कि उनसे लेवी वसूल की जाय। अगर उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा तो भारतीय कम्यु-निस्ट पार्टी कठोर से कठोर संघर्ष करेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि आपने लेवी दे देने के बाद किसानों को इन्टर-डिस्ट्रिक्ट के अन्दर गेहूं ले जाने की पूरी छूट दे दी है, मैं समझता हूं कि यह आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आपने 5 जिलों को एक्जेम्प्ट कर दिया। आपने किस आधार पर एक्जेम्प्ट कर दिया ? जैसा कि माननीय सदस्य जो पाली से आने वाले हैं शंकरलालजी, उन्होंने इसी सदन के अन्दर कहा था कि अगर इन जिलों में व्हीट प्रोड्यूस करते हैं ट्यूब वैल सिक कर लिये हैं बोरून्दा का एरिया है, जोधपुर के अन्दर कुए हैं और बड़ा प्रोड्यूसिंग एरिया है। बीकानेर को दूसरे एरियाज इरिगेटेड होते चले जा रहे हैं। छत्तरगढ़ नं० 2 तहसील सारी बीकानेर में इरि-गेशन होता है। माननीय कालोनाइजेशन मिनिस्टर जानते हैं कि पूगल तहसील के अन्दर बाकायदा कैनाल से इरिगेशन शुरू हो गयी है और राजस्थान कैनाल की इन्टेन्सिटी 5 पर्सेन्ट है और आप उनको इस आधार पर एक्जेम्प्शन देते हैं कि बीकानेर में लेवी नहीं लगाई गई है; जोधपुर में लेवी नहीं लगायेंगे, चूरू में लेवी नहीं लगायेंगे। क्या आपका बेसिस है कि आप लेवी नहीं लगायेंगे ? आप गरीब पर लेवी लगाते हैं। यह ठीक है कि आप बारानी के हिसाब से लेवी लगायें। इरिगेटेड के हिसाब से लेवी लगायें।

आज आपके इनपुट्स के इश्यू के ऊपर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली का जहां तक प्रश्न है तो आपकी डिस्ट्रिब्यूशन प्रणाली बहुत डिफेक्टिव है। आज जनता को इसके अन्दर नहीं लिया जा सकता है। आप अनाज का सही रूप से वितरण नहीं कर पाते हैं, जिस तरह की लेवी ले उसकी जगह धतूरा

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

मिली हुई माइलो दे और सड़ा हुआ गेहूं दें। सारे राजस्थान के अन्दर डिस्ट्रीव्यूशन सिस्टम बिल्कुल ही गलत है। इसमें आप जनता को एक्टीवाइज नहीं कर सके हैं और डिस्ट्रिब्यूशन और सप्लाई के लिए ब्यूरोक्रेसी पर डिपेण्ड करके टोटल डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम किया गया है जो बिल्कुल गलत है। आपको वार्डों के अन्दर जनता की कमेटियां बनानी चाहिए; पंचायत हैड-क्वार्टर के ऊपर दो तीन मील का डिस्टेन्स रखकर डिस्ट्रिब्यूशन एजेंसी रखनी चाहिए ताकि जो अनाज वितरित किया जाय वह हरिजनों के पेट में, खेतीहर मजदूरों के पेट में, मिल में काम करने वाले मजदूरों के पेट में जा सके। फिर इनपुट्स का डिस्ट्रिब्यूशन बिल्कुल एब्सर्ड है। आप फर्टीलाइजर उस समय पर दिया जबकि फर्टीलाइजर की आवश्यकता नहीं थी। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट पर फर्टीलाइजर की आवश्यकता थी, नाइट्रोजन की आवश्यकता थी लेकिन आप फर्टीलाइजर प्रोवाइड नहीं कर सके। सीमेन्ट के डिस्ट्रिब्यूशन में किस प्रकार की स्थिति रही माननीय सदस्य श्री बेगारामजी ने एक प्रश्न पूछा था, और खुद कृषि मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि जितने लोगों से लेवी लेंगे उनको सीमेन्ट देंगे। लेकिन रायसिंहनगर के अन्दर पांच हजार लोगों से लेवी ली लेकिन केवल पांच सौ को सीमेन्ट डिस्ट्रिब्यूट की। बाकी लोग कहां गये? इसके अलावा सोलह सोलह बैग लेने वाले कितने थे और एक एक बैग लेने वाले कितने थे? इसी प्रकार दूसरी चीजों की स्थिति है। चाहे गेहूं, चाहे चीनी हो, चाहे केरोसिन ओइल हो, चाहे डीजल हो। आप लेवी लेना चाहते हैं किसानों से तो किसानों को रीजनेबल रेट्स पर प्रोपर डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम एस्टेब्लिश करके इनपुट्स जर्मीसाइड, फर्टीलाइजर दीजिये, सीमेन्ट दीजिये और जरूरत की चीजें दीजिये...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तब जाकर लेवी का जस्टीफिकेशन दे सकते हैं। आज देश की स्थिति यह है कि लेवी विरोधी अभियान तीव्र होता चला जा रहा है। जिस प्रकार लेवी सिस्टम को लागू किया है, इससे सारी प्रतिक्रियावादी ताकतों को ... और लेवी के नाम पर वह अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि राशनिंग सिस्टम डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम परफेक्ट हों और आप इनपुट्स प्रोवाइड कर सकें। मैं फिर इसको हाफ हार्टेड मानता हूं नेशनेलाइजेशन को आपके अन्दर झिझक है इसलिए आप मोटे अनाज के नेशनलाइजेशन की तरफ नहीं चले हैं और प्राइसेस कम रखी हैं। मेरा निवेदन है कि आप रेम्युनरेटिव प्राइसेज दें– ऐसी रेट तय हों और पूरी ताकत के साथ आपको नेशनेलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी पर.....

श्री उपाध्यक्ष : Please conclude.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : डिपेन्डेंट आपको नहीं होना चाहिए, तभी जाकर इस देश को आगे ले जा सकेंगे और इस समस्या को हल कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उषा प्रकाश।

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार को बधाई दूंगी कि समय के ऊपर इस वर्ष लेवी की नीति की घोषणा करके किसनों

(श्रीमती उषा प्रकाश)

के सामने तो अब साफ चित्र प्रस्तुत कर दिया है कि उनको कितना देना है और कैसे देना है। पर उसके साथ ही कुछ दो चार व्यवहारिक मुद्दे ऐसे मेरे सामने आ रहे हैं, उनकी ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जैसा कि मेरे से पहले भी एक माननीय सदस्य ने कहा हमने जो नीति की घोषणा की है, लेवी की वसूली के कार्यक्रम की घोषणा की है, उसमें टाइम बाउन्ड प्रोग्राम आपने बताया नहीं। अलग अलग जगह पर फसल की कटाई, फसल को निकालने का और फसल को बाजार में लाने का समय अलग होता है। मैं आशा करती हूं, मंत्री महोदय, आज ही जिलावाइज जो टाइम लेवी वसूली का है, वह प्रसारित करवा देंगे ताकि किसानों को असुविधा नहीं हो।

दूसरे पहले 1972 में जो कंट्रोल रेट पर व्हीट पर्चेज का सिस्टम अपनाया था, उस वक्त और उसके बाद पिछले वर्ष जब बाजरे की लेवी वसूल की, उस वक्त, एक मोटी परेशानी सामने यह आयी थी कि किसानों से जो लेवी वसूली के सेन्टर हैं वह सोच समझ कर और डिटेल में जाकर नहीं रखे गये थे जिससे किसानों को काफी दिक्कत हुई और चाहते हुए भी किसान लेवी वसूली नहीं करा सके। मेरा यह निवेदन है कि सरकार लेवी वसूली के पाइन्ट कौन कौन से रख रही है, कहां कहां रख रही है और क्या व्यवस्था होगी, इसकी किसान को समय पर समझ हो जाय। गैर-समझ के कारण, मुझे याद है, भरतपुर के अन्दर समय पर लेवी नहीं देने के केस चालान कर दिये थे और किसानों को परेशानी में पड़ना पड़ा था। ऐसी परेशानी नहीं हो इस लिये, मैं निवेदन करूंगी, लेवी वसूली पाइन्ट और लेवी वसूली सिस्टम ऐसा बनायें जिससे कि किसानों को कम से कम असुविधा हो।

पिछले वर्ष में देखा गया था कि वसूल करने के लिये जो इन्सपेक्टर जाते हैं वह क्वालिटी में मीन मेख निकालते रहे। काश्तकार खुद जमीन में नहीं घुस सकता। क्वालिटी ईश्वर का कंट्रोल है या बिजली विभाग का कंट्रोल है। यदि समय पर फसल को पानी नहीं मिलता है तो क्वालिटी में काफी फर्क आ जाता है। अगर क्वालिटी में इन्सपेक्टर अधिक मीन मेख निकालेंगे तो काश्तकार को दिक्कत हो जायगी। क्वालिटी को लेकर इन्सपेक्टर द्वारा जो इस प्रकार से हरेसमेंट होता है किसानों को, वह कम करें और क्वालिटी के नाम पर जो परेशानी होती है वह नहीं हो। खासतौर पर भरतपुर में जो मिश्रित गेहूं काश्तकार पैदा करते हैं। बाज मर्तबा यह होता है कि जो मिश्रित खेती होती है, उसको गेहूं की खेती में लिख लेते हैं। उसके बाद जो प्रोड्यूस होती है वह लेवी में लेने को तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं, यह जो मिश्रित है जबकि जौ और गेहूं मिला कर काश्तकार पैदा करते हैं, वह जौ बीनने तो नहीं बैठेगा, वह जौ अलग और गेहूं अलग निकाल कर आपको लेवी देने नहीं बैठेगा। यह नामुमकिन बात है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मिक्स्ड खेती होती है, उसी तरह के अनाज को लेवी में ले ले ताकि काश्तकारों को परेशानी नहीं हो। तीसरा निवेदन है, आपने एक हैक्टर असिंचित भूमि में छूट दी है। मैं मानती हूं आपकी परिभाषा में जो एक हैक्टर वाला किसान है वह बहुत बड़ा काश्तकार नहीं है,

Page No 184

(184)

(श्रीमती उषा प्रकाश)

और गांव में काम करने वाला जो काश्तकार है उसकी खुद की खपत काफी होती है अनाज की। गेहूं के साथ साथ दूसरा अनाज होता है जैसे इस बार जौ, चने की फसल है वह जितनी अच्छी होनी चाहिए वह नहीं हुई है, इसलिये स्वाभाविकतौर पर गेहूं का कन्जम्पशन काश्तकार का बढ़ जायगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि एक हैक्टर तक जिसने गेहूं बोया है, उसको आप लेवी से मुक्ति दें ताकि घर का काम चला सके। मुझको पिछली पूरी साल एक अजीब परेशानी का सामना करना पड़ा. वह यह था, पूरे जिले में बाजरे का भाव दो रुपये किलो था, गेहूं का भाव उससे अधिक था और यहां तक कि चारे का भाव था वह रुपये में दो किलो चारा मिल रहा था। भरतपुर जिले में उस वक्त राज्य की अनाज की उपलब्धि थी, उसको देखते हुए अपने कस्बे से आगे जाकर वितरण व्यवस्था नहीं बैठा सके। ऐसे मौके पर जब काश्तकार ने अपने घर से निकाल कर अनाज दिया, और आपके टार्गेट पूरे किये, तो ऐसे वक्त पर काश्तकारों की मदद नहीं कर पाते हैं तो शर्म से सिर झुक जाता है। मेरा निवेदन है कि काश्तकार सरकार के साथ रहने की तैयारी रखता है, सरकार की नीति के साथ रहना चाहता है, उसको जिस समय पर परेशानी होती है, तब मदद नहीं की जाती है तो यह दुविधाजनक स्थिति होती है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूं कि जब खरीफ की फसल इतनी बुरी तरह खराब हुई है भरतपुर में शायद बहुत वर्षों में इस बार अकाल घोषित करना पड़ा है उस वक्त मुझे अफशोस होता है कहते हुए राज्य सरकार किसानों की किसी तरह न अनाज के डिस्ट्रिब्यूशन में, न चारे की उपलब्धि में और न किसी प्रकार की सहायता कर सकी है। अब जब किसान लेवी देने को तैयार हैं, और यह आशा करे कभी दुख सुख में हमारा साथ दे तो क्या बुरा है। इस ओर नजर रखें ताकि काश्तकार को असंतोष ज्यादा नहीं हो। (समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात और निवेदन करना चाहती हूं। वह यह है कि इस फसल के बाद काश्तकार उनके, पहले जो कुएं आधे बने हुए हैं, वह पूरा करेंगे, नये कुए बनायेंगे ताकि उसकी अगली फसल अच्छी हो। मेरा निवेदन है कि लेवी के साथ सीमेन्ट की उपलब्धि का भी एक प्रावधान करें ताकि काश्तकारों को सीमेन्ट समय पर मिल जाये। ताकि जून के महीने में वर्षा आती है, उससे पहले जो कुए आधे बने हुए हैं. वह पूरे बन जायं। साथ ही मैं निवेदन करूंगी कि काश्तकारों को कपड़ा वितरण की व्यवस्था ज्यादा खुले दिल से करें ताकि उनकी जो कपड़े की आवश्यकता है, वह कंट्रोल के कपड़े से पूरी हो सके।

एक छोटी सी बात पर ध्यान दिला कर मैं अपनी बात खत्म करूंगी। वह यह है कि हमारा कोई भी कार्यक्रम हो वह गिरदावर और पटवारी की रिपोर्ट के ऊपर आधारित रहता है। अपने यहां से टार्गेट बना कर जिले के अधिकारियों को भेजते हैं और जिले के अधिकारी हैं उनमें आपस में होड़ लगती है, कौनसा जिला पहला आता है, कौनसा कलेक्टर ज्यादा लेवी वसूल करता है, कौन सबसे ज्यादा लेवी वसूल करता है, कौन टार्गेट एचीव करता है। इससे दो बात हुई पिछले वर्ष – एक तो यह हुई, बाहर से जांच कर ली कि सात

(श्रीमती उषा प्रकाश)

सौ बीघा में उत्पादन हुआ है और पटवारी ने लेवी लगा दी। वह तोड़ मोड़कर लेवी वसूल करली गई और मोटे काश्तकार जिनके पास खूब जमीन है, खूब पैदावार है, उससे कहा गया कि डबल लेवी लेंगे। उसने कहा कि डबल लेवी दे देंगे, लेकिन उसके वदले राज्य सरकार ने जो जो रियायत दी हैं, जैसे कंट्रोल रेट, पुरानी रेट पर खाद देने की, कपड़ा देने की, सीमेन्ट देने की उनमें बड़े काश्तकारों को प्रायोरिटी दी। बड़ा अफसोस होता है देखकर जो मोटा काश्तकार है जिसने डबल लेवी देकर मुंह बन्द किया है उसको पहले सीमेंट मिलता है, पहले उसको कपड़ा मिलता है और छोटे किसान की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। मोटे किसान को कोटा में बढ़ोतरी मिलती है, हर चीज में उसको प्राथमिकता देते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि आप टार्गेट्स फिक्स करें, आप विकास अधिकारियों के बीच म काम्पीटीशन रखें, परन्तु उन टार्गेट्स को पूरा करने के पीछे मानवीय दृष्टिकोण को न भूलें। अगर काश्तकार वाकई परेशानी में है, अगर सख्ती से गलत लेवी ली गई है तो जिला अधिकारियों को मौके पर जाकर उसका फैसला करना चाहिये।

मैं यह मानती हूं कि कहीं कहीं गेहूं अधिक पैदा होता है और कहीं कम। परन्तु जहां-जहां आपकी जो लेवी की नीति है, उसके हिसाब से जिस एरिया में बुवाई की है उसके आधार पर लें न कि फुल जमीन पर। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों किसी पूरे एक जिले को लेवी से माफ किया गया है। उससे असंतोष होगा। परन्तु अगर एक दो तहसीलों में गेहूं पैदा होता है तो उनको एग्जेम्पशन क्यों देते हैं? उनसे लेवी वसूल करने में क्या दिक्कत है? नहीं तो दूसरे किसानों के मन में डिस-सेटिस्फेक्शन पैदा होगा। इस तरह से एग्जेम्पशन देकर दूसरी जगह असंतोष पैदा न करें।

दूसरी बात सिंचित और असिंचित में आपने भेदभाव रखा है। आपको मालूम है कि मेरे क्षेत्र में छोटे छोटे टुकड़े हैं और भरतपुर में कैसी दिक्कत होती है? जिस जमीन पर पानी भरा रह जाता है उसमें बन्द के पेटे में काश्त की जाती है। क्या आप उसी रेट पर उनसे लेवी लेंगे जिस रेट पर सिंचित भूमि से लेना चाहते हैं? जो पेटे में काश्त होती है, उसमें सिर्फ एक बार बुवाई का पानी मिलता है, बाकी ईश्वर के भरोसे रहते हैं। इस तरह के काश्तकार भरतपुर जिले में काफी हैं उनके लिये सरकार अपनी नीति स्पष्ट कर दे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि राशन की व्यवस्था यदि कायम रहेगी तो लेवी भी ली जाएगी और राशन व्यवस्था को सुचारु-रूप से चलाने के लिये लेवी से ज्यादा से ज्यादा अनाज वसूल किया जा सकता है। लेकिन आज जहां व्यापारी वर्ग है वह आपको सेलस टैक्स, इन्कम टैक्स वगैरह देता है। एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से लेता है। इसी तरह से कर्मचारीवर्ग हो उनके यहां लेने का देने का ताल्लुक रहता है, व्यवहार रहता है लेकिन किसान के साथ जो लेवी का मामला है, हम अगर मानवीय दृष्टी से देखें कि किसानों से जो लेवी ली जाती है, उनको समय पर आप मांग के अनुसार चीज नहीं देते। क्या आप सीमेंट, डीजल, खाद या बीज उनको समय पर देते हैं? वह सत्याग्रह

(श्री मीठालाल मीणा)

करना नहीं जानता है, इसलिये उसको जरूर नुकसान होता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि आप जो भी आवश्यक चीजें हैं, खेती के काम में आने वाली हैं, उन चीजों को समय पर कम कीमत पर किसान को उपलब्ध करायें। लेकिन जब सारी आवश्यक चीजें आप समय पर उसको नहीं दे पाते तो आखिर में वह बाजार से ब्लैक में खरीदता है। खाद का कट्टा 5) रु० के बजाय 20) रु० या 30) रु० में, इसी तरह से सीमेंट का कट्टा 40) रु० में खरीदता है। उनको जिस-जिस चीज की जरूरत होती है वह ब्लैक में लेता है। तो उसके लिए 105) रु० लेवी का भाव कम है जबकि मार्केट में वह गेहूं गत वर्ष 250) रुपये क्विन्टल तक बिका है। इस बार हो सकता है कि प्रकृति की कृपा से गेहूं बाजार में काफी नीचे आ सकता है और ज्यादा दिक्कत शायद न हो। परन्तु यह जरूरी है कि आवश्यक चीजें अवश्य मुहैया करवायें।

केरोसिन के लिये मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया कि यह ट्रेक्टरों के लिये जरूरी है। आपने कहा था कि वह मिल जाएगा लेकिन ट्रेक्टर वाले किसानों को आज तक केरोसिन नहीं मिला और वे ब्लैक में खरीद कर काम चलाते हैं। डीजल के लिये विकास अधिकारियों ने राशनिंग की है। लेकिन समय पर नहीं मिलता। सीमेंट के मामले में आपने राशन कार्ड पर 20 कट्टों की व्यवस्था की है, आप जांच करेंगे कि जो स्टाकिस्ट्स के अपने मिलने वाले हैं उनको और पड़ौसियों के नाम पर दे देते हैं। आपके आदेश तो अच्छे हैं लेकिन किसानों को सीमेंट नहीं मिल पा रहा है। कुए बनाने के लिये 300-400 सीमेंट कट्टों की जरूरत होती है, लेकिन विकास अधिकारी केवल 5-30 कट्टे सीमेंट के देते हैं दूसरे महीने में·······

श्री हाजी खान मोहम्मद : 20 कट्टे कहीं नहीं हैं।

श्री मीठालाल मीणा : हमारे क्षेत्र में मिल रहे हैं, इसके लिए मंत्रीजी को धन्यवाद। जो मुझे जानकारी है, कहनी पड़ेगी। किसान को कुओं के लिए 300-400 कट्टों की जरूरत पड़ती है। मेरा सुझाव है कि 150-200 कट्टे एक साथ किसान को दिये जायं। गत वर्ष धान पर लेवी लगाई थी। कोटा, बूंदी और गंगानगर जिलों से बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाया। आपको टार्गेट धान का मिल गया और लेवी भी पूरी हो गई उसका झगड़ा नहीं है लेकिन पाबंदी आज भी ज्यों की त्यों है। किसान परेशान हो रहे हैं, बाहर माल नहीं ले जा सकते। हनुमानगढ़ से चावल बाहर जा सकते हैं, गंगानगर से हनुमानगढ़ या दूसरी जगह भी चावल बाहर ले जा सकते हैं, किसी भी हिस्से में ले जा सकते हैं लेकिन धान भेजना चाहें तो उसका परमिट आज तक लेवी के बाद भी डी० एस० ओ० या जिलाधीश, गंगानगर द्वारा जारी नहीं किया है। इससे किसानों को नुकसान होता है और चावल मिलें····

श्री शिवचरण माथुर : लेवी देने के उपरांत भी ?

श्री मीठालाल मीणा : जी हां। एक बोरी भी धान की गंगानगर जिले से बाहर नहीं गई। लेवी पूरी तरह से तुल गई उसके बाद भी एक बोरी गंगानगर जिले से बाहर नहीं गई। लेवी का टार्गेट पूरा हो गया तो कम से कम इस तरह की पाबंदियों को समय पर दूर किया जाय।

(श्री मीठालाल मीणा)

विधायकों की अकाल राहत कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें अकाल राहत मंत्री से निवेदन किया था कि जहां अकाल घोषित हुआ है, रबी की फसल को शीतलहर से नुकसान हुआ था, बाद में अकाल पड़ा, अकाल घोषित हुआ उसके उपरांत भी रबी की फसल कुछ वहां पर अच्छी है। किसानों को आज अगर राहत मिली है तो ऐसे जिलों में जहां अकालग्रस्त गांव हैं वहां पर लेवी की मात्रा में छूट होनी चाहिए। इसके लिये आपको दूसरे जिलों में जहां अकाल नहीं था वहां पर चाहे आप लेवी ज्यादा लेलें तो कोई बात नहीं, लेकिन अकालग्रस्त क्षेत्रों में तो आपको लेवी की मात्रा में छूट देनी चाहिये। इसके लिये आपको टार्गेट बनाने चाहियें और ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे कि किसानों को राहत मिले। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, लेवी के बारे में एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं वह है कि आज जो आपकी लेवी ली जाती है उसमें चार चार विभाग काम करते हैं, कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले, कभी रसद विभाग वाले और इसी प्रकार दूसरे डिपार्टमेन्ट वाले काम करते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि एक साथ इतने विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों के काम करने के लिये आपको उन्हें टी०ए०, डी०ए० भी देना पड़ता है और उस हिसाब से आपके फी क्विन्टल पर 30 से लेकर 35 रुपये तक खर्च बढ़ जाता है। अगर आप इतना खर्चा अपने स्टाफ पर नहीं करें और वह पैसे आप किसान को दे दें तो इतने पैसों में यानी 140) रुपये तक आपको बाजार में भी मिल जायेगा। तो इस ओर भी गम्भीरता से सोचें, ऐसा मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक आपके जो ठेकेदार वगैरह हैं उनके पैसे फिक्स्ड हैं कि दस बोरी के तुलाने पर इतने पैसे और सौ बोरी के इतने पैसे। खैर, सौ बोरी के तो अपने आप ही पैसे ज्यादा मिल जायेंगे। लेकिन अगर दस बोरी से कम की तुलाई हो तो भी ठेकेदार को उतने ही पैसे मिलेंगे तो इस तरह की जो खामियां हैं उनको आपको ठीक करनी पड़ेगी। इससे आपके खर्चा कम आयेगा और लोगों को भी ठेकेदारों से ईर्ष्या नहीं होगी। इसके अलावा, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार जो आपके अधिकारियों, कर्मचारियों ने जो लेवी वसूल की थी वह अच्छे माल की थी, चाहे इसमें उन्होंने किसानों को बुरी तरह से परेशान किया हो। लेकिन उसमें ऐसा भी हुआ कि लोगों से दो दो बार लेवी ले ली गयी है। इसके अलावा एक बात मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने पहले लेवी नहीं दी और अब वह लेवी देने को तैयार हैं, आपके तहसीलदार ने उनको नोटिसेज दिये थे तो क्या अब जो लोग लेवी देने के लिये तैयार हैं, उन पार्टीज के खिलाफ जो नोटिसेज निकाले गये थे, उन्हें आप अब कैंसिल करवा देंगे लेवी देने के बाद? इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के कर्मचारियों ने माल तो बहुत ही अच्छी प्रकार का गेहूं और बाजरा काश्तकारों से लिया, लेकिन बाद में वह माल जो जनता को दिया गया है उसमें दस-दस किलो और बीस-बीस किलों के पत्थर निकले हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि जब माल काश्तकारों से आपने परेशान करके या चाहे किसी प्रकार से भी अच्छा गेहूं और बाजरा लिया और वह माल गोडाउन्स में जाने के बाद, चाहे एफ० सी० आइ० का गोदाम हो चाहे वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन के गोदाम हों, वहां पर रखा गया। और वहां

(श्री मीठालाल मीणा)

से माल में कंकड़ पत्थर वगैरह मिलाये गये हैं, तो उसके लिये क्या राज्य सरकार दोषी कर्मचारियों के खिलाफ में एक्शन लेने की कार्यवाही करेगी जांच करवा कर ? मंत्री महोदय, इसके लिये क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं यह थोड़ासा हमें बतला दें। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार लेवी के लिये तो गांवों में काश्तकारों के पास जाती है और वहां से लेवी वसूल करती है लेकिन जब गांव वालों को अनाज की जरूरत पड़ती है तो वह अनाज गांव वालों को नहीं मिलता है और वह सारा का सारा अनाज शहरों में वितरण किया जाता है। आपके आदेश यही हो जाते हैं, कि नगरपालिका क्षेत्रों में अनाज का वितरण किया जाय। मैं यह नहीं कहता कि आप नगरपालिका क्षेत्रों की जनता को अनाज मत दो लेकिन आप जब गांवों की जनता से लेवी लेते हैं तो आपको उन्हें भी तो अनाज देना चाहिये। लेकिन होता यह है कि आपके पास गरीब काश्तकार को देने के नाम पर कुछ नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि अनाज आपको गांवों में भी वितरण करना चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप गांवों में जो अनाज वितरण करावें उसमें ऐसा नहीं कि बाजरा या माइलो सड़ी गली ही वितरण करावें बल्कि जैसा अनाज का वितरण शहर में आप करते हैं उसी प्रकार गांवों की जनता को भी आपको कराना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक दो बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। दूसरी बात, जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है आपकी राशनिंग व्यवस्था के बारे में। इसमें मेरा निवेदन यह है कि जो लोग इन्कम टैक्स पे करते हैं उन्हें राशन से किसी भी प्रकार की वस्तु नहीं मिलनी चाहिये। चाहे वह गेहूं हो, शक्कर हो, चाहे कोई भी वस्तु हो। वह इन्कम टैक्स पे करने वाले लोगों को बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो लेवी का टार्गेट पौने दो लाख टन अनाज का वसूल करने का रखा है उसमें आपने उन पांच जिलों को छोड़ दिया है जो कि अकालग्रस्त रहते हैं, लेकिन उसके अन्दर भी मेरा निवेदन यह है कि उन जिलों में कुछ एरियाज ऐसे हो सकते हैं जिनमें अकाल नहीं हो और अच्छी फसल पैदा होती है और केवल भ्रान्ति ही हो जैसे जोधपुर जिले में बिलाड़ा तहसील में बहुत अच्छे गेहूं की पैदावार हुई है और होती रही है। तो आप को उस बिलाड़ा सब-डिविजन को तो लेवी देने के लिये नहीं छोड़ना चाहिये। उसे आपने क्यों छोड़ दिया जहां बहुत अच्छे गेहूं पैदा होते हैं ? इसलिये छोड़ दिया कि कहीं रामसिंहजी नाराज नहीं हो जायें। तो बिलाड़ा आदि ऐसी जगहें हैं जहां पर ट्युब वेल्स हैं वहां पर से तो आपको लेवी लेनी चाहिये। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आप किसानों से लेवी तो लें, परन्तु उनको आवश्यक सुविधाएं समय पर दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, जिलेवार ले लिया जाये। भरतपुर जिले से पहले बोल चुके हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसमें जिले की क्या बात है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : Justice should be done. भरतपुर जिले से बोल चुके हैं। अब दूसरे जिलों से बोलने दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी मौका दिया जायेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपके पास कोई लिस्ट है या क्या है? यह कोई फार्मूला तो है नहीं कि जिस समय जो कोई आदमी कहे उसको टाइम दिया जाये। मेरा नाम पहले है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : I have been allowed.

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप मुझे डरा नहीं सकते। (दोनों माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे, व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप इस तरह से बात करते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : You are not a privileged man.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : I have been asked by the Chair.

श्री रघुनाथ बिश्नोई : I am addressing the Chair and not you. You have no right.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं माननीय सदस्य की भ्रांति दूर करना चाहता हूं। I must clear the misunderstanding.

श्री गुरदयालसिंह संधु : दोनों के झगड़े का निपटारा हो जाये, तब तक मैं ही बोल लूं।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य दोनों ही गर्म हो रहे हैं, वह ठंडे हो जायें तब तक मैं ही बोल लूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो प्रश्नों के बारे में जानकारी करना चाहता हूं, कोई भाषण नहीं देना चाहता।

आपने पिछले साल जिस समय यह लेवी का सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया था और ट्रेडर्स पर लेवी लगाई थी, उस समय आपके कानून के अन्दर और कार्य पद्धति के अन्दर कुछ खामियां, कुछ गलतियां रह गई थीं, इसलिये परेशानी सामने आ गई थीं। पहले आपने 31 की तारीख तय की कि उस तारीख तक वह अपना माल डिसपोज ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जब ट्रेडर्स ने आपको धोखा दिया तो आपने प्रोड्यूसर्स लेवी लगा ली। इसलिये आपने जो व्हीट प्रोक्योरमेंट ऑर्डर निकाला था, उस ऑर्डर के तहत क्या आपने रिलेवेन्ट अमेंडमेंट्स कर दी है? हमारी जानकारी में तो ऐसा कोई आदेश नहीं है। तो उस कानून के रहते हुए इस लेवी की क्या स्थिति बनेगी? इसके बारे में मंत्री महोदय जानकारी दे दें।

दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने गेहूं की खेती किसको माना है? कई जगह ऐसा होता है कि किसी खेत पर गेहूं चना मिक्स्ड बोए जाते हैं। जहां पानी ज्यादा

Page No 190

(190)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

आता है, वहां गेहूं बोया जाता है और जहां पानी कम आता है वहां जौ बोया जाता है। लेकिन आपने कहा है कि यदि छः प्रतिशत गेहूं बोया गया और 94 प्रतिशत दूसरा मोटा अनाज हुआ तब भी आप उसको गेहूं की काश्त मानेंगे और लेवी वसूल करेंगे? इसके बारे में भी मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

और यह भी बतायें कि व्हीट प्रोक्योरमेंट आर्डर जो आपने पहले लागू किया था, उसमें रिलेवेन्ट अमेंडमेंट्स की हैं या नहीं? कानून की क्या स्थिति है? दूसरी बात गांव की खेती की डेफिनेशन के बारे में पूछा।

तीसरी बात पूछना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा पेटा काश्त के खेतों के बारे में क्या स्थिति है आपकी। सवाई-माधोपुर, भरतपुर, अलवर कई जगह पर तालाब मिलेंगे जहां पेटा काश्त होती है, उसमें उतनी उपज नहीं होती है जितनी कि कुओं से होती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्षजी, जालोर जिले में लेवी लगाई है, जिलों के नाम रखदी गयी है। एक बार माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया था; इस साल, जैसा आप जानते हैं जालोर में बिजली बिलकुल नहीं है, क्रूड ऑयल और डीजल ऑयल से, किसानों ने खेती की है। उससे खेती कितनी महंगी पड़ती है यह आपको अन्दाज नहीं है। जिले में जाकर असेसमेंट लगायेंगे तब ही मालूम पड़ेगा वरना ओफ हैण्ड मालूम नहीं पड़ सकता। पांच छः जिलों को आउट राइट छोड़ा भी है। दूसरी तरफ लेवी के टारगेट भी मुकर्रर किये हैं। कलेक्टरों को आप आदेश देंगे। अर्जुन एक पोइन्ट देख रहा है और उसी जगह उसकी गोली लगेगी, ठीक उसी प्रकार आपने जिले बांटे हैं, पटवारी ने जो गिरदावरी की और अंट जो उसने खींच दिया उसके अनुसार ही आप किसानों से हर हालत में वसूल करने की कोशिश करेंगे। एक बात, आप जानते हैं कि जिलों में कई गांव फेमिन ग्रस्त हैं। रबी बोई है, और कुछ ऐसे एरिया हैं जिनमें वसूली नहीं हो सकती, पहले इसके लिये आप टारगेट बनाओ तब मालूम हो सकेगा। आपका क्राइटेरिया क्या है? यदि किसी ने उत्पादन गेहूं का किया है, और आप शेयर लेना चाहते हैं तो लाटे के रूप में ले लीजिये। इससे हरेसमेंट कम होगा और कागजी कार्यवाही करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिये कि पिछले साल के भी अभी तक कोर्ट में केसेज चल रहे हैं। माननीय मंत्रीजी ने कहा कि विथ्ड्रा कर लिया। लेकिन अब तक चल रहे हैं। इसलिये आप इस कागजी कार्यवाही पर दुबारा सोचें। आपने 105) रुपये की रेट घोषित की। आप पहले यह कह रहे थे कि केनाल इरिगेशन और वेल इरिगेशन में डिफरेन्स डालेंगे। वह भी बता दीजिये।

एक हैक्टर में पानी का जैसा हिसाब था उसके अनुसार ही काश्त की। जिलेवार मीटिंग बुला कर लाटा करें। आप कहेंगे कि नोमिनल लगाना है, टारगेट आपके कैसे अचीव होंगे? पटवारी को साथ लेकर करेंगे तो किसान के साथ न्याय होगा। वरना आन्दोलन होंगे। जरासी चीज है और लोगों को परेशान करना जबकि फेमिन से लोग ग्रस्त हैं और फेमिन के काम खोलें नहीं, अभी तो उनको अनाज देने का सवाल है, आप वे

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
नहीं पाते हैं, कितने झगड़े होते हैं, जो कुछ पैदा किया है, बाजार में आने के बाद वैसे ही रेट्स डाउन हो रहे हैं, ओपन में आप क्यों नहीं खरीदते हैं। फोरेन के गेहूं का भी भाव देख लीजिये। किसी भी प्रकार से आपका स्टेन्ड सही नहीं है। यह बिलकुल गलत है। आपको इस पर दुबारा सोचना चाहिए और सौ क्विन्टल और पचास क्विन्टल हुए हैं, उस दृष्टि से लेवी की बात करते हैं, लाटे के तौर पर लेवी चाहते हैं तो झगड़े नहीं होंगे।

दूसरा, इरीगेशन एरिया। बारानी के लिये भी आपने रख दिया। वैल इरीगेशन दो तीन साल में उसने किया है, तो आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है? रिकार्ड में लिखा हुआ है बारानी। सेटलमेंट यह बोलता है कि कुंआ भी बनाये तो इम्प्रूवमेंट करेगा बारानी का सोचना चाहिये। वरना लोग परेशान होंगे। उस पर आपको गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है।

ग्रेडेड लेवी। साधन सम्पन्न हैं और पैदा कर लिया गेहूं। पांच दस क्विन्टल उनसे ले लेते हैं तो न्याय की बात है। समर्थन करूंगा। पैदा किया है तो ले लीजिये। विदआउट हरेसमेंट ले लीजिये। इतने गांवों को अभाव-ग्रस्त बता रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को आप मजदूरी दे नहीं रहे हैं। जो कुछ है गांवों में गरीब लोग बांट कर खाते हैं। गांव में कोई नहीं चाहता है कि झगड़ा हो। बांट बांट कर खाना चाहते हैं। आपने तो एक ब्लेन्केट हुक्म लगा दिया। लोग कहते हैं, क्या पाप किया है उन्होंने जो काश्त की है। आप वहां कहेंगे दस आदमियों के बीच में कि अन्याय हुआ है और फिर आप केंसल करेंगे। इसलिये आप लाटा लगा कर पेमेन्ट कर दीजिये तो हरेसमेंट नहीं होगा। आपको जो विटर एक्सपीरियन्स है उस आधार पर जिन जिलों पर लेवी डाली है, एक भ्रान्ति और पैदा कर दी है। मानवीय दृष्टिकोण रखना है तो ऐसे जिलों में बिजली खींची नहीं है, उनमें सब लोगों को परेशान करेंगे, पटवारियों वगैरह की जेबें भरेंगे, मौके पर कैसे निर्णय को इम्प्लीमेन्ट कर सकते हैं यह सोचने की बात है। मंत्रीजी को जिलेवार जाना चाहिये। लाटा करके तोल लेते थे पहले उसी प्रकार आपको भी करना चाहिये। आप 105 पर तो लेते हैं और फिर कहते हैं कि उधर तुलाओ। वह वहां से ले जाकर तुलाता है। अभी तक भी गये साल का पैसा नहीं दिया गया है। यह क्या बात है? कन्जरवेटिव तरीके से यहां बैठे बैठे कागजों में कर दिया। गिरदावरी की। उसका रिकार्ड गलत होने से लेवी वसूल नहीं की पिछले टाइम में और जो लेवी लगाई थी आपने उसको विड्रो किया। सुखाड़िया साहब के टाइम में यह हुआ था। आपका अपना रिकार्ड आप देख लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : रबी की लेवी लगी थी?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : विड्रो किया है आपने।

श्री परसराम मदेरणा : विड्रो की।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसलिये मेरा कहना है कि आप अनाज निकलते ही लाटा करके जो कुछ अनाज है वह आप ले लें। यदि किसान के पास नहीं है और खाली वसूली के लिये ढूक गये तो खाली बदनाम होओगे। जिनके पास नहीं है उनसे आप लेना चाहें शायद आपकी यह मंशा नहीं है, मेरे खयाल से। आप कह तो रहे हो कि वास्तविक लेवी मानी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

चाहिये लेकिन जो तरीका अपनाया है उससे मैं आपको यह आगाह करना चाहता हूं कि लोगों को आप खाली परेशान करना चाहते हो तो यह उचित नहीं होगा। आप उनको कुछ दे नहीं पाये। न बीज, न खाद और न ही बिजली। लोगों ने जो कुछ पैदा किया है, जो कुछ बनता है आपका मंडी वगैरह की घोषणा करके टाइम टेबल निर्धारित करके ले लीजिये। लोग परेशान नहीं होने चाहिये। वरना लेवी नहीं आवेगी। कोर्ट में केसेज चलेंगे। पहले के विड्रो कर नहीं पाये हैं। आगे इलेक्शन आ रहे हैं। माननीय मंत्री जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि जब गेहूं की इतनी कीमत है जो तय की है बहुत नोमोनल है। यह इसकी मंशा की पूर्ति किस तरह करेंगे। मैं चाहूंगा मंत्री महोदय, स्पष्ट जवाब दें ताकि हम लोगों को जाकर अपने अपने क्षेत्र में जवाब देना पड़ेगा, वह दे सकें लेकिन आप कुछ कहें, कलक्टर कुछ कहे, पटवारी कुछ कहे, तहसीलदार कुछ कहे, तो काश्तकारों को विश्वास नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री गुरदयालसिंह संधु व श्री बिरदाराम के खड़े होने पर) एक ही माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री बिरदा राम : मैं तो एक ही शब्द कहूंगा ....

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी मौका दूंगा।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : उपाध्यक्ष महोदय, लेवी के वसूली के हक में, मैं मानकर चलता हूं कि लेवी की वसूली होनी चाहिये और यह भी मानकर चलता हूं कि यह सरकार हमसे लेवी वसूल करना चाहती है लकिन मैं पूछना चाहता हूं जो गेहू नहीं बोये और जो अनाज पैदा नहीं करते हैं उनको अनाज भी दिया जाना चाहिये लेकिन सरकार उनको नहीं देती है। इसके साथ एक बात और अर्ज करना चाहता हूं जो लेवी वसूल करते हैं यू० पी० में, पंजाब में, हरियाणा में जब हम यू०पी० में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं और वहां के किसानों से बात करते हैं तो देखते हैं कि वहां की सरकारें उनको जो सुविधायें देती हैं वे हमारे यहां हैं ही नहीं। उनके क्षेत्र में किसानों को सुविधायें मिलती हैं वे यहां भी मिलनी चाहियें।

वहां के किसान खेती का धंधा करते हैं तो इसके ही पार्ट-टाइम दूसरा धंधा चलाते हैं और सरकार उन कामों को चलाने के लिये मदद करती है। जैसे पंजाब में चले जायं, हरियाणा में चले जायं तो कहीं पर मधुमक्खियां पाली जाती हैं, कहीं मछलियां पाली जाती हैं, कहीं पाल्ट्री फार्म का धंधा करते हैं और सरकार उनको इन सब काम के लिये कीमत देती है। वहां के किसान को यह महसूस होता है कि हम दो जगहों से लाभ कमा रहे हैं लेकिन हमारे यहां कभी भी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। किसानों की फसल अच्छी हो उसके लिये ग्रेडिंग अच्छी सुधारी जा सके, कभी ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही यहां के किसानों को आपने कभी अच्छा बीज नहीं दिया, हम देखतें हैं अच्छे बीज किसान पंजाब से चोरी करके लाते हैं, रास्ते में लोग पकड़े भी जाते हैं, और कुछ ले भी आते हैं और कुछ लोग ला भी सकते हैं। तो यह क्यों होता है? हमारी सरकार की लापरवाही से यह सब काम होते हैं। यहां जो अच्छे बीज तैयार भी किये जाते हैं लेकिन सब जगह वह बीज उपयुक्त नहीं होता है, गंगानगर और जयपुर की क्लाइमेट एक सी नहीं है, गंगानगर और बाड़मेर की क्लाइमेट एक सी नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी अर्ज करूंगा जहां मैं यह बात करता हूं वहां पर किसान को खाद

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)
सस्ते भाव पर मिलता है आज जब खाद के भाव बढ़ चुके हैं पर पंजाब में आज भी 100 रु० बोरी मिलता है और जहां पांच रुपये सेल्स टैक्स लगता है वह भी वहां पर नहीं लगता है। पांच रुपये लगने के बाद उनको घर पर खाद मिलता है, उनकी सोसायटी में खाद मिलता है हमारे यहां और खर्चा आ जाता है और हमें ब्लेक से लेनी पड़ती है। वहां पर किसान को सीमेन्ट मिलता है, पक्की ईंट मिलती है और कन्ट्रोल रेट पर मिलती है। यहां पर सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि वह अपना पक्का मकान भी बना सके।

मैं जहां इतनी बात करता हूं वहां एक और अर्ज करना चाहता हूं। कुछ क्षेत्रों से अनाज दिया जाय और कुछ क्षेत्रों से अनाज नहीं दिया जाय तो सरकार को अपना टार्गेट पूरा करना चाहिये। जब टार्गेट पूरा नहीं होता है तो बोनस की रकम पूरी नहीं होती है। पंजाब में 10 रु० बोनस मिलता है। सरकार को चाहिये अगर किसान से लेवी लेनी है तो उनको बोनस भी मिलना चाहिये। आज तक किसान को बोनस की रकम नहीं दी गई है, मैं निवेदन करूंगा बोनस की रकम दी जानी चाहिये और मैं यह निवेदन करूंगा राजस्थान सरकार को कुछ ज्यादा बोनस देना चाहिये क्योंकि यहां किसान के खर्चे ज्यादा हैं। मैं देखता हूं, पंजाब में जो प्रोक्योर किया जाता है तो हर गांव में प्रोक्योरमेंट होता है। यहां मण्डियां दूर दूर हैं खर्चे ज्यादा है मगर पंजाब में मंडी का खर्च ज्यादा नहीं है, पंजाब में टैक्स नहीं है। आज पंजाब की मंडी में 105) रु० गेहूं मिलता है तो उस पर ढ़ाई रुपया भाड़ा खर्च आयेगा और यहां उससे ज्यादा पड़ता है, तो मेरे कहने का मतलब है आज हमें पूरी रकम नहीं मिल रही है। सरकार को चाहिये जहां पर इस तरह के खर्चे हैं उनको देना चाहिये। मैं मान लेता हूं प्रोक्योरमेंट आप करेंगे लेकिन कहीं कोई हाई कोर्ट में चला गया तो आपका मार्केटिंग एक्ट कहता है फलां अनाज बेच सकते हैं। यह कानून की बात है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा वहां के रूलस में सुविधा है और वहां इस प्रकार की दिक्कतें नहीं हैं।

मैं अर्ज करना चाहता हूं और सरकार को चाहिये कि बोनस किसानों को ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिये और कुछ बोनस सरकार को अपने पास से भी देना चाहिये। मैं एक बात और कहना चाहता हूं किसी से भी लेवी का जिक्र करेंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि जो लोग लेवी देना चाहते हैं उस पर उसका बोझ पड़ेगा और बोनस की रकम नहीं ले सकेंगे। जब आप कहते हैं, सारा अनाज इकट्ठा करना चाहते हैं तो कुछ हद तक खाने के लिये सुविधा देनी पड़ेगी। अभी अभी पता चला भरतपुर के इलाके से आज से डेढ़ साल पहले बाजरा वसूल किया गया था उसकी रकम आज तक नहीं मिली। यह भी पता चला है कि ओलों से नुकसान हुआ है वहां लेवी में छूट देनी चाहिये। छोटे किसानों को छूट मिलनी चाहिये। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं महाराजा बीकानेर पर लेवी क्यों नहीं लगी? उन पर लेवी नहीं लग सकती थी पर क्योंकि वह गेहूं नहीं बोते हैं। मैं यह भी कह सकता हूं बड़े आदमी हैं जो खेती करते हैं उनसे लेवी नहीं ले सकते हैं। इसलिये यह कहूंगा छोटे किसानों को लेवी की छूट देनी चाहिये। अगर छूट नहीं देंगे तो उसके अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। छोटे किसान अभी लेवी दे देंगे लेकिन बाद में 200-250 में बेचेंगे इसलिये आपको चाहिये बोनस की रकम जो भारत सरकार से लेंगे वह तो दें लेकिन राजस्थान सरकार कुछ बोनस के रूप में और

Page No 194

(194)

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)
जोड़कर दें ।

आज पंजाब के मुकाबले आप किसानों को सुविधा नहीं दे रहे हैं ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में समाप्त करता हूं .... तो आपको चाहिये कि कुछ लेवी के रूप में आप भी राजस्थान के फण्ड से कुछ किसानों को दीजिये । यही कहते हुए मैं फिर अर्ज करूंगा छोटे किसानों को छूट देने की कोशिश कीजिये । जहां ओलों से नुकसान हुआ है जैसा बताया गया है कामां में बड़ा नुकसान हुआ है। आप भी अपना सर्वे करिये और ऐसे क्षेत्रों को लेवी से छूट दीजिये इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालोर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जालोर जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है । बाढ़ से भी सबसे ज्यादा पीड़ित जालोर जिला हुआ है । जालोर जिले में बाढ़ से नुकसान हुआ, बाद में अकाल पड़ा । हमारा इलाका अकाल से दुखी इलाका है और अब भी है । और अभी वहां फसलों में भी नुकसान हुआ है क्योंकि हमारे यहां खारा पानी है । वहां अगर बीज भी डाल दें तो ऊपर भी नहीं आयेगा और उसके बाद में आप फिर लेवी मांगोगे । इसलिए मेरा कहना यह है कि गेहूं में वसूली में छूट होनी चाहिए । जब धान ही नहीं होगा तो काश्तकार कैसे लेवी देगा ? गरीब आदमी के पास बैल नहीं हैं, खाद नहीं हैं और फिर पैदावार भी नहीं है । हमारे इलाके में अकाल है और जालोर जिला सबसे पिछड़ा हुआ जिला है । फिर अपने यहां से लेवी का अनाज लेकर किसान जायेगा तो पांच सात रुपया खर्च और पड़ेगा । मण्डी टैक्स भी आप ले लेते हैं । तो मैं निवेदन करूंगा कि जो लेवी सरकार ले यह उसको पंचायत एरिया में लेनी चाहिए । जालोर जिले में तो सरकार को लेवी माफ ही कर देनी चाहिए क्योंकि हमारे यहां अकाल है और सरकार ने अकाल का कोई काम भी हमारे यहां नहीं खोला । कुछ जिलों में तो करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है अकाल के नाम पर लेकिन हमारे जिले में कुछ भी नहीं करते । हमारा पिछड़ा हुआ जिला है । वहां आप लेवी लगायेंगे तो किसान नहीं दे पायेंगे और वहां लोगों को राशन का भी सामान नहीं मिलता और कुछ भी नहीं मिलता और अब आप लेवी लगा देते हैं तो हम अपने जिलों में जायेंगे तो लोग हमको पत्थरों से मारेंगे वह कहेंगे कि आपने एक किलो भी अनाज नहीं दिलवाया । हमारे वहां पर काफी मात्रा में नुकसान हुआ है । बिजली भी हमारे इलाके में किसानों को नहीं दी जाती । बाकी जो अभी बिजली है उससे तो सारा मामला ही ठप्प हो गया है । तो हमारे साथ में तो बड़ी धांधलेबाजी है । हम काश्तकारों को कैसे जवाब देंगे ? हमारे जिले में हमारा ही जाना मुश्किल हो जायेगा । सरकार को यह तो सोचना चाहिए कि वह जिला बाढ़ से पीड़ित है और अकाल भी वहां पर पड़ा हुआ है । यह तो सरकार को सोचना चाहिए । मैं कहता हूं सरकार इस तरफ ध्यान दे और मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि इस जिले के ऊपर वह रहम करें । आपने बीज समय पर नहीं दिया और खाद भी नहीं दिया है । अगर आप खाद देते तो वहां अच्छा अनाज होता । लोगों को सीमेन्ट नहीं मिली और 55 रुपया देकर एक एक कट्टा

(श्री बिरदाराम फुलवारिया)

किसानों ने लिया है। तो कम से कम रेट से तो उनको सीमेन्ट मिलनी चाहिएं, रेट से खाद मिलनी चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि गरीबों को कितना कपड़ा मिला। क्या सरकार इसकी जांच करती है ? ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री बिरदाराम : आप वहां जाकर देखिये लोगों को कपड़ा नहीं मिलता।

श्री उपाध्यक्ष : लेवी की बात हो रही है कपड़े की नहीं।

श्री बिरदाराम : .... आप गरीब किसानों को खाद, कपड़ा, बीज और सीमेन्ट तो दिलाओ ताकि काश्तकार अपने दुखों को भूल जायें।

मैं लेवी के बारे में कह रहा हूं कि हमारा पिछड़ा हुआ जिला है, वहां पर लेवी माफ होनी चाहिए और नहीं तो उनसे कम से कम लेवी लो। मैं जानता हूं वहां लोगों की क्या हालत है। मैं बाहर घूमता हूं और गांवों में मैंने देखा है। हमारे जालोर जिले में तो बहुत नुकसान हुआ है दूसरे जिले की नहीं कह सकता हूं। तो मेरा कहना यह है कि सरकार लेवी कम करे या फिर माफ करे। हमारे यहां खारे पानी से फसल का बहुत नुकसान हुआ है उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रोग्राम आफ लेवी .....

श्री मगराज चौधरी : कोई म्युनिसिपल एरिया से लेवी थोड़े ही ली जाती है। हमें मौका दिया जाना चाहिए।

श्री किशन मोटवानी : .... प्रोग्राम ऑफ लेवी ....

श्री मगराज चौधरी : Chance should be given to those members who come from rural areas.

श्री किशन मोटवानी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि Programme of levy is the back-bone of our public distribution of grains. इस सिद्धान्त को हम सबको मानकर चलना पड़ेगा। अगर आज हमारी पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के लिए ग्रिवान्सेस हैं और हम उसके खिलाफ कम्प्लेंट करते हैं तो साथ ही लेवी के प्रोग्राम के प्रति एक ईमानदारी का दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। मैं निवेदन करूं कि गत वर्ष जब हमने डीलर्स लेवी लगाई, सिद्धान्ततः वह गलत हो सकती है, परन्तु पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन को सुदृढ़ करने की नीयत से वह लेवी लगाई। उसमें मैं निवेदन करूं कि अपोजीशन का रोल और पर्टीकुलरली जनसंघ का रोल जो कि आज आये दिन हल्ला करते हैं, हमको भी मालूम है कि जनता दुखी है लेकिन वह हल्ला करते हैं तो इसके पीछे कोई सिद्धान्त नहीं है। उन्होंने लेवी के लिए डीलर्स को भड़काया। अजमेर में जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने डीलर्स को उकसाया और उनको लेवी नहीं देने पर बाध्य किया। उसके बाद "देर आयद दुरुस्त आयद" सरकार ने प्रोड्यूसर्स लेवी लगाई। मैं मानता हूं कि वह बहुत देरी से लगाई लेकिन उसमें जो भी प्रोग्राम था वह उसमें जनसंघ फिर बाधक

(श्री किशन मोटवानी)

बना और वह आज भी वही भाषा बोल रहे हैं। वह लेवी के प्रति ईमानदार नहीं हैं; आज भी वह प्रोड्यूसर्स को उकसाने की बात करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि जब पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन को सुदृढ़ करने की बात करते हैं तो लेवी के प्रोग्राम के प्रति हमें ईमानदारी का दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा लेवी प्रोक्योरमेन्ट के लिये गत वर्ष दिक्कतें आई थीं, और मैं निवेदन करूंगा कि पेमेन्ट का जो तरीका है वह ऑन-दी-स्पोट पेमेन्ट होना चाहिए। अजमेर जिले में भी कई जगह ऐसा हुआ है कि लोगों ने पेमेन्ट तो कर दिया परन्तु वह अभी तक जमा नहीं कराया गया। इसलिए लेवी के प्रोक्योरमेन्ट की जो एजेन्सी है, जो आपको प्रोक्योरमेन्ट की मशीनरी है उसको भी सहीतौर पर तैयार करना पड़ेगा उस मशीनरी में ईमानदार व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। गत वर्ष इस प्रकार के कई केसेज गबन और घोटाले पटवारियों की वजह से भी देखने में आये। उन्होंने किसानों से तो लेवी वसूल करली लेकिन वे खुद खा गये, उसको जमा ही नहीं कराई। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि इस बार इस किस्म के केसेज की पुनरावृत्ति नहीं होवे इसलिए इस तरफ भी सरकार को ध्यान रखकर चेष्टा करनी पड़ेगी। इसके साथ ही यह ध्यान भी रखना चाहिए कि किसानों को कम से कम तकलीफ उठानी पड़े लेवी वसूल करने में और उनको किसी प्रकार की परेशानी महसूस न हो। इसके लिये चाहे उनके घरों से या खेतों या खलिहानों से ही लानी पड़े तो इसकी भी चेष्टा करनी चाहिए। इसके साथ लेवी के सिद्धान्त में तो छूट दी गई इसमें भी कुछ मूलभूत सिद्धान्त तय किये जाने चाहिएं कि यह किस-किस प्रकार की छूट देना चाहते हैं। पर्टीक्यूलरली जो छूट दी गई है वह ड्राट इफेक्टेड और फेमिन इफेक्टेड एरिया या जहां पर बरसात कम हुई है, या कहीं पर कुओं से सिंचाई नहीं हो सकी, कहीं तालाब नहीं हैं, कहीं बांध नहीं हैं या नहरें नहीं हैं और भी कई ऐसे कारण हैं वहां पर छूट होनी चाहिए। इसी सन्दर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट की सिच्युएशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो होल्डिंग्ज हैं वे बहुत छोटी-छोटी होल्डिंग्ज हैं, यह एक रिकार्ड से प्रूव्ड चीज है। दुर्भाग्य से अक्सर अजमेर जिले में फेमिन पड़ता रहता है, एक बार में वहां तीन साल का असर रहता है। जैसे इस साल कुदरत ने अच्छी फसल दे दी तो तीन साल तक इसका असर रहता है। और सूखा पड़ जाय तो भी यही हालत होती है। पर्टीक्यूलरली मैं ब्यावर तहसील के लिये निवेदन करना चाहता हूं। ब्यावर तहसील को डी० पी० ए० पी० प्रोग्राम के अन्तर्गत डिक्लेयर किया गया है। अजमेर जिले की स्थिति इस किस्म की है कि 75 प्रतिशत से भी ज्यादा विलेजेज फेमिन इफेक्टेड घोषित किये गये हैं, इस सारी सिच्युएशन का अध्ययन करते हुए अगर अजमेर डिस्ट्रिक्ट पूरा न हो सके तो कम से कम ब्यावर तहसील को जिसको डी० पी० ए० पी० के प्रोग्राम के अन्तर्गत डिक्लेयर किया गया है, लेवी से मुक्त करना ही पड़ेगा मैं इतना ही निवेदन करता हुआ पुनः निवेदन करूंगा कि जो आपकी लेवी की प्रोक्योरिंग आथोरिटी है, जो मशीनरी है, सही-तौर पर उसको तैयार करके लगाना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ।

श्री राम रघुनाथ (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, लेवी के सम्बन्ध में जो रेट 105/- की फिक्स की गई है, यह कतई अनुचित नहीं है, इसको तो सभी ने माना है। पिछले वर्ष भी इसी प्रकार से तय की गई थी और इस बार भी फिक्स की गई है जबकि फर्टिलाइजर का जो खर्चा है, उसको भी शामिल किया गया है। इसलिए हमारे कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि सरकार ने किसानों के साथ बहुत हमदर्दी बरती है। इस बात से जाहिर भी है कि हमारी सरकार किसानों के प्रति हमदर्दी रखती है। लेकिन जो 105/- फिक्स किये गये हैं वह एक साल में कितना अनाज हुआ इसको मद्देनजर रखते हुए फिक्स करना चाहिए था। हर जगह कीमत अलग-अलग आ सकती है। दुर्गापुरा फार्म पर प्रति क्विन्टल के हिसाब से निकालते हैं और खर्चे कम करने के बाद में उससे कितनी कीमत आती है। इसलिए सारे खर्चों को निकाल कर जो कीमत आवे उसके हिसाब से लेवी लगायी जानी चाहिए। इसमें यह भी कहा जाता है कि लेवी की रेट भारत सरकार फिक्स करती है इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि जिस तरह से सदर्न स्टेट्स ऑफ इण्डिया में लेवी की रेट्स को सब्सीडाइज किया गया है, और मद्रास वगैरह में किसानों को जो फायदे दिये गये हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह से हमारी स्टेट में भी कोई हालात ज्यादा अच्छे नहीं है, हमारे राज्य का प्रोडक्शन भी उत्तर-प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के मुकाबले बहुत ही कम है। इन सारी हालात को देखते हुए हमारे यहां पर लेवी एकत्र की जानी चाहिए और 105/- को सब्सीडाइज किया जाना चाहिए। इसी के साथ किसानों को जो बीज दिया जाता है उसके साथ में विभाग वाले कितनी हमदर्दी दिखाते हैं, और मन्त्री महोदय के पास एग्रीकल्चर विभाग भी है, इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो दूसरी स्टेट्स में बीज दिये गये थे वह सब्सीडाइज करके दिये गये थे। इसलिए लेवी लगाने के समय जो बीज किसानों को दिया जाय वह 25 से 40 परसेन्ट तक सब्सीडाइज करके दिये जाय। यहां पर मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह आज इस प्रकार का आश्वासन इस सदन में देवें। इसके साथ ही प्रति हैक्टर के हिसाब से जो लेवी लगाई गई है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बैलों से सिंचित कुओं से जो सिचाई होती है वह अनिश्चित होती है। कोई भी नहीं चाहता लेकिन हालत यह है कि एक फसली क्षेत्र में अक्सर सूखा पड़ जाता है और वहां पर दूसरा कोई काम नहीं होता है तो काश्तकारों को दूसरों के साथ साझेदारी करनी पड़ती है। एक व्यक्ति अकेला कुए से सिंचाई नहीं कर सकता है तो वह अपने लेवल पर साझेदारी पर, एक सहकारिता के आधार पर 20-30 बीघा जमीन की सिंचाई कर लेते हैं। इस तरह से इन्डिविजुअल पर एक हैक्टर पर जो खर्चा आता है, वह दो सौ से भी ज्यादा एक हैक्टर पर आ जाता है और उसमें फर्टिलाइजर-वगैरह और दूसरे खर्चे जोड़ दिये जायं तो उनको मजदूरी भी पूरी नहीं पड़ती है। लेकिन वह इसलिए करना पड़ता है क्योंकि किसान फालतू नहीं बैठा रह सकता है और वह मजदूरी करने में भी हिचकिचाता

Page No 198

(198)

(श्री राम रघुनाथ)

है तो कुआ चलाता है। इसलिए ऐसी हालत में लेवी लगाने में उनके साथ हमदर्दी बरती जानी चाहिए। मेरा निवेदन है कि जितने भी कुए बैलों के जरिये चलते हैं उन पर लेवी कतई नहीं लगाई जाय। कितने बीघा उस कुए पर जमीन है और उसमें कितने काश्तकार शामिल हैं यह भी देखा जाना चाहिए। कई कुओं पर एन्जिन लगे हुए हैं; बिजली का हिसाब किताब भी किसान लोग नहीं लगा सकते। कई बार आॅइल नहीं मिलता है, कभी बिजली नहीं आती है। मेरा निवेदन है कि उन कुओं पर भी लेवी नहीं लगायी जानी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने दो क्विन्टल प्रति हैक्टर लगायी है वह भी बहुत ज्यादा है। इस पर भी पुनर्विचार के लिए निवेदन है। लेवी वसूली के लिये यह निवेदन करना है कि पूर्व में भी कई वक्ताओं ने यह कहा है कि लेवी वसूल तो कर लेते हैं और वह राज्य में जमा नहीं कराई जाती। अधिकारी लोग उल्टा-सीधा करते रहते हैं। इस तरह की गड़बड़ियां और गबन वगैरह नहीं दोहराये जायेंगे। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिन किसानों से लेवी ली जाय उनको उसी समय उसकी रसीद मिलनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें लेवी लेने के बाद भी उन पर मुकदमे चलाये गये और यह सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि वे सारे मुकदमे हटा लिये जायेंगे लेकिन अभी तक नहीं वापिस लिये गये हैं और उनको कचहरियों में घूमते फिरना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस फसल की लेवी वसूली शुरू करने से पहले-पहले वह सारे मुकदमे वापिस ले लिये जाने चाहिएं, इस प्रकार की घोषणा आज इस सदन में होनी चाहिए। दूसरी बात लेवी वसूली का जो तरीका है वह भी ठीक नहीं है, उसमें भी सुधार होना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में गच्छीपुरा गांव में एक घर में अधिकारी लोग बहुत ही रूड और गलत तरीके का आचरण करते हैं। वहां पर एक प्रौढ़ महिला भी थी और दो-तीन बच्चे भी थे। उसकी कोई बात भी नहीं सुनी गई और उसके घर में घुस कर लेवी से भी दस-पन्द्रह गुना अनाज बोरों में भरकर ले गये। इस तरह से लूट-मार की हरकतें करते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि उनके साथ भी कोआॅपरेट करेंगे। यह तो औचित्य वाली बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस ओर यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की बातें दोहराई नहीं जावें और अधिकारियों को अपनी तरफ से आदेश दें और उनको नियम भेजें, आदेश भेजें ताकि किस प्रकार की गड़बड़ी न हो।

नागौर जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। नागौर जिले के इस बार 1130 गांव फेमिन में है। 95 परसेन्ट ऐसा क्षेत्र है जो अकाल से पीड़ित है। भयंकर अकाल है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। आपको भी इसकी जानकारी है। परन्तु नागौर जिले में आपने लेवी लगाने का निर्णय लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में हो सकता है, कोई छोटे-मोटे बांध हों, कुए हों परन्तु इस बार तो वहां पर नदी नहीं आई है और वर्षा न होने से सारा एरिया सूखे से पीड़ित है। सूखाग्रस्त क्षेत्र है। हो सकता है कि थोड़े बहुत तालाब भर गये हों और उससे थोड़ी बहुत रबी

(श्री राम रघुनाथ)

की फसल हो जाती है परन्तु इस बार तो वहां पर 0.1 परसेन्ट भी गेहूं की फसल नहीं है। ऐसी हालत है और उसके बावजूद भी वहां पर फेमिन के काम नहीं खोले गये हैं। खेती का काम नहीं हो रहा है। गुजारे के लिये रबी को बो रहे हैं, और लेवी लगा कर आप उनको दंडित करना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर जिला पूरा का पूरा फेमिन से पीड़ित है। इसलिए उसके साथ हमदर्दी बरती जाये और इस जिले से इस वर्ष लेवी वसूल न की जाये। नागौर जिला एक फसली जिला है। लाखों लोग पशुपालन का धंधा करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको छोड़िये आप तो केवल लेवी की बात करिये। दिस इज ......

श्री राम रघुनाथ : अन्त में मेरा यही निवेदन है कि नागौर जिले से इस वर्ष लेवी वसूल न की जाये क्योंकि वह अकाल-ग्रस्त क्षेत्र है। आशा है मंत्री महोदय इसकी ओर ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर लाल।

श्री मनोहर लाल (कामां): उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सिर्फ दो-चार बातें ही कहना चाहता हूं।

पहली बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष लेवी वसूली के लिये जो आदेश जारी किये गये थे, उसमें यह था कि मांग-पत्र जारी होंगे और मांग-पत्र जारी होने के बाद किसान को उस मांग-पत्र पर कोई आपत्ति होगी, काश्तकार की आपत्ति सुनने के बाद, कोई उसका खराबा हुआ है तो उसको छूट दी जायेगी। आज भी फेमिन की बात की जा रही है। फेमिन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने अपने इस आदेश के मुताबिक क्या किसी काश्तकार को मांग-पत्र दिया है? मैं यह कहना चाहता हूं कि बिना मांग-पत्र दिये ही आपके अधिकारियों ने काश्तकारों से लेवी वसूल की है। आपके अधिकारी एक काश्तकार के घर में घुस गये बिना किसी इत्तिला के, और 14 क्विन्टल गेहूं जो उसके यहां पर रखा हुआ था, उठा के आये। जबकि लेवी का गेहूं इतना नहीं था। इस तरह आपके अधिकारी, एस० डी० एम० काश्तकारों को तंग करते हैं। इस तरह गलत तरीके से मकान में घुसे इसके लिए आपको आदेश निकालना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जहां पर खराबा है, वहां पर आपको छूट देनी चाहिये। जैसा कि अभी माननीय सदस्य सन्धु साहब बता रहे थे। इसी तरह से कामां तहसील में जोकि आपका ही सरपंच है, कांग्रेसी है, उनकी यह चिट्ठी आई है। उन्होंने लिखा है, सैकड़ों गांवों में 70/80 परसेन्ट फसल ओले से खराब हो गई है चाहे तो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इसकी जांच करवा लें।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं, यह ठीक है, आप गेहूं का वसूली मूल्य नहीं बढ़ा सकते हैं। परन्तु यहां पर भी कई माननीय सदस्यों ने कहा है, जो सुविधाएं हैं, वे काश्तकारों को दी जानी चाहियें।

(श्री मनोहर लाल)

दूसरी बात यह निवेदन करना है कि भरतपुर जिले में बाजरा खरीदा गया था और आपके कलेक्टर ने भी यह माना है अधिकारियों ने बाजरे के पैसे नहीं दिये हैं। यह पैसा काश्तकारों को मिलना चाहिये।

हमारे यहां पर छोटे छोटे काश्तकार हैं परन्तु आपने एक हैक्टर तक छूट दी है। यह कम है। कम से कम दो हैक्टर तक की छूट आपको देनी चाहिये थी। बड़े काश्तकारों का हम समर्थन बिलकुल नहीं करते। बड़े काश्तकारों से पैदावार का 40/50 परसेन्ट आप ले सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो हमें कोई विरोध नहीं है। परन्तु उनसे भी आप उतनी ही लेवी वसूल कर रहे हैं जितनी कि छोटे किसानों से। इसका हम विरोध करते हैं, और विरोध किया है और आगे भी इसका विरोध करेंगे। जनसंघ दल ने यह आरोप लगाया था कि किस तरह से अधिकारियों ने और विशेषकर कामां तहसील के काश्तकारों को तंग किया। वे गांव पहुंचते और काश्तकारों को तहसील में लाकर बिठा देते। इस तरह से काश्तकारों को तंग किया। एक बार तो जनता ने तहसीलदार को घेर लिया और उसकी पिटाई भी की। कलेक्टर से कह कर किसी तरह से यह जुल्म बंद हो सका। हम इसका विरोध करते हैं। यही नहीं हमारे एरिया से काश्तकारों, से बढ़िया गेहूं लिया जाता है। कामां तहसील में किसानों से गेहूं साफ करवाकर लिया गया और जब कामां में मजदूरों को बांटने के लिए गेहूं आया तो उस राशन के अनाज में कूड़ा कर्कट भरा हुआ था। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कामां से, भरतपुर जो गेहूं आप इस बार लेवी का वसूल करें उसमें से कम से कम 30 परसेन्ट या 40 परसेन्ट गेहूं वहां के मजदूरों को बांटा जाये। यह गेहूं आज आप कामां से ले जाकर भरतपुर या दूसरी जगह रखते हैं और फिर भरतपुर से या दूसरी जगह से गेहूं लाकर कामां में बांटते हैं। इससे सरकार का ट्रान्सपोर्ट का खर्चा भी बढ़ता है। मेरा निवेदन है कि इस बार लेवी का एक तिहाई गेहूं, एक तिहाई हिस्सा या आधा हिस्सा तहसील हैड-क्वार्टर पर, पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर रखा जाये ताकि वह गेहूं मजदूरों को, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को और कर्मचारियों को सही मूल्य पर सही गेहूं मिल जाये।

एक निवेदन और है। जिस काश्तकारों का गल्ला आपने तरीके से पकड़ा है, वह छूटना चाहिये। राशन की व्यवस्था सही होनी चाहिये। मेरे इलाके में लोगों को राशन से चावल नहीं मिलता है। मेरे इलाके में मेवाती लोग अधिक हैं और उनके यहां शादियां इन दो महीनों में होती हैं। उनको चावल नहीं मिलता है और बाहर से आता है तो पकड़ लिया जाता है। एक एक गांव में तीस तीस, चालीस चालीस शादियां होती हैं। मेवातियों में शादियां इन दो महीनों में ही होती हैं और उनको चावल नहीं मिलता है। यह निवेदन मैं करना चाहूंगा कि आप कलेक्टर साहब को कहें कि किसी प्रकार से वे चावल लावें और किसी जगह से चावल आता है तो कलेक्टर साहब उसको घुसने नहीं देते हैं। इसलिए इसकी व्यवस्था करायी जाये। इसके अलावा राशन से जो

(श्री मनोहरलाल)
गेहूं मिलता है उसमें कूड़ा मिला होता है। यह व्यवस्था ठीक नहीं है। लेवी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, छोटे काश्तकारों को तंग किया जाता है। अलवर, भरतपुर में यह ज्यादतियां हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं। मांग-पत्र जारी नहीं किया जाता। काश्तकारों की सुनवाई नहीं होती और बार बार उनको शहर जाना पड़ता है। यह मैं मांग करता हूं। आपके जो सरपंच हैं सरदार जोगेन्द्रसिंह, उन्होंने यह पत्र लिखा है। इनकी तीन पंचायतों में 95 परसेन्ट फसलें नष्ट हो गई हैं। यह नुकसान हुआ है। इनके लिए छूट देने की घोषणा आप करें। इन्हीं शब्दों के साथ, यह निवेदन करता हूं कि आप इसको गंभीरता से ध्यान देंगे, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मगराज चौधरी।

श्री मगराज चौधरी (रानीवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, सैद्धान्तिक दृष्टि से लेवी वसूल करने का जो प्रश्न है, मैं समझता हूं उसमें कोई दो राय नहीं है। राज्य सरकार को लेवी वसूल करना चाहिये। मगर प्रश्न एक मुख्य रूप से यह पैदा होता है, राज्य सरकार किस दर से, कैसे लेवी को वसूल करे, यह गंभीर प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष केन्द्रीय सरकार ने गेहूं की लेवी वसूल करने के लिए 105/- रुपये प्रति क्विन्टल की दर से भाव निर्धारित किया था। उस वक्त भी जब इस पर विचार हुआ था और केन्द्रीय सरकार ने भी इस बात को माना था कि हालांकि यह दर 105/- की कम है परन्तु इसको 105/- रुपये की दर को आइन्दा साल में रिवाइज किया जायगा। मगर, उपाध्यक्ष महोदय, दुःख के साथ कहना पड़ता है पिछले साल के बजाय इस साल जो दूसरी चीजें हैं, जैसे क्रूड ऑइल है, खाद है, बीज है और दूसरे जो साधन हैं, उनके भाव गत वर्ष के मुकाबले में डेढ़े, दुगने हो गये हैं मगर केन्द्रीय सरकार ने जो 105/- रुपये की पिछले वर्ष की रेट थी, उसको रिवाइज नहीं किया है। यह बहुत ही दुःख की बात है। प्राइस कमीशन ने भी सरकार को रिपोर्ट दी है और 105/- रेट की, सरकार ने स्वयं ने माना है कि यह कम है क्योंकि पिछले वर्ष के मुकाबले में इस साल खेती में लगने वाले इम्पुट्स का, जैसे खाद, बीज, क्रूड ऑइल, डीजल और जो दूसरी मशीनरीज हैं, इनके भाव करीब करीब दुगुने हो गये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष क्रूड आइल का भाव प्रति बैरल 160/162 था आज वही क्रूड ऑइल जालोर में करीब 280/290 के आसपास मिलता है। डीजल का भाव जो पिछले वर्ष था उससे करीब डेढ़ा है। खाद का भाव, यूरिया के भाव 55-56 प्रति बैग के हिसाब से थे आज इस वर्ष 108, 109 रुपये हैं और 108/- रु० में भी नहीं मिलता है। और आमतौर से किसानों को वह 125/- रुपये में पड़ता है। बीज का जहां तक भाव है दो-सवा दो था। पिछले वर्ष तो इस साल सोइंग का समय था। तो जो बीज काश्तकारों को उपलब्ध करा रहे थे वह मैं समझता हूं, पौने तीन, सवा तीन के आसपास के भाव से उपलब्ध करा रहे थे। बिजली की दर 13 पैसे प्रति युनिट थी। जो बिजली काश्तकार कृषि के उत्पादन के अन्दर काम में लेता है वह बढ़ाकर आपने 23 पैसे कर दी है। तो इन सारे हालात

(श्री भगराज चौधरी)

में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर राज्य सरकार अपनी बातें केन्द्रीय सरकार के सामने मजबूती से क्यों नहीं रखती है ? आज पंजाब की समस्या दूसरी है । पंजाब में अधिकतर इलाका नहरों से सिंचित होता है । मैसूर की समस्या दूसरी है, महाराष्ट्र की समस्या दूसरी है, यू० पी० की समस्या दूसरी है। पानी काफी ऊपर है वहां यू० पी० में, और आमतौर से वहां सारा रकवा जो रबी के अन्दर आता है वहां आमतौर से विजली, पावर से सिंचाई की जाती है, और पावर से उत्पादन होता है । जबकि हमारे राजस्थान के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार को स्वयं को अच्छी तरह से मालूम है कि बहुत कम रकवा ऐसा है जो नहर से सिंचित होता है । हो सकता है कि कोटा का कुछ इलाका हो, हो सकता है कि कुछ गंगानगर का इलाका हो, लेकिन आमतौर से जो इलाका है राजस्थान का वहां पर पानी बहुत नीचा है और नीचा पानी होने के बावजूद कुओं से सिंचाई होती है। मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि जालोर का जिला है वहां पर एक बीघा भी ऐसा रकवा नहीं है कि जो नहर से अथवा बान्ध से सिंचित होता हो । वहां पर सारा रकवा कुओं से सिंचित होता है। कुओं में मोटरें जल जाती हैं । पानी बहुत नीचे आगया है । इस साल अकाल है तो पानी बहुत ही नीचे चला गया । मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रति क्विन्टल जो खर्चा काश्तकारों को गेहूं के उत्पादन में होता है वह बहुत ज्यादा होता है, और विक्रय दर जो राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार 105/- की जो रेट निर्धारित की है वह बहुत है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि असन्तोषजनक है। इसमें कतई काश्तकारों को सन्तोष नहीं है। हम उम्मीद तो यह करते थे कि हमारी इन सारी समस्याओं को राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के सामने रखेगी, पर मुझे यह कहना पड़ता है कि राज्य सरकार पता नहीं क्यों हां भर लेती है । हमारी राज्य सरकार को जो है उनको अपनी बातें इन विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए कहना चाहिए । खैर, वह बात तो गई।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष राजस्थान के हिसाब से दूसरे प्रान्तों के अन्दर लेवी वसूल की गई थी गेहूं की । मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र ने 105/- की रेट प्रति क्विन्टल जो गेहूं का तय किया था उसके अलावा 20, 25 रुपया प्रति क्विन्टल केन्द्रीय सरकार से सब्सिडी के रूप में या बोनस के रूप में उन्होंने लेवी के लिए दिया है । जहां तक मेरी जानकारी है मध्य प्रदेश ने 125/- रुपया प्रति क्विन्टल गेहूं की लेवी के बदले में दिया था, और 125/- रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से गेहूं की लेवी ली थी तो महाराष्ट्र ने दिया था । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार राजस्थान के अन्दर भी जो 105/- रुपये प्रति क्विन्टल लेवी वसूल करने की दर निर्धारित की है उसके अलावा 20/- रुपये और 25/- रुपये वह बोनस के रूप में अथवा सब्सिडी के रूप में अथवा और किसी जरिये से अपने खुद के साधनों से, जैसे भी हो, वह काश्तकार को देना क्यों पसन्द नहीं करती है ? आखिर हम समाजवाद लाना चाहते हैं । यह बात सर्व-विदित है कि सारे काश्तकार ईमानदार नहीं हो सकते हैं । हो सकता है कि 5

(श्री भगराज चौधरी)

परसेन्ट काश्तकार ऐसे होंगे जिनके पास में बड़े-बड़े होल्डिंग्स हों, अच्छे साधन हों, जिनको बड़े पैमाने पर पानी मिलता है, उनकी हालत अच्छी हो गई है। मगर आमतौर से राजस्थान के किसान के पास में होल्डिंग्स ठीक नहीं हैं। और जहां तक रबी की सिंचाई उपलब्ध कराने का प्रश्न है वह समस्या तो बड़ी ही गम्भीर है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों से सरकार यह अपेक्षा करती है कि महंगा अनाज पैदा करें और सस्ती दर पर सरकार को दें, यह मैं समझता हूं कि ज्यादा लम्बे समय तक चलने वाली बात नहीं है। सरकार के खिलाफ किसान रिवोल्यूशन के लिए तैयार हो रहा है (विपक्ष की ओर से हियर, हियर), किसान इस बात को सोच रहा है कि आखिर में यह सरकार जो कहने को तो यह कहती है कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं, कहने को तो यह कहती है कि 80, 85 परसेन्ट जो किसान देश में हैं उनका भला करना चाहती है, मगर उसके विपरीत कार्य करती है। यह कौनसा तरीका है कि काश्तकार 185/- रुपये की दर से गेहूं अपने खेत में पैदा करे और वही गेहूं किसान 105/- रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से सरकार को दे? सरकार उस गेहूं को लेकर क्या करती है। किसान से लेवी वसूल करके गेहूं किसान को वापिस नहीं देती है। वह सारा का सारा गेहूं 'जय-प्रकाश नारायण जिन्दाबाद' के नारे लगाने वाले लोगों के लिए इलाहाबाद, दिल्ली, बम्बई और जयपुर को भेजती है....

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : अब बोलिये।

श्री भगराज : आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देश का किसान जो अन्नदाता कहलाता है, जो देश के अन्दर उत्पादन करने में लगा हुआ है, देश की जो मजबूरियां हैं उनको हल करने में लगा हुआ है, ऐसे किसानों से सस्ते दर से उनका गला घोटकर सरकार उनसे गेहूं लेकर उनका शोषण करती है। यह हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? सरकार को ठीक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मैं लेवी के पक्ष में हूं, सरकार को लेवी वसूल करना चाहिए, मगर किस दर से वसूल करना चाहिए? आज राज्य में आप देखिये कि हम इस सदन में आये हुए बैठे हैं वह जनता के भेजे हुए हैं तो क्या जनता की भावनाओं को, जनता की आकांक्षाओं को बिल्कुल ध्यान में न रखें? अगर ध्यान में न रखेंगे तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम इलेक्टोरेट के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं और न सरकार के प्रति न्याय कर रहे हैं। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में दूसरी चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने 105/- रुपया प्रति क्विन्टल गेहूं की जो दर निर्धारित की है इससे दो-तीन बातों का नुकसान भी हो रहा है। एक तो यह हो रहा है कि जब काश्तकार रबी ऑपरेशन ओपन करने की तैयारी करता है तो आखिर जो भी गेहूं वह पैदा करेगा उसमें कुछ परसेन्टेज सरकार उससे सस्ते दर से लेगी तो पहले से ही वह कोशिश करता है कि कम से कम रकबे में गेहूं पैदा करे जिस का नतीजा यह हुआ, यह हार्ड फैक्ट है,

(श्री भगराज चौधरी)

जालोर जिले के अन्दर 15 हजार कुए रबी आँपरेशन में इस समय लगे हुए हैं, और अब जो कल्टीवेशन की है और कुल मिलाकर 10 परसेन्ट एरिया वह होगा जिसके अन्दर काश्तकार ने गेहूं बोया होगा यानी 90 परसेन्ट ऐसा एरिया है जहां पर काश्तकार ने कपास बोया, मिर्ची बोई है अथवा दूसरे पदार्थ बोये हैं। इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि उनके दिमाग में यह डर बैठा हुआ है कि जितना गेहूं पैदा करेगा सस्ती दर से ले लेंगे जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके विपरीत सरकार अमेरिका से अनाज मंगाती है महंगा। यह दो तरह की नीति है कि अपने देश के किसान को बिलकुल कमजोर कर दे आर्थिक दृष्टि से और बाहर 200/- रुपये और 250/- रुपये क्विन्टल से अनाज मंगायें। उसमें आपको न जाने कितने उल्टे-सीधे वायदे करने पड़ते हैं। बाहर से मंगाने पर आपको महंगा अनाज मिलता है और वह सड़ा-गला होता है और धतरा मिला होता है। पैसा भी आपका ज्यादा खर्च होता है। हमारे देश में काफी अनाज पैदा होता है, और पैदा कर सकते हैं। अभी जितना अनाज पैदा कर रहे हैं उससे दुगना अनाज खाद्यान्न पैदा कर सकते है, लेकिन सरकार की नीति लेवी वसूली के बारे में, उसकी दरों के बारे में, खाद्यान्न के बारे में, किसानों के बारे में सही नीति होना चाहिए।

श्री भगराज चौधरी : इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, काश्तकारों को रेम्युनरेटिव प्राइस मिले--इसके लिए राज्य सरकार को कोई न कोई तरीका निकालना चाहिए। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार से कहूंगा कि 105/- रुपये क्विन्टल का भाव तय किया है, यह ठीक है, लेकिन अपने साधनों से, अपने को सब्सीडी मिलने वाली है, बोनस मिलने वाला है, उसमें से निकाल कर 125/- रुपये क्विन्टल के भाव से काश्तकार को मिलना चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि काश्तकार अनाज पैदा करता है, वह लेवी देने को तैयार है लेकिन उसके साथ वह कुछ लेने की अपेक्षा भी करता है। ठीक है, हमारे देश के खराब हालात हैं, लेकिन काश्तकार उनको बदल देने को तैयार है, लेकिन काश्तकार को सीमेन्ट उसी दर से मिलती है जिस दर से बंगला बनाने वाले शहरी आदमी को मिलती है। इस देश का दुर्भाग्य देखिये, बंगला बनाना है तो शहरी आदमी को सीमेन्ट का पैसा उतना ही देना पड़ेगा जो किसान को देना पड़ता है, जो कि पानी का बेरा बनाता है, हौज बनाता है, मोटर का फाउन्डेशन बनाता है। यह देश का दुर्भाग्य मैं निवेदन कर रहा हूं। दोनों को उसी दर से सीमेन्ट मिलती है। इसके अलावा जो गाड़ी चला रहा है, ट्रक चला रहा है उसको डीजल जिस भाव से मिलेगा, उसी भाव से डीजल काश्तकार को, जो बेरा चलाता है, मिलेगी। क्रूड ऑइल, मोबिल ऑइल भी उसी दर से मिलेगा। केरोसिन ऑइल भी शहर और गांव के आदमी को उसी दर से मिलेगा जो काश्तकार अपना खून पसीना बहा कर अन्न देगा, उसको केरोसिन उसी भाव से मिलेगा ...

एक माननीय सदस्य : नहीं मिलेगा।

श्री भगराज चौधरी : कपड़े के लिए कहता हूं। कपड़ा किसान को देते हैं वह किस भाव से देते हैं। किसान की फेमिली है, आप किसान से लेवी वसूल करते हैं, उसको प्रति युनिट छः महीने में राज्य सरकार ने पांच दस मीटर कपड़ा देने का फैसला किया है। यह कपड़ा भी कैसा ? कपड़ा ऐसा पतला है कि उस कपड़े में से मच्छर, मक्खी सारे कीट निकल सकते हैं। इतना पतला कपड़ा है, यह उस किसान के काम में आता है। फिर यह कपड़ा शहर में जिस दर से देते हैं उसी दर से गांव में देते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कफन के लिये है यह।

श्री भगराज चौधरी : उस दर पर क्यों देते हैं ? उसे सस्ती रेट पर देना चाहिए · ·

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : उसे सस्ती दर से देना चाहिए। यह कह सकते हैं कि किसान लेवी का अनाज सस्ती दर से दे रहा है तो जो यह आर्टिकल्स हैं जो उपयोगी हैं किसान के लिए उनको सस्ती दर पर दें, जिस दर पर आमतौर पर सिटीजन को नहीं मिलता है, शहर के आदमियों को नहीं मिलता है। हम धोखा दे रहे हैं ताकि काश्तकार को संतोष हो। यह राज्य सरकार इस चीज पर विचार करने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार को मैं समझता हूं, केन्द्रीय सरकार ने पंगू बना दिया है। उसमें हिम्मत नहीं है, हौसले से, करेज से केन्द्रीय सरकार को कह सके कि 105/- रुपये क्विन्टल के भाव से लेवी की वसूली देने को तैयार हैं हम लेवी के पक्ष में हैं लेकिन देश के जो हालात हैं उसमें 105/- रुपये क्विन्टल के भाव से, कौनसा ऐसा किसान है, जो राज्य सरकार को अनाज पैदा करके दे देगा ? ऐसा कौनसा काश्तकार है ? मुझे माफ करिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, इस प्रकार के हार्ड फैक्ट्स हैं यह राज्य सरकार को ध्यान में रखने चाहिएं। अगर नहीं रखती है, तो मैंने निवेदन किया कि जो किसान कौम है, एन ब्लॉक उस किसान कौम को रिवॉल्ट करने के लिए तैयार रखना चाहिए। आज वैसा किसान नहीं है जैसा किसान पहले था। अब वैसा किसान नहीं रहा है अब समय आ रहा है, पार्लियामेन्ट के इलेक्शन हो रहे हैं, मेरे कहने के बावजूद मैं कहता फिरूंगा कि महरबानी करके इन्दिरा गांधी को वोट दीजिये, कांग्रेस को वोट दीजिये, वह वोट देने को तैयार नहीं होंगे · · ·

श्री मूलचन्द सामरिया : कतई नहीं देंगे।

श्री भगराज चौधरी : और इन्दिरा गांधी की दुहाई देने से वोट नहीं मिलने वाले हैं। बारबार इन्दिरा गांधी की दुहाई की नहीं चलेगी। आज देश के हालात और हैं। गये चुनाव के पहले बंगला देश को आजाद कराया था और फारिन पॉलिसी में दिक्कत थी वह मिटायी थी। लेकिन अब वह हवा चलने वाली नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को इस बात को समझना चाहिए। जब तक इन बातों को नहीं समझेंगे, तब तक मैं कहता हूं कि भूल कर रहे हैं। आज

(श्री भगराज चौधरी)

देश में अस्सी परसेन्ट गरीब काश्तकार हैं जो अन्य उत्पादन में लगे हुए हैं, उनको नाराज कर रहे हैं और खुद का अहित कर रहे हैं। और समस्या ख्वामोख्वाह् कांग्रेस सरकार पैदा कर रही हैं। मेरा निवेदन है कि किसानों की बात है इसलिए रेम्युनरेटिव प्राइस देकर लेवी वसूल करें, अगर आपको इस देश में अन्न का प्रोडक्शन बढ़ाना है।

थोड़ा मैं और निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, जब तक आप खेती के धन्धे को एक उद्योग के रूप में नहीं लेंगे तब तक देश के अन्दर खेती पनपने वाली नहीं है। छोटी छोटी इन्डस्ट्री लगती हैं, उनको आप बिजली की दर में कन्सेशन देते हैं, पानी में रिआयत देते हैं, प्लाट सस्ता देते हैं, ऋण भी देते हैं, ऋण पर पांच परसेन्ट, 6 पर्सेन्ट की दर से ब्याज वसूल करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, आज कहने को तो बहुत कहा जा रहा है कि हमारा कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों को कर्ज देते हैं वह किस दर पर देते हैं? यह आपने महसूस किया है? जो बैंकिंग व्यवस्था है, फाइनेन्सिंग व्यवस्था है उनके माध्यम से सारे काश्तकारों को काश्त के लिए कर्ज देते हैं, उसकी रेट मेरे ख्याल में दस पर्सेन्ट, 11 परसेन्ट इन्ट्रेस्ट की है। इसके विपरीत छोटे-छोटे उद्योग लगा रहे हैं, उद्योग को जिस दर से फाइनेन्स करने की व्यवस्था है, उसकी 5 पर्सेन्ट, 6 पर्सेन्ट रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट है। आखिर इतना बड़ा फर्क क्यों है? यह देश कृषि प्रधान देश है, इस देश की 80 परसेन्ट जनता काश्त में लगी हुई है। यह काश्तकार हमारी इकानामी के बेस है, रीढ़ की हड्डी है और हमारे देश के हालात इन पर मुनस्सर करते हैं। इसलिए खेती को आपको एक उद्योग मानकर चलना पड़ेगा और खेती को पनपाने के लिए जो सारी जरूरतें होती हैं उनको कन्सेशनल रेट पर देना चाहिए....

श्री उपाध्यक्ष : और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री भगराज चौधरी : मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, पिछले वर्ष लेवी वसूल की गई उसके सम्बन्ध में जो माननीय सदस्यों ने दिक्कतें बतायीं . .

श्री उपाध्यक्ष : वह आ चुका है।

श्री भगराज चौधरी : मैं निवेदन करूंगा कि उनको आप मिटाने की कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भगराज चौधरी : दूसरा निवेदन करूंगा। राज्य सरकार से, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अच्छी घोषणा की है, लेवी वसूल करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जायगा, जिस काश्तकार की एक हैक्टर की प्रोड्यूस है, उससे लेवी वसूल नहीं की जाय। यह कन्सेशन उत्तर प्रदेश और अन्य प्रान्तीय सरकार दे रही है। हमारे प्रान्त की हालत विशेष है, पानी काफी गहरा है, पानी काफी नीचे है और जमीन कुछ हल्की है, यहां वर्षा कम होती है अकाल की सम्भावना पैदा हो जाती है, लू और गर्म हवा काफी जल्दी शुरू हो जाती है --इसके कारण गेहूं के प्रोडक्शन में काफी फर्क पड़ता है। राजस्थान में गेहूं का उत्पादन होता है जिस मात्रा में, वह उत्तर प्रदेश और सैन्ट्रल प्रान्त हैं, उनसे कम

(श्री भगराज चौधरी)

है। वहां भी एक हैक्टर पर छूट दी है। मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा यहां देनी चाहिये। नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कहते हैं, ऐसे काश्तकार मिलेंगे पचास परसेन्ट जिनके पास न मशीनरी के साधन हैं न पम्पिंग सेट हैं। कॉआपरेटिव के तौर पर चार पांच काश्तकारों ने इकट्ठे होकर बैल जोड़ी खरीद कर काश्त की है। उन पांच काश्तकारों नें एक हैक्टर में खेती की है तब तो आप छूट देंगे। अगर पांच काश्तकारों ने एक हैक्टर से ज्यादा में काश्त कर दी तो आप छूट नहीं देंगे। पांच काश्तकारों ने दस बीघा में गेहूं बोया, जो कि प्रति काश्तकार दो दो बीघा होता है। इसलिए यह जो रियायत देने वाले हैं इसके लिए ऐसा तरीका निकालना चाहिये, सारी स्थिति को समझना चाहिए और समझ कर ठीक व्यवस्था करनी चाहिए।

आखिर में पुरानी मांग को पुरजोर शब्दों में मैं रखना चाहूंगा विद फुलेस्ट ऑफ फोर्स एट माइ कमाण्ड। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो गेहूं की लेवी की प्राइस 105/- रुपये क्विन्टल फिक्स की है, उसमें आपको बढ़ोतरी करनी चाहिए। मेरी राय में यह 125/- रुपये क्विन्टल करनी चाहिए, चाहे 20/- रुपये का खर्च आता है उतना सब्सीडी में कम करिये, बोनस में कम करिये अपने साधनों से पूरा करिये ...

श्री परसराम मदेरणा : कौनसी सब्सीडी ?

श्री भगराज चौधरी : लेवी वसूल करके केन्द्रीय सरकार को देंगे जिस प्रकार पिछली साल बोनस डिक्लेअर किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल भी बोनस डिक्लेअर करेंगे। जो कोटा होगा प्रोक्योरमेन्ट का टार्गेट होगा उसका सर्टेन परसेन्टेज फुलफिल कर देते हैं तो केन्द्रीय सरकार बोनस देती है, चाहे उसको सब्सीडी कह दीजिये you may call it whatever You may like. उसमें से कुछ पैसा देना चाहिए। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने 125/- रुपये क्विन्टल के भाव से गेहूं की लेवी वसूली की उनको बढ़ा हुआ पैसा दिया है-- यह आपकी जानकारी में है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हाजी जान मोहम्मद।

श्री केदार नाथ : रिप्लाइ कब शुरू होगी ?

श्री हाजी जान मोहम्मद : सदरे मोहतरिम। यहां जिक्र किया किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। इसका जिक्र काफी भाषणों में हुआ। इस सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कितनी ना-इन्साफी आपकी तरफ से लेवी वसूली में की गई। जिला झालावाड़ में तहसील पिड़ावा है वहां 29/- रुपये मन बाजरे की लेवी ली गई जबकि बाजार में भाव थे, साठ रुपये मन। किसान परेशान थे, लेकिन उनको राज्य का डर था, हथकड़ी लगेगी, मुकदमेबाजी होगी, जेल में जायेंगे। इस डर से उन्होंने अनाज लाकर दे दिया। ऐसी बातें काफी हो रही थीं कि बदइन्तजामी की काफी हद थी, खेत में पैदावार कम हुई लेकिन रिकार्ड में ज्यादा दिखायी। इसके बाद क्या हुआ, 15 मार्च की डेट फिक्स की थी लेकिन गांवों में जो काश्तकार थे उनको पता नहीं था, 15 है 16 है या 18 है। इसलिए सैकड़ों

(श्री हाजी जान मोहम्मद)

किसान जो सेन्टर थे वहां पहुंचे नहीं। माथुर साहब को जिक्र किया था कि बड़ी ज्यादती हुई है। फिर आपने डेट बढ़ाई कलेक्टर ने दो रोज और सेन्टर का टाइम बढ़ा दिया और लेवी की वसूली दो रोज और चली। इस प्रकार जो काश्तकारों को परेशानी हुई, आपको सोचना है कि उसको कैसे मिटाया जाय। मेरा निवेदन है कि काश्तकारों को परेशानी नहीं हो।

दूसरे लेवी के लिए गेहूं का 105/- रुपये क्विन्टल का भाव रखा है जबकि दो सौ रुपये के भाव से बाजार में बिक रहा है। इससे काश्तकारों को खुशी नहीं होगी। इससे काश्तकार नाराज हैं। और जब इलेक्शन आयेगा तब आपको पता चल जायगा कि काश्तकार कितने खुश हैं। लेवी लगायी है, और जो भाव फिक्स किये हैं सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने। सेन्ट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान के मिनिस्टर काश्तकार नहीं हैं। वह काश्तकारों की परेशानी नहीं जानते। काश्तकारों को महंगाई के जमाने में चार चार, पांच पांच रुपये मजदूर को देने पड़ते हैं, मजदूर चार पांच रुपये मांगते हैं। आप अन्दाज लगाइये कि कितना पैसा लगता है। इसके अलावा झालावाड़ में तालाब नहीं हैं, नहर नहीं हैं, बिजली कहीं कहीं है। किसान चरस चला कर और नाली खोद कर अनाज पैदा करते हैं बड़ी मुश्किल से। आपने जो 105/- रुपये क्विन्टल का भाव कर दिया है—यह बड़ी ज्यादती है। ठीक है आप वसूली करेंगे और वह लेवी देंगे। लेकिन वह खुश नहीं हैं। अगर यह काम किया जाता है किसानों का दिल जीत कर किया जाता है तो यह अच्छा काम होगा....

खरीफ की फसल निकल गई, उसमें भी ज्यादतियां हुई हैं। पटवारी गश्त करता है, उसने लिख दिया 15 बीघा और पास होगा। बहुत सी बातें हैं—105/- रु० आपने मुकर्रर कर दिया। काश्तकार तो देगा लेकिन कितनी बड़ी ज्यादती है? आप कहते हैं कि सेन्टर का ऑर्डर है। वह खुद का ऑर्डर थोड़ा ही है? काश्तकारों की हम नुमाइंदगी करते हैं। हम एम० एल० एज० हैं, हमको यह बात सोचनी चाहिए। आप खेती करना नहीं जानते, आप काश्तकारों का दुःख दर्द नहीं समझ सकते। इसलिए आपको एक्शन लेना चाहिए और सेन्टर में इस हाउस की आवाज पहुंचानी चाहिए। सेन्टर का ऑर्डर खुदा का ऑर्डर नहीं है। आपके काश्तकारों को लेवी के सिलसिले में तकलीफ है, उसको आपको महसूस करना चाहिए। आखिरकार काश्तकारों को देश की रीढ़ की हड्डी बताया जाता है। राज को पनपाने वाला बताया जाता है। इनके दुःख को देखना चाहिए। आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप कुर्सी पर बैठ कर खेती करना नहीं जान सकते, इसलिए उनको फायदा नहीं देना चाहते हैं।

अभी सदन में बताया जा रहा था कि 20 थैले सीमेन्ट के किसान को मिलते हैं। हो सकता है आपने ऐलान किया होगा लेकिन हमारे इलाके पिड़ावा में किसी को सीमेन्ट नहीं मिला। वे 40/- रु० में बोरी लेते हैं। घासलेट उनको नहीं मिलता, ब्लैक से लेते हैं। किसान हमेशा मुसीबत में है। चुनाव का

(श्री हाजी जान मोहम्मद)
समय आता है तो हम सब मिलकर चक्कर देते हैं कि हम आपको कपड़ा देंगे, यह देंगे, वह देंगे, लेकिन देते हैं फटा हुआ रद्दी कपड़ा । सब कुछ सेठ लोगों के कब्जे में है, किसानों को तेल, कपड़ा या सीमेन्ट नहीं मिलता, उनको बीज, खाद नहीं मिलता । आप उनको फायदा नहीं देना चाहते हैं, जनता को आराम देना नहीं चाहते, वे लेवी खुशी से देना चाहते हैं, घर में नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन जो आपका जबर्दस्ती लेवी का काम है वह जुल्म है, इन्साफ का काम नहीं है । मैंने आपसे अर्ज की थी कि सैन्टर में जाकर भाव ऊंचा करा दो । यहां जो एम० एल० एज० बैठे हैं उनमें से कई शहरों के रहने वाले हैं, उनको क्या मतलब काश्तकारों से, उनकी कोई हमदर्दी नहीं है काश्तकारों से । उन लोगों को ही हमदर्दी हो सकती है जो किसान एम० एल० एज० हैं, जिनको उन्होंने चुनकर भेजा है, शहर वालों को नहीं हो सकती । सारा फायदा शहर वालों को मिलता है । बिजली उनको मिले, शक्कर उनको मिले, काश्तकार हर बात में परेशान हैं । हमसे काश्तकार कहते हैं कि लेवी का ऑर्डर आया है, भाव में इतना फर्क है । हम उनसे कहते हैं कि 125) या 150) रु० भाव कराना हमारे हाथ में नहीं है, हम एम०एल०एज० हैं, हमारी कोई ताकत नहीं, असेम्बली में कोई आवाज नहीं हमारे इलाके में हमारे काश्तकार खेती बाड़ी करते हैं, न बिजली है, न नहरें, न तालाब है, परेशान हैं। खेती में कीड़ा पड़ जाता है, इतनी परेशानियों के बीच वे अन्न पैदा करते हैं । तो मैं उनकी आवाज आपके सामने रख रहा हूं, आप लेवी का भाव बढ़ाइए, कम से कम 125) रु० होना चाहिए।

आपने ऐलान किया था सीमेंट का कि राशन कार्ड पर 20) रु० प्रति बोरी देना चाहते हैं लेकिन है कहां सीमेंट ? 'काश्तकार को तो सीमेंट नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री हाजी जान मोहम्मद : काश्तकार तो रोता ही रोता है। तो आप भाव अच्छे मुकर्रर करें । हमारा इलाका राजस्थान का पश्चिमी इलाका है, वे रोते रहते हैं रोटी और पानी को और पूर्वी इलाके के लोग बिजली और सड़क के लिए रोते हैं। जहां भी रेगिस्तान है, बारिश नहीं होती है, उनके साथ हमदर्दी है लेकिन हमारे यहां बिजली नहीं मिलती, सड़कें नहीं बनतीं । बिजली अगर आ जाए तो पैदावार बढ़ सकती है। पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार पर कन्ट्रोल रखना चाहिए । यह सही गश्त गिरदावरी नहीं करते । मैंने जैसे अर्ज किया था 5 बीघा की जगह 10 बीघा लिख देते हैं। कितनी परेशानी की बात है ? उस नक्शे के मुताबिक उनकी चिट्ठी मिलती है। आप कलेक्टरों और तहसीलदारों को समझाइये ताकि गश्त गिरदावरी सही तरीके से हो और काश्तकार को इस मुसीबत से बचाया जाए ।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया। इसके बाद मंत्रीजी का जवाब शुरू होगा।

श्री मूलचन्द सामरिया(दौसा): मेरा निवेदन है कि जो गेहूं लेवी में लिया जाता

(श्री मूलचन्द सामरिया)

उसका जो भाव है वह अव्यवहारिक है क्योंकि कृषि मूल्य आयोग में जो कीमत तय की जाती है उसमें ऐसा प्रोसीजर है कि प्रतिनिधि के रूप में हमारी सरकार को इनवाइट किया जाता है। मुझसे पूर्व-वक्ता ने बताया कि हिन्दुस्तान के लिए एक ही तरह के भाव तय कर देना, उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो राजस्थान के काश्तकार हैं। पंजाब और हरियाणा में जगह जगह नहरों का जाल बिछा हुआ है और वहां काफी अच्छी मात्रा में पानी है और सिंचाई के अच्छे साधन हैं, उनकी कीमत के मुकाबले ज्यादा लागत हो, वहां पर उसी भाव में कीमत तय हो और हमारे मुख्य मंत्री समझ न सकें, उपाध्यक्ष महोदय, यह उनके लिय दुःख की बात है। आज एक तो आपने सबसे बड़ी बात की, लेवी लगा दी उसमें आपने जहां पर सिंचाई के साधन हैं, चाहे वह सिंचाई नदियों की नहरों से हो, चाहे पम्पिंग सेट लगे हुए हों, चाहे सिंचाई बैलों से की जाती हो। उन्होंने सभी के लिये एक ही मात्रा की लेवी देने की बात की है। यह मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है और इसमें व्यवहारिकता भी नहीं है। नहरी क्षेत्र में पानी ज्यादा मिल सकता है। कम खर्चे में सिंचाई हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां कि नहरों से सिंचाई होकर खेती होती है आपको दो हैक्टर तक छूट रखनी चाहिये। इसी प्रकार, जहां पर पम्पिंग सेट लगे हुए हैं वहां आपको किसान को तीन हैक्टर जमीन तक छूट देनी चाहिये। इसके अलावा, जहां बारानी जमीन है बैलों वगैरह से सिंचाई होती है, वहां आपको चार हैक्टर तक की जमीन की छूट होनी चाहिये। बिना सोचे समझे एक ही तरह की लेवी वसूल कर रहे हैं यह तो व्यवहारिकता नहीं है। जो प्रैक्टिकल हो वह ही आपको करना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को इस पर गौर करने की जरूरत है। इसके अलावा, उन काश्तकारों के पास जिनके पास कि पूरे साल भर का खाने का अनाज नहीं है और आप उनसे फिर भी लेवी लेते हैं तो आप यह नहीं सोच सकते कि बिचारे यह काश्तकार अपने परिवार वालों को क्या खिलायेंगे। इसके लिये राज्य सरकार उनसे अगर लेवी ले लेती है तो जब उन काश्तकारों के परिवार वालों को अनाज देने की गारन्टी राज्य सरकार को देनी चाहिये। आज जितना काश्तकार बेचारा दिन रात मेहनत करके अनाज पैदा करता है और आप उससे 105 के भाव लेवी लेते हैं लेकिन जब उस काश्तकार के परिवार के खाने के लिये अनाज उसके घर में नहीं होता है उसी काश्तकार को बाजार में जाकर मजबूर होकर 220- और 225- रुपये के भाव से गेहूं खरीद कर लाकर खाना पड़ता है तो क्या उस वक्त आप काश्तकार को बाजार से या और कहीं से 105) रुपये क्विन्टल के भाव से गेहूं दिलवायेंगे। वह आप नहीं दिलवाते हैं तो आप काश्तकार से 105) रुपये क्विन्टल के गेहूं लेवी के रूप में लेने को कैसे जस्टिफाइ करते हैं? आप जो समाज-वाद की दुहाई पीटने वाले हो क्या यही आपका समाजवाद है कि आप बेचारे काश्तकार को जो कि गरीब है, पिछड़ा है, मूक है उस पर अनाप शनाप भार लादते रहो? क्या काश्तकार का काम यह है

(श्री मूलचन्द सामरिया)

कि वह 105 रुपये क्विन्टल गेहूं राज्य सरकार को दे और अपने बच्चों और परिवार के लिये बाजार से 220-या230-रुपये के क्विन्टल के गेहुं खरीद कर लाये ? क्या आप उन लोगों को अनाज नहीं दे सकते हैं जबकि आप शहरों की जनता को तो अनाज देते हैं ? बेचारे काश्तकार को आप अनाज नहीं देते हैं। क्या यही समाजवाद है ? और अगर आप गांवों में लोगों के बहुत चीख पुकार करने के बाद भी अनाज अगर आप गांवों में देते हैं तो कभी कभी ज्वार वह भी सड़ी गली,या माइलो धतूरा मिली हुई। इसके अलावा गेहूं का वितरण करने का तो गांवों में इस समाजवाद सरकार में नाम ही नहीं है। यह आपका कहां का न्याय है ? जिस काश्तकार से आप गेहूं की लेवी लेते हो उसी काश्तकार को आप गेहूं खाने को नहीं देते हो। आप हर व्यक्ति से जितनी मात्रा आपको पटवारी बता देता है उतनी आप गरीब काश्तकार से लेवी ले लेते हो चाहे उस काश्तकार के पास बाद में गेहूं खाने को पूरे साल भर का हो ही नहीं। इसलिये मेरा निवेदन है कि गांवों में भी उतनी ही मात्रा में अनाज दिया जाना चाहिये जितना आप शहरों में वितरण करते हो। इसके अलावा अभी जो आपने 105) रुपये के भाव से लेवी ली है उसमें आपको कम से कम 150) रुपये क्विन्टल का भाव रखना चाहिये। आज दूसरे प्रान्तों में जो पैदावार होती है वह सस्ती होती है और हमारे यहां पर जो पैदावार होती है वह महंगी होती है। इसलिये आपको भारत सरकार से यह अनुरोध करना चाहिये कि 150) क्विन्टल के भाव से लेवी राजस्थान में वसूल की जानी चाहिये। आप नहरी क्षेत्र में और कुओं से जो पैदावार होती है। उसके खर्च में काफी अन्तर होता है तो आप राजस्थान के काश्तकारों के साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं ? आपको व्यवहारिकता से सोच कर भाव तय करना चाहिये। और अगर आप भारत सरकार के सामने नहीं बोल सकते हैं तो आपको व्यवहारिकता की दृष्टि से 150) रुपये क्विन्टल से लेवी काश्तकार से लेनी चाहिये नहीं तो 105) रुपये से ऊपर जो भी बाकी रुपये बचते हैं 150) में से 45) रु० वह राज्य सरकार को अपने कोष से देना चाहिये ताकि काश्तकार को राहत मिल सके। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा······

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, दिसम्बर के बाद भी आज 40 परसेन्ट भाव बढ़े हैं। इसमें बिजली, खाद और बीजों के भाव में बढ़ोतरी हुई है। आज काश्तकार को महंगा डीजल मिलता है, महंगी बिजली मिलती है, महंगी खाद मिलता है। और सीमेन्ट उसको मिलती नहीं है तो क्या आप काश्तकार को यह सभी चीजें सस्ते भाव से मुहैया करायेंगे ? वह तो आप करते नहीं है और जैसा आपकी केन्द्रीय सरकार आदेश दे देती है उसकी अवहेलना करने की आपकी ताकत नहीं है। आप केन्द्रीय सरकार के सामने सत्ता में बने रहने के लिये घुटने टेक देते हो। मेरा आपको यह निवेदन है कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपको जनता की दिक्कतों को भारत सरकार के सामने रखना चाहिए। आपको अपने यहां की परिस्थिति

(श्री मूलचन्द सामरिया)

को भारत सरकार के सामने रखनी चाहिये। आपको अपनी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी के सामने राजस्थान की परिस्थितियों को रखना चाहिये, आपको डरना नहीं चाहिये। लेकिन आप ऐसा करते नहीं हैं आपको तो यही डर बैठा हुआ था कि जो आपने गिरी और रेड्डी के इलेक्शन के वक्त इन्दिरा गांधी के खिलाफ में जो वोट दिये थे इसलिये कहीं हमें सत्ता से नहीं उतार दे इसलिये आप इन्दिरा गांधी को राजी करने में लगे हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन्दिरा गांधी से डरो मत और राजस्थान के काश्तकारों को सस्ती बिजली, डीजल, खाद और बीज वगैरह देकर उनकी मदद करो ताकि उनको राहत मिले। उपाध्यक्ष महोदय, आज विद्युत विभाग ने गरीब काश्तकारों से दस दस और बीस बीस हजार रुपये जमा करा दिये हैं लेकिन उन्हें अभी तक बिजली नहीं मिल रही है। तो मेरा निवेदन है कि काश्तकारों को इसकी व्यवस्था करायी जाय। आज आप काश्तकार से लेवी तो लेंगे 105 रुपये के भाव और काश्तकार को बाजार में खाद, बिजली, कपड़ा आदि देंगे महंगे भाव में, तो आप यह क्या कर रहे हैं? आपको गरीब किसान के साथ न्याय करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, काश्तकार एक मूक प्राणी है जिसको आप मजबूर करते हैं सस्ता अनाज देने के लिये लेवी लगाकर उस पर आप टैक्स लगाते हैं और उनको आप पाबन्द कर रहे हैं। यह आपका कहां का न्याय है?

(निरन्तर समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारे दौसा तहसील के करौली गांव के काश्तकारों के खिलाफ में अनाज की लेवी नहीं देने के बारे में मुकदमें चलाये गये। लेकिन बाद में उन लोगों ने लेवी देदी उसके लिये कलेक्टर महोदय ने शायद उन लोगों के चालान अब कैन्सल कर दिये हैं और शायद उनके खिलाफ में केसेज को उठा लिया है। तो मेरा निवेदन है कि इसमें कई लोगों को विक्टीमाइज किया गया है और इसमें विशेषतौर से राजनैतिक विक्टीमाइजेशन किया गया है, इसके लिये मेरा निवेदन है कि किसानों के विक्टीमाइजेशन को बन्द किया जाना चाहिये। आपके अधिकारी लोग किसानों को परेशान करते हैं। सरकारी अधिकारी लोग काश्तकारों को मजबूर करते हैं लेवी देने के लिये दस दस मील तक अपना अनाज लेकर जाने को बाध्य करते हैं। तो इसके लिये आपको कम से कम किसान को दस मील ले जाने का खर्चा तो देना चाहिये। इसके अलावा मैं और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप किसी तरह का काश्तकार के साथ जस्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको लेवी का भाव 150 रुपये क्विन्टल रखना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप नमूने के बतौर राज्य सरकार को कहें कि वह अपनी अच्छी से अच्छी तहसील में अच्छी से अच्छी जमीन में खाद वगैरह देकर सरकार की तरफ से पर्टीकुलर वेराइटी के गेहूं की खेती करवाये। गेहूं बुआवे।

(श्री मूलचन्द सामरिया)
इस लागत के आधार पर आप प्राइस तय करें। यह मानिये कि किसान की यह लागत है। राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग कुछ भी मूल्य तय करे। अन्यथा आप किसान को नाजायज तरीके से लूटना चाहते हैं। दूसरी, इस प्रान्त का किसी दूसरे से मुकाबला नहीं हो सकता है। बड़े बड़े लोगों को आप छूट देते हो, उनके लिये करोड़ों रुपया मुहय्या करते हो और सस्ते मूल्यों पर उनको वस्तुएं उपलब्ध कराते हो और सस्ती बिजली उनको उपलब्ध कराते हैं। किसान की जमीन की मात्रा में फर्क न करें, खाने के लिये अनाज न छोड़ें, इस तरह से आप किसान को भूखों मरने के लिये मजबूर करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका किसान भूखा मरे और ज्यादा अनाज आपको दे और आपका गुलाम बना रहे? यह सरकार समाजवाद का और किसान की सरकार होने का दम्भ भरती है। आप किसान का इस तरह से एक्स्प्लोयटेशन करते हैं। सही मात्रा में लेवी लगाना चाहते हैं तो आप किसान को कीमत पूरी दीजिये तो आपका यह कदम स्वागत योग्य होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट और।

जिस रूप में आप किसान से गेहूं लेते हैं तो आपको उसको उसी कीमत पर खाद और बीज वगैरा भी देना चाहिये। क्या कारण है कि 136 रुपये में आप गेहूं बेचते हैं 105 में लेवी लेकर? इससे अधिक मुनाफाखोर कौन हो सकता है? कोई भी ब्लैक मार्केटियर इतना नहीं लेता होगा। आप कन्ज्यूमर से 35 रुपया क्विन्टल का मुनाफा लेकर ब्लेक मार्केट करते हैं आप इसके लिये कोई जस्टिफिकेशन दे नहीं सकते। सरकार की मशीनरी इतनी रद्दी मशीनरी है कि मनमाने तरीके से काम करती है। गांवों में जाकर सारे प्रशासन को ठप्प करती है। उनके टी० ए०, डी० ए० का और जोड़ दिया जाय इस पर तो गेहूं की कीमत और भी अधिक हो सकती है। अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिये। उसका गेहूं आपको लेना नहीं चाहिये था। लेकिन नहीं, उससे आप महंगा गेहूं मंगवा रहे हैं। आप अपने राष्ट्रीय किसान को उतना तो दीजिये जितना की बाहर से मंगाते हैं। उतनी कीमत तो आप उनको दीजिये जितनी कीमत में आपको यहां आकर पड़ता है। यदि आप राजस्थान के किसान को उतनी कीमत दें तो राजस्थान का किसान आज गेहूं उत्पादन में देश को आत्म निर्भर बना सकता है। लेकिन सरकार किसान को उतना पैसा नहीं देना चाहती है और उसको सस्ता बेचने के लिये इस प्रकार से मजबूर करती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यदि किसान चेत जावेगा तो एक दिन भी सरकार नहीं जी सकती। इस आरोप के साथ मैं निवेदन करता हूं कि 5 हैक्टर तक बारानी जमीन को माफ करें लेवी से और किराया दें। वरना लेवी नहीं यह खुली लूट है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मालाराम: उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, लेवी का मसला ऐसा मसला है . . .

एक माननीय सदस्य : अमेरिका से 175 रुपया क्विन्टल आया है।

श्री परसराम : सबको मालूम है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : भारत सरकार ने जो गेहूं की कीमत रखी है, दूसरे पक्ष में बैठे हुए किसान की वकालत करने की बात करते हैं, यही लोग आवाज उठाते हैं कि अनाज नहीं मिल रहा है, सारे देश में ये लोग हैं जो किसान को भ्रामक स्थिति में डालना चाहते हैं। किसान की दिक्कत जरूर है जिस अर्थ-व्यवस्था से हिन्दुस्तान निकल रहा है, बंगला देश की लड़ाई के बाद कर्ज करना पड़ा क्योंकि कोमन मासेज के लिए, हिन्दुस्तान की जनता के लिये, गरीब तबके के लिये प्राइस कन्ट्रोल करना जरूरी है और इसके लिए यह एक अहम मसला है और इसलिये भारत सरकार ने 105) रुपये क्विन्टल की कीमत तय की है। क्योंकि इसके आधार पर दूसरी सब कीमतें बढ़ती हैं। जो लोग यहां पर किसान की वकालत करते हैं, वे ही लोग वहां जाकर कहते है कि कीमतें बढ़ रही हैं, सरकार कीमतों को रोक नहीं पाती है और कीमतें गगन चूम रही हैं। दो मुंही बातें कैसी? लेवी के लिये कमिटेड है तो कमिटेड रहना चाहिये, हाउस के एक मेम्बर के नाते और हिन्दुस्तान के एक सिटीजन के नाते हमें कुर्बानी करनी पड़ेगी देश के लिये हालांकि मैं मानता हूं कि 105) रुपया जो तय किया गया है वह कम है। लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि उनको सब्सीडाइज्ड रेट्स पर बीज दे सकते हैं, उनको इनपुट्स दे सकते हैं।

(9.14 रात्रि)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पीठासीन)

श्री मानाराम : हां पक्ष में ज्यादा हैं या ना पक्ष में ज्यादा हैं।

श्री मनोहरलाल : किसान लोग तो चले गये।

श्री सभापति : बोलने दीजिये।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : हिन्दुस्तान के उन हिस्सों के लिये भी विचार करना पड़ेगा। देश के लिए हर व्यक्ति को कुर्बानी करनी पड़े तो करनी होगी।

(व्यवधान)

श्री केसरीमल : क्या यह व्यवधान ठीक है?

श्री सभापति : इन्टरप्ट मत करिये। माननीय सदस्य को बोलने दीजिये।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : एक तरफ मेनिफेस्टो के माफिक रोजी रोटी कपड़े की बात करते हैं और ये जाकर जनता को इस प्रकार से गुमराह करते हैं कि सब चीजों की कीमतें बढ़ा दी। मैं कहना चाहता हूं इनको कि रोटी का इन्तजाम करने की बात आती है आप इस तरह की सैक्टेरियन की भावना डालना चाहते हैं किसान और किसान के बीच में, एक

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

तबका बहुमत में है, उसकी इस तरह से वकालत करके, उसको प्रसन्न करके वोटों के लिहाज से आप यह चाहते हैं, आपको देश के लिये, कुछ वेल्यूज के लिए कुर्बानी करने की जरूरत है, आपको कन्धे से कन्धा मिलाकर जिस प्रकार युद्ध के समय साथ देते हैं उसी प्रकार कन्धे से कन्धे मिलाकर एक होकर इस समय मदद करनी चाहिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : उधर होकर कहिये।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : अब मैं बूंदी डिस्ट्रिक्ट की बात करना चाहता हूं। एक-तिहाई हिस्सा चम्बल से इर्रिगेटेड है। ऐसा समझकर आप किसानों से लेवी लेने की बात करते हैं। न तो वहां स्कीम आयी है कोई। एक सैक्टर को एक्जेम्प्ट करना चाहते हैं। 200 गांवों की लिस्ट राज्य सरकार को भेजी गयी है, अकालग्रस्त है। डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिये। बीकानेर को एक्जेम्प्ट करने की बात कर रहे हैं। बूंदी, झाला-वाड़ को भी सामान्य दृष्टि से देखना है; जहां पर कुओं से इर्रिगेशन होता है। ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पर बहुत बड़ा अकाल है, दूसरे हिस्सों में कुओं से इर्रिगे-शन होता है उसको नजरअन्दाज नहीं करें। पाली तहसील में अकाल है तो वहां पैदाबार भी है। दोनों जिलों को समान समझकर लेवी वसूल करने की बात करनी चाहिये। जिन पर डिपेन्ड करके चलना चाहते हैं उनको कन्शेसन देना चाहिये। यह जरूरी है और आपको इस पर गहराई से सोचना चाहिये। जिस तरह बजट में कुछ नहीं मिला तो जो कुछ इनपुट्स देना चाहते हैं वह दीजिये यही मेरा निवेदन है।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : माननीय सभापति महोदय, किसी भी उत्तरदायी सरकार के लिये यह बहुत जरूरी है कि देश में उत्पादन की सही सही व्यवस्था करे और साथ ही उत्पादन के बाद में उचित मूल्यों पर वितरण भी कराये। लेकिन सभापति महोदय, आज हम लेवी की बात करते हैं तो हमारे सामने 3-4 प्रश्न खड़े होते हैं—

क्या अनइकोनोमिक होल्डिंग पर भी लेवी लेना किसी भी स्थिति में ठीक होगा?

दूसरा, क्या लागत कीमत होती है जो किसान की गेहूं पैदा करने में क्या उससे भी नीची कीमत पर लेवी लेना उचित समझेंगे?

तीसरा प्रश्न यह रहता है क्या किसी भी योजना में आप बड़े किसानों पर, बड़े व्यापारियों पर, अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाबन्दी लगाये बिना लेवी लगाना उचित समझेंगे? क्या यह वाजिब होगा?

चौथे क्या आप राजस्थान में भी लेवी के प्रश्न को जब आप स्टेटमेंट देते हैं तो जिलों में और तहसीलों में डिस-क्रिमिनेट करना उचित समझेंगे?

माननीय सभापति महोदय, जब अलाभ जोत के बारे में कहना चाहता हूं तो राजस्थान में जहां की जमीन बहुत पूअर यानी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है और जहां होल्डिंग किसानों की बहुत छोटी है, वहां निश्चितरूप से लेबर का ज्यादा ह्रास होता है और किसानों को लेबर नहीं

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

मिलता है लेकिन किसान मजबूर है दूसरा ट्रेड अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं और उस मजबूरी की वजह से सरकार यह तय कर ले कि मजबूरन किसान को खेती ही करनी पड़ती है। मैं समझता हूं किसी भी कॉस्ट पर गवर्नमेन्ट के लिए उचित नहीं है। इसी तरह, माननीय सभापति महोदय, अभी फरवरी में नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन की रिपोर्ट आई है उन्होंने स्पष्ट रिकमन्डेशन दी है कि जब भी हम यदि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहते हैं, इस टेन्डेन्सी को ग्रो करना चाहते हैं, तो बढ़ते हुये भावों को बढ़ती हुई प्राइसेज को तय करते समय इसको देखना होगा।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार का जो एग्रीकल्चर कमीशन है उसमें जिम्मेदार लोग बैठते हैं एग्रीकल्चर धन्धे को डिसकस करते हैं और . . .

(माननीय परसराम मदेरणा के उठ कर जाने पर)

आप बैठिये, आप क्यों पधार रहे हैं? आपसे तो सम्बल मिलेगा। तो, सभापति महोदय, मैं कह रहा था जब एग्रीकल्चर कमीशन ने रिपोर्ट दी है। तो कृषि के उत्पादन मूल्य तय किये जायं तो जो इनपुट्स की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका भी जरूर ख्याल किया जाय। जब आपके पास एक पोजिटिव इनफारमेशन है और उसको इग्नोर किया जाता है तो माननीय सदस्य यह समझेंगे उसको ओवरलुक करना एक रेस्पॉन्सिबिल गवर्नमेंट का काम नहीं है और मैं यह चाहूंगा कि यह सरकार किसानों के प्रति उत्तरदायी हो।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं पिछले साल में बिजली की जो दरें थीं वह दूनी कर दी हैं। आपने मिनिमम चार्जेज के हिसाब से पैसे ज्यादा लिये है। आपने 25-30 रुपये जो एक किसान के बैठते थे आज 60-62 रुपये में सीमेंट बिका है। इसी तरह यूरिया दूने भावों में बिका है। 60 में बिकता था वह आज 250 में बिकवाया है। बीज में जो कन्सेसन दिये थे, आपने दूसरी सुविधायें दी नहीं और यह आप खुद मानकर चलते हैं भाव इनपुट्स के बढ़े हैं। एग्रीकल्चर कमीशन का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेना है तो निश्चय ही इन इनपुट्स के भाव लेवी पर भी देखना चाहिये। मैं समझता हूं सरकार ने यह रवैया नहीं रखा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने जो लेवी की घोषणा की है वह किसान विरोधी है।

तीसरी बात मैं दोहरा भाव प्रणाली के बारे में कह रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं सरकार ने बड़े किसानों से और बड़े व्यापारियों से प्रेरित होकर उनसे सांठगांठ करके यह लेवी निर्धारित की है। बड़े किसानों के जिनके सरप्लस ग्रेन होता है जिनको खपत के अलावा बेचने का मौका मिलता है और व्यापारी जो अनाज का होर्ड करके मजबूरी का फायदा उठाकर ऊंचे भावों पर बेच सकता है उनको छूट देकर कि कहीं भी जाकर बेचें, कितना भी मुनाफा कमावें तो उनको लाभ देने की दृष्टि से छूट देकर अपना एजेन्ट नियुक्त किया

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं सरकार पर कि 105 का जो भाव तय किया है यह आम किसान के खिलाफ है।

माननीय सभापति महोदय, चौथी बात में कह रहा हूं कि आप भारत सरकार का हुकुम बजाते हैं। भारत सरकार ने कह दिया 105 रु० पर गेहूं को लीजिये और आपने भी कह दिया हम पूरा हुकुम बजाते हैं लेकिन लेवी का प्रचार करने के लिये उसको जन-मानस में उतारने के लिये एक टेक्ट के रूप में चलाना चाहते हैं। मैं आरोप लगाना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह ख्याल है, माननीय किसान मंत्री को हम कन्सेशन दे दें तो और बल मिलेगा और सम्बल मिलेगा ये सब विरोधाभास की बातें हैं। इसी तरह चूरू जिले में

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो किसानों का संघर्ष बढ़ रहा है और मुझे लगता है आप उससे भयभीत हैं और किसान के संघर्ष को आगे भी बढ़ने दें लेकिन आप स्पेसीफाई करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है आपका अन्दाज इसमें गलत है। इस प्रकार लेवी वसूल करने में आपको सहायता नहीं मिलेगी। अगर सरकार सिन्सियर तरीके से काम करना चाहती है तो ऐक्शन लेना पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूं कृषि मंत्रीजी, खाद्य मंत्रीजी या केबिनेट के और सदस्य इस बात को जानते नहीं हैं कि किसान का कितना खर्चा होता है और उस पर उसको क्या लाभ होता है। वे सब जानते हैं लेकिन मैं नहीं कहना चाहता हूं कि उनका किसानों के प्रति समाव नहीं है। किसान के प्रति वे उत्तरदायी नहीं हैं, किसान के रिप्रेजेनटेटिव सही रूप में नहीं हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के प्रति अन्याय न करें। आपका जो इनसेन्टिव है वह खतम हो जायगा और जो एग्रीकल्चर का धन्धा है मजबूर होकर लोगों को डायवर्ट होना पड़ेगा और फिर आपका ज्यादा सिरदर्द हो जायगा। मैं यही बात कहना चाहता हूं।

श्री रतीराम यादव (तिजारा): माननीय सभापति महोदय, मुझे पहली बात तो बड़े अफसोस के साथ यह कहनी पड़ती है कि इस सदन में माननीय कृषि मंत्रीजी जो कि एक समाजवादी विचार-धारा के माने जाते हैं लेकिन उन्होंने जो लेवी की नीति की घोषणा की है वह बिल्कुल पूंजीवादी विचारधारा की पोषक है। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि मैं समझ नहीं पाया इतनी देर से कि उन्होंने किन किन विचारधाराओं से प्रभावित होकर ऐसा किया है और मैं जो कुछ कह रहा हूं उसकी पुष्टी में दो चार बातें केवल कहना चाहूंगा।

पहली बात, तो जो उन्होंने यह कही है कि किसान लेवी देने के बाद फिर उसको खुली छूट है कि वह कहीं भी एक जिले से दूसरे जिले में अपना अनाज ले जाय और किसी भी भाव बेच डाले। अब मैं पूछना चाहता हूं, माननीय कृषि मंत्रीजी, कि इसके पीछे शायद आप यह तर्क देना चाहेंगे कि किसान को चूंकि 105 रु० का भाव बहुत

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

नीचा दिया है इसलिए वह उसको कम्पन्सेट करने के लिए किसी भी भाव में बेच दे । और यह बात सही है तो मैं कहना चाहूंगा कि फिर इतना नीचा भाव आपने क्यों रखा जिससे दोनों तरफ असन्तोष है ? एक तरफ तो उस किसान को वाजिब अपनी कीमत नहीं मिल रही है इसलिए उसको असन्तोष है और दूसरी तरफ उपभोक्ता जो कि आपकी खुली छूट है वह 250 रुपये क्वि० के हिसाब से खरीदेगा, उसमें असन्तोष पैदा होगा । जैसा पिछली वर्ष हमने देखा भी है । तो इसलिए जो छोटे किसान हैं उनकी हालत क्या होगी ? वह तो दूसरे जिले में ले जाकर नहीं बेच पायेगा क्योंकि उसके पास इतनी पैदावार नहीं होगी और नतीजा यह होगा कि वही पूंजी का मालिक जो कि बड़ा किसान है वह छोटे किसान की पैदावार को खरीद लेगा और दूसरे जिले में मुनाफे से बेचेगा उसका भयंकर नतीजा यह होगा कि छोटे किसान की लूट होगी, साथ ही साथ वहां उपभोक्ता की भी लूट होगी जिसको मंहगे भाव पर अभावग्रस्त इलाके में अनाज खरीदना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा है कि यह पूंजीवादी विचारधारा की नीति आपने लागू की है । आज एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने की खुली छूट दी है, मैं चाहूंगा कि इसको आप वापिस लें और इसमें सुधार करें ।

दूसरी बात यह है कि आपने स्टॉक की तादाद नहीं बताई कि कितना स्टॉक किसान के पास रहेगा । जो बड़े किसान हैं, बहुत हैं ऐसे, जिनकी क्षमता है कि वह अनाज को बेचें ही नहीं और जब बहुत तेज भाव हो जायें वह दूसरे जिले में भी क्यों ले जायें और अपने ही पास रखें और स्थिति यह आये कि उस जिले में भी भाव ऊंचे जायें--जैसे मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि अलवर जिले के अन्दर पिछली साल टार्गेट से ज्यादा लेवी वसूल हो गई लेकिन एक स्थिति यह आई कि इन दिनों जो भाव ऊंचे चल रहे हैं वहां भाव बहुत ऊंचाई पर गये और 225 क्विटल रुपये तक भाव पहुंच गये तो ऐसी स्थिति में छोटे किसानों के पास लेवी देते समय अनाज नहीं था, उपभोक्त की हालत बिगड़ी सो तो बिगड़ी लेकिन छोटे किसानों को अपने खाने के लिए अनाज लेना पड़ा, उसकी भी लुटाई हुई। तो आपने इसके अन्दर जो स्टाक की सीमा नहीं रखी उससे भी भयंकर नुकसान होने का खतरा पैदा हो गया है और इससे भी जो बड़े किसान हैं, जो धनी किसान हैं, जिनके पास पूंजी है, उनको इसका मुनाफा मिलेगा । छोटे किसानों को और उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिलने वाला है ।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आपने भावों पर कोई अंकुश नहीं लगाया। नीचे के भाव तो 105 रुपये कर दिये लेकिन अब जो धनी किसान हैं वह कहां तक ले जाकर इसके भाव को रोकें इसकी सीमा तो निर्धारित नहीं की। कोई अंकुश नहीं लगाया है और उसका नतीजा यह होगा कि उपभोक्ता को भारी घाटा उठाना पड़ेगा । हां, मैं मान सकता हूं अगर आप उपभोक्ता को गारन्टी दे दें और छोटे किसानों को, जिनको बाद में चलकर अनाज की जरूरत पड़े उनको, हर हालत में 12 मन अनाज जो कि मिनिमम नैसेसिटी है उसकी गारन्टी के साथ साल भर तक

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

जब तक दूसरी फसल नहीं आये तब तक उनको मिलता रहेगा तब तो आपकी बात जस्टिफाइड है। वरना यह पूंजीवादी विचारधारा की लेवी की नीति की घोषणा है और इससे भारी असन्तोष उपभोक्ता में और छोटे किसानों में पैदा होगा। और आम जनता में पैदा होगा। इसलिए मैं बहुत जोर देकर यह कहना चाहूंगा कि इसमें आपको सुधार करना चाहिए।

चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आपने क्या डिस्क्रिमिनेशन रखा है। 5 जिले छोड़ दिये। जब आपने लेवी इस प्रकार से लगाई है कि जितना रकबा बोया है उसके हिसाब से लेंगे तो फिर चाहे 5 जिले अभावग्रस्त हों अकाल की वजह से वहां कम खेती बोयी गई है लेकिन आपके दिमाग में वह बात भी होनी चाहिए कि उन्हीं 5 जिलों में बड़े-बड़े फार्म वाले किसान भी हैं जिनमें बड़े-बड़े कांग्रेसी एम० एल० ए० और एम० पी० हैं और आप चाहें तो उनके नाम भी मैं गिना सकता हूं और उनके फार्म हैं इसलिए आपने उन जिलों में छूट दी है। इसलिए नहीं दी है कि वह अकालग्रस्त हैं। अगर यही बात होती तो दूसरे जिले भी अभावग्रस्त घोषित हुए हैं तो उनके अन्दर भी इस नीति को लागू करते। इसलिए यह भेदभाव की नीति से रास्ते में दिक्कतें पैदा होंगी। तो मैं आपसे बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह भेदभाव की नीति को हटा लें और सारे जिलों के प्रति एक-सी नीति लागू करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके बाद आपने एक हेक्टर केवल बारानी पर छूट दी है। माननीय मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो छूट है यह बहुत ही सूक्ष्म है, नहीं देने के बराबर है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसमें आप संशोधन करें तो ज्यादा अच्छा है उससे, आप काफी बड़े तबके का समर्थन अपने साथ ले लेंगे, जो छोटे किसान हैं उनका समर्थन आपको भारी मिलेगा। इसलिए आप सिंचित इलाके में भी एक हैक्टर की छूट दी, बारानी के बजाय सिंचित में एक हैक्टर की छूट दी और जो बारानी बुआई है उसमें दो हैक्टर की छूट दी ताकि छोटे किसान हैं वह इससे कम प्रभावित हों। आपकी नीति से और उसका भारी समर्थन आपको मिले। वरना इसके भयंकर परिणाम मुझे दिखाई पड़ रहे हैं वह मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। जो लोग इस लेवी के विरोध में हैं, जो पिछली साल भी विरोध करते रहे और अभी भी जिनका पहले से अल्टीमेटम आया हुआ है, आज किसान यूनियन के नाम से, अपने हित संरक्षण करने के नाम से छोटे किसानों को भी उसके अन्दर अपने साथ ले जायेंगे। अगर आपको लेवी वसूल करनी है, अगर आपको उन छोटे किसानों का समर्थन प्राप्त करना है और सही माने में आपको नीति लागू करनी है तो मैं जोर देकर कहना चाहूंगा और मैं अपनी पार्टी की नीति के तौर पर कहना चाहूंगा कि हमने निश्चय कर लिया है पिछली बार जब बहुत दिक्कत थी लेवी वसूल करने में, क्योंकि आपने बहुत लेट लेवी लागू की थी उस वक्त हमारी केवल एक पार्टी थी विपक्षी पार्टियों में हम ही थे, हम कमर कसकर लड़े और लेवी की वसूली कराई। इसके बावजूद भी हमको छोटे किसानों का

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

विरोध भी सहन करना पड़ा। लेकिन अब मैं यह कहना चाहता हूं कि बार-बार ऐसी बात नहीं चलेगी। जब तक आप सही नीतियां लागू नहीं करेंगे तब तक इसमें सफलता नहीं मिलने वाली है। छोटे-छोटे किसान हैं, जिनके पास बहुत कम जमीनें हैं वे हमारा कहना भी नहीं मानेंगे और अगर आप यही चाहते हैं तो किसान यूनियन आन्दोल भी कर सकती है। इसलिए आपको दो हैक्टर और एक हैक्टर की बात छोड़ देनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। यह जो बार-बार आवाज उठती है कि 105/– जो तय किये गये हैं यह बहुत कम हैं। दर असल यह आवाज क्यों उठाई जाती है, अगर आप इसकी गहराई में जायेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपकी पूंजीवादी नीतियां ही इस आवाज के उठने का कारण हैं। किसानों से आप 105/- भोक्ता वसूल करेंगे और उपभोक्ताओं को 135/- पर देना चाहते हैं। 31 का फर्क है। पहले भी फर्क था लेकिन लोडिंग और अन्लोडिंग का व दूसरे अन्य खर्चे निकालने के बाद 10-12 रुपये का कुल फर्क था। इसलिए जनता यह जानती है, उपभोक्ता समझते हैं कि सरकार खुद मुनाफाखोरी करना चाहती है। इसलिए, मेरा निवेदन यह है कि या तो 105 से कुछ ऊपर किया जाय ताकि किसानों को सन्तोष हो सके और नागरिकों का पेट भरने के लिये भी वाजिब रेट रखनी पड़ेगी या फिर 136 से कुछ नीचे किया जाय ताकि इससे उपभोक्ता सन्तुष्ट हो सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोनों में संघर्ष होने की स्थिति हो जायगी और लेवी का जो लोग समर्थन करते हैं वे भी आपके विरोध में हो जायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पिछले साल जो लेवी वसूल की गई वह गलत समय पर की गई जबकि किसान घरों से अनाज निकाल चुके थे और आपकी नौकरशाही के भयंकर नतीजे सामने आये हैं। जगह-जगह पर जहां किसानों के पास अनाज नहीं था, उन पर मुकदमें चलाये गये। दूसरी तरफ ऐसे कई केसेज हैं जिनके पास पेट भरने को....

(9.44 रात्रि)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

एक-दो दिन के लिए भी अनाज नहीं है, उनके ऊपर मुकदमें चलाये जा रहे हैं। इसलिए चूंकि दूसरी फसल आ गई है और लेवी लेने की तैयारी हो रही है, जो छोटे-छोटे किसानों पर मुकदमें चलाये जा रहे हैं, लेवी की वसूली से पहले-पहले उनको वापिस लेने की घोषणा की जाय ताकि किसान लोग भी और दूसरे भी दिल से मददगार हो सकें। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मालाराम !

श्री मालाराम (नीम-का-थाना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो किसानों से लेवी लेने का मसला है, जो बड़े किसान हैं उनसे तो लेवी ली नहीं जाती और छोटे किसान हैं जो बैलों से सिंचाई करते हैं, जहां पर चार बैल और चार आदमी काम कर रहे हैं, कहीं चड़स से पानी खींचते हैं और

(श्री मालाराम)
कुल मिलाकर दस-पन्द्रह बीघा में काश्त करते हैं उनसे लेवी की वसूली होती है। इसलिए मैं सरकार से विरोध करूंगा और उनका ध्यान आकर्षित करूंगा कि सीकर जिला एक ऐसा जिला है जहां पर सिंचित भूमि नहीं है। वहां पर कोई बड़ा बांध भी नहीं है, नहरें और नदियां या तालाब वगैरह भी नहीं हैं और सीकर जिले के करीबन सारे काश्तकार ऐसे हैं जो बैलों से सिंचाई करते हैं और 10-15 बीघा से अधिक जमीन की सिंचाई नही हो सकती है। चार-पांच आदमी मिलकर कुल 40-50 मन अनाज पैदा कर पाते हैं, उसको भी सरकार ने लेवी के रूप में लागू कर दिया है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय को जानकारी देना चाहता हूं कि सीकर जिला अकालग्रस्त है और कुओं पर पम्पिगसेट भी बहुत कम हैं और जो इन्जिन हैं उनके लिए क्रूड ऑयल भी नहीं मिलता है, बिजली भी इण्डस्ट्रियल एरिया के लिए दिन में और किसानों को रात में केवल दो-तीन घंटे के लिये मिलती है, इसलिए मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ऐसे काश्तकारों से लेवी वसूल नहीं की जानी चाहिए। मारवाड़ी में कहावत है कि शीरा बैल लात मारता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भूखे मरतों से धन वसूल करेंगे तो वे लोग तो परिवार को भी मुश्किल से पालते हैं और गवर्नमेन्ट लेवी वसूल करती है तो वे इसका मुकाबला करेंगे और मुकाबला करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमें लगाये जायेंगे। इसलिए, मैं मन्त्री महोदय को जानकारी देना चाहूंगा कि बहुत से जिले ऐसे हैं, जहां पर बड़े-बड़े काश्तकार हैं जिनके पास दो सौ—ढाई सौ बीघा जमीन है उनको तो छोड़ दिया गया है और ऐसे काश्तकारों से लेवी वसूल करते हैं जो बहुत छोटे काश्तकार हैं इससे गवर्नमेन्ट को ही नुकसान होगा। क्योंकि आपके एस०डी०ओ० और तहसीलदार लोग हैं वे दस मन धान लावेंगे और हजार रुपये पैट्रोल और उनके टी०ए०, डी०ए० में खर्च आवेंगे। तो इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने आज लेवी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार हो, जो सरकार प्रगतिशील होने का दावा करती है उसको जनतंत्र की स्थापना और जनता की भलाई के लिये कुछ अनाज लेना ही पड़ता है इसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं हो सकती है। सिद्धान्त रूप से सभी मानते हैं कि लेवी लागू होनी चाहिए। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, पिछली साल और उससे भी पहले साल लेवी का प्रश्न आया है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि लेवी लगाने का और लेवी वसूल करने का जो तरीका है वह समाजवाद के अनुरूप नहीं है, लेवी का जो तरीका है वह पूंजीवादी दृष्टिकोण का है और पूंजीवादी तरीके से लेवी लगाई जाती है। इसी तरीके से वसूल भी की जाती है। यहां विगत अधिवेशन में भी माननीय ट्रेजरी बैन्चेज की ओर से, कांग्रेस के महानुभावों की ओर से यह कहा गया कि लेवी की वसूली बहुत सख्ती से की गई है। बाड़मेर और चूरू से आने वाले माननीय सदस्यों ने भी

(श्री मोहरसिंह)

इस प्रकार की चर्चा उठाई कि लेव सूची में बहुत सख्ती की गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेवी इम्पोजीशन का तरीका भी आपका गलत है और इस तरह से वसूली का तरीका भी ठीक नहीं है। एक तरफ यह सरकार समाजवाद का नारा लगाती है लेकिन नीतियां पूंजीवादी तरीके से लागू करती है। आज करीबन सारे राजस्थान में 25 प्रतिशत मोटे किसान इस किस्म के हैं जिनके पास 39 प्रतिशत से भी कम भूमि है और पांच प्रतिशत मोटे किसान ऐसे हैं जिनके पास 39 प्रतिशत से अधिक भूमि है। अगर उन्हीं पर लेवी इम्पोज कर दी जावे तो हमारे सारे प्रान्त के लिये काफी होगी। लेकिन सरकार का लेवी इम्पोजिशन का जो तरीका है वह डिफैक्टिव है और छोटे किसानों को भी नहीं छोड़ा गया है। मामूली से मामूली किसान पर भी बहुत बेरहमी और अन्यायपूर्ण तरीके से लेवी वसूल की जाती है और उसका नतीजा यह हो रहा है कि उन पर आज भी अदालतों में मुकदमेबाजी हो रही है। चूरू जिले के अन्दर भी किसान लोग वास्तव में बहुत परेशान हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि विभिन्न जिलों के अन्दर जो लेवी की वसूली की जावे वह समाजवादी तरीके के अनुरूप की जानी चाहिए और मालदार लोगों से वसूल की जानी चाहिए, लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। मोटे किसानों की तो हिफाजत की जा रही है, उनको तो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और छोटी-छोटी मिल्कियत के जो किसान हैं, जो छोटे-छोटे होल्डर्स हैं उनको परेशान किया जा रहा है। इसलिए हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सिद्धान्त रूप सेयह तय किया है कि 10 एकड़ सिंचित भूमि पर और 20 एकड़ असिंचित भूमि पर किसानों से लेवी वसूल नहीं की जाय। इससे ऊपर की जमीन पर लेवी लगाई जाय और लेवी वसूल करने के तरीके भी डिफैक्टिव न हों। साथ में उनका उद्देश्य भी सही हों। आज चर्चा चल रही है भारत सरकार ने 105 रुपया प्रति क्विन्टल गेहूं का भाव निर्धारित किया है। मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर हमको कुछ सोचना चाहिये। आज हरेक चीजों के भाव बढ़ गये हैं इसलिए गवर्नमेन्ट को इस पर सोचना चाहिये। गवर्नमेन्ट इस गेहूं को 136 रुपये में बेचती है और 105 रुपया किसान को देना चाहती है। 31 रुपये का मुनाफा सरकार ले रही है। इसके बीच में वसूली का खर्चा है। वह किसानों को नहीं दिया लेवी के बाद में, अनाज को इकट्ठा करने और उसके बांटने का जो तरीका है, वह भी डिफेक्टिव है। उपाध्यक्ष महोदय, बार बार यह शिकायत आती है। किस प्रकार से लोगों को परेशान किया जाता है। लेवी के प्रश्न पर हमारे किसानों ने यहां पर प्रदर्शन किया है और कई तरह की मांग की है। मजदूरों द्वारा पूरा धान देने के लिए भी मांग की गई है। 12 किलो अनाज उनको दिया जाय। बारह किलो अनाज देना तो दर किनार रहा, तीन किलो अनाज भी आज बड़ी मुश्किल से दिया जा रहा है। लाल ज्वार दी जा रही है। उसमें भी धतूरे के बीज मिले हुए हैं, रेती और मिट्टी मिली हुई है। इस प्रकार लेवी को वसूल करने का हमारा जो नजरिया है, उससे लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन

(श्री मोहरसिंह)

में भी गड़बड़ी है। लेवी वसूली में मोटे लोगों को बचाया जाता है और गरीबों को दबाया जाता है। यह दृष्टिकोण है। जो मोटे लोग हैं उनसे लेवी वसूली नहीं होती है और जो गरीब लोग हैं, छोटे किसान हैं, उन पर आपके अधिकारी लेवी लगाते हैं। हमारे इलाके में लेवी के प्रश्न पर जब हीरालालजी शास्त्री मुख्य मंत्री थे, यह प्रश्न पैदा हुआ था और वहां के किसानों का एक डेपूटेशन के रूप में सरदार पटेल के पास गया था और जब उनको हमारे इलाके की स्थिति से सरदार पटेल को अवगत कराया गया और उनको सारा खर्चा लगा कर बताया गया ता उन्होंने कहा था वास्तव में यह जो इलाका है, जहां पर दस साल में से सात साल अकाल पड़ता है, एक साल भरपूर जमाना होता है, कुल मिला कर खेती का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, उसको देखते हुए ऐसे इलाकों से लेवी नहीं ली जानी चाहिये। वह कोई सिंचित इलाका नहीं है। किसी प्रकार का सिंचाई का इन्तजाम नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं, 25 वर्षों की आजादी के बाद, निरन्तर कोशिश करने के बाद भी उस जिले में कहीं पर भी ट्यूबवेल का इन्तजाम नहीं है। यह स्थिति है। लेवी वसूल करते हैं तो उस इलाके को पहले सिंचित बनाया जाये। इरिगेशन का इन्तजाम किया जाये। सरकार हमारी कोई सहायता नहीं दे रही है। विकास के नाम पर सरकार को देने में हिचक नहीं करनी चाहिये। हालत खराब से खराब होती जा रही है। लेवी वसूली के अन्दर लोगों को बुरी तरह से परेशान किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट को अपने इस नजरिये में तबदीली लानी चाहिये। पिछले साल भी लोगों ने मुकाबला किया था। लेवी की नीति स्पष्ट नहीं होगी, गरीबों के माफिक नहीं होगी, अमीरों के पास बड़ी जमीनें हैं, उन से वसूल करने का दृष्टिकोण नहीं बनेगा लोग सरकार से मुकाबला करेंगे, अड़ेंगे, लड़ेंगे और हर चीज का मुकाबला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि 105 रुपये में खरीद करें और 136 में बेचें – इस बात को भी आप सोचिये, कितना नुकसान किसान को हो रहा है। पुराने जमाने में लेवी ली गई थी जो धान का भाव, बाजार भाव 16 रुपये मन था और 9 रुपये मन लेवी का धान लिया गया था। आज लेवी का अनाज 105 रुपये प्रति क्विन्टल लिया जाता है और इसका बाजार भाव 200 रुपया प्रति क्विन्टल है। बाजार से गेहूं खरीदें तो यह 200-2:5 रुपये प्रति क्विन्टल मिलता है। दुगुना फर्क है। इसके एवज में किसान को क्या मिलता है? क्या सस्ती दर की दुकानों से नियंत्रित मूल्य पर किसानों को आप चीजें मुहय्या करते हैं? इस तरह से उनकी पूर्ति की जाती है? न तो उनको सस्ती दर पर कपड़ा मिलता है, न सही रेट्स के ऊपर केरोसीन मिलता है, न सही मूल्य पर उनको डीजल, सीमेन्ट दी जाती है। हमारी पार्टी ने यह कहा है और सैद्धान्तिक दृष्टिकोण उसका यह है कि दस एकड सिंचित और 20 एकड़ असिंचित, रेगिस्तान में 50 एकड़ असिंचित भूमि पर लेवी नहीं लगनी चाहिए। खास तौर से चूरू, बाड़मेर जिले के इलाकों के अन्दर 50 एकड़ से नीचे की जमीन पर लेवी नहीं ली जानी चाहिए। इससे ऊपर की जमीन

(श्री मोहरसिंह)

पर लेवी ली जानी चाहिये। जो बड़े लोग इस इलाके में हैं उनसे लेवी ली जानी चाहिये। साथ ही किसानों को इस घटोतरी की पूर्ति के लिए सस्ती दर पर चीजें दी जानी चाहियें। खाने का तेल 5 रुपये किलो, चीनी 2 रुपये किलो, मिट्टी का तेल 50 पैसे लीटर, कोयला 10 रुपये क्विन्टल, मोटा कपड़ा 2 रुपया प्रति मीटर की दर पर दिया जाये। इससे ज्यादा कीमत किसानों से, मजदूरों से वसूल न की जाये। इसी तरह से अनाज का वितरण हो। 105 में लेकर 136 रुपये की दर से आप बेचते हैं–31 रुपये का मुनाफा आता है। यह वसूली और वितरण ठीक ढंग से हो और 31 रुपये का जो मुनाफा वसूली और वितरण के खर्च के लिए लिया जाता है उसको कम किया जाए इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो कि लोगों को इन्साफ होता लगे। अमीरों के पास ज्यादा जमीन है·····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जरूरत के माफिक अनाज उनके पास छोड़ा जाए और बाकी सारा का सारा अनाज लेवी के रूप में उन से लिया जावे इससे इलाके में लेवी की पूरी वसूली हो जायगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करता हूं कि वर्तमान सरकार की वसूली की नीति, डिस्ट्रीब्यूशन की नीति है, वह गलत है मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार अपनी इन नीतियों को दुरुस्त करे। अगर सरकार इन नीतियों को दुरुस्त नहीं करेगी तो किसान उसका मुकाबला करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को गलत नीतियों को ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं अन्तिम वक्ता हूं। आपने इसके लिए जो समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं, यह लेवी लगाने वाली बात इसलिए पैदा हुई कि सरकार ने अनाज का राष्ट्रीयकरण किया और अनाज का राष्ट्रीयकरण कर के सरकार ने यह वायदा किया कि सरकार लोगों को भरपेट अनाज देगी, भोजन देगी। मैं समझता हूं कि भरपेट भोजन आप लोगों को नहीं दे रहे हैं। तीन किलो अनाज आप दे रहे हैं। इस महीने में आपने जो अनाज दिया है उसमें आधा कूड़ा पत्थर है और उसका एक सेम्पल मैंने सदन के सामने भी रखा था। आज सदन की कार्यवाही समाप्त हो रही है। कल से अगला महीना शुरू होने वाला है। एक अप्रेल को विधान सभा नहीं होगी, भूल से कोई आ जाय तो अलग बात है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अमेरिका से सड़ा गला अनाज मंगवा कर आप लोगों को, विशेषकर जयपुर की जनता को खिलाते जा रहे हैं। यह आपको पूर्व चेतावनी है यदि इसी प्रकार से जयपुर की जनता को अनाज खिलाया गया, चाहे राजस्थान की विधान सभा न चले, आप जयपुर शहर में हैं, आपका मकान जयपुर शहर में है, तो मैं यह निवेदन करूंगा लोग यह हालात सहन नहीं करेंगे। यही हालत चीनी की है। फरवरी की चीनी आपने मार्च में दी।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मार्च की चीनी अभी तक नहीं मिली है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा अप्रेल महीने की चीनी आप लोगों को शीघ्र ही वितरित करेंगे। इस प्रकार जिस उद्देश्य से आपने अनाज का राष्ट्रीयकरण किया, वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। वह फेल हो गया है। हमने प्रारम्भ में ही कहा था कि सरकार कम्पीटिशन के आधार पर तुलना के आधार पर व्यापारियों की दुकानें चला रही है तो आपकी भी दुकान चलती और आप बाजार भाव को निश्चित कर देते तो मैं दावे के साथ कहता हूं, चुनौती के साथ कहता हूं कि 100) रुपये से ज्यादा गेहूं का भाव नहीं जाता और लोगों को अच्छे दाम पर अनाज मिलता। व्यापारी से स्पर्धा के आधार पर सरकार को करना चाहिए। आपने मोनोपोली अपना कर कहीं पर 56, कहीं पर 66 और कहीं पर 76 और धीरे धीरे करके 136 पर आगये और भगवान न करे आप और बढ़ा दें। बाजार के भाव 240 तक पहुंच गये पर राज्य सरकार ने उस ओर ध्यान दिया नहीं। यह सरकार ध्यान देने वाली नहीं है। यह भर पेट अनाज नहीं दे सकती है, कहीं पर चावल जबरदस्ती लो, कहीं पर मकई जबरदस्ती लो। कहीं पर लाल ज्वार करौली में धतूरा मिली हुई दे रहे हैं। आपने राष्ट्रीयकरण किया था तो आपकी जिम्मेवारी थी कि बढ़िया अनाज देते, समय पर देते, पर आपने जिम्मेवारी निभाई नहीं। आपकी फूड एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है पर फूड एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग अभी तक जयपुर शहर के बिना पर मैं कह सकता हूं कि केवल एक हुई है। तीन वर्ष में एक मीटिंग हो तो कहां पर जाकर अपना दुखड़ा कहें कि अनाज सड़ा मिलता है, चीनी समय पर नहीं मिलती है, राशन कार्ड पर तीन तीन महीनों तक नहीं बनता है, पांच-पांच सौ रुपया खर्च करते हैं और अपना नाम खारिज करा सकते हैं और न बढ़ा सकते हैं। फूड एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो तो जहां पर जन-प्रतिनिधि जाकर गेहूं के बारे में कष्ट है चीनी के बारे में कष्ट है, राशन कार्ड के बारे में कष्ट है वह वहां पर रख सकें। लेवी जिस ढंग से आती है. मैं समझता हूं कि वह उद्देश्य आपका पूरा नहीं हुआ है।

माननीय मंत्रीजी, एक अधिकार होता है और एक होता है कर्तव्य। आपको अधिकार है, लेवी वसूल करने का, लेकिन आपका जो कर्तव्य है, जो देने वाली बात है वह आप करें नहीं। लेवी का मतलब है दैनिक विपत्ति। वह भगवान पर छोड़ दिया। हमारा काम अधिकार को लेने का है। देने का काम भगवान का है। वह मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार भी आपने लोगों से लेवी वसूल करने की देरी से अपनी घोषणा की। लोगों के साथ में आपने अन्याय किया। किसानों को जेल में ठूंसा। मुझे किसान मिले तो कहने लगे कि महाराज भूल से वोट दे दिया कांग्रेस को। हमको मालूम नहीं था कि हमारी माताओं और बहनों को पुलिस की मार्फत तहसीलदार जायगा और उनकी चोटी पकड़ कर खींच-कर माताओं और बहनों को बाहर निकालेगा, और जितना गेहूं पैदा हुआ है और बीज के नाते उसको रखा उसको भी सरकार दस्ती वसूल कर लेगी। तो

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लोग हाहाकार कर रहे थे, और जो माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं निश्चितरूप से वह चीज सामने आने वाली है। जनता पर कांग्रेस अपने प्रचण्ड बहुमत से अन्याय करते जा रहे हैं। राजस्थान में तो मैं समझता हूं कि और दूर नहीं सन् 77 का वक्त आने वाला है और चुनाव परिणाम आपके सामने आ जायेंगे। लोगों को भूखा मारकर आप लोगों पर इस प्रकार से राज्य नहीं कर सकते हैं। लोगों पर आज तक कैसे चल रहे हैं। लोगों को आपने पैसा नहीं दिया। गेहूं की वसूली के कारण लोगों ने खेतों पर फल और सब्जी पैदा करना शुरू कर दिया। लोगों का ध्यान दूसरी तरफ जाने लगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी गलत लेवी की नीति के कारण जो किसान गेहूं पैदा करता था उसने गेहूं पैदा करना छोड़ दिया। जो भारत कृषि-प्रधान देश है और हमारा यह मुल्क भारतवर्ष जो दूसरे देशों को अनाज देता था मैं समझता हूं कि वह मुल्क भिखारी हो गया है, और आज अमरीका की ओर आंखें लगाये बैठा है कि कब गेहूं आयेगा और तब बांटेंगे। आपने हिन्दुस्तान को अपनी गलत नीतियों के आधार पर भिखमंगा कर दिया। मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अकाल के बारे में विचार नहीं किया, आपने स्थान-स्थान के फर्क के बारे में विचार नहीं किया, आपने सिंचित और असिंचित भूमि के बारे में विचार नहीं किया। इन सारी बातों पर विचार नहीं करके मुनाफा कमाने वाली प्रवृत्ति के कारण कहीं पर 76 रु. कहीं पर 136 रु. कर दिया और किसानों से 105 पर लेवी लेकर मुनाफा कमाना चाहते हैं।

मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपको अधिकार है लेवी लेने का दूसरी ओर आपका जो कर्तव्य है कि बाजार के भाव 200 और 240 तक रेज हो जाय तो उनको कम करें। 136 रुपये में कूड़ा बिल्कुल कंकर मिला 3 किलो प्रति व्यक्ति अनाज बेचते हैं। आप डेढ़ किलो की घोषणा कर दें लेकिन वह बढ़िया दें। 3 किलो और डेढ़ किलो कंकर डाल दें तो कहने को हो जायगा कि साढ़े चार किलो देते हैं। किस प्रकार का निकम्मापन है? यूरिया का कट्टा 150 रुपये का कर दिया ट्रेक्टर 25 रुपया फी घन्टे के हिसाब से मिलता है, पानी आपने महंगा कर दिया, और जयपुर जिले में राजस्थान के अन्य जिलों के बजाय सबसे ज्यादा सिंचाई की दरें हैं जब कि सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी। जयपुर जिले में किसी बैंक से कर्जा लेकर, अपनी पत्नी के जेवर बेचकर और कहीं से उधार लेकर कुआ बनाता है और कुआ बनने के बाद जहां पर सिंचाई के साधन हैं, जहां पर सिंचित क्षेत्र हैं, वहां पर अधिक जयपुर जिले में लगान लिया जाता है जब कि उसके बारे में कोई विचार नहीं किया उसके बाद में कर्जा लेने के बाद में कोई ध्यान उसकी तरफ नहीं दिया। विद्युत् आपने महंगी कर दी। डी. सी. एम. नेशनल बॉल बियरिंग कम्पनी को तीन पैसे के हिसाब से बिजली देते हैं, क्योंकि वह आपको चुनाव के लिए चन्दा देते हैं, चुनाव जीतने के लिए धन देते हैं। किसान को महंगी है। माननीय मंत्री महोदय, यों आप उससे वोट लेते हैं। आप कहते हैं कि गरीबी मिटा दी जायगी, समाजवाद आ जायेगा। गरीबी आपने मिटाई नहीं। गरीबी का आपने नारा दिया था 1972 में

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

और दुनियां से कहा था। लेकिन गरीबी मिटी नहीं। जिस स्तर पर गरीबी आपने ली थी वह गरीबी उसको वापिस लौटा दी। गरीबी मिटा दोगे तो लोग आपको धन्यवाद देंगे। नारा लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। आपने 13 पैसे के बजाय 21, 21।। पैसे के हिसाब से किसान को जहां राहत देनी चाहिए थी आपने बिजली की दर बढ़ा दी और बड़े बड़े लोगों को इस प्रकार से राहत देना चाहते हैं। तो मेरा यहां पर निवेदन करना है कि आखिर जो कपड़े के भाव बढ़े हैं, मिर्च-मसाले के भाव बढ़े हैं, मिट्टी के तेल के भाव बढ़े हैं, और हालत यह है कि जयपुर जिले के बारे में (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) निवेदन करना चाहूंगा कि न तो साधारण योजना के आधार पर, न अग्रिम योजना के आधार पर किसी को भी बिजली क्यों नहीं मिल रही है? साधारण योजना को और दोनों को दो वर्ष हो गये। अग्रिम योजना में जहां किसानों ने एक एक खम्भे के लिए सात–सात हजार जमा करा दिये, उन लोगों को 18 जनवरी से कोई भी बिजली का कनेक्शन देने से इन्कार कर दिया। लोगों ने बिजली कनेक्शन की आशा में कि बिजली का कनेक्शन मिल जायगा बैंकों से कर्जा लेकर, अपने जेवर बेचकर कुओं में मोटरें फिट कर लीं, उसका परिणाम यह हुआ कि बिजली का कनेक्शन तो मिला नहीं और चरस से पानी सिंचाई किया करते थे वह भी बन्द होगया, क्योंकि मोटरों में भगवान बीच में बैठे हुए हैं इसलिए चरस भी नहीं चल रही हैं। कब बिजली आयेगी और मोटर चलेंगी वह चलने वाली नहीं है। चरस का चलना भी बन्द होगया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डीजल महंगा है। कभी आप ने खेती की है? यदि आप जायेंगे और देखेंगे तो मैं समझता हूं कि किसान डीजल इन्जिन चलाता है तो दुःखी होता है। कभी क्या टूट जाता है और कभी क्या? पूरे परिवार के लोग उसमें डूबे रहते हैं काले पीले हो जाते हैं, और डीजल का भाव कितना महंगा है? तीन–तीन, साढ़े तीन-तीन हजार रुपये डीजल में किसानों ने फूंक दिये अपने खेतों में बिजली के अभाव में। साढ़े तीन हजार रुपये खर्च होगये और एक पानी और पिलाना है। कितनी महनत करेंगे बिजली के अभाव में। दिन में बिजली मिलेगी सर्दी में और गर्मी में रात को बिजली मिलेगी। मोटर का फ्यूज चला जायगा तो लाइनमैन आयेगा नहीं, और बिजली का बिल आयेगा तो 6-6 सौ रुपये महावार का। उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के पास इस प्रकार बिल आते हैं। ज्यादा बिल आता है, मैं समझता हूं, जिसके पास बिजली है, वह भी देता है, जिसके पास पैसा नहीं है। मैं समझता हूं कांग्रेस सरकार इस प्रकार कैसे रहेगी। मेरे कहने के आधार पर यह कांग्रेस सरकार हटने वाली नहीं है लेकिन अब जाग गये हैं महात्मा, जाग गई है जनता, जागृति आगई है, यह जन-क्रांति आगई है। अब लोग भूल कर भी कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं हैं। यह मैं ही नहीं कह रहा हूं, कई माननीय सदस्यों ने गम्भीरता से इस बात को कहा है। हो सकता है, मंत्री जी यह स्टेटमेंट दे दें कि केन्द्रीय सरकार ने कहा है, इन्दिरा गांधी ने कहा है कि 105 रुपये क्विन्टल के भाव से लेवी लेंगे ....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें!

श्री गिरधारीलाल भार्गव : फिर आप क्यों बैठे हैं ?

रेट ऑफ लेवी के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको ग्रेडेड सिस्टम के आधार पर व्यवस्था करनी चाहिए। यह व्यवस्था करनी चाहिए कि इतने बीघे वालों को छूट देते हैं। मैं निवेदन करूंगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को और हरिजनों को पट्टे दिये हैं, भूमिहीनों को पट्टे दिये हैं। उनको ऋण दिया है। कम से कम आप प्रगतिशील मंत्री हैं, मेरा निवेदन है कि जिन लोगों के पास दो बीघा, चार बीघा तक जमीन है उनसे लेवी नहीं ली जाय, अनुसूचित जाति के लोगों से लेवी नहीं ली जाय, अनुसूचित जन-जाति के लोगों से लेवी नहीं ली जाय, हरिजनों से लेवी नहीं ली जाय। मैं समझता हूं, इस प्रकार की घोषणा आपको करनी चाहिए।

अन्त में, मैं निवेदन करना चाहूंगा, 105 रुपये क्विन्टल की केन्द्रीय सरकार ने रेट रखी है, उसमें आपने किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है। आज राजस्थान का निर्माण दिवस है, आज 31 मार्च की रात्रि के दस बज कर दस मिनट पर प्रार्थना करने जा रहा हूं कि निश्चित-रूप से राजस्थान में ढाणी-ढाणी में इसका विरोध होगा। हम लेवी के विरोधी नहीं हैं, हम इस सिद्धान्त के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अगर किसान के साथ आप अन्याय करेंगे और सुविधा देने की कोशिश किये बिना लेवी लेने की बात करेंगे तो किसान कहेंगे, हम लेवी नहीं देंगे, चाहे प्राण जायं। लेवी के लिए वह प्राण देने वाले हैं। मेरा निवेदन है कि किसान लेवी देते हैं लेकिन आप उसका घरबार लूटने जा रहे हैं और उसको बर्बाद करने जा रहे हैं, इसलिए हम राजस्थान के किसान को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं। मेरा निवेदन है कि 105 रुपये क्विन्टल की रेट बहुत कम है। ढाणी-ढाणी में लोगों को परेशान करने का यह रास्ता है। हम ढाणी-ढाणी पर जायेंगे और आप भी वहां पधारें। हम ढाणी-ढाणी में अलख जगायेंगे, यह राजस्थान सरकार निकम्मी सरकार है, यह प्राण पीऊ सरकार है, इस प्राण पीने वाली सरकार को लेवी नहीं दें। यह मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्री शिवचरण माथुर : अब आप बिराज जाइये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन है कि गरीब किसान से लेवी न लेकर आप उसे राहत दें और आप ग्रेडेड सिस्टम पर लेवी लगाने के आधार पर बात करें, अनुसूचित जाति के लोगों को छूट दें, अनुसूचित जन-जाति के लोगों को छूट दें। और जिनसे आप लेवी लें, उनको 105 रुपये नहीं, 150 रुपये दें। आप घाटा खाकर दें (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) घाटे में काश्तकार क्यों रहे, व्यापार आपने हाथ में लिया है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आपने लोगों का पेट भरने की गारन्टी दी है, तो मैं समझता हूं कि सरकार अनाज के व्यापार में घाटा खाकर लोगों को अनाज दे (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसके साथ ही मैं निवेदन करता हूं कि दस किलो धान और एक किलो चीनी लोगों को मुहैया करानी चाहिए।

श्री शिवनारायण : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट !

श्री उपाध्यक्ष : सवा दस बज गये हैं ।

श्री शिवनारायण : दो मिनट !

श्री उपाध्यक्ष : सब कुछ आ चुका है ।

Afterall I shall have to say No" to someone.

बोलिये ! बोलिये !

श्री शिवनारायण (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, लेवी लेने की जो घोषणा की गई है, उसका समर्थन भी किया गया है । लेवी गये साल लगाई गयी थी, उस समय जिस भाव से लेवी ली और खरीफ की फसल में जिस भाव से लेवी ली गई—उस भाव से राजस्थान सरकार को किसानों ने लेवी दी है । दूसरी बात यह है कि जो भाव इस साल रखे गये हैं, इस साल विजली की दर, सिंचाई की दर, खाद की दर में बढ़ोतरी की गई है लेकिन इस आधार पर भावों पर विचार नहीं किया गया है । काश्तकारों में यह आम चर्चा है कि यह भाव बहुत कम रखे गये हैं। मैं सोचता हूं कि सारे सदन के सामने अधिक माननीय सदस्यगण की यही आवाज आयी है कि जो भाव दिये गये हैं, वह राज्य सरकार द्वारा कम दिये गये हैं। यह बहुमत के आधार पर सदस्यों की आवाज है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में जरूर विचार करें ।

दूसरी बात यह है कि जो लेवी काश्तकारों पर लगाई गई है, उसकी वसूली का कार्य रेवेन्यू एर्जेसी करती है । पटवारी गांवों में जाता नहीं है, गिरदावर गांवों में जाता नहीं है, तहसीलदार तहसील हैडक्वार्टर पर रहता है और यह मनमाने तरीके से काश्तकारों के साथ में व्यवहार करते हैं । आज जो भ्रष्टाचार व्यापक है, उसके आधार पर छोटे-मोटे काश्तकार नाराजगी का कारण बन जाते हैं, और उन काश्तकारों पर अगर किसी के पास खेती की जमीन 15 बीघा है तो 25 बीघा पर लेवी लगाई जाती है और किसी के पास 25 बीघा जमीन है तो 50 बीघा पर लेवी लगाई जाती है। जब किसान पटवारी को कहता है तो वह कहता है, गिरदावर के पास जाओ और गिरदावर के पास जाता है वह कहता है तहसीलदार के पास जाओ। तहसीलदार के पास जाता है तो मालूम पड़ता है कि वह दौरे पर गया है, लेवी वसूली के लिए गया है । इस प्रकार किसान चार-चार, पांच-पांच दिन मारे मारे फिरते हैं । किसान लिख कर देते हैं तो पटवारी तस्दीक नहीं करता है, वह अपनी गलती मंजूर नहीं करता है । काश्तकार व्यर्थ ही परेशान होता है । वह न्याय चाहता है लेकिन न्याय मिलता नहीं है वह दुरुस्ती नहीं करा सकता है । यह नोटिस में लाते हैं तो पटवारी को बचाया जाता है। जो कमियां हैं उनको दूर करते नहीं हैं । पटवारी कोशिश करता है कि वसूली का मेरा इतना टार्गेट है, चाहे गलती करूं, सही करूं, इसको पूरा करना है । हजार बीघा का टार्गेट है, लेकिन अगर आठ सौ का बनता है तो जितना रकवा काश्तकारों के पास है उससे ज्यादा वह टीप करता है । मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि ऐसी कमियां हैं इनको दूर करने के लिये तहसीलदार हैं उनको

(श्री शिवनारायण)

मौके पर जाना चाहिए और टाइम के अन्दर सारी कमियों को दुरुस्त करके काश्तकारों को राहत देनी चाहिए ।

आमतौर पर गये साल जो रेवेन्यू ऑफिसरों ने लेवी की वसूली की, उनके साथ आर० ए० सी० के लोग गये । खरीफ की फसल में वसूली हुई, उसमें आर० ए० सी० हथियारों के साथ गई और काश्तकारों को डरा धमका कर लेवी ली गई । मेरा निवेदन है कि पुलिस फोर्स रेवेन्यू अधिकारियों के साथ नहीं रहनी चाहिए । गरीब काश्तकार से जो आप लेवी लेना चाहते हैं वह उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वह देने को तैयार हैं । लेकिन उसके साथ जो अनियमितता और गलतियां रही हैं उनका आप ध्यान रखें और पुलिस फोर्स को गांवों में इनके साथ नहीं करें । अगर बल से, ताकत से लेते हैं तो आपसी रंजिश होती है । एक तो पटवारी नाजायज तरीके से लेवी लगाता है और वसूली करता है । मेरा निवेदन है वह ठीक तरह से समझाइश द्वारा, मोहब्बत से लेवी किसानों से ली जाय । किसान देश को अन्न देता है, उस पर अन्याय नहीं होना चाहिए । लेवी वसूली इज्जत से होनी चाहिए और समझाइश के साथ वसूली होनी चाहिए ।

जब फसल खराब हो जाती है, यदि पानी नहीं मिल पाता है । मेरे क्षेत्र में पार्वती कैनाल है किसानों को उम्मीद है कि पानी मिल जायगा, लेकिन पानी नहीं मिल पाया तो वह पूरी फसल ले नहीं सकता है । जिस फसल में तीन चार पानी चाहिए, उसको एक पानी मिले तो वह कैसे पनप सकती है काश्तकार को वह फसल नहीं मिलने वाली है । इसी तरह से दैवयोग से ओले पड़ जायं या शीत लहर आजाय तो फसल कम होती है । लेकिन कम फसल होने के बाद भी पटवारी लेवी लगा देता है । मेरा निवेदन है कि पानी मिल नहीं पाय, खराब हो जाय, दैवी प्रकोप हो जाय तो पटवारी द्वारा दुरुस्ती करनी चाहिए । कलेक्टर को यह लिखा जाय कि ऐसा खराबा दैवी प्रकोप से हो तो उसकी जांच करके, एस्टीमेट लगा कर लेवी में राहत दी जाय-ऐसी मंत्री महोदय कोशिश करें ।

इतना कह कर मैं स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम !

श्री लूणाराम : उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय व सरकार ने लेवी लगाई है उसके अन्दर अन्तर जिला खुला रखा है, उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से बोलने वाले माननीय सदस्यों ने इस चीज का विरोध किया है । एक तरफ जहां पर अधिक अनाज होता है, किसान लेवी देने के बाद बाकी को ज्यादा अच्छे पैसों में वह शीघ्र बेचना चाहता है और जहां पर ...

श्री मूलचन्द सामरिया : आपके चूरू में इस मामले में परेशानी नहीं है ।

श्री लूणाराम : आप महरबानी करके बीच-बीच में नहीं बोलें ।

श्री मूलचन्द सामरिया : आपका क्या लेना देना है ?

श्री लूणाराम : आपका लेना देना है, आप रहने दीजिये । आप बोल रहे थे तब मैं कुछ नहीं बोला । आप होशियार होने की चेष्टा न करें । आपने जो कुछ कहा, मैंने सुना । चूरू जिले से आपको क्या मतलब है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये ।

श्री लूणाराम : मेरा निवेदन यह था कि एक तरफ किसान के यहां अन्न पैदा हुआ है, वह बेचना चाहता है, लेवी आप अपने पूरे मूल्य पर लेना चाहते हैं, वहां पर उससे ठीक व्यवहार व अन्तर्जिला खुला न हो इससे बड़े दुकानदारों को फायदा पहुंचेगा । दूसरी तरफ जहां अन्न नहीं है, वहां दुगुने रेट में भी नहीं मिल रहा है, उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि अन्न न दिया जाए, नतीजा यह होगा कि लोग भूख मरेंगे । यह किसके लिए नीति अच्छी हो सकती है, या बुरी हो सकती है ? इन बातों को काश्तकार जानता है । बाकी जो कुछ निर्णय लिया है, समान नीति के आधार पर है, अच्छी बात है; मैं इसका स्वागत करता हूं ।

जहां पर अकाल-ग्रस्त क्षेत्र है, अनाज पैदा नहीं हुआ है, ऐसे क्षेत्रों में एक माननीय सदस्य ने कहा था कि माइलो में धतूरा मिलाने के कारण मंत्री महोदय ने बंद करा दिया । नतीजा यह हुआ कि माइलो जो दो किलो दिया जा रहा था, वह बंद कर दिया गया, उसके स्थान पर दूसरी कोई व्यवस्था नहीं की गई और कोई व्यवस्था होने की आशा भी गई और कोई व्यवस्था नहीं है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि माइलो को हम उस रूप में प्रयोग करते हैं जिसमें दुनियां भर का कचरा मिला हुआ होता है उसके अंदर धतूरा होता है । हमारा निवेदन था कि उसकी सफाई करवाकर हमारे यहां वितरण करवाया जाए ताकि अकाल के समय उसको लेकर लोग पेट भर सकें लेकिन आपने तो बिल्कुल ही बंद कर दिया । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस माइलो की सफाई करवाकर, उसमें जो कमियां हैं, ठीक करके वितरण व्यवस्था चालू करायें ताकि अनाज मिलने में लोगों को दिक्कत न हो ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बातें आपके नोटिस में लाना चाहता हूं । एक तो पिछले साल से लेवी के कुछ मुकदमे चल रहे हैं; वे टेक्नीकल ढंग के हैं । मुझे भरतपुर की जानकारी है । जो काश्तकार पिछले मुकदमों के तहत अपनी लेवी जमा कराना चाहें, क्या सरकार वे मुकदमे वापिस लेगी ? यह तो कम से कम आप कर सकेंगे । दूसरी बात, आप सदन को अवगत करायें कि जितने भी आपके कृषि फार्म हैं जिनमें सब प्रकार की सुविधायें सरकार देती है उनमें एक हैक्टर पर क्या लागत आती है ? तीसरी बात, गेहूं कई जगह असिंचित क्षेत्र मे पैदा हो जाता है । आप कितनी जमीन से कितनी लेवी इकट्ठी कर पायेंगे ? चौथी बात, भरतपुर जिले में जहां सिंचाई की व्यवस्था है, वह भिन्न है । भरतपुर रियासत के जमाने में सारे इलाके को असिंचित माना गया था, उस इलाके को असंचित माना गया है । इस संबध में सरकार की नीति क्या रहेगी ? पांचवी बात, अपने राजकीय गेहूं व्यापार तो छोड़ दिया । मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक

(श्री रामकिशन)

हिन्दुस्तान के विकास के काम टेक्नीशियन्स के मार्फत हुए हैं । एक काम आइ० ए० एस० के हाथ में गया था अनाज का व्यापार, वह भी असफल होगया । आप असफलता स्वीकार नहीं करते । आपका प्रयोग केवल एक बार हुआ है 27 सालों में अनाज का व्यापार वह हाथ में लेना चाहिए था, वह छोड़ दिया तो ब्यूरोक्रेसी सफल नहीं हुई है । पांचों बातों का आप ठीक जवाब देना ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी ।

श्री शिवचरण माथुर (खाद्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की लेवी नीति क संबंध में जो वक्तव्य आज यहां दिया गया, उस पर कुल मिलाकर 25 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए । मैं प्रत्येक सदस्य के प्रश्नों का जवाब दूं, यह संभव नहीं है । मोटेतौर पर जो मुद्दे उठाए गए उनके उत्तर देकर मैं सन्तोष करना चाहूंगा । मैं समझता हूं, उन सारे मुद्दों में आपके सारे प्रश्न सम्मिलित हो जायेंगे, जो यहां पर उठाए गए । वैसे मूलरूप से किसी भी माननीय सदस्य ने लेवी लगाने की नीति का सैद्धांतिक विरोध नहीं किया और प्रत्येक सदस्य ने कहा कि यदि हम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था से काम करना चाहते हैं तो किसानों द्वारा जो अनाज पैदा किया जाता है, उस पर निश्चित मात्रा में लेवी लगाना जरूरी हो जाएगा लेकिन लेवी लगाने के तरीकों के बारे में विभिन्न सदस्यों ने अपनी पार्टी के दृष्टिकोण को यहां पर रखने की चेष्टा की और जहां सैद्धांतिक रूप से लेवी के पक्ष में उन्होंने बात कही, वहां जब दूसरी बात कह रहे थे, इस माइने में उस सिद्धान्त को निगेटिव करने वाली बात कही गई । बहुत प्रगतिशील बनने वाले माननीय सदस्य मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी के, वह अभी यहां पर नहीं हैं, उन्होंने लेवी नीति का समर्थन तो किया लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि असिंचित भूमि 20 एकड़ माफ की, सिंचित भूमि 10 एकड़ माफ की और रेगिस्तानी भूमि 50 एकड़ माफ और इसके बाद जो बची रहेगी उसके द्वारा लेवी इकट्ठी होगी, जो लक्ष्य निर्धारित हैं वे पूरे हो जायेंगे । पता नहीं सारे राजस्थान की स्थिति को समझते हैं या नहीं, किस आधार पर सारी छूट देने के बाद में हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उससे अधिक लेवी वसूल करेंगे, मेरी समझ में नहीं आता । उनको लेवी वसूल नहीं करानी है । एक बात कह देना आसान होता है, इतनी छूट देने के बाद जो स्माल और मार्जिनल फार्मर्स की सीमा है, उससे अधिक सीमा बढ़ाकर लेवी लगाने की कल्पना करते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता । जब हमारा देश भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए यदि लेवी पद्धति हमारे देश में चालू नहीं होती चाहे छोटे पैमाने पर हो, सारे देश में बड़े पैमाने पर न हो, लेकिन जितनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था है उसके आधार पर हम प्राइसेज को एक जगह पर स्थिर रखने में सफल हो सके हैं, खासतौर से उन वर्गों को, जिन पर महंगाई का असर पड़ता है उनको राहत दिलाने में हम सफल हो सके हैं । हम सब जानते हैं कि गेहूं का भाव 250-260) रु० प्रति क्विंटल आज से 6–7 महीने पहले पहुंच गए थे और हम सब कहते थे

(श्री शिवचरण माथुर)

कि ऐसे कदम उठाए जायं जिससे चीजों की कीमतें नीचे आयें और लोगों को राहत मिले । मैं एक बात नहीं समझता कि चीजों की कम कीमत करने का क्या तरीका हो सकता है? सबसे पहले जो खान की चीजें हैं, खास तौर से जो खाद्यान्न हैं उसकी कीमत निश्चित मात्रा में निश्चित स्थान पर रखी जाए तभी तो दूसरी कीमतों पर असर पड़ेगा ।

यहां मूल्य के बारे में आम तौर से कहा गया कि 105) रु० का भाव सरकार ने निर्धारित किया है वह किसान के हित में नहीं है और किसान को उससे नुकसान होने वाला है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या इकानामिक्स है। इससे जितना अधिक भाव रखा जाएगा उसका मतलब हम इश्यू प्राइज को उतना ही बढ़ायेंगे और इश्यू प्राइज यदि मिनीमम लेविल पर स्थर हो जाता है तो बाजार में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अच्छी पैदावार होने पर सरकार द्वारा जो इश्यू प्राइसिज निर्धारित हैं, उनसे नीचे मूल्य कभी नहीं आयेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो सदन के सभी माननीय सदस्यों ने मानी है वह यह है कि लेवी देने के प्रिन्सीपल को सभी ने एक्सेप्ट किया है । उन्होंने लेवी के कन्सेप्ट को सही माना है। पर यहां पर माननीय सदस्यों ने लेवी की रेट के बारे में चर्चा की और विशषतौर से 105) रुपया क्विन्टल के भाव से लेवी ली जाती है और उसके बाद में भी बाजार में काश्तकार को खुद को ही 220) रु० के भाव से गेहूं खरीदना पड़ता है । लेकिन मेरा इसके अन्दर यह निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, कि माननीय सदस्यों ने यह फिसकल बात की है । सन् 1974 सितम्बर के बाद से जबसे हमारी भारत सरकार ने आर्थिक कदम उठाये हैं उसके बाद में निश्चित तौर पर कीमते गिरी हैं । देश की इकानोमी में स्टेबिलिटी आयी है । आप चाहें तो रिकार्ड उठाकर देखलें । भाव स्टेबल हुए हैं । अब रहा सवाल कि आपने 105) रुपये क्विन्टल भाव क्यों तय किया और हमें भाव ज्यादा तय करने चाहिये थे। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इससे हमारे देश में इन्फ्लेशनरी टेन्डेन्सीज बढ़ जाती । इसलिये बाद में इन्फ्लेशन नहीं फैले और उसका असर दूसरी चीजों के भावों में नहीं पड़े इसलिये ऐसा किया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर भी कहा गया है कि किसानों को लेवी के गेहूं में भाव अच्छे नहीं दिये गये उन्हें लाभ नहीं दिया गया है । उसके लिये मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 73-74 में जो लेवी के गेहूं लिये थे उसमें आपको मालूम होना चाहिये कि तीन तरह के गेहूं लिये गये थे । इसलिये तीन तरह के भाव थे । पहला था 84 रुपये क्विन्टल जो सबसे ऊंचे गेहूं थे । दूसरे मेक्सीकन गेहूं जो 76 रुपये क्विन्टल लिये गये थे और बाद में जो लाल गेहूं है वह 74 रुपये क्विन्टल के भाव तय किये गये थे । यह भाव पिछले साल एग्रीकल्चर कमीशन ने 95 रुपये के भाव तय किये थे एक ही भाव तय कर दिया था उससे भी हमने दस रुपये अधिक बढ़ाकर काश्तकार से 105 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से भाव तय किया

Page No 234

(234)

(श्री शिवचरण माथुर)

तो इस प्रकार हमने एक साथ जो 74 रुपये क्विन्टल के भाव वह 105 रुपये क्विन्टल तय किये इसका मतलब एक दम 29 रुपये की बढ़ोतरी का किसान को यह लाभ मिला है। अब इश्यू प्राइस 136) रुपये रखा गया है और इसमें जो कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आपके यहां पर इन्सीडेन्टल खर्चा अधिक होता है। तो अगर आप इसमें बहुत ही ज्यादा कमी करें तो दो चार रुपये से अधिक फर्क नहीं पड़ सकता। उपाध्यक्ष महोदय, जबसे भारत सरकार ने गेहूं के मामले को टेक ओवर किया तो उसमें एक कमी यह रह गयी है कि राज्य सरकार को व्यापारियों ने लेवी दिलाने का वायदा किया लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से राज्य सरकार की मदद नहीं की जिससे कि काफी तकलीफ राज्य सरकार को देखनी पड़ी। यह तो अच्छा हुआ कि राज्य सरकार ने बाद में किसानों से लेवी वसूल की इससे किसानों को तकलीफ तो हुई लेकिन उससे हम हमारी यहां की जनता को काफी अनाज देने में समर्थ हो गये। वैसे मूलतः राज्य सरकार की नीति अनाज के बारे में व्यवहारिक ही रही हम कभी भी डागमेटिक नहीं रहे। हमारी नीति यही रही बाद में कि प्रोक्योरमेन्ट प्रोड्यूसर लेवल से ही की जाय। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि ट्रेडर्स से लेवी लेने की वजह से ही अनाज का टेक ओवर किया एक प्रकार से पहले-पहले असफल हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर बीच में ही राज्य सरकार प्रोड्यूसर से लेवी नहीं लेती तो अकालग्रस्त क्षेत्रों में राजस्थान की जनता को कभी भी नहीं बचा सकते। हमने थोड़े समय में ही 19 हजार टन गेहूं प्रोड्यूसर से लेवी के रूप में ले लिये। जबकि एक लाख टन अनाज का हमारा टारजेट था। ऐसे वक्त में जो राजस्थान के किसान ने परेशानी उठाकर हमारी जो मदद की है उसके राज्य सरकार किसानों के प्रति आभार प्रगट करती है। लेकिन इतना मैं माननीय सदस्यों को अब विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पहले थोड़ी बहुत परेशानियां जो काश्तकारों को हुई थीं वह अब नहीं होगी। उन्हें किसी लेवी के बारे में वह दिक्कत नहीं होगी जो पहले हुई थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमको पूरी लेवी मिल गयी तो हम पांच साल में हिन्दुस्तान के कई प्रान्तों से अच्छी हालत में हो जायेंगे। यहां पर किसानों से लेवी लेने के बारे में काफी कुछ कहा गया और कांग्रेसी सरकार का काफी बुरा भला कहा.......

एक माननीय सदस्य : आप किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : आप सुनिये मेरी बात तो सुनिये। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के विपक्ष के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसानों का कोई भला करेगी या पिछड़े वर्ग का अगर कोई पार्टी भला करेगी तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही करेगी, बाकी कोई पार्टी किसानों के लिये हितकर नहीं हो सकेगी। कोई पार्टी इतना भला नहीं करेगी जितना कांग्रेस पार्टी करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, देश में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही

(श्री शिवचरण माथुर)

ऐसी पार्टी है जो कि देश की गरीबी मिटायेगी। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उसमें भी हमारे प्रधान मन्त्रीजी की प्रगतिशील नीतियों के कारण और हमारे प्रधान मन्त्रीजी के नेतृत्व में ही हम आगे बढ़ सकते हैं......

एक माननीय सदस्य : गरीबों को खतम करके.......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज कई समस्यायें ऐसी हैं जो कि राष्ट्रीय समस्या हैं। उनको राष्ट्रीय स्तर पर ही हल किया जा सकता है। आज हम अपने प्रान्त को अलग मानकर नहीं चल सकते हैं। अगर सदन के माननीय सदस्य जो कि विपक्ष के हैं राजनैतिक दृष्टिकोण को छोड़कर बात करें तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि वह लोग कांग्रेस की इस पोलिसी को सही मानेंगे। इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि आप सरकार की इस पालिसी को क्रियान्वित करने में सहयोग दें ताकि जनता को राहत मिले। उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों की तरफ से पिछली बार लेवी के मामले में कमियां रही होंगी जिससे कि लोगों को परेशानियां हुई होंगी लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा ऑपरेशन जब हो तब कुछ न कुछ दिक्कत होना लाजिमी है लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी आपने समस्यायें बताई हैं उनका हल निकालने के लिये राज्य सरकार जरूर कोशिश करेगी। राजनैतिक आधार पर चर्चा करना एक अलग बात है लेकिन एक बात के लिये सभी माननीय सदस्यों ने प्रिन्सिपली लेवी की बात को सभी ने माना है। लेकिन माननीय सदस्यों ने लेवी के इम्प्लीमेन्टेशन की बात के लिये जरूर कुछ न कुछ कहा है। लेकिन अब मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब लेवी की प्रोक्योरमेन्ट में उतनी दिक्कत नहीं आयेगी। लेकिन आपको राज्य सरकार की लेवी की वसूली में पूरी मदद करनी चाहिये। आपको उसका समर्थन करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बैठकर एक पार्टी के सदस्यों ने लेवी के प्रिन्सिपल को तो सही बताया लेकिन जनसंघ की पार्टी के नेता; श्री गुमानमलजी लोढ़ा ने लेवी के भाव 125) रुपये प्रति क्विन्टल होना चाहिये यह बताया जबकि उनकी ही पार्टी के श्री मूलचन्द सामरिया ने यह कहा कि लेवी के भाव राज्य सरकार द्वारा 150) रुपया प्रति क्विन्टल रखा जाना चाहिये। तो उपाध्यक्ष महोदय, एक ही पार्टी के सदस्यों के विचारों में सामंजस्य नहीं है कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। आप लोग यहां पर सिर्फ बोलने के लिये बोलते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैंने जो कहा सही कहा है। आप प्रेक्टीकल करके देख लें क्या भाव पड़ता है आपको!

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आप सुनिये।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब साढ़े चार घन्टे तक बोल रहे थे जब मैं चुपचाप

(श्री शिवचरण माथुर)
बैठा हुआ आपकी बातें सुन रहा था तब मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया और अब आप जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे आधा घन्टे तक भी नहीं सुन सकते क्या ?

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज । आप सुनिये । मन्त्रीजी जबाब दे रहे हैं ।

श्री शिवचरण माथुर : एक ही पार्टी के बोलने वाले माननीय सदस्यों के वक्तव्यों में विरोधा मास है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हमने कहा है कि 105 का भाव जो तय किया है वह किसानों का गला काटने वाला होगा । आपके सदस्यों ने भी यही कहा है ।

श्री शिवचरण माथुर : कई माननीय सदस्यों ने पंजाब की चर्चा की । वहां पर अनेक सुविधायें दी जाती हैं और भाव अधिक दिये जाते हैं । लेकिन आप एक बात भूल जाते हैं कि पंजाब में जो कुछ भी खरीद होती है, सेन्ट पर्सेन्ट सरकार की ओर से होती है । उस सारी पोलिसी को हमने व्यवहारिक रूप देने के लिये सोचा । किसान जितना पैदा करता है निश्चित भावों में दे दें, जो कुछ उसके पास बचता है उसका ऊंचा पैसा ले लें हमें ऐतराज नहीं होना चाहिये ।

राजस्थान सरकार ने जो नीति तय की है वह व्यवहारिक तरीके से है । 105 रु० का भाव भारत सरकार ने तय किया उसी पर हम प्रोड्यूसर्स से लेवी लेना चाहते हैं । लोगों ने कहा था कि आप लेवी तो ले लीजिये, लेकिन नीति और समय की घोषणा आप पहले कर दीजिये । हमने काफी पहले ही घोषणा कर दी, 21 को तो मंत्रिमंडल ने निर्णय किया और 25 को घोषणा कर दी । और आज यह मौका आया है । खलिहान में फसल आने से पहले हमने घोषणा कर दी । इस सम्बन्ध में हमने सब ही कलेक्टर्स की भी मिटिंग बुलाई है और इस पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं । माननीय सदस्यों ने भावना व्यक्त की, हमारी यह निश्चित रूप से मंशा है कि निश्चित समय में लेवी का अभियान हो और उसको हम पूरा करें । किसान यह समझता है खलिहान में माल पड़ा हुआ है, लेवी की पूर्ति के बाद जहां भी वह सोचें बेचें उसको हमें ऐतराज नहीं है । इन्टर डिस्ट्रिक्ट को भी इसलिये हमने नहीं रोका है कि एक किसान को हम लेवी के लिये बाध्य करते हैं फिर एक जिले से दूसरे जिले में बाकी की बची हुई प्रोड्यूस को लेजाने में रोक क्यों लगायें ? किसान यह महसूस करता है कि दूसरे जिले में जाकर अच्छी प्राइस उसको मिल जाय । इसलिये हमने इसको व्यवहारिक समझ कर यह निश्चय किया । कानूनी रूप से लेवी ले रहे हैं और उससे अधिक चाहते नहीं । कानूनन निश्चित लेवी की मात्रा आयद की है । उसके देने के बाद उस पर कोई बंधन लगाना उचित नहीं समझा । इसलिये एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने की छूट दी है । किसानों को इससे बहुत संतोष है । बहुत से लोग आते हैं, मिलते हैं, कहते हैं कि अन्तर्राजीय छूट दी है उससे बहुत राहत मिली है और किसान अपना गेहूं अच्छे पैसे पर बेच सकता है । अब किसान इतना भोला नहीं है कि कोई व्योपारी मन

(श्री शिवचरण माथुर)

माने भाव ले जायें । रोज रेडियो पर वह सुनता है । यह कहना कि सरकार बड़ा ब्योपारी हो गयी है, उचित नहीं है । सरकार ने अधिक से अधिक यह प्रयत्न किया है कि किसान लेवी दे और उसके बाद अपने तौर पर मार्केट में कहीं भी बेच सके ।

अलग 2 भूमि को समझ कर एक्ज-म्शन देने वाली बात कही गयी । जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो उन्होंनें कहा कि एक हैक्टीयर की जमीन कहां पर है । वे जोधपुर से बाहर निकलते न हों, अलवर और दूसरी जगह में जाकर देखें कि एक हैक्टीयर और दो हेक्टीयर कितनी हैं यह निश्चित है कि छोटी होल्डिंग से भी लेवी की बात न करें तो फिर कल्पना ही नहीं करनी चाहिये । और फिर गेहूं उत्पादन क्षेत्रों से लेवी लेनी चाहिये । लेकिन हमने कोशिश यह की है कि असिंचित क्षेत्र में पैदावार नहीं हो तो छूट दें । भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कौनसा इलाका है जहां बिना पानी के गेहूं होता है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तीन लाख हैक्टीयर जमीन राजस्थान में ऐसी है जहां पर बिना सिंचाई के लिये पानी दिये खेती होती है और बहुत से इलाकों में माल की जमीन है । एक बार वहां पर पानी पड़ जाय तो उसको बहुत दिनों तक जज्ब करने की शक्ति है । एक हैक्टीयर की जमीन चार साढ़े चार बीघा के करीब होती है, उसको छूट देने की कोशिश की है । एक हैक्टीयर के बाद एक हिस्से पर एक क्विन्टल पर लेवी लगाने की बात की है । सिंचित जमीन है वहां पर छूट नहीं दी है इसलिये कि अच्छे साधन हों, कुए के नहर के साधन हों, वहां आम तौर पर किसान ऐसा बीज बोयेंगे जो हाई ब्रीड का होगा । अधिक पैदावार वाले बीज को वहां पर डोलने की कोशिश की जाती है । 22 क्विन्टल पर एकड़ का हाई ब्रीड बीज का आता है 8 क्विन्टल पर एकड़ एवरेज माना जाय तो भी 80 केजी लेवी लगायी है । दसवां हिस्सा आता है, अधिक जोर नहीं पड़ता है ।

कुओं से सिंचाई होती है और ऐसे सिंचाई क्षेत्रों में बारह महीनों पानी मिलता है, फर्क मालूम होना चाहिये इसलिये कोमन भार डाला गया है । माइनर इरिगेशन से सिंचाई होती है वहां भी रखा है । चम्बल आर० सी० पी०, गंग कैनाल, भाखड़ा कैनाल वहां पर भी एक हैक्टीयर पर 3 क्विन्टल के हिसाब से लेवी लगायी है । वहां पर भी भार नहीं पड़ सकता ।

बड़े प्रोजेक्ट्स पर कितना खर्चा हो रहा है, उसका मेन्टीनेन्स भी नहीं है । राजस्थान कैनाल पर 300 करोड़ का खर्चा होगा और 30 लाख एकड़ जमीन का हिसाब लगाया है जिसमें सिंचाई होगी, हजार रुपया फी एकड़ का खर्चा आता है । 10% ब्याज लगायें तो 100 रुपया होता है । 15 रुपया सिंचाई की दर लेते हैं । ब्याज की दर भी पूरी नहीं हो रही है । अन्दाज लगाइये, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बनाये और यदि उनकी मेन्टीनेन्स कोस्ट भी न निकले तो कितने दिन चल सकते हैं । इन सारी बातों को देखते हुए ज्यादा वजन डालने की कोशिश की है । उनमें क्षमता है । किसान अधिक दे सकते हैं विकास के लिये । उन क्षेत्रों का विकास नहीं

(श्री शिवचरण माथुर)

हुआ है जहां गुन्जाइश है। यह एक प्रगतिशील देश के लिये, आगे बढ़ने वाले देश के लिये आवश्यक है कि हम उनकी शक्ति बढ़ायें। उनकी पैदावार बढ़ावें और उनके देने की शक्ति बढ़ायें; मैं समझता हूं इस सिद्धान्त में कोई गलती नहीं है और इसके आधार हम कर सकते हैं केवल आप एक बात सोचते रहें और तरक्की होती रहे · ·

(व्यवधान : अश्रव्य)

देश को लाभ नहीं मिले तो आगे नहीं बढ़ सकता है। जो एजम्प्शन दिया है और जो वाजिब है उसको देने की चेष्टा की है। मैं समझता हूं किसान का नुकसान होने वाला नहीं है।

यहां पर प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के बारे में कहा गया है। काफी दिक्कतें किसानों को हुई, पटवारियों ने गलत इन्द्राज किये, कोई एजेन्सी ने वक्त पर वसूली नहीं की समय पर पेमेन्ट नहीं हुआ–इस तरह की बातें बताई गईं। जैसा मैंने निवेदन किया पिछले वर्ष काफी कम समय में हमको काम करना था इसलिये बड़े पैमाने पर रेवेन्यू एजेन्सी से काम लिया। मैं निश्चित रूप से कहूं अगर रेवेन्यू एजेन्सी को काम में नहीं लगाते तो कम समय में अनाज इकट्ठा नहीं हो सकता था। हमारे पास तीन प्रकार की एजेन्सीज हैं–एफ.सी. आई., राजस्थान वेयर हाउसिंग कारपोरेशन तथा क्रय विक्रय संघ उनको अलग–अलग जिलों में काम देंगे और इस आधार पर कैम्पों का नियमन करेंगे कि किसानों को चलकर लेवी देने की सुविधा मिल सके। पिछले साल की जो भूलें हैं उनको निकालने की चेष्टा करेंगे। किसानों को तसल्ली से, प्रेम से समझाकर जितने सुझाव आये हैं उनको ध्यान में रखते हुये उन पुरानी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। इतना ही प्रोक्योरमेंट के बारे में कह सकता हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक प्रश्न · ·

श्री उपाध्यक्ष : नो, ऑर्डर प्लीज !

श्री शिवचरण माथुर : एक बात यहां पर आम तौर से कही कई टारगेट, कलक्टर अपनी मर्जी के मुताबिक फिक्स कर देता है, मैं निवेदन करना चाहता हूं टारगेट्स का फिक्स करने का एक आधार होता है। कितने जिलों में गेहूं बोया गया; कितनी सिंचाई की सुविधायें हैं ये बेसिक डेटाज हैं। एक मोटे तौर पर बात आती है और जब इम्पलीमेंट करने का सवाल है तो स्थानीय अधिकारियों को छूट दी है कि खराबा की बात को छूट देने की बात करें यह मतलब नहीं है कि यहां पर कुछ बातें तय कर दीं और उसी के अनुसार चलना है, यह बात नहीं है। मौके पर कलक्टर को हिदायत दी हैं। कहीं पर ओले पड़ गये हैं तो मौके पर समझ कर बात को राहत देने की बात करनी चाहिये।

मैं समझता हूं समय समय पर लेवी के दरम्यान आप भी ध्यान दीजिये और जहां तक सहूलियत देने की बात होगी हमारा भी उस ओर से ध्यान होगा। हम और आप दोनों ही किसानों का भला चाहते हैं लेकिन हमें राष्ट्रीय हित में काम करना पड़ रहा है इसमें मैं समझता हूं आपकी और हमारी सहमति है। कहीं पर कोई दिक्कत आने

(श्री शिवचरण माथुर)
आने वाली बात हो तो आप बतायें, हम दूर करने की कोशिश करेंगे ।

एक बात यह कही गई छोटे-छोटे कल्टीवेटर्स से ले लेते हैं और बड़ों-बड़ों से नहीं लेते हैं । हमने इस बात में भी पूरी कोशिश की है कि बड़ों को पहले लिया जाय फिर भी कहीं पर अमल नहीं हुआ हो तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं अबकी बार हम शुरूआत ही बड़े काश्तकारों से करेंगे । गांव का जो मुखिया है, गांव का जो सरपंच है या कोई बड़ा आदमी है उसको पहले देना होगा ताकि उसको देखकर सब लोग दे सकें । इस प्रकार की स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्शन्स कलक्टर को दी जायेंगी । जो गांव का मुखिया है पहले उससे लेंगे ताकि छोटा आदमी अपने आप दे देगा । हमारा छोटा किसान सच्चा है, ईमानदार है । यदि इस बात में भी कमी रह गई है तो निश्चित रूप से कहना चाहता हूं इस प्रकार की हिदायतें दी जायेंगी और कलक्टर को कहा जायगा, इस बात का ध्यान रखा जायगा ।

एक माननीय सदस्य : एक बात··

श्री .पाध्यक्ष: नहीं सुनिये ।

श्री शिवचरण माथुर : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा···

श्री मीठालाल मीणा : ··अश्रव्य··

श्री शिवचरण माथुर : अकालग्रस्त क्षेत्रों की पांच जिलों की यहां पर बात कही गई लेवी के कुछ मकदमे चल रहे हैं और कहा कि लेवी लेने वाली एजेन्सी नहीं थी इसलिये जमा नहीं करा सके । आपको मालूम नहीं है हमने उसकी मियाद 15 मार्च तक बढ़ा दी है और हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि नये कानून में भी इस बात का ध्यान रखा है कि जो पुराने इम्प्लीमेन्टेशन्स हैं और आज भी किसान देना चाहे तो उसके मुकदमें वापिस कर लिये जायेंगे । यहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं सरकारी फार्म प्रोडक्शन की बात कही है । वह पैमाना इसलिये मालूम नहीं पड़ता है कि काफी हमारे जो फार्म हैं वे रिसर्च फार्म हैं इसलिये अधिक अच्छा प्रगतिशील किस प्रकार बनाया जा सकता है उस ओर अधिक ध्यान दिया जाता है इसलिये जो किसान है उससे तुलना करेंगे तो वह बैठेगा नहीं । हमको फार्म में नये सीड निकालने वाली बात करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करने वाली बात करनी पड़ती है । एक अच्छे किसान की पैदावार में और हमारे फार्म प्रोडक्शन में अन्तर होता है । हमारा प्रोफिट का तरीका नहीं है । हमारे फार्म खास तौर से यही काम करते हैं । सारे किसानों को किस प्रकार से अधिक से अधिक फायदा पहुंच सकता है उस ओर अधिक ध्यान दिया जाता है ।

यहां यह कहा गया बहुत से जिले अकालग्रस्त हैं तो केवल पांच जिलों को ही क्यों मुक्त किया गया है । अकाल के जिले तो राजस्थान में बहुत हैं मैं समझता हूं 20-22 जिले हैं उनमें छूट देने वाली बात नहीं है लेकिन इन पांच जिलों को इसलिये छोड़ा है कि यहां पर गेहूं का

Page No 240

(240)

(श्री शिवचरण माथुर)

उत्पादन नहीं होता है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं जैसलमेर जैसे जिले में 70 हैक्टर में गेहूं बोया गया, चूरू में 461 हैक्टर में गेहूं बोया गया, बीकानेर में 800 हैक्टर में गेहूं बोया गया . . . .

श्री मीठालाल : अगर गेहूं नहीं बोयेंगे तो लेवी नहीं लगेगी . . .

श्री शिवचरण माथुर : आप पूरी बात को तो सुनिये। थोड़ा धैर्य रखें। बीकानेर जिले में 800 हैक्टर में गेहूं बोया जाता है, जैसलमेर में 70 हैक्टर में गेहूं बोया गया कहीं पर थोड़ा सा पानी का श्रोत है और कहीं पर नहीं है उस जगह पर अगर एक सैन्टर खुलवायें और उसका खर्चा लगाया जाय तो वह वसूली से ज्यादा खर्चा आ जाता है और फिर 20 मील पर एक टुकड़ा आ गया फिर वहां भी एक सैन्टर खोलें तो उससे हमारा खर्चा वसूली से ज्यादा पड़ जाता है। अब मैं आपको बताता हूं 70 हैक्टर पर काश्त करते हैं गेहूं की वहां से क्या मिलेगा 140 क्विन्टल गेहूं और इसको वसूल करने के लिये जैसलमेर के इलाके में आदमी को रखना, केन्द्र स्थापित करना पैट्रोल खर्च, कर्मचारियों के टी० ए०, डी० ए० का खर्च तो ये सब खर्च उस गेहूं की वसूली से ज्यादा पड़ जाता है। इस दृष्टि को देखते हुये गेहूं की पैदावार कहां होती है और कहां नहीं होती और होती है तो कितने क्षेत्र में होती है तथा क्षेत्र कितनी-कितनी दूरी पर स्थित हैं आदि बातों को देखते हुए पांच जिलों की छूट रखी है।

एक बात यह कही गई गिरदावरी। सैटिलमेन्ट होता है। हमारा आधार तो यह है कि जो गिरदावरी में आया उसे वसूल करना चाहते हैं। लाटा के बारे में कहा गया लेकिन जब लाटा चलता था तो कांग्रेस विरोध करती थी और इस बारे में लड़ाई लड़ी है और उसके खिलाफ आन्दोलन भी हुए हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह अन्याय तो अब हुआ है . . .

श्री शिवचरण माथुर : अब उसको पुनः लाना चाहते हैं। लाटा को लगाने में कितनी मेन पॉवर लगानी पड़ेगी और इकट्ठा करने में कितना खर्च करना पड़ता हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी लगानी पड़ती है, टी० ए०, डी० ए०, देना पड़ता हैं तो मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट की मशीनरी एक काम के लिए नहीं होती है वह हजार काम करती है। अगर लेवी को वसूल पटवारी, तहसीलदार, एस० डी० एम० करते हैं तो दूसरे काम भी गवर्नमेंट की यही मशीनरी करती है। कोई एक-एक काम की अलग-अलग तनख्वाह नहीं जोड़ी जाती है। सबका पूरा दायित्व है। तहसीलदार, पटवारी, एस० डी० एम० सब उस काम में भाग लेते हैं। उनके टी० ए०, डी० ए० का हिसाब लगाया जाय तो कितनी कीमत आयेगी यह सब आप जानते हैं। सरकार की मशीनरी है और सरकार के हर अभियान को पूरा करने का दायित्व है। आप तो इस बात को कह देते हैं . . . . . .

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, आप बिराजिये ।

श्री बिरदाराम : .... (अश्रव्य)... पंचायत में एक पटवार के जितने हलके में गांव आये उसको तो ले लें ... (अश्रव्य) .. जो नष्ट हुआ है...

श्री शिवचरण माथुर : मैंने निवेदन किया कि हम पर्चेज सैन्टर जहां काफी मात्रा में गेहूं मिलने की आशा है वहां रखने की चेष्टा करेंगे । यह भी साथ में मैं निवेदन करूंगा कि पर्चेज सैन्टर जो हम बनायें वहां पर एक सप्ताह में स्टाफ चला जाये और अधिक से अधिक सुविधायें देने की चेष्टा करेंगे लेकिन माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे कि इतने बड़े ऑफिस में कहीं ज्यादती के केसेज आ जायें तो एक ही बात करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी आप हमको सूचना देंगे हम गलत काम करने वाले अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने में कहीं नहीं हिचकिचायेंगे और किसानों को राहत देने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में यह भी कहा गया कि आप लेते ही लेते हैं लेकिन देते क्या हैं । माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि आज कई एसेन्शियल कमोडिटीज की पोजीशन अच्छी है पहले के स्थान पर । आज देहातों में तेल जा रहा है । आज यहां पर कपड़ा हमारे पास और उपलब्ध है और जितना कपड़ा है हम इस लेवी के साथ बांटने की कोशिश करेंगे लेकिन कितना बांट सकते हैं यह नहीं कह सकते । लेकिन हम चेष्टा करेंगे कि अधिक से अधिक देने की चेष्टा करें । डीजल क्रूड ऑइल के बारे में आप कहने के लिए कहें लेकिन आज अधिक सुविधा है ।

जालोर से आन वाले माननीय सदस्य ने यहां पर कहा । मैं आपको बताऊं कि रैक्स वहां जा रही हैं और उसके बाद भी शिकायत है तो समझ में नहीं आता है और हम ने कोशिश यही की है कि शोर्टेज के वक्त में भी उस इलाके में हम जानते हैं कि वहां पर पम्पिंग सैट हैं, वहां हमको स्पेशल एफर्ट्स करके सब तरह से भिजवाया है । इसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है । बाकी मैं यही मोटे तौर पर कह सकता हूं कि हमारी ओर से हम पूरा प्रयत्न करेंगे । सीमेन्ट के बारे में भी मैंने पहले भी निवेदन किया कि हमारी हमेशा इच्छा रही है कि हम अधिक से अधिक सीमेन्ट देने की चेष्टा करें । इसके लिए हम अब भी प्रयत्नशील हैं और किसानों के लिए 65 परसेन्ट कोटा फिक्स किया है । नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी चेष्टा करते रहते हैं । यहां पर 20 कट्टों वाली बात कही, उससे सुविधा हुई है । मैं यह नहीं कहता कि फुल प्रूफ काम हो गया । इसमें आशंका की गुंजायश नहीं है कि सहूलियत हुई है । मैं समझता हूं कि इसको देखते हुए आज भगवान ने चाहा कि इतनी अच्छी फसल है कि भाव अपने आप नीचे आ जायेंगे और फसल आजायेगी तो भाव नीचे आने के बाद में लेवी प्राइस और मार्केट प्राइस से ज्यादा नीचे भाव रहेंगे।...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप भी भगवान पर विश्वास रखते हैं क्या ? फिर तो परमात्मा की महिमा है आपकी क्या महिमा है ?

श्री शिवचरण माथुर : अगर मेरा विश्वास है भगवान में तो मैं धर्मनिरपेक्ष हूं। राज्य का अपना धर्म नहीं होता। हर धर्म को मानने वालें को प्रोटेक्शन देने वाली बात होती है। इसलिए माननीय सदस्यों ने जो यहां अच्छे सुझाव दिये · ·

श्री मीठालाल : गंगानगर में धान की लेवी लगाई और फिर भी उसको बाहर नहीं भेजने दिया जा रहा है · · ·

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़! No interruption please. Let him have his say.

श्री शिवचरण माथुर : इस सब सुझावों को देखते हुए अन्त में विश्वास दिलाता हूं कि हमारा जो पिछला अनुभव रहा है उसके आधार पर हम सुधार करेंगे।

श्री मीठालाल माथुर : गंगानगर में धान की लेवी लगाने के बाद भी बाहर नहीं ले जाने दिया जा रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री शिवचरण माथुर : हम आपके सहयोग की पूरी आशा करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सहयोग हमको मिलेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : छोटे जो लोग हैं उनको सहूलियत देने के बारे में और हरिजनों से लेवी नहीं लेंग और 125 रुपये के भाव आप क्यों नहीं कर सकते इसके संबंध में थोड़ा और बतायें।

श्री मीठालाल : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज!

श्री शिवचरण माथुर : गंगानगर से धान की लेवी लेने के बाद में धान को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है उसके बारे में लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा मैं नहीं समझता कि धान की लेवी लेने के बाद वहां पर अभी रोक है और अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसकी जानकारी कर लूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : आप स्टेट से बाहर ले जाना चाहते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर: स्टेट से बाहर जाने पर रोक है और स्टेट के अन्दर कोई रोक नहीं है। ऐसी बात होगी तो मैं जानकारी कर लूंगा। यही बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 11.05 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(ता० प्र० सं० 616 की सूची)

Cases pending in the Courts of Dausa and Bandikui as on 31-1-1975

S. No.	Kind of cases	Civil Judge & Addl. C. J. Mag. Jaipur Distt., Jpr.	Munsif & Judl. Mag., Dausa	A. M. & J. M., Dausa	Munsif & Judl. Mag., Bandikui	Total
	CIVIL (A)					
1.	Civil Suits	30	255	96	132	513
2.	S. C. C. Cases	—	7	—	—	7
3.	Execution Cases	13	215	4	165	397
4.	D. R. A. Cases	49	185	—	156	391
5.	Revisions (N.P.)	—	50	—	26	76
6.	Civil Misc. Cases	10	132	20	50	212
	Total (A)	102	844	120	530	1596
	CRIMINAL (B)					
1.	Summons Cases	3	290	159	119	571
2.	Warrant Cases	244	288	519	200	1251
3.	Committal Enquiry	—	2	7	—	9
4.	Cr. Misc. Cases	—	251	99	—	350
	Total (B)	247	831	784	319	2181
	Grand Total of A & B	349	1675	904	849	3777

परिशिष्ट-2

(ता० प्र० सं० 621 की सूची)

कार्यालय उप-निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उदयपुर, राजस्थान

क्रमांक/सकवि/समन्वय/तारा/74-75/389 दिनांक 20-4-74

श्रीयुत् पी० सी० जैन साहब,
उप-निदेशक (प्रशासन),
समाज कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:—बापा छात्रावास सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :—आपके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या / अनुदान/23037/ दिनांक 30-3-74 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके उपरोक्त पत्र के साथ आदरणीय श्री निरंजननाथजी आचार्य का पत्र भी प्राप्त हुआ जिसके लिये निवेदन है कि:—

1. यह सत्य है कि सनवाड़ जागीरदार ने 12)1 बीघा श्री किशनलाल आर्य को 1951-52 में छात्रावास का मकान बनाने हेतु एवं आस-पास के किसानों तथा स्वयं के रहने के लिये मकान बनाने हेतु जमीन दी थी। इस जमीन का रकबा नं० 2452 था जो अब रेवेन्यू रिकार्ड में 3274 हो चुका है। पट्टे की नकल इसके साथ संलग्न है ।

2. यह जमीन श्री किशनलाल पिता श्री हीरालाल यादव को सन् 1951-52 में दी थी जब छात्रावास प्रारम्भ नहीं था लेकिन किशनलालजी ने उस समय उस क्षेत्र में सार्वजनिक कार्य करते थे और उनकी यह इच्छा थी कि इस जमीन पर छात्रावास का भवन भी बन जाय इसलिये उन्होंने इस प्रकार की दर्ख्वास्त सनवाड़ ठिकाने में पेश कर उक्त जमीन प्राप्त की । छात्रावास समाज कल्याण विभाग के अनुदान से सन् 1954-55 में शुरू हुआ ।

3. इस जमीन का मैंने स्वयं ने दिनांक 18-4-74 को मौका देखा है यह जमीन श्री किशनलालजी आर्य की निजी जमीन से मिली हुई है ।

इस जमीन पर इस समय 41 परिवार बसे हुये हैं और जिन्होंने मकान बना लिये हैं, इन परिवारों में यादव, भील, मीणा आदि सम्मिलित हैं ।

इन 41 परिवारों की सूची इसके साथ संलग्न है ।

4. इन परिवारों के पास जितनी जमीन है उसके अतिरिक्त इसी 12)1 में रास्ते भी हैं ।

इस बस्ती का नाम हीरावास रखा गया है जो राजस्व विभाग के रेकार्ड में भी है और यह जमीन अब आबादी में आ गई है ।

संलग्न सूची में क्रम संख्या 32 पर श्री किशनलालजी के पास 400।200 फीट का टुकड़ा इन्द्राज है । इसी जमीन पर बापा छात्रावास के कच्चे मकानात बने हुये हैं जिनमें दो कमरे गिर गये हैं और बाकी के भी जीर्ण अवस्था में हैं ।

5. इसी टुकड़े में एक कुआं भी खुदा हुआ है जिसके लिये पंचायत समिति, मावली ने 500 (पांच सौ) रुपये अनुदान के दिये थे लेकिन पानी नहीं आया और विरानसा अधूरा पड़ा हुआ है ।

6. जैसा कि मैंने ऊपर पोइन्ट नम्बर 3 बताया है कि यह जमीन श्री किशन-लालजी आर्य के निजी जमीन से मिली हुई है । श्री किशनलालजी आर्य की निजी जमीन रकबा 3285 में कुआ खुदा हुआ है जिससे वे अपनी जमीन पर सिंचाई करते हैं।

7. 12)1 वाली जमीन में कोई कुआ पिलाई योग्य नहीं है इसलिये इस जमीन के कुए से श्री किशनलालजी की निजी जमीन सिंचाई नहीं होती है ।

8. छात्रावास सन् 1954-55 में प्रारम्भ हुआ और इसके लिये विभाग ने 1,000 रुपया सामान क्रय हेतु अनुदान दिया था वो सामान अभी तक भी श्री किशन-लाल आर्य के कब्जे में है जिसके लिये उन्होंने देने के लिये यह कह कर इन्कार किया था कि संस्था पर जो कर्जा है उसको चुकाने की जिम्मेदारी विभाग लेवे ।

इस पर जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, उदयपुर ने आपसे उनके पत्र क्रमांक 2123/सका/अनुदान 67-68, दिनांक 21-4-67 कृपया निर्णय से सूचित कराने का कष्ट करें :

उपरोक्त सूचना मैंने अपने निजी जानकारी से, रिकार्ड के आधार पर एवं स्वयं ने मौका देख कर दी है ।

इसके अतिरिक्त यदि आप इजाजत दें तो मैं श्री निरन्जननाथजी आचार्य से स्वयं सम्पर्क कर उनके प्रतिनिधि के साथ इस मामले की और जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित कर सकूं ताकि भविष्य में भी समाज कल्याण विभाग की साजिश का प्रश्न ही उत्पन्न न हो ।

एस डी/-
उप-निदेशक,
समाज कल्याण विभाग, उदयपुर ।

परिशिष्ट–3

(ता० प्र० सं० 625 की सूची)

भदेसर व चित्तौड़गढ़ तहसीलों में रजिस्टर्ड गृह निर्माण सहकारी समितियों की सूची

क्र० सं०	नाम गृह निर्माण सहकारी समिति		
	तहसील भदेसर		
1.	भादसोड़ा गृह निर्माण सहकारी समिति लि०		
2.	घोड़िया ,,	,,	,,
3.	धीरजी का खेड़ा ,,	,,	,,
	तहसील चित्तौड़गढ़		
4.	गृह ,,	,,	,,
5.	अध्यापक ,,	,,	,,
6.	चित्रकूट ,,	,,	,,
7.	राणा सांगा ,,	,,	,,
8.	शास्त्री नगर ,,	,,	,,
9.	शेती ,,	,,	,,
10.	प्रताप नगर ,,	,,	,,
11.	कुम्भा नगर ,,	,,	,,
12.	गांधी नगर ,,	,,	,,
13.	चित्तौड़गढ़ ,,	,,	,,
14.	खेड़ी ,,	,,	,,
15.	ओछड़ी ,,	,,	,
16.	अनेत ,,	,,	,,

परिशिष्ट-4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

हिन्डोली तालाब का वेस्टवीयर

629. **श्री रमेशचन्द्र सैनिक** (हिन्डोली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हिन्डोली तालाब का वेस्टवीयर बुरी तरह जीर्णशीर्ण अवस्था में पानी को रोकने में असमर्थ है?

(2) क्या यह भी सही है कि यदि इसकी मरम्मत कर दी जावे तो जितनी सिंचाई होती है उससे दुगनी सिंचाई हो सकेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस विषय में बून्दी के सिंचाई अभियन्ता को जनता ने, पंचायत ने, विधायक ने और समय-समय पर वहां पधारने वाले मंत्रियों ने कई बार इस कार्य को पूरा करने के लिए कहा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार की मन्शा इस वेस्टवीयर को ठीक करने की नहीं है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और हां, तो कब तक इसे ठीक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं, वेस्टवीयर मरम्मत योग्य अवश्य है।

(2) इस समय 350 एकड़ पिलाई होती है व वेस्टवीयर मरम्मत करने के बाद 680 एकड़ में पिलाई हो सकेगी।

(3) जी हां, वेस्टवीयर मरम्मत करने के लिए 1974 की वर्षा ऋतु में कहा गया था व उस समय मरम्मत होना तालाब में पानी होने के कारण सम्भव नहीं था। वेस्टवीयर को 1975 की वर्षा ऋतु के पूर्व ठीक कर दिया जायेगा।

आमेर आने जाने वाली बसों से यात्री कर की वसूली

630. **सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव** (आमेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:-

(1) क्या आमेर आने जाने वाली बसों पर कोई यात्री कर लगाया गया है? यदि हां, तो किस कारण से ?

(2) क्या राज्य सरकार को यह जानकारी है कि आमेर आने जाने लोगों व यात्रियों में अधिकतर दर्शनार्थी होते हैं ? क्या सरकार इन पर भी यात्री कर लगाना उचित समझती है ?

(3) क्या यह यात्री कर सिर्फ विकास कार्य के लिए ही उपयोग में लिया जावेगा या अन्य किसी मद में ?

(4) क्या राज्य सरकार आश्वस्त है कि इसी यात्री कर का उपयोग नगरपालिका अन्य किसी मद में नहीं करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

नगरपालिका की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए उसके आय में वृद्धि हेतु लगाया गया है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

नगरपालिका के किसी भी कार्य में खर्च किया जा सकेगा।

(4) नगरपालिका अपने दूसरे कार्यों में भी इस कर से प्राप्त धन का उपयोग कर सकती है।

जालोर जिले में इन्डस्ट्रीज एरिया

631. श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालोर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार ने जालोर जिले में किन-किन जगहों पर इण्डस्ट्रीज एरिया घोषित किया है ? अगर नहीं किया है, तो कब तक इस जिले में इण्डस्ट्रीज एरिया घोषित हो जायेगा ?

(2) सरकार उद्योग धन्धे करने वाले को जमीन में कितनी प्रतिशत छूट करेगी व इण्डस्ट्रीज खोलने वाले को ऋण देने की सरकार की क्या स्कीम है ?

(3) क्या सरकार उद्योग करने वालों को बिजली, पानी, ऋण, जमीन और कच्चे माल आदि सुविधा की एक ही डिपार्टमेन्ट से स्वीकृत करवाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जालोर एवं रानीवाड़ा कलान में औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है।

(2) उद्योग के लिए जमीन में छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। इण्डस्ट्रीज खोलने वालों को राजस्थान स्टेट एड टू इण्डस्ट्रीज (लोनस) रूल्स, 1963 के तहत ऋण दिया जाता है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा भी उद्योगों को ऋण दिया जाता है।

(3) सारी सुविधाओं को एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

आबू रोड तहसील के गांवों का विद्युतीकरण

632. श्री भूराराम (आबू) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि सिरोही जिले की आबू रोड तहसील के कुछ गांवों की ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत सर्वे करके स्कीम तैयार कर स्वीकृत हेतु राज्य सरकार को भेज दी है ? यदि हां, तो क्या इस वर्ष इस प्लान को स्वीकृत कर सरकार कार्य प्रारम्भ करने की मन्शा रखी है ? अगर हां, तो कब तक ? कृपया निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

उत्तर

जी हां, सिरोही जिले की आबू रोड़ तहसील के कुछ ग्रामों की एक योजना बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्वीकृति हेतु भेजी जा चुकी है। इस योजना की आगामी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति होने की सम्भावना है। योजना पर कार्य स्वीकृति के बाद ही प्रारम्भ किया जा सकेगा।

२४९

निरीक्षक शिक्षा विभाग, अलवर के विरुद्ध शिकायतें

633. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि निरीक्षक, शिक्षा विभाग, जिला अलवर ने दीवानी अदालत के आदेश के बावजूद एक अध्यापक को निलम्बित अवस्था में निर्वाह वेतन नहीं चुकाया जिसके कारण उसी अदालत ने निरीक्षक, शिक्षा विभाग के कार्यालय का सामान कुर्क करने के आदेश जारी किये ?

(2) क्या यह सही है कि अदालत द्वारा कुर्की के आदेश जारी करने के बावजूद निरीक्षक, शिक्षा विभाग द्वारा निर्वाह वेतन नहीं चुकाया गया जिसके कारण निरीक्षक, शिक्षा विभाग की दफ्तर की कुर्सी, मेज, आलमारी आदि सार्वजनिकरूप से कुर्क की गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक ने अपने निर्वाह वेतन की नियमों के अनुसार अदायगी के लिये शिक्षा विभाग के उच्चतम अधिकारियों को प्रतिवेदन प्रस्तुत किये परन्तु तब भी उनको वेतन नहीं दिलाया गया ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक ने निरीक्षक, शिक्षा विभाग, अलवर श्री घीसालाल शर्मा के विरुद्ध सरकारी धन का दुरुपयोग करने, चपरासी को घर काम लेकर वेतन विद्यालय से दिलाने आदि शिकायतें की थीं ?

(5) क्या यह सही है कि अन्य अध्यापक को एक वर्ष से पूर्व ही अलवर से बाहर प्रश्न नम्बर (4) में वर्णित रियायतें करने के बाद ट्रान्सफर कर दिया गया ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक का हैडक्वार्टर भी निलम्बित अवस्था में बदल दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। कुर्की के आदेश दिनांक 31-5-74 को हुए और इन्हें 4 जून, 74 को निर्वाह भत्ते का भुगतान कर दिया गया।

(3) जी हां। इनके मुख्यावास पर न रहने के कारण वे जीवन निर्वाह भत्ता समय पर प्राप्त न कर सके।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं। निलम्बन काल में इनका हैडक्वार्टर एक ही स्थान राजगढ़ पर रखा गया।

राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को उद्योग लगाने हेतु आशय-पत्र

634. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम की अधिकृत पूंजी 31-3-74 व 31-12-74 को कितनी थीं ?

(2) गत 3 वर्ष में निगम को राज्य में उद्योग लगाने के कितने आशय-पत्र किस किस उद्योग के लिये मिले उनमें से कितने आशय-पत्र निर्धारित समयावधि में कार्य

(श्री नाथूराम बागीडोरा)

नहीं करने से रद्द हो गया और कितने अभी शेष हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि गत दो वर्षों में जो 11 आशय-पत्र मिले उनमें से एक पर भी कार्य नहीं किया गया और 9 आशय-पत्र रद्द हो गये ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये क्या व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो आशय-पत्र रद्द होने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सत्य है कि राज्य औद्योगिक एवम् खनिज विकास निगम ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्रों के लिए वन-उपज पर आधारित उद्योगों की स्थापना के निमित्त कोई योजना नहीं बनाई है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो कौन कौन सी, सूची सदन की मेज पर रखने का श्रम करें ।

(5) क्या यह सत्य है कि निगम के संचालक मण्डल में आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो, कौन कौन प्रतिनिधित्व करता है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) 31-3-74 व 31-12-74 को अधिकृत पूंजी 5 करोड़ थी ।

(2) गत तीन वर्षों में निगम को राज्य में उद्योग लगाने के लिये जो आशय-पत्र प्राप्त हुए हैं उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । उनमें से एक भी रद्द नहीं हुआ है ।

(3) जी नहीं ।

अतः प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) जी हां । सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार इन क्षेत्रों में वनों के औद्योगिक कच्चे माल की बहुतायत नहीं होने के कारण किसी बड़े उद्योग की स्थापना नहीं की जा सकती है ।

(5) जी हां । निगम के आरटिकल्स ऑफ एसोसियेशन में इस प्रकार कोई नियुक्ति के आधार का प्रावधान नहीं है । गैर सरकारी संचालकों को उनके औद्योगिक धन्धों का अनुभव व तकनीकी ज्ञान देखते हुए नियुक्ति की जाती है ।

राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को गत तीन वर्षों में विभिन्न उद्योगों के लिए प्राप्त आशय-पत्रों की सूची :—

क्रमांक	उद्योग	आशय-पत्र प्राप्ति का वर्ष
1.	ग्लास शैल्स व सीडग्लास ट्यूबिंग	1972
2.	मिनी स्टील	1972
3.	टी० बी०	1972
4.	स्पंज आयरन	1972
5.	कास्टिक सोड़ा	1973

सराड़ा तहसील की डाया योजना

635. श्री **देवीलाल** (सराड़ा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा में डाया योजना का सर्वे कब से प्रारम्भ किया व कब सम्पूर्ण किया गया है ?

(2) क्या डाया योजना का तखमीना सम्पूर्ण बनाया जाकर राज्य सरकार के पास भेजा गया है ? यदि हां, तो तखमीना राज्य सरकार के पास कब भेजा गया ?

(3) क्या डाया योजना पंचम् पंच-वर्षीय योजना में लेने के लिये राज्य सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि डाया योजना आयोग द्वारा स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो कार्य चालू कराने के आदेश राज्य सरकार ने कर दिये हैं ?

उत्तर

(1) इसका सर्वे कार्य सन् 1971 में प्रारम्भ किया गया था तथा तकनीकी दृष्टि से आवश्यक होने के कारण बोरिंग का जांच कार्य सन् 1974 में किया गया है ।

(2) इस योजना का विस्तृत तखमीना एवं प्रतिवेदन तादादी 68.25 लाख रुपये का बनाया जाकर दिनांक 11-1-75 को केन्द्रीय जल विद्युत तथा योजना आयोग को सहमति हेतु भेजा गया है ।

(3) प्रश्न 2 में वर्णित कार्यवाही की पूर्ति के उपरान्त वित्तीय साधनों की सुलभता के अनुरूप कार्य को प्रारम्भ करने पर विचार किया जावेगा ।

(4) जी नहीं ।

पंचायत समिति, बाड़ी में नेत्र और शल्य चिकित्सा शिविर

636. श्री **रामलाल** (बाड़ी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सच है कि पंचायत समिति, बाड़ी में विगत वर्ष नेत्र और शल्य चिकित्सा शिविर राज्य की भ्रमणशील चिकित्सा इकाई ने लगाया था ? यदि हां, तो पंचायत समिति, बाड़ी में कितनी राशि खर्च की तथा यह राशि किस-किस मद में खर्च की गई है ?

उत्तर

जी हां। पंचायत समिति मुख्यालय पर नेत्र एवं शल्य चिकित्सा शिविर वर्ष 73-74 में आयोजित किया गया था । इस शिविर पर पंचायत समिति, बाड़ी द्वारा रु. 7,661.70 पै. व्यय किये गए जिसकी विगत इस प्रकार है:–

	रुपये
मजदूरी आदि	3,115.00
कोयला	159.00
बिजली	2,135.00
चाय आदि	351 80
सामान किराया	408 00
सामान खरीद	998.02
मरीजों के कपड़े धुलाई	494.88
योग	7,661.70

शिक्षाविदों की सलाहकार समिति

63%. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने शिक्षाविदों की एक सलाहकार समिति का निर्माण किया है ? अगर हां, तो उस समिति के कौन-कौन सदस्य हैं ?

(2) इस सलाहकार समिति के टर्म्स ऑफ रेफरेन्स क्या हैं ? कृपया सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस शिक्षा सलाहकार समिति के निर्माण का उद्देश्य यह है कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों में सुधार तथा शिक्षा की नीति के संबंध में राज्य सरकार को समय-समय पर परामर्श दे।

राजस्थान सरकार

व्यवस्था एवं पद्धति विभाग

(ग्रुप—5)

आज्ञा

प० सं० 7 (35) व्य० एवं प० 15/74 जयपुर, दिनांक 2-12-74

शिक्षा नीति के सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य सरकार को परामर्श देने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक राज्यस्तरीय शिक्षा सलाहकार परिषद् के गठन किये जाने की राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1.	श्री हरिदेव जोशी, मुख्य मंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री खेतसिंह, शिक्षा मंत्री	सदस्य
3.	श्री फारुक हसन, शिक्षा राज्य मंत्री	"
4.	उप-कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	"
5.	उप-कुलपति, उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर	"
6.	उप-कुलपति, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर	"
7.	शिक्षा आयुक्त, राजस्थान, जयपुर	"
8.	श्री डी० एस० कोठारी, दिल्ली	"
9.	विकास आयुक्त, राजस्थान, जयपुर	"
10.	सिंचाई आयुक्त, राजस्थान, जयपुर	"
11.	श्री रामसिंह, गृह आयुक्त	"
12.	अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	"
13.	निदेशक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर	"
14.	निदेशक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर	सदस्य सचिव
15.	निदेशक, टेक्निकल एज्युकेशन, जोधपुर	सदस्य
16.	निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर	"
17.	निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर	"

18. निदेशक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान

19. निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान, उदयपुर ,,

20. प्रिन्सिपल, शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर ,,

21. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, जयपुर ,,

22. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर ,,

23. अतिरिक्त निदेशक, प्रा० व मा० शिक्षा, बीकानेर ,,

24. संयुक्त निदेशक, शिक्षा (महिला), जयपुर ,,

25. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर ,,

26. श्री नवलकिशोर, संसद सदस्य, नई दिल्ली ,,

27. रानी लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, संसद सदस्य, नई दिल्ली ,,

28. श्री रामजीकाक, अध्यक्ष, क्रीडा परिषद, जयपुर ,,

29. श्रीमती निर्मलासिंह, विधायिका ,,

30. श्री निरंजन नाथ आचार्य, विधायक ,,

31. श्री पूनमचन्द विश्नोई, विधायक ,,

32. प्रो० केदार शर्मा, विधायक ,,

33. श्रीमती कान्ता खतूरिया, विधायिका ,,

34. श्री केसरीलाल बोरदिया ,,

35. मिस लूटर, एम० जी० डी० स्कूल, जयपुर ,,

36. प्रिन्सिपल, खालसा कॉलेज, गंगानगर ,,

37. प्रो० क० एन० श्रीवास्तव, विद्या भवन, उदयपुर ,,

38. डॉ० मेहता, उप-कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, अहमदाबाद

39. प्रो० मिश्रा, बिड़ला एज्युकेशन, पिलानी

40. प्रो० ओड, वनस्थली विद्यापीठ ,,

41. कु० गजराजसिंह, भू-शिक्षा निदेशक

42. श्रीमती गीता बजाज

43. श्री जनार्दनराय नागर

44. श्री सैयद इन्तजाम अली, घाटगेट, जयपुर ,,

45. अध्यक्ष, शिक्षक संघ, जयपुर ,,

46. अध्यक्ष, रूकटा ,,

47. श्री डंडिया, सचिव, महावीर दिगम्बर जैन, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जयपुर

48. श्री उमाशंकर गौड़, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर

49. श्री एस० एम० एल० श्री वास्तव, डिप्टी डायरेक्टर ,,

50. श्री कौशलसिंह, प्रिन्सिपल, चौपासनी ,,

आज्ञा से,
(हर प्रसाद अग्रवाल)
उप-सचिव ।

राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र की सड़कों का निर्माण कार्य

638. **श्री हरिकिशन** (राजगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में राजगढ़ से बादेरा वाया ग्राम थाना अपरेड़ व राजगढ़ से छाजूरामपुरा वाया ग्राम सुरेर माचाड़ी से नापडोली वाया ग्राम सवोली, तथा ग्राम आकड़ा से ग्राम रैणी वाया बीरल की माता,पाली सड़क चौथी पंचवर्षीय योजना में मंजूर है तथा इन सड़कों पर मिट्टी का बैंक एक दो किलोमीटर बनाए जाकर कुटाई के लिये एक दो किलोमीटर दूरी तक रोड़ी पत्थर का सामान (मेटिरियल) डाल रखा है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़कों पर कई साल से रोड़ी, पत्थर आदि सामान पड़ा हुआ है, तथा अभी तक कुटाई कराई जाकर लाखों रुपये के सामान का सदुपयोग नहीं किया गया है तथा बर्बाद हो रहा है ? क्या सरकार सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कराया जाकर इस सामान को बर्बादी से बचाकर, सदुपयोग कराने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उन मंजूरशुदा सड़कों को क्षेत्र के विकास की दृष्टि से पूरा कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) इन सड़कों पर स्पेशल एम्पलॉयमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 1972–73 में कुछ कार्य हुआ है तथा सड़क मेटिरियल भी एकत्रित कराया गया था, किन्तु विभागीय वार्षिक योजना में बजट प्रावधान नहीं होने के कारण एकत्रित सड़क मेटिरियल का उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है ।

उक्त सड़कें अर्थाभाव के कारण विभागीय योजना 74-75 स्वीकृत नहीं है ।

(3) जी हां, किन्तु अर्थाभाव के कारण अभी सम्भव नहीं है ।

अनुसूचित जाति एंव जन-जाति के छात्रों के लिये खोले गये छात्रावास

639. **श्रीमती प्रभा मिश्रा** (पुष्कर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है की अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के छात्रों के लिये खोले गए छात्रावासों में 5 मील की परिधि में छात्रों को भर्ती नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्या छात्रों की कठिनाई को देखते हुए सरकार इसमें परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां । इस नियम में परिवर्तन करने का अभी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

टोपीदार बन्दूकों के लाइसेन्स

640. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टोपीदार

(श्री हरलाल मीणा)
बंदूकों के लाइसेन्स का रिन्युअल हर तीन-तीन साल में करवाना पड़ता है ?

(2) क्या यह सच है कि इस लाइसेन्स और रिन्युअल को लेकर गरीब अनपढ़ आदिवासी टोपीदार बंदूकों की कीमतों से ज्यादा खर्च कर चुके हैं ? यदि हां, तो क्या लाइसेन्स के बाद रिन्युअल सिस्टम बंद करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) लाइसेन्स रिन्युअल करने से संबंधित नियम केन्द्र द्वारा बनाये हुए हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा रिन्युअल सिस्टम पर विचार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति

641. श्रीमती भगवंत देवी (भिनाय) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं जन-जातीय व्यक्तियों के परिवार की एक निश्चित आय पर उनके बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं देती है ?

(2) क्या यह सही है कि तकनीकी शिक्षा हेतु ऐसे व्यक्तियों के बच्चों को इससे कठिनाई होती है और कई छात्र इसी कारण तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अतिरिक्त एवं मेरिट-कम-नीड छात्रवृत्तियां जो राज्य सरकार द्वारा दी जाती हैं, उसमें आय संबंधी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। केन्द्रीय सरकार की उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति में अनुसूचित जाति के छात्रों पर निश्चित आय की सीमा निर्धारित है। इस वर्ष तक अनुसूचित जन-जाति के छात्रों पर उक्त छात्रवृत्ति में आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। शैक्षणिक सत्र 1975-76 से अनुसूचित जन-जाति के छात्रों पर भी निश्चित आय की सीमा लागू कर दी गई है।

(2) ऐसी कठिनाई संबंधी कोई मामला विभाग की जानकारी में अभी तक नहीं आया है।

भगवान महावीर के 2,500 वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष में आदर्श बस्तियां

642. श्री मोहनराज (बाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भगवान महावीर के 2,500 वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष में क्या राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिये कुछ स्थानों पर गृह निर्माण कर आदर्श बस्तियां बसाने की कोई योजना बनाई है ? कृपया योजना की विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें।

(2) इन बस्तियों के निर्माण पर राज्य सरकार कुल कितना रुपया खर्च करेगी ?

(श्री मोहनराम)

(3) इस निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष में राज्य सरकार ने कुल कितनी धनराशि खर्च हेतु स्वीकृत की है और इस सम्बन्ध में वर्ष भर के लिये क्या कोई कार्यक्रम अथवा योजना बनायी गई है ? कृपया उक्त कार्यक्रम अथवा योजना के प्रारूप की प्रतिलिपि सदन की मेंज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। योजना की रूपरेखा संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

(2) चार लाख रुपये।

(3) महोत्सव के उपलक्ष में 15 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। इसे व्यय करने की योजना संलग्न तालिका में दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-3-75)

अकाल पीड़ित विस्थापित प्रवासी राजस्थानियों को सहायता

441. श्री सज्जन सिंह (सुमेरपुर) क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष अकाल के कारण पश्चिमी राजस्थान के अनगिनत परिवार अपने पशु-धन को जीवित रखने और रोजी कमाने के उद्देश्य से राजस्थान के बाहर पड़ौसी राज्यों में निष्क्रमण कर गये ? यदि हां, तो किस-किस जिले से कितने पुरुष, महिलाएं, बच्चे एवं वृद्ध व कितने पशु कहां-कहां गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य प्रशासन निष्क्रमणरत इन परिवारों को कुछ भी सहायता प्रदान करने में सर्वथा असमर्थ रहा ? यदि नहीं तो कितनी धनराशि किस प्रयोजनार्थ किन-किन बिन्दुओं पर व्यय की गई ?

(3) क्या यह सही है कि अनेकों परिवार पड़ौसी राज्यों में भिखारियों एवं खानाबदोशों की जिन्दगी बिता रहे हैं व राज्य सरकार उन अभागे परिवारों को किसी प्रकार की वहां पर सहायता करने में सर्वथा असमर्थ है ? यदि नहीं, तो सरकार ने किस किस राज्य में किन अकाल से पीड़ित विस्थापित प्रवासी राजस्थानियों की सहायतार्थ क्या क्या-कदम उठाये हैं ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। इस वर्ष पशुओं के निष्क्रमण काफी सीमित संख्या में हुआ है। निष्क्रमण पर जाने वाली मवेशी के साथ कुछ पशुपालक भी गये हैं जिनका जिलेवार विवरण संलग्न है। जिसमें पशुपालकों की एवं मवेशी की संख्या का उल्लेख है। इसमें भेड़ बकरियों की संख्या शामिल नहीं है। जो पशुपालक बिना परवाना लेकर निकल गये हैं उनकी संख्या भी शामिल नहीं है।

(अकाल सहायता मंत्री)

(2) यह सही नहीं है। निष्क्रमण पर जाने वाली मवेशी के लिए निष्क्रमण मार्ग तय करने, उन पर निष्क्रमण डिपो कायम करने के आदेश यथा-समय दे दिये गये थे तो प्रत्येक डिपो पर 6 किलो चारा प्रति मवेशी देने की व्यवस्था कर दी गई थी। इस मवेशी के उपयोग के लिए वन विभाग का चारा भी आवंटित कर दिया गया था। स्थानीय रूप से चारा खरीदने के लिए जिलाधीश को अधिकृत कर दिया गया था। निष्क्रमण के प्रयोजन हेतु जिलाधीश को 3,26,000) रुपये की धनराशि आवंटित कर दी गयी थी।

(3) यह सही नहीं है। जो पशुपालक निकटवर्ती राज्यों में गये हैं वे अपने पशुओं को लेकर निकट के राज्यों के वन खंडों में चराई के लिए गये हैं। ऐसी दशा में उनके लिए और कोई व्यवस्था राजस्थान सरकार द्वारा करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

निष्क्रमण पर गये व्यक्ति एवं पशुओं का जिलेवार विवरण।

क्र० सं०	नाम जिला	व्यक्ति	पशु	स्थान जहां पर गये हैं
1.	जैसलमेर	1,000	1,829	मध्य प्रदेश, हरियाणा
2.	नागौर	4,000	28,200	मध्य प्रदेश
3.	बीकानेर	—	—	—
4.	पाली	97	2,684	मध्य प्रदेश
5.	जालौर	1,603	12,950	मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात
6.	जोधपुर	4,073	5,093	—
7.	गंगानगर	—	—	—
	योग	10773	50756	

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14-3-75)

शुगर मिल, भोपालसागर द्वारा गन्ने की खरीद

495. श्री राम रघुनाथ (डेगाना) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि शुगर मिल भोपालसागर, जिला उदयपुर ने माजरिया गन्ना नं० 312 किसानों से लेना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ? और पहले किस मात्रा में लेती थी ?

उत्तर

जी हां । क्योंकि माजरिया गन्ना नं० 312 में चीनी की मात्रा कम होती है इसलिए दिनांक 14-2-75 से गन्ना मिल ने लेना बन्द कर दिया था । अब दिनांक 13-3-75 से मिल ने इसकी खरीद पुनः आरम्भ कर दी है । पहिले माजरिया गन्ना अन्य गन्नों की तरह खरीदा जाता था इसकी मात्रा की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15-3-75)

भरतपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा दिया गया ऋण

515. श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ने सन् 1974 का अल्पावधि ऋण किस-किस महीने में कितना-कितना बांटा ?

(2) माह सितम्बर, 1974 में उपरोक्त ऋण की कितनी-कितनी राशि किस तारीख को किनको बांटी गई ? कृपया ऋण प्राप्त-कर्ताओं की वल्दियत एवं गांव के नाम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) भरतपुर जिला भूमि विकास बैंक ने सितम्बर, 74 में कितनी राशि किन-किन लोगों से किन-किन तारीखों में वसूल की ? कृपया सम्पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि ऋण प्राप्तकर्ताओं ने अल्पावधि ऋण का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए किया ?

उत्तर

(1) भरतपुर सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि०, भरतपुर ने वर्ष 1974 में अल्पकालीन ऋण किस-किस महीने में कितना-कितना बांटा, की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) माह सितम्बर, 1974 में ऋण की कितनी कितनी राशि किस-किस तारीख को किनको बांटी, की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) भरतपुर जिला भूमि विकास बैंक ने माह सितम्बर, 1974 में 548 व्यक्तियों से 9,60,998·61 रुपये वसूल किये । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सहकारिता मंत्री)

(4) इस तथ्य की जांच की जा रही है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15-3-75)

नीमच माता कालोनी स्कीम, उदयपुर

524. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नीमच माता कोलोनी स्कीम, उदयपुर में बनवासी, पिछड़े हुए तथा अन्य लोगों को कितने रिहायशी प्लाट नगर प्रन्यास द्वारा आवंटित किये गये और किन किन व्यतियों को किस 2 कीमत पर दिये गये ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि नगर प्रन्यास, उदयपुर से ही रिहायशी प्लाट आवंटित करने के लिये नीमच माता गृह निर्माण समिति बनाई गई जिसका नाम वदल कर देवी गृह निर्माण समिति कर दिया गया ? यदि हां, तो उस तथाकथित समिति के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, कानूनी सलाहकार तथा संरक्षक के नाम सदन के पटल पर रखने की कपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि नगर प्रन्यास, उदयपुर-नीमच माता स्कीम में जिन बनवासियों तथा अन्य व्यत्तियों को रिहायशी प्लाट आवंटित किये-उक्त प्लाटों से संबंधित कागजात सम्बन्धित व्यतियों को न देकर तथा कथित समिति के पदाधिकारियों को दिये गये ?

(4) क्या यह सही है कि तथाकथित समिति के पदाधिकारियों ने नगर प्रन्यास से प्लाट आवंटित करवा कर सम्बन्धित व्यक्तियों को निर्धारित मूल्य से अधिक राशी लेकर प्लाट आवंटित किये ? क्या इस प्रकार की कोई शिकायत वहां के निवासियों से जिलाधीश को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सही है कि नीमच माता कालोनी में ऐसे भी बनवासी हैं जिसके नाम से तो रिहयशी प्लाट आवंटित हो गये किन्तु वे ही प्लाट किन्हीं अन्य व्यक्तियों को 4000) रु० की अधिक कीमत पर बेच दिये गये ? यदि हां, तो ऐसे व्यतियों की सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(6) नीमच माता स्कीम में ऐसे कितने प्लाट आवंटित किये गये जिसके लिए नगर प्रन्यास, उदयपुर में न तो आवेदन-पत्र है और न किसी भी व्यक्ति का शपथ-पत्र ? कृपया, सूची सदन के पटल पर रखें ।

(7) नीमच माता व गाडरियावास में रहने वाले ऐसे कितने अनुसूचित जाति या अनुसचित जन-जाति के व्यक्ति हैं, जिन्होंने नगर प्रन्यास में मकान के लिए भूमि आवंटित करने के लिए प्रार्थना-पत्र दे रखे है और उन्हें भूमि आवंटित नहीं की गई है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

Page No 260

(260)

(नगर आयोजन मंत्री)

उत्तर

(1) 75 भूखण्ड पिछड़े हुए तथा अन्य लोगों को आवंटित किये गये हैं आवंटियों की तथा मूल्य के सम्बन्ध में सूची संलग्न है। इनमें 1 जन-जाति तथा तीन अनुसूचित जातियों के हैं।

(2) जी नहीं। न्यास द्वारा आवंटन व्यक्तियों के नाम पर किये गये हैं न कि समिति के नाम पर।

(3) जी नहीं।

(4) व (5)

(5) जी नहीं,

शिकायतें प्राप्त हुई है जिनकी जिलाधीश उदयपुर जांच कर रहे हैं।

(6) ऐसे 8 व्यक्ति हैं सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(7) ऐसे कोई मामले विचाराधीन नहीं हैं अत: सूची सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं पैदा होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 17-3-75)

फूलबाग कोठी अलवर की भूमि

551. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर के भूतपूर्व महाराजकुमार श्री प्रतापसिंह की कोठी फूलबाग का कितना क्षेत्रफल है और यह कौन से खसरा नम्बरों को घेरे हुए है? कृपया समस्त खसरा नम्बरान मय उनके अलग अलग क्षेत्रफल बताने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि इतना क्षेत्रफल अलवर के भूतपूर्व महाराजा को निजी संपत्ति की सूची में दर्ज नहीं है और श्री प्रतापसिंह ने यह कोठी अधिकतर सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करके बनाई हुई है?

(3) इस फूलबाग कोठी के कितने क्षेत्रफल पर और कौन कौन से खसरा नंबरों पर श्री प्रतापसिंह का जायज कब्जा है? इस जायज कब्जे का आधार क्या है?

(4) श्री प्रतापसिंह के इस अनधिकृत कब्जे को समाप्त करने के लिये क्या राज्य सरकार ने कोई कदम उठाये हैं?

(5) क्या यह सही है कि श्री प्रतापसिंह ने यह फूलबाग कोठी कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कराये बिना ही बनाली है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने श्री प्रतापसिंह के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) फूलबाग कोठी मय अाहता का क्षेत्रफल 72,751 वर्गगज है। विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) फूलबाग कोठी का रकबा भूतपूर्व महाराजा की निजी सम्पत्ति है।

(4) जी नहीं। क्योंकि फूलबाग कोठी का रकबा भूतपूर्व महाराजा की निजी सम्पत्ति है।

(5) जी हां। श्री प्रतापसिंह के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है। उनके विरुद्ध राजस्थान लैंड रेवेन्यू आवंटन एण्ड कन्वरशन आॅफ एग्रीकल्चर लेण्ड फार रेजिडेन्शियल एण्ड कार्माशयल परपंजेज इन अरबन रूल्स 1971 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

विवरण

अलवर के भूतपूर्व महाराज कुमार श्री प्रतापसिंह की कोठी फूलबाग मय आहता का क्षेत्रफल 72751 वर्ग गज है। यह खसरा नम्बरान 2915, 2916, से 2921, 2918/4129, 2918/2931, 2915/4132 से 2915/4149 तक को घेरे हुए हैं। खसरा नम्बरान मय अलग-अलग क्षेत्रफल निम्न प्रकार है :—

2915	1133	2916	)2	2917	)1	2918	111)4
2919	2)	2920	)2	2921	1)1	2918/4129	1)2
2918/4130	1)2	2918/4131	11)4	2915/4132	11)4	2915/4133	11)
2915/4134	2)5	2915/4135	1)2	2915/4136	13	2915/4137	31)3
2915/4138	111)	2915/4139	1111)4	2915/4140	11)1	2915/4141	1)2
2915/4142	11)1	2915/4143	)1	2915/4144	1)2	2915/4145	1111)3
2915/4146	)1	2915/4147	31)2	2915/4148	)4	2915/4149	1)2

इसके अतिरिक्त खसरान नं 2918-43560 वर्ग गज क्षेत्र व्यवसायिक प्रयोजनार्थ अवैध परिवर्तन कर लिया है। इस प्रकार इसका कुल क्षेत्रफल 1,16,311 वर्ग गज है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 20-3-75)

सिंचाई विभाग में ठेकेदारों की बकाया राशि

650. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिंचाई विभाग में ठेकेदारों के ठेके के काम समाप्त होने के दिन के पश्चात् के एक वर्ष से अधिक पुराने फाइनल बिल्स कितने अब तक भुगतान करने बकाया हैं ? उनकी पूर्ण सूची मय ठेकेदारों के नाम, काम के नाम, कार्य समाप्त होने का दिनांक और बकाया धनराशि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त कामों की कितनी सीक्युरिटी डिपोजिट की धनराशि जमा पड़ी है जो काम समाप्त होने के छः माह पश्चात् भुगतान की जा सकती है परन्तु फाइनल बिल पेमेन्ट न होने के कारण, अब तक भुगतान नहीं की गई है इसकी भी पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कारण है कि ठेकेदारों को अभी तक उपरोक्त बिलों का भुगतान नहीं किया गया और उसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जितनी भी सूचना एकत्रित की जा सकी है वह संलग्न है।

(2) संलग्न सूची के कालम 6 में वांछित सूचना अंकित है।

(3) ठेकेदारों के बिलों का भुगतान न होने का कारण मुख्यतः ठेकेदारों द्वारा कार्य अधूरा छोड़ देना, काम में नुक्स होना, अदालतों में मामला विचाराधीन होना, एग्रीमेन्ट की शर्तों का पूर्ण पालन न होना तथा ठेकेदारों का बताये हुए पत्ते उपलब्ध न होने आदि है, जिनके लिये विभाग के कर्मचारी दोषी न होने के कारण कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21-3-75)

राजकीय सचिवालय में शीघ्र लिपिकों की पूर्ति

678. **श्री सज्जनसिंह** (सुमेरपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सचिवालय में शीघ्रलिपिकों की कमी पूर्ति हेतु सन् 1962 से 15-9-72 तक कितनी बार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की गई ? वर्षवार परीक्षा के परिणामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि जब राज्य सरकार को अपनी आवश्यकतानुसार शीघ्र-लिपिक उपलब्ध नही हुये तो कार्मिक (ख-1) विभाग द्वारा राज्यहित को देखते हुय सचिवालय में कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों-वरिष्ठ लिपिकों की शीघ्रलिपि में विभागीय परीक्षा लेकर उत्तीर्ण कर्मचारियों को अस्थाई रूप से शीघ्रलिपिक पद पर समय-2 पर नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो

(श्री सज्जनसिंह)

इस प्रकार आयोजित परीक्षा के परिणामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि सचिवालय में स्टेनोटाईपिस्टों के दो-तीन पद ही सृजित हैं परन्तु अस्थायी रूप से नियुक्त शीघ्रलिपिकों को आर्थिक लाभ देने हेतु उन्हे स्टेनोटाइपिस्ट के नाम से री-डेजिगनेट कर 25/-रुपया प्रति माह का विशेष वेतन स्वीकृत किया गया और अब उन्हें इस लाभ से वंचित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त कर्मचारियों के स्थाईकरण व वेतन निर्धारण हेतु शीघ्रलिपिक पद पर कार्य करने हेतु बिना शर्त के दिनांक 25-2-75 तक विकल्प मांगा गया? क्या विभाग ने उपरोक्त कर्मचारियों की कोई वरिष्ठता सूची बनाई है और क्या कर्मचारियों को वेतन निर्धारण में आर्थिक हानि होती है? यदि हां, तो वरिष्ठता सूची एवं आर्थिक हानि का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करे।

(5) क्या यह सही है कि सचिवालय के वरिष्ठ शीघ्रलिपिकों को अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर राजस्थान सेक्रेटेरियट मिनिस्ट्रियल सर्विस रूल्स के नियम 26-ए का लाभ दिया जाता है? और क्या लेखालिपिकों को लेखापाल के पद पर पदोन्नत कर उनके द्वारा पाई गई 10/-रुपये विशेष वेतन को उनके मूल वेतन में शामिल कर उक्त 26-ए नियम का लाभ दिया गया है। यदि हां, तो अस्थाई रूप से कार्य कर रहे शीघ्रलिपिक। स्टेनोटाइपिस्ट को यह लाभ क्यों नही दिया जा रहा है

(6) राजस्थान सेक्रेटेरियेट मिनिस्ट्रियल सर्विस रूल्स, 1970 के नियम 5 में परन्तुक 5-ए के जोड़े जाने के पूर्व व बाद की अस्थाई शीघ्रलिपिकों की वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करे।

उत्तर

(1) राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1962 से 15 सितम्बर, 1972 तक शासन सचिवालय के लिए चार बार शीघ्रलिपिकों की प्रतियोगिता परीक्षा (कम्पीटिटीव टेस्ट) आयोजित की गई। प्रत्येक परीक्षा के परिणाम की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। शीघ्र लिपिकों के पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा परीक्षायें आयोजित की गई थीं, परन्तु यह परीक्षायें केवल सचिवालय के कार्यरत कनिष्ठ लिपिक वरिष्ठ लिपिकों के लिये ही सीमित नहीं थी बल्कि सचिवालय से बाहर के व्यक्ति (ओपन मार्केट) भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते थे और सम्मिलित हुए थे जितनी परीक्षायें सन् 1962 से 15-9-1972 तक विभाग द्वारा आयोजित की गई उनके परिणामों की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। जिसमें यह स्पष्टतया अंकित कर दिया गया है कि सचिवालय के कार्यरत कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक के अतिरिक्त बाहर के कौन कौन से व्यक्ति थे।

(श्री मुख्य मंत्री)

(3) जी नहीं । राजस्थान सचिवालय में दिनांक 31-1-1972 के बाद से कोई पद स्टेनो टाइपिस्ट का नहीं है। यह सही है कि कुछ व्यक्तियों को जो स्टेनोग्राफर पद पर पूर्व से अस्थाई रूप से कार्य कर रहे थे वित्त विभाग की आज्ञा (संशोधन दिनांक 14-4-1966 के बाद स्टेनो टाइपिस्ट पद पर नियुक्त किया गया और 25/- रुपये प्रतिमाह विशेष वेतन स्वीकृत किया गया। किन्तु वित्त विभाग के आदेश संख्या प० 9 (18) वित्त (नियम) 70 दिनांक 21-11-1970 के अनुसार अब यह विशेष वेतन कुछ शर्तों को पूरा होने पर ही दिया जा सकता है। चूंकि इन शर्तों की पूर्ति शासन सचिवालय में नहीं होती है। अतः स्पेशल पे अब जारी रखने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(4) जी हां, विकल्प मांगा गया था, किन्तु 'बिना शर्त' शब्द का तात्पर्य यह है कि विकल्प बिना किसी शर्त लगाए (विथआउट स्ट्रिंग्स) होना चाहिये अर्थात् चाहे वे शीघ्रलिपिक की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण कराकर शीघ्र लिपिक बने रहने के लिए इच्छा प्रकट करे अथवा अपने पैतृक पद पर कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक (जिस पर उनका गृहणाधिकार है) पर परावर्तित हो जाने के लिये इच्छा प्रकट कर सकते हैं। कनिष्ठ लिपिक–वरिष्ठ लिपिक में से अस्थाई रूप में शीघ्रलिपिक के पद पर नियुक्त हुए व्यक्तियों की पृथक से कोई वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई और न नियमानुसार आवश्यकता है। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न पैदा नहीं होता। अब जो व्यक्ति अस्थाई रूप से स्टेनो टाइपिस्ट का कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा स्टेनोग्राफर बनने का ऑप्शन देने पर आर्थिक हानि नहीं होती अतः इसके विवरण को सदन की मेज पर रखने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(5) जी नहीं। वरिष्ठ शीघ्र लिपिक से अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने का प्रावधान तो है। किन्तु वरिष्ठ शीघ्रलिपिक के पद से अनुभाग अधिकारी के पद पर दिनांक 1-5-70 के बाद से अब तक कोई पदोन्नति नहीं हुई है। यह सही है कि लेखा लिपिक से लेखापाल पद पर पदोन्नति होने पर 10/ रुपये विशेष वेतन को उनके मूल वेतन में शामिल कर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26-ए का लाभ दिया जाता है क्योंकि यह पदोन्नति रेगुलर लाइन में है। किन्तु जिन कनिष्ठ-वरिष्ठ लिपिकों को 25 रुपये माहवार का विशेष वेतन दिया जा रहा है उनकी पदोन्नति स्टेनोग्राफर पद पर रेगुलर लाइन में नहीं होती है। अतः उनके इस विशेष वेतन को उनके मूल वेतन में शामिल कर 25–ए का लाभ दिया जाना नियमानुसार संभव नहीं है।

(6) परन्तुक 5-ए दिनांक 15-9-1972 से जोड़ा गया है। अस्थाई शीघ्रलिपिकों की कोई वरिष्ठता सूची प्रकाशित नहीं होती। अतः सदन की मेज पर रखने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 24–3–75)

शुगर मिलों द्वारा गन्ने की खरीद

738. श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल):

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर के अनुसार प्रत्येक शक्कर मिल को गन्ना खरीदने हेतु क्षेत्र विशेष नियत किया हुआ होता है, जहां के गन्ना उत्पादकों का वह सारा गन्ना उत्पादक बेचना चाहते हैं ऐसे शक्कर मिल को खरीदना पड़ता है ?

(2) यदि हां, तो भूपालसागर शुगर मिल को अपने नियत क्षेत्र माण्डल, भीलवाड़ा के उन गन्ना उत्पादकों का गन्ना खरीदने हेतु क्यों नहीं बाध्य किया जाता जो गन्ना उक्त मिल को बेचना चाहते हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। क्षेत्र आरक्षित किया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि क्षेत्र का सारा गन्ना मिल खरीदे।

(2) चूंकि इस वर्ष मिल के आरक्षित क्षेत्रों में गन्ना मिल के पेलने की क्षमता से अधिक हुआ है। इसलिए राज्य सरकार ने मिल को इस क्षेत्र से केशोरायपाटन शुगर मिल द्वारा गन्ना खरीदने की व्यवस्था कर दी है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 24-3-75)

ट्रांसफर के कारण छुट्टी पर गये वैद्य

762. श्री जेठमल आर्य (रेवदर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

वर्तमान में राजस्थान में कौन-कौन से वैद्य ट्रांसफर होने के पश्चात् दो माह से अधिक समय तक छुट्टी पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ट्रांसफर होने के पश्चात् वर्तमान में दो माह से अधिक समय तक छुट्टी पर रहने वाले 12 वैद्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

ट्रांसफर होने पश्चात दो माह से अधिक समय पर छुट्टी रहने वाले वैद्यों की सूची

वैद्य का नाम	परिवर्तन स्थान	
	कहां से	कहां को
1. श्री मोहम्मद खां	टोंक	नागौर
2. श्री जानकी लाल	चल चिकि०; अजमेर	सिलोरा (अजमेर)
3. श्री पतन्जलि भट्ट	'अ' श्रेणी चिकि०, अलवर	खैरथल (अलवर)
4. श्री हरि नारायण शर्मा	जयसिंहपुरा खोर	रीछा (डूंगरपुर)
5. श्री सत्यदेव मिश्रा	जामडोली	बेलागिरि (सिरोही)
6. श्री नारायण शर्मा	बाथावास	सारासर (चूरू)
7. श्री प्रभुदास स्वामी	बेगस	तसवारिया (भीलवाड़ा)
8. श्री नारायण प्रसाद	मून्डोता	जयसिंह देसर
9. श्री कन्हैयालाल	कार्यालय जयपुर	नाना (पाली)
10. श्री हरीश्चन्द्र भट्ट	अबार (भरतपुर)	कोट (जालोर)
11. श्री विश्वेश्वर दयाल	धींगपुर (सीकर)	रूपगढ़ (सीकर)
12. श्री पन्नालाल	बानूड़ा (सीकर)	सिनला (सीकर)

परिशिष्ट–5

(स्थगित प्र० सं० 221 की सूची)

Districtwise information on Provisional results.

Name of District		Total No. of closed and non-existing units
1		2
1.	Ajmer	379
2.	Alwar	213
3.	Banswara	3
4.	Barmer	135
5.	Bharatpur	201
6.	Bhilwara	162
7.	Bikaner	216
8.	Bundi	5
9.	Chittorgarh	97
10.	Churu	409
11.	Dungarpur	6
12.	Ganganagar	45
13.	Jaipur	1363
14.	Jaisalmer	31
15.	Jalore	108
16.	Jhalawar	57
17.	Jhunjhunu	9
18.	Jodhpur	770
19.	Kota	175
20.	Nagaur	348
21.	Pali	313
22.	Sikar	124
23.	Sirohi	185
24.	Sawai Madhopur	134
25.	Tonk	170
26.	Udaipur	311
	State Total ..	5969

परिशिष्ट—6

(अता० प्र० सं० 358 की सूची)

(सूची 'अ')

क्रमांक	नाम शहर जिनकी आबादी 50 हजार से अधिक है	व्यय की गई धनराशि रु०	नगर, सीमा क्षेत्र (किलोमीटर में)	विवरण
1.	जयपुर	7,09,797	11	जनवरी, 1972 से फरवरी, 1975 तक के आंकड़े अंकित किये गये हैं।
2.	अजमेर	98,842	8	वर्ष 1970-71 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
3.	ब्यावर	25,720	4	वर्ष 1970-71 से 1973-74 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। केवल वर्ष 1974-75 के आंकड़े अंकित किये गये हैं।
4.	उदयपुर	1,07,188	3	वर्ष 1971-72 से 1973-74 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं।

(सूची 'ब')

	नाम बाई-पास	कार्य नहीं होने का कारण
1.	आमेर बाई-पास	काश्तकारों द्वारा उच्च न्यायालय, जोधपुर से निषेध आज्ञा प्राप्त करने के कारण चेन 0/0 से 30/0 का कार्य भूमि अवाप्तगी कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण रुका हुआ है।
2.	अजमेर बाई-पास ब्यावर बाई-पास किशनगढ़ बाई-पास	इन सभी बाई-पासों पर मिट्टी का कुछ कार्य सहायता कार्यों में कराया गया है। भारत सरकार से धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य रुके हुये हैं।

परिशिष्ट—7

(प्रता० प्र० सं० 363 की सूची)

EXPENSES ON XVI—CENTRAL COACHING CAMP AT MT. ABU, 1974.

Advertisement for Tender notice	4,256.25
Bording & Lodging	56,089.06
Games material	7,341.07
Honorarium	800.00
Light & Water	2,874.47
Medical Aid	2,193.28
Miscellaneous & Entertainment Exp.	5,369.48
Postage, Telegram & Telephone	2,378.85
Salary & Allowance	646.71
Stores	1,476.73
Stationery	1,579.38
Swimming Camp	4,287.24
TA/DA	14,953.32
Track & Field	2,720.59
Transport & Conveyance	4,999.00
Wages	1,706.50
TOTAL ..	1,13,671.87

परिशिष्ट-8

(अता. प्र. सं. 371 की सूची)

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों की सूची

जिला-बाड़मेर

क्र.सं.	ग्राम का नाम	श्रेणी	क्र.सं.	ग्राम का नाम	श्रेणी
1.	बाडमेर	अ	25.	कवास	स
2.	सिवाना	स	26.	हरसानी	,,
3.	समदड़ी	बी	27.	नीमला	,,
4.	मोकलसर	,,	28.	जयसिंहधर	,,
5.	जसोल	,,	29.	गिराब	,,
6.	सिन्दरी	,,	30.	गडरारोड़	,,
7.	बालोतरा	सी	31.	खानियाली	,,
8.	बाछराऊ	,,	32.	पासू	,,
9.	गंगाला	,,	33.	पचपदरा	,,
10.	विसाला	,,	34.	बालोतरा	,,
11.	सज्जल का पार	,,	35.	असाडा	,,
12.	सेतराऊ	,,	36.	रावतसर	,,
13.	अरनियाली	,,	37.	मेहतू	,,
14.	बापड़ला	,,	38.	नोसडा	,,
15.	घोरिमना	,,	39.	दाखा	,,
16.	दूदू	,,	40.	चोहटन	,,
17.	गढ़ामालानी	,,	41.	बावड़ी कलां	,,
18.	रांची	,,	42.	बीजराड	,,
19.	पादरु	,,	43.	भूणियां	,,
20.	जेठन्तरी	,,	44.	बीसासर	,,
21.	रान्डेप	,,	45.	स्वरूप का तला	,,
22.	करमावास	,,	46.	कोटड़ा	,,
23.	सवाई पदमसिंह	,,	47.	टापरा	,,
24.	वायतू	,,	48.	कलेवा	,,

जिला-जैसलमेर

क्र.सं.	ग्राम का नाम	श्रेणी	क्र.सं.	ग्राम का नाम	श्रेणी
1.	जैसलमेर	अ	11.	मोहनगढ़	सी
2.	पोकरन	सी	12.	फतेहगढ़	,,
3.	फलसूंड	,,	13.	राज थाई	,,
4.	असकन्दरा	,,	14.	मणियाना	,,
5.	रिवंया	,,	15.	रामदेवरा	,,
6.	सिवियासी	,,	16.	साकडा	,,
7.	नाचना	,,	17.	म्याजलार	,,
8.	नोल	,,	18.	रामगढ़	,,
9.	बडोड़ा गांव	,,	19.	सम	,,
10.	सुईयाला	,,	20.	सांगड	,,

परिशिष्ट-9

(अता. स्थगित प्रश्न सं० 460 की सूची)

राजस्थान के विभिन्न जिलों में अपाहिज लोगों की संख्या जिन्हें अपाहिज पेन्शन मिल रही है।

क.सं.	नाम जिला	अपाहिज लोगों की संख्या जिन्हें पेन्शन मिल रही है।	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	सीकर	41	
2.	टोंक	51	
3.	बून्दी	53	
4.	झुन्झुनू	22	
5.	जैसलमेर	39	
6.	बीकानेर	29	
7.	भीलवाड़ा	85	
8.	कोटा	28	
9.	झालावाड़	32	
10.	अलवर	33	
11.	जयपुर	172	
12.	नागौर	171	
13.	अजमेर	155	
14.	सवाई माधोपुर	34	
15.	भरतपुर	30	
16.	पाली	241	
17.	सिरोही	11	
18.	जालोर	5	
19.	बाड़मेर	54	
20.	चूरू	4	
21.	श्रीगंगानगर	70	
22.	उदयपुर	225	
23.	चित्तौड़गढ़	54	
24.	बांसवाड़ा	20	
25.	डूंगरपुर	30	
26.	जोधपुर	— सूचना प्राप्त की जा रही है।	
	योग	1,689	

271

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 31 मार्च, 1975)

क्रम संख्या	स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4	5
1.	2	ऊपर से 10	निगुवित	नियुक्त
2.	5	नीचे से 18	यह	या
3.	15	ऊपर से 3	सविसशन टवारा	सविंसेज सलेक्शन द्वारा
4.	29	नीचे से 1	टवारा	फटवारा
5.	30	ऊपर से 6	श्री रामप्रसाद वोहरा	—
6.	32	,, 5	20 बीघे	30 एकड़
7.	32	,, 10	बीघा	एकड़
8.	37	नीचे से 11	सनाखतगी	शनाख्तगी
9.	55	ऊपर से 1	अ.उ.स	अ. स.
10.	55	नीचे से 4	की	कि
11.	76	ऊपर से 15	स्तानान्तरग	स्थानान्तरण
12.	78	नीचे से 13	भजहूरों	मजदूरों
13.	97	,, 8	भता	भत्ता
14.	114	,, 8	सेन	से न
15.	114	ऊपर से 12	निफकता	निकसता
16.	117	नीचे से 3	कन्जप्शन	कन्जम्पशन
17.	127	,, 19	स्टिरेड	स्टाईफंड
18.	127	,, 16	,,	,,
19.	159	ऊपर से 7	निवेदना	निवेदन
20.	164	नीचे से 20	नीयति	नीयती
21.	165	,, 10	ह	है
22.	167	ऊपर से 4	फौरन	फॉरेन
23.	168	नीचे से 10	टूक्टर	ट्रैक्टर
24.	219	नीचे से 2	मोठी	मीठी

(272)

2

1	2	3	4	5
25.	222	नीचे से 12	लढ़ा	लोढ़ा
26.	228	ऊपर से 14	फैसिस्टवाद	फासिस्टवाद
27.	234	नीचे से 12	थ्री	श्री
28.	239	„ 9	बत	बात
29.	244	„ 3	अब	आव
30.	281	ऊपर से 13	रा	राज्य
31.	304	नीचे से 16	हन्द्रे	इन्द्रे
32.	304	„ 11	गड़ा	झाड़ा
33.	304	„ 13	ह	है
34.	304	„ 8	यनियन	यूनियन
35.	310	„ 9	दरो	दरोलो
36.	407	„ 14	धसरा	कचरा
37.	428	ऊपर से 9	श्री मा……राम	श्री माला राम
38.	471	„ 12	मास	भास
39.	475	„ 6	को	की
40.	476	नीचे से 1	ध्याने	—
41.	483	„ 11	[illegible]थुर	—
42.	512	„ 16	व्यतियों	व्यक्तियों
43.	512	नीचे से 2	„	„
44.	513	„ 16	„	„